



Vol. 02A • No. 01
January 2019
ISSN 2349-672X

JIR

A Journal of Interdisciplinary Research

**A Peer-Reviewed Journal
Valid Under UGC Gazette Regulations**

Prof. Mohammad Alamgeer
LNM University, Darbhanga

Minoritarianism: A Major Dynamic of Electoral politics in India

Dr. Rajeev Kumar

Indo-Nepal Trade and Economic Relation

Dr. Ashti Alamgeer

Mamta Kalia's Role as a Feminist: A Critical Study

Dr. Avinash Kumar

Lok pal and Indian Democracy: Relevance and Retrospection

Devendra Prasad Sah

Export Potential and Marketing Strategy of Cashew in India

Dr. Husna Ara

India – China Relations under Modi Era

Dr. Ratna

Foreseeing India-China Relations: The 'Compromised Context' of Rapprochement

Bishwambhar Prasad

Impact of economic globalization on the working of welfare state

Dr. Mohammad Taqui

The Impact of Modi-economics on Common Man: An Evaluation

Deepak Kumar Tiwari

Breaking the barriers: Women on the Move in the Panchayats of Bihar

Dr. Ritam Priya

Characteristic and Distribution of Waste Land of West Champaran District

Manish Kumar

Congress and Labour 1918-20: An Overview

Dr. Anu Kumari

Study on Investigation of Manpower Planning, Recruitment Selection strategies in Indian Public Sector Undertaking Companies

Dr. Santosh Kumar

Role of Gramin Bank in Agricultural Credit: An Overview

Dr Rajneesh

Women's issues in Panchayati Raj after Independence: An analysis



Bihar, Samastipur
9431425239, 7004287153
editor123ajidr@gmail.com
drmalamgeer@gmail.com
www.jidr.org

Prof. Mohammad Alamgeer
Editor-in-Chief

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

SAMASTIPUR COLLEGE, SAMASTIPUR



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
A Bi-annual and bi-lingual Journal ISSN 2349-672X

editor123ajidr@gmail.com, drmalamgeer@gmail.com
Contact No.: 9431425239, 7004287153
www.jidr.org

PROF. MOHAMMAD ALAMGEER

Editor-in-Chief

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8602-3275>

Department of Political Science
SAMASTIPUR COLLEGE, SAMASTIPUR
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA

MEMBERS:

1. **Prof. S.N. Mishra**
Former Director IIPA
14 Gandhi Smara Nidhi
Raj Ghat, New Delhi 110002
2. **Prof. Shriprakash Mani Tirpathi**
Vice- Chancellor
Indira Gandhi National Tribal
Central University, Amarkantak
Email: spm.ddu@rediffmail.com
Contact: 9451514015
3. **Dr. Gopal Prasad**
Dept. of Political Science
DDU University
Gorakhpur
Email: drgopalprasa@gmail.com
4. **Prof. Nigar Zuber**
Chair-person, Department of Pol. Science
AMU, Aligarh 202001
Email: nigar.zuberi@gmail.com
5. **Dr. Shivalingappa Annarao Palekar**
Professor, and former Dean
Dept. of PG Studies and Research in Political Science
Gulbarga University
Gulbarga - 585 106, Karnataka, India
Email: s_paleker@rediffmail.com

REVIEWER-IN-CHIEF:

Dr. Abhay Kumar
Prof. of Botany,
L. N. Mithila University, Darbhanga
Email: abhayabot@gmail.com



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
A Bi-annual and bi-lingual Journal ISSN 2349-672X

editor123ajidr@gmail.com, drmalamgeer@gmail.com
Contact No.: 9431425239, 7004287153
www.jidr.org

EDITORIAL

We have often lauded our ability to transfer power peacefully every five years since the first general election of 1951 unlike our neighboring Asian countries where democracy failed. However the health of a democracy can neither be measured by the size of its voter base, nor simply by the peaceful transition of power. Such standards of evaluation may be sufficient for nascent democracies struggling to implement the practice of universal adult suffrage (such as countries in the Middle East and North Africa that are experimenting with democracy in the wake of the Arab Spring), but not for India, which has a more mature democracy, aspires to become a secular, liberal global superpower, and considers itself a counterweight to the undemocratic regimes in its backyard. As such, voter participation is a necessary, but not a sufficient measurement of how far we have come since Independence and how long we have to go to truly uphold the ideals of democracy.

If the health of India's democracy were gauged by the efficacy of its political institutions, it will likely be judged to be in a fragile, and perhaps dismal, state. For example, the most visible of all democratic institutions, the Parliament, has largely lost the faith of the electorate. The elections of under-qualified with criminal background MPs have eroded Parliament's ability to pass laws and be responsive to the needs of the nation. The organizations like the Reserve Bank of India, the Comptroller and Auditor General, and the Central Statistical Office, CBI and ED are all supposed to be politically unaligned, governments in power have been able to exert pressure and influence to shape these organizations' behavior to fit the dominant political ideology. The questionable role of the Election Commission, which from being perceived as an institution of independence came to be seen as a tool in the hands of the political executive. The failure of India's political institutions is also rendering collateral damage upon India's social institutions, such as its civil society and free and vibrant media. In addition to the courts, a vigilant civil society helps protect the rights of minorities in a democracy. It is incumbent upon Parliament and the judiciary to maintain the pre-conditions and enforce the constitutional morality that allow such social institutions to thrive. Such institutions are as important to the health of our democracy as opposition parties in Parliament, both of which help challenge the excesses of the majority. Let all the political institutions work independently under the constitutional spirit in the interest of healthy democracy.

Prof. Mohammad Alamgeer
Editor-in-Chief

CONTENTS

1. Minoritarianism: A Major Dynamic of Electoral politics in India	Prof. Mohammad Alamgeer*	Page 17
2. Indo-Nepal Trade and Economic Relation	Dr. Rajiv Kumar	24
3. Mamta Kalia's Role as a Feminist: A Critical Study	Dr. Ashti Alamgeer*	29
4. Lok pal and Indian Democracy: Relevance and Retrospection	Dr. Avinash Kumar	34
5. Export Potential and Marketing Strategy of Cashew in India	Devendra Prasad Sah	39
6. India – China Relations under Modi Era	Dr. Husna Ara	45
7. Foreseeing India-China Relations: The 'Compromised Context' of Rapprochement	Dr. Ratna	49
8. Impact of economic globalization on the working of welfare state	Dr Bishambhar Prasad	56
9. The Impact of Modi-economics on Common Man: An Evaluation	Dr. Mohammad Taqui	62
10. Breaking the barriers: Women on the Move in the Panchayats of Bihar	Deepak Kumar Tiwari	67
11. Characteristic and Distribution of Waste Land of West Champaran District	Dr. Ritam Priya	71
12. Congress and Labour 1918-20: An Overview	Manish Kumar	78
13. Role of Gramin Bank in Agricultural Credit: An Overview	Dr. Santosh Kumar	82
14. Study on Investigation of Manpower Planning, Recruitment Selection strategies in Indian Public Sector Undertaking Companies	Dr. Anu Kumari	86
15. Impact of Democracy and Politics on Indian Middle Classes	Nihal Sarwar	92

Hindi Section Contents

		Page
1. बिहार में कृषि आंदोलन: एक ऐतिहासिक भूमिका	डॉ० मनोज कुमार राम इतिहास विभाग, ल0 ना0 मि0 वि0, कामेश्वरनगर, दरभंगा	96
2. वर्तमान भारतीय राजनीति: दशा और दिशा	डॉ० राजकिशोर कुमार +2 स्कूल, जोगीयारा, दरभंगा	100
3. पश्चिम एशिया में आतंकवाद का उदय और विस्तार	दिलीप कुमार शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, ल ना मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	104
4. 21वीं सदी में भारत में भाषावाद की समस्या और उसके समाधान	डॉ० राम कुमार साह ग्राम-अजना, पो.-गोपालपुर, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर	109
5. संस्कृत महाकाव्य में 'सीताचरितम्' एक अवलोकन	माया कुमारी पी-एच0डी0 (संस्कृत विभाग), बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर	113
6. श्रुति प्रोक्त भावों का मूलार्थ विवेचन	श्याम सुन्दर चौधरी मधुवनी	116
7. राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान एक अध्ययन	डॉ० राजीव नयन दूबे एम०ए०, पीएच०डी०, राजनीति विज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	119
8. मंडल परिघटना तथा पिछड़ा, दलित और मुसलमान समीकरण (1990-2005)	मो० आले नबी शोध, छात्र, राजनीति विज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	124
9. भारत में पंचायती राज संस्थान: उतार-चढ़ाव के कालखण्ड	कमल किशोर शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	128
10. स्वामी सहजानन्द सरस्वती और बिहार में किसान आन्दोलन	रवि कुमार गुप्ता शोध छात्र (इतिहास विभाग), ल.न.मि. विश्वविद्यालय, दरभंगा	132
11. ग्रामीण संस्कृतिकरण	डॉ० राजेश रंजन ग्राम-हरिपुरकृष्ण, पो०-सीहो, जिला-मुजफ्फरपुर	135
12. नेपाल के शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव का यथार्थ	पल्लवी शोधार्थी-इतिहास विभाग, ल.ना. मि. विश्वविद्यालय, दरभंगा	139
13. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की मांग तथा भारतीय संघवाद की सीमाएं: एक अध्ययन	बीर बहादुर यादव शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, ल ना मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	143
14. मनोवैज्ञानिक संदर्भ में "महिलाओं में नेतृत्व" क्षमता	डॉ० नीतु कुमारी M.A. Ph.D (Psychology), L.N.M.U. Darbhanga	151
15. उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह का विस्तार एवं स्वरूप	डॉ० संजीत कुमार पुरामिलेखपाल, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना	155
16. इंदिरा गांधी की सामाजिक विचारधारा पर पंडित नेहरू का प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	मुकेश कुमार Asstt. Professor, Sant Kabir Collage, Samastipur	163
17. आधुनिक परिवेश में नये सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था एक अध्ययन	भरत कुमार शोध-छात्र, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा (बिहार)	166
18. भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका: एक अध्ययन	डॉ० विनीता भारद्वाज प्लैट नं०-301, नीलम मेन्सन दुर्गा आश्रम गली, बेली रोड, पटना	170
19. बिहार में नदी जोड़ो परियोजना की समस्याएँ एवं संभावनाएँ	डॉ० कल्पना कुमारी ग्राम-अरगा (पश्चिम), पो0-अरगा, भाया-बहेड़ी, जिला-दरभंगा (बिहार)	173
20. न्यायिक सक्रियतावाद एवं जन-चेतना: एक अध्ययन	जोनी इम्मानुएल तिरकी दिलावरपुर, मिल्कीचक, दरभंगा	177

Journal of Interdisciplinary Research

About JIDR

Journal of Interdisciplinary Research is the bi-annual journal of Department of Political Samastipur College Samastipur It reflects the aims and intellectual tradition of the advancement of political science, scientific study of politics and dissemination of knowledge through rigorous political inquiry, the journal has evolved over the years as a major forum for publication of scholarly work on ideas and issues important to the study of politics, It seeks to promote greater collaborations and exchange of ideas among social scientists in Indian and Abroad, Quality papers/articles are invited from the faculty members, social scientists, scholars and academicians.

About Samastipur College

Samastipur College, Samastipur is the oldest institution of higher learning in the district, celebrated its 'Diamond Jubilee' in 2010, rendering yeomen service for the last 60 years. The college was established in 1947 with the sole objective to impart quality education to the students of the area at tertiary level. It was recognized by the UGC under its section 2 (t) & 12 (b) in November 1976, NAAC accorded grade 'B' to the College in May 2005. In 2010 **The College achieved the distinction of getting CPE statue from the UGC.** This is a rare achievement which brings the College at par with some of the prestigious institutions of the country.

The college apart from general transmission and generation of knowledge provides amenities such as highly rich library with study room, Computer aid reference facility moving towards full automation, well equipped science laboratories to carry out teaching and research, an Auditorium for Cultural activities, a newly constructed conference hall shortly to be opened for use. The college also makes all out efforts to ensure purposive teaching, personality development of boys and girls through lessons and lectures to practice discipline, punctuality and general ethics of life. The Department of Political Science like other departments is engaged in PG teaching since 1984.

Editorial Office

Email: editor123ajidr@gmail.com

drmalamageer@gmail.com

Contact: 9431425239/7004287153



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
 A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
 A Bi-annual and bi-lingual Journal ISSN 2349-672X

editor123ajidr@gmail.com, drmalamgeer@gmail.com
 Contact No.: 9431425239, 7004287153
 www.jidr.org

Journal of Interdisciplinary Research

(SUBSCRIPTION ORDER FORM)

1. Name
2. Address
3. Tel./Mobile
3. Email:
4. Life Membership/Annual Yes / No
5. Type of Subscription: Individual / Institution
6. Period of subscription: Annual/Three years
- 7.....DD. No Date:
- BankAmount:
8. Number of Copies Subscribed:

Dear Editor

Kindly acknowledge the receipt of my subscription and start sending the issue (s) of JIDR at above Address.

The subscription rates are as follows:		
	Individual	Institution
Single Copy	Rs. 1500	Rs. 2000
Annual	Rs. 6000	Rs.8000
Three years	Rs. 18000	Rs. 25000
Life Membership	Rs. 22000	Rs. 25,000

PROCESSING CHARGES

The publisher charges the publication fee of a manuscript to cover the expenses of the open-access publication. These expenses include paper handling, peer review, editing, formatting, tagging, indexing, production, hosting on different servers, hard copy print and post expenses, website maintenance, electric and internet expenses, staff salaries etc. This fee is paid by the author from his research budget or his supporting institution.

PUBLICATION FEES

JIDR charges a humble amount towards publication fees of Rs. 3000/- for single author, (with maximum 2 to 3 graph/charts/tables/maps etc., else cost increases by Rs.500/- upto 2000 words. For every additional 750 words, Rs.500/- extra) for every Addition author Rs. 500/- extra to be paid which is Non-Refundable**, all authors are entitle to receive a complimentary copy of Journals & Certificates. **The amount may be transferred through NFT/RTGC to the following account. Cheque/ D/D be sent in favour of Editor JIDR payable at Samastipur Central Bank of India: Samastipur College Branch**

A/C No. 3233461647

IFSC: CBIN0284102

A/C Holder: Editor, Journal of Interdisciplinary Research

Amount: Rs 3000/ (Rs. Three thousand only)

As JIDR does not get funding from any funding agencies it solely runs on the small fees that is collected from the esteem authors. The entire amount that is collected from the authors is reinvested on the Journal maintenance and growth. The publication fees will not be refunded if any author withdraws the article (for any reason) after review or acceptance as lot of resources and manpower are invested in processing the article and making it reach the final stage to be accepted by our distinguished reviewers.

EDITORIAL BOARD

Our reviewers are responsible to make sure the clarity of review. They perform their duty of reviewing honestly and clearly focusing on maintaining the quality of the journal. They review the manuscript critically for the purpose of maintaining the quality of the paper. They review the paper and present their valuable comments and arguments so that it should be sent to the author to enable him/her to revise the manuscript.

We publish both scientific and social science journals, so it is seeking reviewers all over the World. We welcome the scholars to join our journals' editorial board. The candidates who are willing to join our journals' editorial board must determine to maintain the quality of the journals by reviewing impartially.

REVIEWER GUIDELINES

Journal of Social Science Research encourages reviewers to help authors improve their manuscript. The report should give constructive analysis to authors, particularly where revisions are recommended. Where reviewers do not wish authors to see specific comments, these can be added to the confidential comments to the academic editor.

While expectations vary by discipline, some core aspects that should be critiqued by reviewers may include:

- Are the research questions valid?
- Is the sample size sufficient?

Is there necessary ethical approval and consent, and was the research ethical?
 Are the study design and methods appropriate to answer the research question?
 Do the experiments have appropriate controls?
 Is the reporting of the methods, including any equipment and materials, sufficiently detailed that the research might be reproduced?
 Are statistical tests appropriate and correctly reported?
 Are the figures and tables clear, and do they accurately represent the results?
 Has previous research by the authors and others been discussed, and have those results been compared to the current results?
 Are there any inappropriate citations, for example, not supporting the claim being made or too many citations to the authors' articles?
 Do the results support the conclusions?
 Are the limitations of the research acknowledged?
 Is the abstract an accurate summary of the research and results, without spin?
 Is the language clear and understandable?
 Reviewer reports should be submitted online on or before the agreed deadline to help the authors to receive timely reviews of the article. Reviewers should contact Journal of Social Science Research if they are unable to meet the deadline to arrange the alternative date.

Journal of Social Science Research encourages reviewers to focus their reports on objectively critiquing the scientific aspects of the submission, including the soundness of the methodology and whether the results can support the conclusions. Comments may also be given on novelty and the potential impact of the work. Reviewers provide a recommendation to accept, revise, or reject; however, the academic editor will make the decision.

Confidentiality

Manuscripts under peer review should be strictly confidential. Reviewers must not share papers or discuss their content with anyone outside the peer-review process. Reviewers may, on request, consult with colleagues from their research group, trusting that the confidentiality of the manuscript is maintained. Reviewers should first contact Journal of Social Science Research or the academic editor handling the paper and note the name of the colleague(s) in the 'Comments to the editor' section of their report.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions:

Peer review is an important component of formal scholarly communication and lies at the heart of the scientific method. Peer Review of a journal is one of the most important ingredient of UGC Gazette Regulation 2018, only after following the process of review contained in the above referred UGC Gazette a research article is accorded its recognition. It may help the editor in making editorial decisions and through the editorial communication with the author he also assist the author in improving the paper. Apart from the described and specific ethics-related duties, reviewers are expected usually to treat authors and their work as they would like to be treated themselves and to observe good reviewing etiquettes. Any selected reviewer who feels unqualified to review the research article or knows that its prompt review will be impossible should communicate to the editor and refuse to participate in the review process.

Confidentiality

Any research article received for review must be dealt with as a confidential document. Reviewers must not share or communicate with anyone the review report or information about the paper or contact the authors directly without permission from the editor. Discussion with colleagues or co-reviewing exercises may be held, but reviewers should first communicate this with the editor in order to ensure confidentiality.

The reviewers cannot use unpublished materials presented in a submitted research article in their own research without the prior written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept in secret and must not be used for personal gains.

Alertness to Ethical Issues

A reviewer's duty is to be vigilant regarding any potential ethical issues in the paper and the same should be brought to the attention of the editor. Potential ethical issues may include any similarity in the disclosed material or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge. Any statement or any observation, derivation, or argument that had been previously reported should be accompanied by the relevant citation.

Standards of Objectivity & Competing Interests

Reviewers should be objective and unbiased in the review process. Personal criticism of the author is altogether inappropriate. Referees should express their opinions clearly with supporting arguments.

Reviewers should counsel the Editor before agreeing to review a paper where they have potential conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

If a reviewer recommends that an author includes citations to the reviewer's work, this must be based on genuine scientific reasons and not with the intention of increasing the reviewer's citation count or enhancing the visibility of their work.

The conditions to join JIDR.

This job will be part-time.

This job will be on an honorary basis.

Candidate must have sound knowledge of spoken English.

Candidate must have command on internet usage because this job will be performed through the internet.

Determination

The candidates who are willing to join our journals' editorial board must determine to maintain the quality of the journals by reviewing impartially. They must complete the review process within the given time. After completing the review process they will have to send the review report immediately to the editor. We will include the name and the affiliation of the reviewers in the list of the editorial board members on journals' hard copy and also on its webpage.


Requirements

- a. Candidate must have a doctoral degree in the specific subject related to the journal he/she is going to apply.
- b. PhD students can also apply.
- c. Professors of the university are also welcomed.
- d. Candidate should be impartial in the review process.

- e. He must be aware of the value of the review process.
- f. He must be interested and expert in the specific field.

How to apply for the reviewer

Download the application form here. Send the complete application form or your complete and updated CV as an email attachment to editor123ajdr@gmail.com



REVIEWER-IN CHIEF:

Dr. Abhay Kumar
Prof. of Botany, L. N. Mithila University, Darbhanga

REVIEWERS:

Dr. Rajesh Singh
Prof. Dept. of Pol. Sc DDU, Gorakhpur UP

Prof. C.P. Sharma
VB University, Hazari Bagh Jharkhand

Dr. Sudhir Chandra Jena
Utkal University, BSSR, Orissa

Dr. Rakesh Jha
Rajasthan University Jaipur

Dr. Shazia Akhtar
Deptt. of Pol. SC. KK PG College Etawa, UP

Dr. Sunil Kumar Jha
Principal JN College Dhurwa, Ranchi

Prof. Jainandan Prasad Singh
Dept. of Pol. Sc. Magadh University, Bodh Gaya

Prof. Rajiv Kumar
Head Dept. of Pol. Sc, CUB, Motihari

Prof. Ram Ranveer Singh
Dept. of Pol. Sc. VKSU, Ara, Bihar

Prof. Shiv Balak Prasad Singh
Dept of Pol. Sc. BNMU, Madhepura

Dr. Kazim Shabbir
Dept. of Economics, A N College, Patna

Dr. Marghoob Alam
Dept. of Pol. Sc., Purnia University, Purnia



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
A Bi-annual and bi-lingual Journal ISSN 2349-672X

editor123ajidr@gmail.com, drmalamgeer@gmail.com
Contact No.: 9431425239, 7004287153
www.jidr.org

APPLICATION FORM FOR REVIEWERS

Name	
Position	
Department	
Organizational Affiliation	
City	
Country	
E-mail address (1)	
E-mail address (2)	
Phone	
Your area (s) of interest	
No. of reviews that you can do per month Put a number here (Minimum 1 and maximum 3)	

Privacy declaration: All information you have given in this form will only be used for selecting reviewers for the journal. We guarantee this information will be not used for any other purpose.
Please Contact if you have any query: editor123ajidr@gmail.com or drmalamgeer@gmail.com

Contribution to Editorial Decisions

Peer review is an important component of formal scholarly communication and lies at the heart of the scientific method. Peer review helps the editor in making editorial decisions and through the editorial communication with the author he may also assist the author in improving the paper. Apart from the described and specific ethics-related duties, reviewers are expected usually to treat authors and their work as they would like to be treated themselves and to observe good reviewing etiquettes.

Any selected reviewer who feels unqualified to review the research article or knows that its prompt review will be impossible should communicate to the editor and refuse to participate in the review process.

Confidentiality

Any research article received for review must be dealt with as a confidential document. Reviewers must not share or communicate with anyone the review report or information about the paper or contact the authors directly without permission from the editor.

Discussion with colleagues or co-reviewing exercises may be held, but reviewers should first communicate this with the editor in order to ensure confidentiality.

The reviewers cannot use unpublished materials presented in a submitted research article in their own research without the prior written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept in secret and must not be used for personal gains.

Alertness to Ethical Issues

A reviewer's duty is to be vigilant regarding any potential ethical issues in the paper and the same should be brought to the attention of the editor. Potential ethical issues may include any similarity in the disclosed material or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge. Any statement or any observation, derivation, or argument that had been previously reported should be accompanied by the relevant citation.

Standards of Objectivity & Competing Interests

Reviewers should be objective and unbiased in the review process. Personal criticism of the author is altogether inappropriate. Referees should express their opinions clearly with supporting arguments.

Reviewers should counsel the Editor before agreeing to review a paper where they have potential conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

If a reviewer recommends that an author includes citations to the reviewer's work, this must be based on genuine scientific reasons and not with the intention of increasing the reviewer's citation count or enhancing the visibility of their work.

The conditions to join JIDR.

This job will be part-time.

This job will be on an honorary basis.

Candidate must have sound knowledge of spoken English.

Candidate must have command on internet usage because this job will be performed through the internet.

Determination

The candidates who are willing to join our journals' editorial board must determine to maintain the quality of the journals by reviewing impartially. They must complete the review process within the given time. After completing the review process they will have to send the review report immediately to the editor.

We will include the name and the affiliation of the reviewers in the list of the editorial board members on journals' hard copy and also on its webpage.

Requirements

- a. Candidate must have a doctoral degree in the specific subject related to the journal he/she is going to apply.
- b. PhD students can also apply.
- c. Professors of the university are also welcomed.
- d. Candidate should be impartial in the review process.
- e. He must be aware of the value of the review process.
- f. He must be interested and expert in the specific field.

How to apply for the reviewer

Download the application form here. Send the complete application form or your complete and updated CV as an email attachment to editor 123ajidr@gmail.com

About the Journal

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH; JIDR started publishing in June 2013, which is Volume 1, No. 1, the Year 2014. JIDR is a scientific, peer-reviewed and open-access online journal devoted to the field of Social Sciences, humanities and provides rapid publication of articles frequently in its issues. JIDR publishes original review papers, as well as auxiliary material such as Research Papers, Case Studies, Review Articles, and Reports, etc. AJIDR is the place for the exchange of information and research results within all areas of Social Sciences and allied fields. Journal items can be published collectively, as part of an issue with its Table of Contents. Alternatively, individual items can be published as soon as they are ready by adding them to the "current" volume's Table of Content

Peer Review Policy

Peer review is an essential part of maintaining a substantial standard in publishing and brings out the best possible scientific novel information from potential authors and researchers globally.

Peer Review process JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH uses a blind peer review system to ensure originality, timeliness, relevance, and readability.

The open journal system will be used for peer-review of scientific journals to meet the criteria of an international editorial manager system. It provides greater flexibility and degree of transparency at each level concerning the authors, editors, and reviewers, respectively. The standard peer review process is also essential from the perspective of editorial board members, who take the responsibility in shaping the open access articles to meet the international standards of open access journals.

Peer-reviewed articles are assessed and critiqued by the scientists and experts in the same field after the article is distributed for review. An author is expected to incorporate the suggested changes before publication. This process enriches the content and improves the quality of the presentation considerably.

Applications for Reviewer

Journal of Interdisciplinary Research appreciates applications to join our community of peer reviewers. Our Academic Editors select reviewers on a manuscript-by-manuscript basis. In each case, the most relevant scientists will be invited. To provide up-to-date contact details, interested reviewers should Plagiarism Policy

JOURNAL will check plagiarism for all the articles before prior publication. If the plagiarism content is observed by editors, peer reviewers or by editorial staff members at any stage of publication process at the time of editing or proofreading will be informed to the author to rewrite the manuscript. We also check for plagiarism and research fabrication (Grammarly) and reserves the right to use plagiarism detecting software to screen submitted papers at all times; falsification (manipulation of existing research data, tables, or images). In accordance with the code of conduct, we will report any cases of suspected plagiarism or duplicate publishing. In any case, if the submitted original manuscript is 25% plagiarized then the article will be rejected and the same will be notified to the author.

Author Guidelines for Submissions

Prospective authors are invited to submit original papers (not being considered for publication elsewhere) in standard format (that is provided) describing new theoretical and/or experimental research. Author can submit paper with have any number of pages including figures, tables, and references. Submissions will be judged on originality, significance, interest, clarity, relevance, correctness, and presentation.

Page size: A4 size only

Text Column: Single texts align: justify

Title: 24pt Times New Roman align: Centre

Page Margins: Left – 0.51", Right – 0.51", Top – 0.75", Bottom – 0.75"

Font: Use Only Times New Roman for whole paper

Figure caption: Font size- 10", lower case and Write below the figure, position-center

Table Caption: Font- 10", lower case and Top of the table, position-center

Paragraph: Paragraph Indentation by- 0.2"

Line Spacing: single

Before: 0" **After:** 0"

Header 0.3" Footer 0"

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

- i. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
- ii. The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided.
- iii. The text is formatted according to the template of the journal and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

Manuscript Template

Manuscript Template of *Journal of Interdisciplinary Research* available in two versions. For authors, please download the following link.

- 1) Manuscript Template
- 2) Latex Template

References

- This section only includes paper, books, or other types of publications referred to in the body of the text. Quotes and references must strictly follow the APA (American Psychological Association) style.
- Authors must use a minimum of 60% of the primary reference sources (national journals or international journals) of the last ten years of publication. The reference list is arranged in a way from the following examples and sorted alphabetically and chronologically.
- Please use Reference Manager Applications like End Note, Mendeley, Zotero, etc.
- The references must be linked to CrossRef by listing DOI below each reference (if available).
- The DOI of the reference can be obtained by using the Simple-Text Query Form from CrossRef available at <http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/>.
- URLs for the references have been provided (if available).

Short Communications

Short communication should not exceed 3000 words (4 printed pages) with a maximum 4 figures or tables

Copyright Notice

The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s).

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Minoritarianism: A Major Dynamic of Electoral politics in India

Prof. Mohammad Alamgeer

**Prof. of Political Science and Editor of the JIDR*

Email: drmalamgeer@gmail.com

Abstract: *Almost all States have one or more minority groups within their national territories, characterized by their own ethnic, cultural, linguistic or religious identity which differs from that of the majority population. Harmonious relation of one minority with the other and between the minorities and majorities is a great asset to the multi-ethnic and multi-cultural diversity of global society. It is of prime importance that each citizen has respect for individual group's identity. Meeting the aspirations of national, ethnic, cultural, religious and linguistic groups and ensuring the rights of persons belonging to minorities acknowledges the dignity and equality of all individuals.*

Key Words: *Religious linguistic minorities Hindutva, Sangh Parivar, Communal Riots*

CONCEPT OF MINORITY

The expression "minority" has been derived from the Latin word "minor" and the suffix 'ity', which means "small in number". According to Encyclopedia Britannica minorities means "group held together by ties of common descent, language or religious faith and feeling different in these respects from the inhabitants of a given political entity". Louis Wirth, who pioneered the study of Minority problems and offered a definition and classification, defines a Minority as, "A group of people who, because of physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential and unequal treatment and who therefore regards themselves as objects of collective discrimination. Moreover, minority status carries with it an exclusion from full participation in the life of the society"³⁰ J.A Laponce describes "Minority" as a group of persons having different race, language, or religion from that of majority of inhabitants.

Macmillan and Free Press have published the International Encyclopedia of Social Sciences. In the treatise, the word minority has been defined as follows: "In any society, it is a group which is different from the larger group, in terms of race, nationality, religion or language. Each group thinks it is distinct and looks down upon the other. As regards political power is concerned, the situation is different. The minorities are at the mercy of the larger group, which discriminates against the smaller group." According to Capotorti's definition for the United Nations³¹ "Minority" means a community?

- a) Compactly or dispersedly settled on the territory of a state;
- b) Which is smaller in number than the rest of the population of a state;
- c) Whose members are citizens of that State?
- d) Which have ethnic, linguistic or cultural features different from those of the rest of the population.
- e) Whose members are guided by the will to safeguard these features? According to the new Encyclopedia Britannica, "Minority is an aggregate of people who are distinct in religion, language, or nationality from other members of the society in which they live and who think of themselves and are thought of by others as being separate and distinct." The Oxford Dictionary defines minority as "the condition or fact of being smaller, inferior, or subordinate; smaller number or part; a number which is less than half the whole number. First of all, it is the number count, or the statistical divide between two or more entities under consideration, resulting in majority/minority division. The minor, since it is numerically less, is perceived to be weak and has to be empowered separately through special measures to make it equal to the majority. In this power relation, the minor is supposed to be subordinate to the major. Who is a minority? Which community fits into the definition of minority? Who are the beneficiaries of minority rights? These questions and the possible responses thereto have been subject of number of studies and lengthy debates in many forums in which minority protection has been addressed.

No definite answers have been found and no satisfactory universal definition of the term "minority" has proved acceptable. The difficulty in arriving at an acceptable definition lies in the variety of situations in which minorities exist. Some live in well defined areas, separated from the dominant part of population, while others are scattered throughout the national community. Some minorities base a strong sense of collective identity on a well-remembered or recorded history; others retain only fragmented notion of common heritage. In certain cases, minorities enjoy a considerable degree of autonomy while in others there is no past history of autonomy or self government. Some minority groups may require greater protection than others, because they have resided for longer period of time in a country, or they have a stronger will to maintain and develop their characteristics. Since minority is defined nowhere in the Constitution of India that guarantees minority rights it has become very important to decide as to who would constitute minority for research purpose. Article 30 safeguards rights of two kinds of minorities namely religious and linguistic.

In Political Science, **minoritarianism** (or **minorityism**) is a neologism for a political structure or process in which a minority segment of a population has a certain degree of primacy in that entity's decision making [1][2] Minoritarianism may be contrasted with majoritarianism, but with legislative power being held or controlled by a minority group rather than the majority. Minoritarianism is most often applied disparagingly to processes in which a minority is able to block legislative changes through supermajority threshold requirements. For example, if a 2/3 vote in favor is required to enact a new law, a minority of greater than 1/3 is said to have "minoritarian" powers.

Even in the case where minority control is nominally limited to blocking the majority with veto power (whether as a result of a supermajority requirement or a consensus process), this may result in the situation where the minority retains effective control over the group's agenda and the nature of the

proposals submitted to the group, as the majority will not propose ideas that they know the minority will veto. Critics of this use of *minoritarianism* argue that the ability to block legislation is substantially different from the ability to enact new legislation against the will of the majority, making the analogy to unpopular «dominant minority rule» examples inappropriate. Minoritarianism is sometimes used to describe rule by a dominant minority such as an ethnic group delineated by religion, language or some other identifying factor. Historical examples included Rhodesia (now called Zimbabwe) under Ian Smith and South Africa under apartheid rule.^[3] Minoritarianism may also be used to describe some cases where appeasement of minorities by votebank politics is practiced. Examples include, but are not limited to, Indian Muslims, Jewish Americans, and Francophone Canadians.

I. MINORITY PHENOMENON AND THE INDIAN MUSLIMS

Ever since the beginning of human society, there has been a constant grading in the social spectrum of human society. The formation of human groups is determined by attraction and repulsion of all these phenomena, which may be said to be produced by fields of force. Since the identity of interests of all types of social groups has not been achieved, the majority – minority relation is greatly heightened. It is most useful to think of majority – minority relations as an ongoing social function, characterized by varying degrees of repressive measures underlined by overt and covert hostility. The objects of competition may range from political power and opportunities for education to economic power and employment. Therefore, there is an inevitable conflict of interests in consequence. This sets in the process of conflict seeking rewards by the demand for eliminating or weakening the competitors; attention shifts from the contest itself to an effort to eliminate rivals. In this regard, examples of Red Indians and Negroes in the USA, the Protestants in Spain and Latin America, the French in Canada, the Japanese in Brazil and the Muslims in India can be cited as some of the classic examples of minority groups. Due to the psychology of ethnocentrism, people are harassed in varying degrees from complete social isolation to compromise or persecution. (Encyclopedia of Social Sciences, 1992, p. 139)

Therefore, the following are the general effects of a minority position (Hamilton, 1993, p. 7):

- i. Minority groups are held in lower esteem and are objects of contempt, ridicule and violence.
- ii. They are specially segregated and socially isolated.
- iii. They are victims of unequal access to education, employment and professions.
- iv. They may suffer from restricted property rights.
- v. They may be deprived of the right to suffrage and public office.
- vi. Generally speaking, a minority is "A group of people differentiated from others in the same society by race, nationality, religion and language – who think of themselves as a differentiated group and are thought of by others as a differentiated group with negative connotations (Wagley and Harris, 1958, p. 16).

It is a distinct ethnic group or community with certain characteristics, ethnic, linguistic, cultural or religious, living together, within an alien civilization and are objects of collective discrimination. Differentiation is not an inevitable or natural process – it has to be culturally set before being defined as such. There are mainly five functional characteristics in a minority position as comprehensively defined and attempted by UNESCO conference (Ashworth, 1968, p. 13): A minority is a

- i. Subordinate segment of the population
- ii. With special physical and cultural traits
- iii. Possessed of self consciousness bound by some special traits and disabilities
- iv. Whose membership is compulsorily transmitted by a rule of descent?

- v. Marriage is confined within the group by choice or necessity. In India, although its constitution proclaims the state to be secular, yet an insight at the last six decades shows that Indian secularism, works invariably in favour of the Hindu (Majority) (Aurora, 1999, p. 172-173). The Muslims are looked upon with suspicion and hostility. They find it difficult to get into government service. Trade and industry do not employ them. Economically they have been ruined and the deterioration gets more severe every day. Culturally it is expected of them to be assimilated into the general Hindu milieu. They are a community with no present, no future and no hope. With charges of terrorism and extremism on them, their social existence seems to be in a great danger. Every day the Indian Muslims suffer from communal wave of persecution and genocide.

II. INDIAN COMMUNALISM ROUSING CHAUVINISM AGAINST MUSLIM MINORITY

The Hindu – Muslim communal views of their respective history, its interpretation and its appropriation for sharpening the edges of communalism, were mostly developed during the course of colonial rule in India. This reconstruction of colonial history is employed as a powerful instrument for creating communal solidarity and hatred at the same time. Prior to independence, the Congress – Muslim league quest for freedom essentially represented the economic, political and cultural aspirations of both Muslims and Hindus. The major cause of communal conflict, before the advent of free India, was thus the struggle between the Hindus and the Muslim and their respective elite for political power and control of economic resources. Needless to say, the Muslims of the sub-continent, despairing of a fair deal, sought their salvation in a separate homeland. In the post-partition period, the Indian Muslim masses left behind in India found them in an awkward situation and were unable to react meaningfully to the hostile and dominating politico-economic attitude of their rival Hindu citizens. The partition riots continued up to 1948 and occasional skirmishes here and there took place till 1950 (Bhagwant, 2001, p. 5). In the decade between 1950 and 1960, the events of communal violence were marginal. However, after the frenzy of 1947-48, the communal bloodbath was again witnessed in 1961 in Jabalpur in the state of Madhya Pradesh (Quoted in Shakir, 1989, p. 92). Later rioting erupted in various parts of East-India like Calcutta, Jamshedpur, Rourkela and Ranchi. In 1968-69 communal aggressions caused a chain reaction in the Southern part of India as the state of Gujarat saw intensive and widespread killing incidents (Gupta, 1970, p. 102-104). In Ahmadabad also, massacre, arson, looting and slaughter of thousands of Muslims continued for a week. The communal violence in Ahmadabad had its repercussions elsewhere, in Baroda, Bharuch, Nadiad Anand, Jamnagar, Bhuj, Veravel, Junagarh, etc. The riots in Aligarh, Ahmedabad and Moradabad turned into a clash between Muslims and the predominantly Hindu police force, with latter mercilessly beating up the Muslims and indulging in violence (Sadiq, 1988, p. 51). By 1970, the number of districts affected by the communal virus rose to 216 representing 70 percent of the Indian basic administrative set-up. Out of the total of 525 serious communal riots in 1986, 96 were reported in Gujarat, 65 in Bihar, 61 in West Bengal, 51 in Maharashtra, 48 in Karnataka, 45 in Andhra Pradesh, 41 in Uttar Pradesh, 31 in Madhya Pradesh, 24 in Rajasthan, 21 in Kerala, 14 in Tamil Nadu, 10 in Orisa, 8 in The Indian-held Kashmir, 7 in Assam and 3 in Delhi (Chaudhry, 1989, p. 333). The ugliest incident of Hindu fanaticism since 1947 took place on 6, December 1992 when the historic Babri mosque in Ayodhya was razed to the ground. Hindu communalism, drawing its sustenance from hate, prejudice and bigotry towards the Muslim minority and its cynical refusal to accept the pluralistic nature of Indian society, blackened its own face by destroying the mosque in the name of Ram (William, 1998, p. 200). The uncivilized act of demolition of the historic mosque was carried out in the presence of the top Brass of BJP-VHP-RSS combine and contrary to the assurances of the state government given to the Supreme Court of India (Ganga, 1996, p. 6). Since 1992,

the tragic happenings during the communal contentions have deepened the sense of horror and misery of the Muslim minority. In the recent past, Narindar Modi's state of Gujarat broke the previous records of Anti-Muslim atrocities, when stray cases of assault, murder, stabbing and rape went on unabated and unchecked for a week. The overall picture is that the loss of lives, injured or disabled, loss of moveable or immovable properties, missing persons and honor is incalculable. Indian governments whether the "so-called progressive" or conservatives have evidently failed to protect the Muslim minority from an organized vandalism. The Indian Muslims are punished for not merging their religious, cultural and philosophical entity into a "uniform secular nation" which is actually the creed of Sangh Parivar (Gulzar, 1999, p. 6). The Indian Muslims strongly believe in cultural assimilation but do not want to lose centuries old traditions of their own and the doctrines of religious diversity as well as their faith. The persistence of communal violence is usually sought to be explained by continuing Hindu-Muslim religious rivalry. A majority of analysts hold religion as mainly responsible for communal confrontation, and certainly religious symbols, mythology and terminologies are frequently employed in various communal frenzies. Undoubtedly, communal propaganda is a subtle and lethal weapon in the speeches, writings and dealings of the Hindu communalists. However, some scholars hold the economic factors responsible for the eruption of communal aggression and they argue that: In the communal – ridden society of India, most of the employers, industrialists and middlemen are Hindus, whereas the majority of employees, workers and artisans, are Muslims (Singh, 1989, p. 3).

Thus in such a set-up, communal riots are a distorted version of the class conflict. Furthermore, there is a competitive conflict of interests within the middle class and among the self-employed people over access to given opportunities like government jobs, export contracts, market shares, etc. The prevailing group identities clash on communal lines. Going by the foregoing analysis of Hindu-Muslim communal strife, it seems that political factors also play the role of bread and butter in this conflict. The Muslims in India are considered to be politically deprived group. Their frustration increases when Liberal parties like Congress pursue the same communal lines as the BJP, Sangh Parivar and other anti-Muslim political factions espouse and romanticize Hindu quest for permanent dominance over the Muslims. Following the above aspects of communalism, these systematically designed riots can be viewed as the clandestine handiwork of Hindu militant and fanatic organizations who seek to achieve their parochial objectives through rioting. RSS, Shiv Sena and Bajrang Dal do not accord the status of the Muslims as equal citizens (Kirmani, 2001, p. 6-7). By trying to achieve their objective of purging India of Muslims, they resort to rioting, thus depriving them from privileges and preferential treatment. Resultantly, when Hindus appraise the Muslims, negatively on religious / political grounds, the Muslims develop antipathy towards the Hindus, and this leads to communal tension and hostility. Attempt to curtail Indian Muslims' fair existence has been articulated by numerous Hindu circles with such a vision whose appeal will ultimately demolish Gandhi's dream of a secular and democratic India. In pre-partition India and even during Nehru's regime, the influence of individual Muslims found prominence through their active participation in the congress policies, but due to dual attitude of congress leadership, it lost nationalist resilience which provided opportunity to Hindu right wingers to flourish the glorification of Hindutva rather than secularism. Although Article 17 of the Indian constitution "abolished" the concept of untouchability and its practice in any form, yet, the victimization of the Indian Muslim community reflects systematic brutality with the complicity of Hindu extremists and exposes the pitiable situation in a representative secular democracy (Gail, 2003, p. 2).

Under these circumstances, the energy and enthusiasm of the Indian Muslims to participate in the national life of Indian society seems to be weakening day by day. Last but not least, the possession of fear and inferiority complex and narrow, ad-hoc self-interests has doomed the future of Muslims in India.

The answer to this problem lies in the identification of Indian Muslim minority as equal citizens. Indians will have to contain the explosive blending of Hindu revivalism with governmental machinations, which is clearly fundamentalist. Following this statement, it is further suggested that Hindus should not attempt to co-opt or incorporate all distinct communities, including the Indian Muslims, into the Hindu fold and must refrain from accomplishing the mission of Hindutva. India with its old ideal of secularist anti-fundamentalism will not only prevent its society from communal pollution but will also create political tranquility and regional cohesion with Pakistan.

CONCLUSION

Both the Muslims and the Hindus have developed, over the decades, stereotyped opinions, images and particular perceptions of each other. Such concepts tend to dominate the mindset of orthodox and conservative sections of the rival communities, in particular, the Hindus. There are weighty reasons to believe that the Hindu communal elements have made much space into intelligence organs, police, paramilitary forces and policy making institutions to sabotage all peaceful measures of civil society organizations and all the secular elements, apart from encouraging and promoting communal activities. In almost all the communal riots, prejudiced actions on the part of law enforcing agencies are noticed by the world print and electronic media and are reported. The repeated occurrence of communal violence and the failure of the law and order machinery to protect the life, property and honor of the Muslim minority is the outcome of a sustained hatred, garbled versions of Indian history, traditions and prejudices against the Muslim minority. Undoubtedly, at the root of communal conflicts and hostilities against the Muslim minority in India, both a cause and an effect of tension, is the confrontation with Pakistan on a number of issues. As the relations with Pakistan worsen, the Muslims in India are automatically suspected of being a fifth column for Pakistan. The depth of religious feeling in India today is mirrored by the Hindu attitude towards global war against terrorism. The Indian media and even commoners seem to be very delighted by the Muslim's discomforts in different war theaters of world. The Indian-Israeli nexus has grown powerful which instills pre-emptive fascism in the Indian youth. It is a settled phenomenon that the Indian Muslims are too large and too poor ever to be able to leave India but Hindu revivalism is reinforcing disenchantment among the Muslims with Indian secularism. So far the response of Hindu communalists has been unrelenting. The choice lies with the Indians. Do they want to emerge as a modern secular state which protects the fundamental rights of its citizens of whatsoever creed, color or religion, guaranteed under their secular constitution or do they want to lark back to the dark ages of Hindu religionism. In case they choose the latter, they are bound to BALKANIZE.

REFERENCES

1. Laponce J. A. *The protection of minorities*, University of California publication in Political Science Volume 1960 Pg 5
2. Pan, Christoph/Beate Sibylle Pfeil, *National Minorities in Europe, Handbook*, Vienna (Braumüller, Ethnos 63, 2003), Volume I and II
3. Derbyshire, John (2002-01-29). "Minoritarianism". *National Review*. Retrieved 2007-01-29.
4. Barzilai, Gad. *Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003). ISBN 978-0-472-03079-8
5. Gibson, Richard. *African Liberation Movements: Contemporary Struggles against White Minority Rule* (Institute of Race Relations: Oxford University Press, London, 1972). ISBN 0-19-218402-4
6. Russell, Margo and Martin. *Afrikaners of the Kalahari: White Minority in a Black State* (Cambridge University Press, Cambridge, 1979). ISBN 0-521-21897-7
7. Johnson, Howard and Watson, Karl (eds.). *The white minority in the Caribbean* (Wiener Publishing, Princeton, NJ, 1998). ISBN 976-8123-10-9, ISBN 1-55876-161-6
8. Chua, Amy. *World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability* (Doubleday, New York, 2003). ISBN 0-385-50302-4
9. Haviland, William. *Cultural Anthropology*. (Vermont: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993). p. 250-252. ISBN 0-15-508550-6
10. Ashworth, *World minorities* (1968). London: Quarter Main House. Aurora, G., *Communal Strife in Hindustan* (1999). New York: Natural History Press.
11. Bhagwant, R. P. *The growing cult of communal violence* (27 March 2001). *The Hindu*, New Delhi,
12. Chaudhry, Kamal, *Indian Moslems*(1989). New Delhi: Chanakya Publishers.
13. *Encyclopedia of Social Sciences* (1992). Vol. IX, London: O.U.P.
14. Hamilton Charles, V., *Minority Groups* (15 April 1993). *Proceedings of Academy of Political Science*, published in *Fridan Times*, Lahore.
15. Jaswant Ganga, (11 May 1996). *Communal wave in the central India*, Sunday, Calcutta,
16. Kirmani, Ali Zaidi *Indian Muslim perspective*(9 July 2001). *The Times of India*, New Delhi,
17. Minault – Gail, (6 October, 2003). *Communalism and language in Indian politics*, *Mainstream*, New Delhi,.
18. Singh, Tavleen *Communal dilemma in India* (29 November 1989). *Indian Express*, New Delhi,
19. Shakir, Moin(1989). *Politics of Minorities: Some perspectives*, New Delhi: O.U.P.
20. Shahwali Gulzar (27 August 1999). *Hindu Activism Succeeds in India*, *Mainstream*, New Delhi,
21. Sudheer Gupta, (1970). *Riots in Gujrat*, Bombay: Sangam Books

Indo-Nepal Trade and Economic Relation

Dr. Rajiv Kumar

Department of Economics, LNMU Darbhanga,

Email: rajiv101183@gmail.com

Abstract: *Economic cooperation between Nepal India is based on the movements of goods and services across Nepal-India border of about 1,600 km. The movement is free and spontaneous. This movement further accelerated by the movement of people for economic pursuits. Social and marriage relations. The cultural ties and non-existence of visa system have created better environment for the conduction of free trade between the two countries. Indo-Nepal trade has its own importance for the economic development of both these countries. Trade relation with India is rather crucial to Nepal particularly due to her land-locked geographic characteristics. Trade statistics show an increasing trend of trade in both the exports and imports. However, it is noteworthy that the trade balance is not in favour of Nepal. As such, it does not present a convincing picture in the macro-economic performance of Nepal. Both the countries have realized the significance of bilateral trade. Trade with India is likely to play further a key role in trade and industrial fronts in the future as well. Trade and transit treaties held between the two countries are continuously reflecting the fact. And, these treaties have increasingly guided the trade direction, more specifically in the case of Nepal. Taking into account these factors, this study has made an attempt to analyze some of the key issues related with Indo-Nepal trade relation and scope for improving trade relationship between these countries in the future.*

Key Words: *Economic cooperation, Trade, Export, Import.*

INTRODUCTION

India has been a key development partner of Nepal. The latter received strong support from the people and Government of India in advance is home grown peace process as well as in the process of writing constitution through the elected constituent Assembly. Following earthquakes in Nepal in April and May 2015, India promptly offered helping hands. The Government of India has also been substantially supporting Nepal reconstruction efforts. The Indian cooperation started in 1952 with the construction of an air strip at Gaucharan. Since then, India has been assisting primarily in the areas of infrastructure

development and capacity development of human resources in Nepal. Such assistance received from India has helped supplement the developmental efforts of Nepal. India's economic assistance to Nepal has grown manifold in the past few decades, particularly since the restoration of multiparty democracy in Nepal in 1990. As agreed during the State Visit to India of then Prime Minister of Nepal Mr. Pushpa kamal Dahal Prachanda in September 2016, a Nepal- India Joint Oversight Mechanism has been constituted co-chaired by the Foreign Secretary of Nepal and the Indian Ambassador to Nepal to review the progress made and resolve issues in the implementation of the projects under India's economic and development cooperation. The Mechanism meets once every two months.

Economic relationship between Nepal and India is unique. There are historical, geographical, cultural, linguistic, ethnic, social and family links between people living in India and Nepal. Institutions relating to government and the economic activities are also more or less similar. Therefore, the trade and other related relationship between these two countries often goes beyond the economic reason significantly influenced by the social-ethical norms and values. Research and studies reveal that both the countries have comparative cost advantages in the amongst themselves for several reasons. Historic trade real geographical proximity, identical culture, similar agriculture produce are cited few examples a quite repeatedly. Economical transport seen as another important factor determining the volume of between these countries. In view of the rising energy costs, it is considered that the transport costs are likely to rise so that the trade cost advantage to both these countries trading with each other to increase in future. This would further increase the potential for India is based on the movements of goods and services across India border of about 1,600 km. The movement is free and This movement further accelerated by the movement of economic pursuits, social and marriage relations. The cultural ties and non-existence of visa system have created better environment for the conduction of free trade between the two countries.

Indo-Nepal trade has its own importance for the economic development of both these countries. Trade relation with India is rather crucial to Nepal particularly due to her land-locked geographic characteristics. Trade statistics show an increasing trend of trade in both the exports and imports. However, it is noteworthy that the trade balance is not in favour of Nepal. As such, it does not present a convincing picture in the macro-economic performance of Nepal. Both the countries have realized the significance of bilateral trade. Trade with India is likely to play further a key role in trade and industrial fronts in the future as well. Trade and transit treaties held between the two countries are continuously reflecting the fact. And, these treaties have increasingly guided the trade reflection, more specifically in the case of Nepal. Taking into account these factors, this study has made an attempt to analyze some of the key issues related with Indo-Nepal trade relation and scope for improving trade relationship between these countries in the future.

The conventional economic wisdom holds that trade is beneficial a growth of a country. Although one country may have a higher in the production of all goods compared to another country, relative productivities in producing different goods will differ, Trade based on the relative comparative advantage and increases welfare both countries. It has been increasingly stressed in recent years that welfare would only come from increased exports. Trade liberalization. This direction, paints a picture suitable for export promotion. On the other hand, it is also argued that the participating countries should share benefits of free trade. Trade liberalization as a policy focus predominantly on diminishing restriction to the free international government of goods and services. More, in particular, it includes the in-mingling of import quota and the lowering of export taxes. These actions will result in a decrease of the price of importable, and in an increase in the price of exportable. If markets work as they are expected these measures lead to increases in imports and exports. And, trade scenario is obtained. Trade liberalization. More often, part of structural adjustment program of a country. Economic programs in many countries can be seen as a consequence of program.

It is noteworthy to note that the South Asian economies (SAEs) launched comprehensive reform programs at the beginning of the 1990s. However, some attempts were made towards the opening up of trade and investment regimes in the 1980s. The reform initiatives included, among other things, reducing the level and dispersion of tariffs and quantitative restrictions and improving regulations on domestic and improving regulations on domestic and foreign investments. Nepal and India also stepped towards economic reform process during this period.

The new economic thinking involving speedy economic liberalization oriented toward free and competitive market in Nepal and India has, by and large, contributed in hanging the scenario of Indo-Nepal trade relation. Steady move towards economic liberalization undertaken by the both countries brought fundamental changes in the pattern and direction of economic exchanges between them. As such: the traditional age-old relationships between these two neighboring countries assumed new dimensions with economic and trade liberalization regimes.

India started to deregulate her economy in the mid- 1980s when the import restrictions on a number of goods were relaxed by expanding the positive OGL list tariff rates on capital goods were brought down. And FDI policy was liberalized. In July 1991, the government initiated a comprehensive package of reforms covering trade, industrial and exchange rate policy regimes. The import licensing system has been dismantled. As non-tariff barriers (NTBs) were phased out from all tradeables except consumer goods in early years of 1990s. the quantitative restrictions on the remaining items have been phased out by March 2001, two years ahead of the original schedule. The QRs on imports of around 2300 items from SAARC countries had been removed unilaterally in 1998. The peak tariff rate have been brought down to a maximum of 50 percent from up to 355 percent and average weighted tariff rates have come down from 87 per cent to just 20 per cent by 2019.

The partial convertibility of rupee on the trade account was announced in the 1992-93 budgets that was subsequently broadened to full convertibility on current account by August 1994. The Capital Issues Control Act was repealed and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) was set up as a watchdog for regulating the functioning of the capital market. SEBI has focused on the regulatory reform of the capital market as well as on market modernization. Online trading and dematerialized trading have been introduced. Companies have been allowed to buy back their own shares subject to the regulations laid down by SEBI. In September 1992, the government announced guidelines for investments by foreign institutional investors (FIIs) in the Indian capital market. FIIs are now welcome to invest in all types of securities traded on the primary and secondary market with full repatriation benefits and without restrictions on either volume of trading or lock-in-period. In January 1993, a package of financial sector reform was announced that included permission to new private sector banks including foreign joint ventures. The government has also established a policy regime for the functioning of private non-banking finance companies (NBFCs) and agencies for rating their credit worthiness.

Nepal opened up its economy in the early 1990s with the adoption of economic reform package. The reform measures have since covered almost all sectors of the economy including trade and investment, fiscal and monetary policies, financial and capital markets and other economic and social sectors. The import licensing system and quantitative restrictions were eliminated and tariff rates and structure were reduced and rationalized to make the trade sector competitive. The trade weighted nominal rate of protection declined from about 80 per cent in the early 1980s to about 31 per cent in 1994. Similarly, the average rate of protection has declined from about 111 per cent in 1989 to 16 per cent in 1992. In a similar manner, the number of slabs subject to protection fell from more than 100 in the 1980s to 5 in 2016. Additional measures initiated to promote international trade include the introduction of a bonded warehouse, duty-drawback scheme, initiation of the multi-modal facility (dry port) and an export-processing zone.

The partnership with India in the areas of trade and transit is a matter of utmost importance to Nepal. India is Nepal's largest trading partner. India has provided transit facility to Nepal for the third country trade. Both public and private sectors of India have invested in Nepal. The trade statistics reveals phenomenal increase in the volume of bilateral trade over the years between the two countries. However, Nepal has been running trade deficit with India. Nepal and India have concluded Treaty of Transit, Treaty of Trade and the Agreement of cooperation to Control Unauthorized Trade.

A new bilateral trade treaty signed with India 1996 supported trade reform program of Nepal. The treaty allows Nepal to export manufactured products to India free of customs duty and quantitative restrictions. Similarly, in order to improve the environment for investment, The Industrial Enterprise Act, 1992 and the Foreign Investment and Technology Transfer Act(1992) were enacted in line with the open, liberal and market-oriented policy. These Acts have further improved investment incentives. No license is required for the establishment, expansion and modernization of industries except for a few related with defense, public health and environment. In short, the environment was made more conducive to larger inflows of foreign direct investment (FDI).

Financial sector reforms have also been carried out to support the trade and industrial reforms. Interest rates were deregulated and joint-venture banks were allowed to open up. Nepal also included full convertibility of the Nepalese rupees on the current account. The overvalued Nepalese currency was also corrected to improve export competitiveness of the trade and industrial sectors. HMG/N has been committed towards trade liberalization through simplification of trade and tax procedures, and also through revising custom tariffs to encourage exports and ultimately attract more foreign investment. Furthermore, various sectoral strategies have been introduced to attract investment. The Hydropower Policy 1992 has opened up new avenues to develop the hydropower of the country by motivating national and foreign private investors in this sector. The liberalized aviation policy has contributed tourism industry significantly. Road, airport construction and telecommunication services have also been opened to the private sector in order to attract more domestic as well as foreign investments and to improve service delivery.

The Nepalese financial system is in the midst of great changes along with Nepal's preparation for entry into world Trade Organization (WTO). Nepal Rastra Bank (the central bank) has given priority to the financial sector reform by developing and updating necessary policies and guidelines for further consolidation of the financial system. Nepal Rastra bank Act 2002, formulation financial Institutions Act, Financial Intermediary Act, Debt Recovery Act, management transfer of the two largest banks, i. e. Nepal Bank Ltd. And Rastriya Banijya Bank, proposals for restructuring of the Agricultural Development Bank and Nepal industrial development Cooperatio (NIDC) can be seen as the major initiatives undertaken in respect to the financial sector reform process .

INDO-NEPAL TRADE AND ECONOMIC RELATION

With the growing global integration, there are benefits and advantages to the domestic economy reflected in greater competition with the lower cost and higher quality goods as well as the opportunity for reaching the potential inherent in the country's comparative advantage. To capture those benefits and advantages of global trade, Nepal has commenced the accession process for membership in the World Trade Organization(WTO).

CONCLUSION

India's trade and economic co-operation with Nepal has been governed by several treaties that have been renewed and modified over the years. However, past treaties have been limited to tariff and other duty concessions. Such benefits have been transitory in nature and have not contributed to either growth of

Nepal's economy or to sustainable trade between the two countries. During 2010 and 2017 Nepal grew at an average annual growth rate of 4.32% largely because manufacturing which grew at a rate of 0.9% during this period. This can best be illustrated by examining Nepal's exports of four major viz., vegetable ghee, copper products, acrylic yarn and zinc ore. In the 1996 trade treaty, India allowed duty free access to Nepal's exports. In 2001-02, these four commodities accounted for 29.7 per cent of India's imports from Nepal. By 2007-08 there was a sharp decline in the share of these four products to only 12.4 per cent. Nepal's and with India in these products thrived because it was able to benefit the low duties that Nepal imposed on the raw material import to the prevailing tariffs on these products in India. Nepal was to import the raw material at lower costs, process the products and part it to India.

REFERENCES:

- 1 G. Haberler, (1970), "Dynamic Benefits of Trade" in G.M. Meiter, *Leading Issues in Economic Development*, Oxford University Press, London.
- 2 Neelkant (1970), *Partners in Peace – a Study on Indo-Nepal Relations*, Vikas Publications, New Delhi.
- 3 Reserve Bank of India (1974), "India's Trade with Nepal: Trends and Problems", *RBI Bulletin*, March.
- 4 S.B. Ragnekar, (1975), "Is the Indian Export Structure changing?" in J.C. Sandesara (ed), *Problems of India Economic Development*, Bombay University, Bombay.
- 5 Girsh Mishra (1979), *Contours of Indo-Nepal Economic Cooperation*, Allied Publishers, New Delhi.
- 6 R.K. Sarma, (1979) (ed), *The Economics of Indo-Nepal Trade*, Allied Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.
- 7 Bank Desai (1979), "25 years of Indo-Nepal Trade", *Financial Express*, February 16.

The Role Mamta Kalia as a Feminist: A Critical Study

Dr. Ashti Alamgeer

Ph D Dept of English, L.N. Mithila University, Darbhanga

Abstract: Mamta Kalia started her impactful literary writing in years of seventies in last century when the portrait of a woman was confined within words 'acceptance' and 'support' which were "secure rings in fires". But today, she is considered among six major contemporary Indian poets in English, viz., Nissim Ezekiel, A.K. Ramanujan, Dom Moraes, Kamala Das, Mamta Kalia and Imtiaz Dharker. These all poets represent various significant aspects of contemporary poetic sensibility and their importance is both intrinsic and historical. This paper analyses Mamta Kalia from a feminist angle.

Keywords: Criticism, Feminism, Feminist Movement,

Mamta Kalia Mamta Kalia born on 2nd November 1940 at Vrindavan. She got her education in Delhi, Mumbai, Pune, Nagpur and Indore. Daughter of a learned father, Mamta Kalia was under influence of his father in preferring literature profession. Mamta Kalia did her post-graduation in English from Delhi University and was Principal of a college in Allahabad for 28 years. Currently she heads Bhartiya Bhasha Parishad at Kolakata. Mamta Kalia started writing at the age of nine and has more than 25 books to her credit including four novels and ten collections of short stories. Her novel Beghar was a major success and ran into five editions. She has written a collection of one-act plays, edited several books and is a regular contributor to leading magazines. Mamta Kalia has the unique distinction of writing both in Hindi and English. Her two collections of verse *Tribute to Papa* and other poems and *Poems 78* have been particularly appreciated.

Mamta Kalia feels suffocation in such a society and repents that she is a woman. She is fed up of being a woman. She closely observes and understands them and writes about their experiences. She voices forth the emotional experiences, the cries in the lives of women; the physical and psychological torture experienced by them by using proper diction and technique. Her poetic output is suffused with her wit,

irony and feminine sensibility. Hence her poetry is psycho-dynamics. She depicts woman as a struggler and an emergent winner in her writings. It is the poetry concerned with personal matters and relationships, of private fears and dreams which lead to the ultimate resilience in the face of any relationship that threatens to devastate her vital and potential self. Idealism, culture, tradition, politics, family, love, society, marriage etc. are the varieties of her themes of her poems. She also deals with the burning problems and issues of the contemporary life in her poems. In her poems autobiographical element is found which makes the unique charm of her writing. Her poems are full of wit and other linguistic elements. Her poems deal with frustrations of a woman's life in and outside the house, boredom of married life and chaos of values in society. Forced living in an appalling environment, including her relationship with her father that was all the time a dominating one, her loneliness in a women's hostel just after marriage, her living with a husband who could not differentiate between love and sex, her survival with all those twelve members of the family who are related to her husband, and so on, has made her voice her anger and dissatisfaction with life. By using irony, she concentrates on the ordinariness of women's life and adopts a confessional tone in her literature to overcome the aggression faced by them in the male-oriented society. Mamta Kalia feels suffocation in such a society and repents that she is a woman. She is fed up of being a woman. She closely observes and understands them and writes about their experiences. She voices forth the emotional experiences, the cries in the lives of women; the physical and psychological torture experimented by them by using proper diction and technique. Her poetic output is suffused with her wit, irony and feminine sensibility. Hence her poetry is psycho-dynamics. She depicts woman as a struggler and an emergent winner in her writings. The poetry of Mamta Kalia amalgamates the themes of love, marriage, family life and society where she impresses us for her sharp intellectual quality and autobiographical flavor. It is the poetry concerned with personal matters and relationships, of private fears and dreams which lead to the ultimate resilience in the face of any relationship that threatens to devastate her vital and potential self. The thematic variety of her poetry stretches from idealism, tradition, culture, politics, love, marriage, family, modernity to society and its various burning issues which demand immediate attention. With a distinctive tone and a view point peculiarly her own, she brings to the fore, the horrid reality of the contemporary life. Autobiographical flavor suffused with a sharp intellectual sensibility lends a unique charm to her writings. Unlike most of the women poets, she exhibits a fair amount of wit in her verse... Poetic Sensibility and Serving Mamta Kalia's poetic sensibility is almost exclusively subjective in its response to experience as a beloved and as a serving woman. A large number of poems from the first volume concentrate on the romantic passion of early love while majority of poems from the second volume project the tension of adjusting with the routine of many years of successful love-relationship. She depicts oppression of women with greater self-consciousness, a deeper sense of involvement and often with a note of protest. Despite her literary interest and education she has faced discrimination and obstacles in her life. She is highly ambitious and gifted but due to low self-esteem, self-confidence she gets psychological problems and manic depressions. She struggles with the ardent feminist within her. She goes to embrace the ideology of feminineness that has been indoctrinated into the women of her generation. She conveys the turmoil of feeling in cool, idiomatic and sensitive prose through her writing. Mamta Kalia's poem "Oh, I'm fed up of being a woman" pours heart of a woman. The protagonist says that she is fed up of being a woman "Oh, I'm fed up of being a woman, This all time beware mess of my body" Mamta Kalia's psychology is discussed further to find out the compulsions which make her to confess everything. Emphasis is all through an evaluation of the relevance and validity of her observation as a confessional poet. Man-Woman Relationship Every relationship in her life has however succeeded in intensifying the crisis of disappointment. Filled with a sense of utter disgust and disappointment, she turns to poetry. Instead of fighting, there is a lack of romantic idealism in the experience of love. She wants to present herself in the best of her moods before her husband Mamta Kalia also exhibits the oppressed position of a woman in marriage. Marriage for a girl means only an exchange of masters first the parents

were there, now there will be a husband to control her. As Simone de Beauvoir observes "There is an unanimous agreement that getting a husband – or in some cases a 'protector' – is for her the most important of undertakings She will free herself from the parental home, from her mother's hold, she will open up her future not by active conquest but by delivering herself up, passive and docile into the hands of a new master" Mamta Kalia's "Tribute to Papa, which is according to 'Eunice De Souza', one of the most compelling poems. She figures out an opposition not only to men's dominance over women but women's acceptance of men's dominance. She shows us the division of two cultures east and west. Mamta Kalia's personal rejection of the non-materialist father however ironic in its tone is a 'tribute' to the contemporary materialistic Father India. No comparable stance has been taken by any women. The poem moves from one offensive statement to another, with supreme indifference to traditional Indian values. Not only are the father's ideals for the daughter rejected contemptuously, but his normal way of life sneered at". But the poem missed the main figure 'Mother', Mamta Kalia's collection of poems rarely talks about her mother's role in her life. Only one poem 'Brat' deals with the mother theme. The mother daughter relationship is missing. The children also show no gratitude to their mothers when they grow up. This filial relationship adds to the crisis of a woman. Mamta Kalia also presents a very realistic view: "No, I am no pelican to my sons Nor a dove to my love. I am an antibiotic against all infections." Further, in her poem I Must Write Nicely Now she says You can't adjust with your own children as they come to have their own individuality. Mamta Kalia stands as a representative of Indian women. She speaks for them/she realizes their suffocation. She advocates for their emancipation. Even she instigates to be revengeful if not given rights. If men fail to realize their importance they should discard their society and let them say how they feel. Crisis of Identity The frustration and disgust with the existing reality, and the mounting desire for autonomy, forces Mamta Kalia, a noteworthy Indian woman poet, to embark on a quest or a search for an identity. According to Simone de Beauvoir: A woman's personality within her home gives her no autonomy, it is not directly useful to society, it does not open out in the future and it produces nothing. This dissatisfaction results in a sense of nothingness in Mamta Kalia about which she ironically remarks: "But nothing ever happened to me except two children and two miscarriages." Her identity is missing. In a poem 'Anonymous' she depicts the stature of a middle class woman. The title of the poem 'Anonymous' means 'without any name'. The poem deals with the psychology of middle class woman, which does not have any specific name. It can be any name. It denotes the whole feminine world. In her poem she says in her very first line "I no longer feel I'm Mamta Kalia. I'm Kamla Or Vimla Or Kanta or Shanta" Here the poet wants to say that she has lost her identity after marriage. Before marriage everyone knows her by her name but after marriage she has become a normal house wife (middle class). She does not have any specific name. She is talking about middle class married woman who loses her identity after marriage. 'Life of a woman is very difficult you are bound to adjust everywhere. I really hate the word 'adjust'. But after marriage I had to adjust a lot. When you marry a person you are directly connected to his family also. The motto of relationship is adjustment. Marriage is an adjustment. It is one sided elastic band where a women's patience is stretched.' The poet laments and says that she is no longer Mamta Kalia. Her routine life has changed her totally. All the time she is busy managing her home, saving and working to meet other expenses properly. The depiction of status of middle class woman is pathetic. They are just unpaid servants. Nobody takes care of them. She has to take care of everybody. Poet wants to show us inner pathos of a woman's life that she has firstly to perform her household duties only then can she ever think of herself. They are so much occupied in their daily routine that they have to forsake their preferences liking and at last identity also. In this patriarchal society it is very difficult for a woman to maintain her own identity. The pressure of kitchen-work and house-hold work becomes a threat to a woman's freedom and individuality. The Protagonist describes herself as an appendix. She compares herself with the last page of book or a small tube shaped part which is joined to the intestine on the right side of the body and has no use in human's. Now she has become an 'appendix', a last page of a book or unused part of human body when

rotten can take someone's life. Her husband is a book and she is an appendix. A wife's fate is to remain as an 'appendix' in her husband's book of life. A wife's life is so worthless that it is reduced to a note of milk and bread. There is not any emotional bonding between her and her husband. After hearing this she feels all disjointed. She doesn't like to be treated as a mere object of enjoyment, nor as a domesticated servant looking after the husband, kids and kitchen, but as an independent, vivacious individual. A pervasive gloom and loneliness haunt her day in and day out. In her poem *Seize the Day* she expresses the monotony and drudgery of daily routine which seems to end in nothingness: "Days stubbed in the ash-tray. Days devoid of everything. It is really depressing to live through. Days of dissociation. When meanings are uprooted. And nothing endures" Mamta Kalia pronounces her grins and grudges by using confessional mode. In *Tribute to Papa* she interrogates even her father for his adherence to customs, traditions and sacraments and complains of the generation gap she feels with him. She has liberal views but at the same time she finds it hard to defy the commandments of her father: "You suspect I am having a love-affair these days, But you're too shy to have it confirmed. What if my tummy starts showing gradually? And I refuse to have it curretted? But I'll be careful, Papa, Or I know you'll at once think of suicide."

As a daughter Mamta Kalia is haunted by the father figure. Father in her case becomes a symbol of male-dominance. Women like this relationship as this is the only male relationship which provides protection and affection without the physical in it. It is disliked as father is the first dominating male in life and a representative of the patriarchal society. In her poem *A Tribute to Papa* Mamta Kalia pays a different kind of tribute to her father, stating that her ideas and values clash with those of her father's. Everything about you clashes with nearly, Everything about me. Mamta Kalia also rebels against patriarchy and the inhibiting world of middleclass respectability. Such poems are haunted by the memories of her father, 'But you've always wanted to be a model man, A sort of an ideal man. The mutual disillusionment has grown so much that she even thinks of disowning. Her father and his sacredness. Thus, the dichotomous attitude which continues to operate throughout a woman's life starts right in her parents 'home. This contemporary woman poet is that though disgusted with this male dominated world, they seem to find pleasure and contentment in man's love. In *Love Cure* Mamta Kalia writes lover's name on her palm and her loneliness stands diminished. She aspires for a Brave New World where she hopes to meet her Prince Debonair. In her second volume of poems, irony becomes a vital means of surviving through the boredom caused by a steady love-relationship of many years following marriage. The monotony and lack of pleasure in life is expressed by exploring the present in terms of the past ironically: 'My hair held a fragrance once, a fragrance you associated with so many flowers. Now when I lower my head, you only see dandruff and grey hair.'

However, problems arise when a woman too starts seeking direction for her. No longer contented with what life doles out, she wants to set her own agenda. It appears perfectly natural that Indian women elevate their voice against the established order and try to affirm their distinct identity by breaking the traditional taboos as to love and sex which is the outcome of male-dominated society.

The poet totally defies the established patriarchal standard imposed upon her father's feelings. It is quite a contrast to feudal times when she owns nothing, woman does not enjoy the dignity of being a person; she herself forms a part of the patrimony of a man: first her father then of her husband. Under the strictly patriarchal regime, the father can from their birth on, condemn to death both male and female children; but in the case of former, society usually limits his power; every normal new born male is allowed to live whereas the custom of exposing girl infants is widespread". She laments about her father's status that he could not make a grand and 'cozy place' for himself so he is an unsuccessful man from the 'worldly point of view. If he had enough guts to 'smuggle eighty thousand watches' then she would proudly tell everyone about her father's import-export business. She asserts that she does not want to be a model. Sort of ideal like her father. She in these lines 'you want me to be like you, Papa' expresses her annoyance over her father idealism. As she states in an interview: I was a rebel like in the sense my parents were very

methodical people. I wanted to bite. I wanted to bite everybody. I wanted to express myself in the worst of words. It was very dissatisfactory. As a young girl of 27, I was not happy at all. I had to live a life which I never wanted. Her bitter resentment with the order of things which was expressed during the interview and the bitterness observed in her poetry exemplify the hot-blooded nature of the feelings that emerge as a distinct feature of the contemporary women's poetry.

CONCLUSION

Her poetry is a confessional one as she confesses her feeling and experience, guilt and hate, love and lust. It is self-revelatory, poetry of private details. For example, in one of her poems she even doesn't hesitate to articulate her impatience with the social etiquettes, and makes a frank declaration of her desires for natural life. However, this poem has been written in seventies but it has not lost its appeal in the contemporary times. On the contrary, it has become more pertinent and piercing as the prices of all the commodities have been soaring high at the sky-rocketing speed since that time. What to talk of the poor masses, things have gone out of reach from the hands of so-called well-to-do families in the present times. In the last couple of lines, she makes a dig at the changed needs and priorities of people. The poem has a direct, chatty opening, an argumentative progression and a closure marked by a statement of personal resolution. No structural formality has been observed but the redeeming feature is the undercurrent of irony that strengthens the theme of the poem. The syntax is informal and relaxed while the theme is very bold and urbane. In her *Tribute to Papa* the tribute becomes a pregnant site of generational difference with regard to values, ideals and way of looking at each other and the world around. Mamta Kalia rejects her father's life of limited dreams. She intends to choose her own course and follow her ideals. Ironically, she terms her father to be an unsuccessful man and delineates the clash between the old and new value scales. Women in India have always remained suppressed and oppressed and this has led to confusion in the mind of an Indian woman so much so that she wants to give proof for everything that she says. She is uncertain whether the people surrounding her believe her or not.

REFERENCES

1. Karnani, Chetan. *Eminent Indian English Writers*. Jaipur: Rawat Publications, 2001.
2. Kaur, Iqbal. ed. *Gender and Literature*. New Delhi: D.K. Publishers Pvt. Ltd., 1992.
3. Kohli, Devinder. *Virgin Whiteness: The Poetry of Kamala Das*. Calcutta: Writers Workshop, 1968. Kumar, Satish. *A survey of Indian English Novel*. Bareilly: Prakash Book Depot, 1996.
4. Kurup, P.K. *Contemporary Indian poetry in English: with reference to the Poetry of Nissim Ezekiel*.
5. Kamala Das, A.K Ranmanujan and R, Parthasarathy. *New Delhi: Atlantic publishers, 1991*.
6. Lal, P. ed. *Modern Indian Poetry in English: An Anthology and a Credo*. Calcutta: Writers Workshop, 1969.
7. Mehrotra, Arvind Krishna, ed. *The Oxford Indian Anthology of Twelve Modern Indian Poets*. Delhi: Oxford UP, 1992.
8. Mohanty, Niranjana. *A Feminist Perspective on Kamla Das's Poetry*. *Perspectives on Kamla Das's Poetry*. Ed. Iqbal Kaur. New Delhi: Intellectual, 1995. 45-66.
9. Nabar, Vrinda. *The Endless Female Hangers: a Study of Kamala Das*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt.Ltd., 1994.
10. Naikar, Basavaraj. ed. *Indian English literature*. New Delhi: Atlantic Publishers, 2003. Vol. IV.
11. Naik M.K. *Dimensions of Indian English literature*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt.Ltd, 1984.
12. Nair, K. R. Ramachandran. *Three Indo-Anglian Poets: Henry Derozio, Toru Dutt and Sarojini Naidu*. Delhi: Sterling, 1987.

Lokpal and Indian Democracy: Relevance and Retrospection

Dr. Avinash Kumar

*Ph.D. (Political Science), B.R.A.Bihar University, Muzaffarpur
Email: avibasingh@gmail.com*

"On this earth, there is enough for everyone's need but not for their greed"

Corruption is a global problem and it is easily felt in the public and private life at the state, nation and international level and further it has a long history as is mentioned in the books since ancient age, from Kautilya to Machiavelli, regarding the crisis of integrity is widely available. A worldwide drive was initiated in the preceding decades to establish institutions to effectively curb this malady. It is internationally recognized as a major problem, capable of endangering stability and security of society, threatening social, economic and political development and undermining the values of democracy and morality. It has assumed alarming proportions with the result that public fund has gone to private hands leading to the enrichment of bribe givers and bribe takers. Ultimate result is, as said by former Prime Minister Rajiv Gandhi, only 15 paise out of one rupee reach the lowest level of population.

Supreme Court also said that corruption in a civilized society is a disease like cancer and if not detected in time, will malign the polity of the country leading to disastrous consequences. It is like plague; it is contagious and if not controlled, spreads like a fire in a jungle. Its virus is compared with HIV leading to AIDS, being incurable.¹ Corruption in public life is a gross violation of human rights. It is anti-people, anti-developmental, and anti-national. Rampant corruption is undoubtedly a major national malady. It is the single big factor retarding the progress of our country, responsible for millions to live below poverty line despite astronomical amount being spent on development. It is garbage which needs to be removed otherwise it would hamper development of the country and

it will tarnish the clean image of Indian Republic. It is worthwhile to mention that Supreme Court observed in Lucknow Development Authority Vs M.K. Gupta (AIR 1994 SC 787): "...Harassment of a common man by public authorities is socially abhorring and legally impermissible. It may harm him personally but the injury to society is far more grievous. Crime and corruption thrive and prosper in the society due to lack of public resistance. Nothing is more damaging than the feeling of helplessness. An ordinary citizen instead of complaining and fighting succumbs to the pressure of undesirable functioning in offices instead of standing against it..."

"An honest man is the noblest creation of God", Pope once remarked. To quote Benjamin Disraeli "when men are pure, laws are useless; when men are corrupt, laws are broken". Citizens realize that corruption is dominant factor keeping in view that India a poor country. Consequently it delays the march towards prosperity. A citizen faces corruption practically at every level and in every sector of life. Corruption is anti-national, anti-poor, anti-economic development and anti-life. Colossal corruption is a major national evil. The Central Government as well as the State Governments are anxious to eradicate it because there is realization that it is a big hurdle in the path of progress. Out of the huge plan outlays, very little goes to the people whose upliftment is essential for ushering in the egalitarian society. This apart, it retards the pace of development in other sectors too. It is, therefore, considered necessary to uproot corruption with an iron hand, otherwise march towards progress and prosperity would be delayed enormously. Why can't it be eradicated when the number of persons indulging in corruption is hardly two percent of the total population of the country?

In India too, several institutions were formed to minimize corruption. But they were not enough and perceiving the success of Ombudsman on International canvas and particularly in the Scandinavian Countries, a number of committees for Administrative Reforms in India suggested a road map to adopt an Ombudsman like institution in our country.

To understand the importance of Lokpal in Democratic system firstly we should know about the real position of corruption in our country. Corruption is the root cause of all evils in society. It is the biggest hurdle to our progress and development. To put it simply "Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on society". And it is the abuse of public office for private gain.

In the 'UN Convention Against Corruption' the then Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan wrote, "The single most dangerous source of decay of a system is corruption which destroys the moral fabric of a society and faith of the people in their leaders". Corruption skews planning and development process; destroys the credibility of institutions, slows down growth, and eats into the vitals of democracy.

No doubt, in India there is far and wide mechanism available to control misconduct and malpractices. But the main reason for implementation of machinery like Lokpal is that the other existing mechanism fails to cap the rising menace of corruption and malpractices in the country.

Again there is some contradiction between Government Lokpal and Anna's Janlokpal. The Jan Lokpal Bill, also referred to as the Citizen's Ombudsman Bill, is an anticorruption bill drawn up by civil society activists in India.

A Lokpal is an anti-corruption authority or body of Ombudsman who represents the public interest in the Republic of India. The current Chairperson of Lokpal is Justice Pinaki Chandra Ghose. The Lokpal has jurisdiction over the public functionaries of central government to inquire into allegations of corruption against them as far as it relates to matter of corruption. The Lokpal and Lokayuktas Act was passed in 2013 with amendments in parliament, following the Jan Lokpal movement led by Anna Hazare in 2011. The Lokpal is responsible for enquiring into corruption charges at the national level

while the Lokayukta performs the same function at the state level. The age of Lokpal (chairperson or member) on the date of assuming office as the chairperson or a member should not be less than 45 years. The appointees avail a tenure of five year or till the age of seventy years whichever is applicable.

The Lokpal has jurisdiction to inquire into allegations of corruption against anyone who is or has been Prime Minister, or a Minister in the Union government, or a Member of Parliament, as well as officials of the Union government under Groups A, B, C and D. Also covered are chairpersons, members, officers and directors of any board, corporation, society, trust or autonomous body either established by an Act of Parliament or wholly or partly funded by the Union or State government. It also covers any society or trust or body that receives foreign contribution above 10 lakh rupees.²

The Lokayukta is an anti-corruption Ombudsman organization in the Indian states.^{3,4} Once appointed, Lokayukta cannot be dismissed nor transferred by the government, and can only be removed by passing an impeachment motion by the state assembly.⁵

In any democratic set-up, such as ours, the citizens in theory are the masters and the government officials their servants. But in actual practice, the concept often appears to operate in the reverse order.

In the term of corruption in democratic countries like India, it seems that our democracy somehow is directly or indirectly dependent on corrupt practices since every political party needs funds and every political party collects money in cash which is mostly black money. Here, Black money is the oxygen for corruption and corruption is the lifeblood of financing of the political process of the country. Again, political corruption leads to a vicious cycle of business corruption, bureaucratic corruption and criminalisation of politics. To put it simply it has spread all over the country in one form or other in varying degrees haunting the conscience of the nation.

The term "democracy" first appeared in ancient Greek political and philosophical thought in the city-state of Athens during classical antiquity.^{6,7}

According to American political scientist Larry Diamond, democracy consists of four key elements: a political system for choosing and replacing the government through free and fair elections; the active participation of the people, as citizens, in politics and civic life; protection of the human rights of all citizens; a rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens.⁸

No consensus exists on how to define democracy, but legal equality, political freedom and rule of law have been identified as important characteristics.^{9,10} These principles are reflected in all eligible citizens being equal before the law and having equal access to legislative processes. For example, in a representative democracy, every vote has equal weight, no unreasonable restrictions can apply to anyone seeking to become a representative, and the freedom of its eligible citizens is secured by legitimised rights and liberties which are typically protected by a constitution.^{11,12} Other uses of "democracy" include that of direct democracy.

It has also been suggested that a basic feature of democracy is the capacity of all voters to participate freely and fully in the life of their society.¹³

When a general election does not produce a clear majority for a single party, parties either form coalition cabinets, supported by a parliamentary majority, or minority cabinets which may consist of one or more parties. A coalition government is a form of government in which political parties cooperate, reducing the dominance of any one party within that "coalition". The usual reason for this arrangement is so that no party on its own can achieve a majority in the election.¹⁴ India has had several coalition governments between 1977 and April 2014. It is another major reason for corruption in democracy.

Corruption in the political party system has become the priority issue of concern and a section of the society is seriously worried that the whole system of elective government might breakdown, overloaded as it is with mega-size corruption. The most frequently mentioned reason for corruption is "a matter of habit" with the officials.

However today we still like to blame the British for what they did to India but as we know they left India in 1947, which is 70 years ago. In these years numbers of generation of Indian political leaders have come and gone. It was our own ruling elites who have looted us in these 70 years much more than the British did in 250 years. Now the perception is that corruption has become "necessary".

In the context of India as a developing democratic country there is need for a mechanism that would be very simple, independent, speedy and cheaper. Here it is mentioned that various countries suggest the institution of Ombudsman has very successfully fought against corruption and acted as a real guardian of democracy.

Again, in the Scandinavian Countries, with their small size and high public morality, the functioning of the Ombudsman does not present much difficulty. But India is a very vast country and bears no comparison with small countries like Sweden, New Zealand, etc. As we know in India the Central government employees are about 20 lacks and the state government employees are approximately 85 lacks. With such a vast body of personnel, coupled with a vast amount of legislative output, there are bound to be a large number of authorities and officials vested with discretionary powers. It would be a difficult task for the Indian Ombudsman to supervise the work of such a vast number in the matter of citizens' complaints.

In this context, the faith of the people in the Lokpal and Lokayukta as well as the success of these functionaries will depend considerably on the quality and character of men who are appointed. The persons selected for the offices of the Lokpal and Lokayukta must be of unimpeachable character. They must command the confidence of the citizens and public servants. They should be learned in the philosophies and the techniques of law, administration and human conduct. They must have an experience of moving amongst the poor and the helpless without hate, and of communing with the powerful and the exalted without fear.

In fact, the Lokpal should so conduct his functions as to win the confidence of both the public servants and the citizens. In him both of them should be able to see the genuine and benevolent friend, who uses his power more to influence than to control.

REFERENCE

1. *State of MP & Others Vs Ram Singh (2000) 5 SCC 88, and State of Andhra Pradesh Vs V. Vasudeva Rao 2003 (9) Scale 569.*
2. Venkataramanan, K. (23 March 2019). "What are the powers and duties of Lokpal?" (<https://www.thehindu.com/news/national/what-are-the-powers-and-duties-of-lokpal/article26619763.ece>).
3. "Karnataka Lokayukta" (<http://lokyukta.kar.nic.in>). National Informatics Center. Retrieved 24 June 2010.
4. "Karnataka Anti-Corruption Laws (Acts)" (<http://lokyukta.kar.nic.in/acts.htm>). National Informatics Center. Retrieved 24 June 2010.
5. "Karnataka: Speaker accepts impeachment motion against Lokayukta" (<https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/karnataka-speaker-accepts-impeachment-motion-against-lokayukta/>). *The Indian Express*. 24 November 2015.
6. John Dunn, *Democracy: the unfinished journey 508 BC – 1993 AD*, Oxford University Press, 1994, ISBN 0-19-827934-5.
7. Raaflaub, Ober & Wallace 2007, p..

8. Diamond, L., Lecture at Hilla University for Humanistic Studies 21 January 2004: "What is Democracy" (<http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhalsDemocracy012004.htm>); Diamond, L. and Morlino, L., *The quality of democracy* (2016). In Diamond, L., *In Search of Democracy*. London: Routledge. ISBN 978-0-415-78128-2.
9. "Tables and Charts" (<http://arquivo.pt/wayback/20090713213025/http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=368&year=2007>). Freedomhouse.org. 10 May 2004. Archived from the original (<http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=368&year=2007>) on 13 July 2009.
10. *List of Electoral Democracies* (<http://www.fordemocracy.net/electoral.shtml>) fordemocracy.net
11. Wall, John (October 2014). "Democratising democracy: the road from women's to children's suffrage" (<https://johnwall.camden.rutgers.edu/files/2014/10/Democratising-Democracy-The-Road-from-Womens-to-Childrens-Suffrage1.pdf>) (PDF). *The International Journal of Human Rights*.
12. "General Assembly declares 15 September International Day of Democracy; Also elects 18 Members to Economic and Social Council" (<https://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10655.doc.htm>). Un.org. Retrieved 22 August 2010.
13. Nussbaum, Martha (2000). *Women and human development: the capabilities approach*. Cambridge New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-00385-8.
14. Coalition government – Wikipedia

Export Potential and Marketing Strategy of Cashew in India

Devendra Prasad Sah

Asst. Professor Dept. of Commerce, G.K.P.D. College, Karpurigram Samastipur

Abstract: *In the earlier years of cashew production in India, cashew apple was considered valuable and it was only from the early part of twentieth century that the commercial value of cashew kernel for export and foreign exchange earnings was realized. It has the potential to provide source of livelihood for the cashew growers, empower rural women in the processing sector, create employment opportunities and generate foreign exchange through exports. In terms of quantity exported, value received at current and constant prices, the cashew exports was stable to UAE and Netherlands, moderately stable to USA, Australia, U.K. and the export to France and USSR was highly instable. The world cashew export and export price had significantly influenced the cashew export. The maximum average price was received from U.K. followed by Japan, Hong kong. From the countries like Australia, UAE, Netherlands, Indian got factor price. From the remaining countries India received comparatively less price.*

Keyword: *Cashew, Export, Employment, Nuts, Quantity.*

INTRODUCTION

Cashew is an important commercial horticulture crop in India. Cashew is popularly known as the 'Goldmine' of the wasteland. It is often referred to as 'wonder nut', one of the most valuable processed nuts traded on the global commodity markets and is also an important cash crop. Initially, it was considered as a suitable crop for soil conservation, forestation and also wasteland development but gradually gained commercial importance. In the earlier years of cashew production in India, cashew apple was considered valuable and it was only from the early part of twentieth century that the commercial value of cashew kernel for export and foreign exchange earnings was realized. It has the potential to provide source of livelihood for the cashew growers, empower rural women in the processing

sector, create employment opportunities and generate foreign exchange through exports.

In cashew processing factories, over 95 percent of the workers are women from the lowest strata of society, mainly belonging to socially and economically backward communities. Besides, the cashew industry provides employment to more than six lakh people in farms and factories, most of them are in rural areas. Thus, apart from its economic significance, cashew industry has the potential to play a leading role in social and financial uplift of the rural poor. For this reason, cashew is generally described as 'poor man's crop' and 'rich man's food'.

There is a growing market for cashew in Europe and the USA, with new market opening up in the other parts of the world, for example, Russia and Japan. The cashew industry is an important foreign exchange earner for many African countries and also a major source of job and income earner in rural communities. The major consuming countries of cashew kernels in the world are the U S A followed by the EU, India, China and Japan. India is the largest producer, processor, consumer and exporter in the World.

INDIA IN THE GLOBAL CONTEXT

India is a major player on the cashew world stage. While cashew cultivation originated in Brazil, today cashew is cultivated in Asia, Africa and Latin America. In the year 2000, the total global area under cashew cultivation was around 4,000,000 ha, while the estimated average productivity was around 510 kg per ha and total raw nut production was 1.8 million tonnes. India is the second largest country in the world cashew economy for area under cultivation as well as production of raw cashew nuts, second only to Brazil. Today cashew is cultivated on around 8,40,000 ha in India, yielding an output of 6,70,000 MT and an average productivity of 820 kg/ha.

The important cashew growing states in India are Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal. Maharashtra is the top among the states with high production and productivity. Kerala has a long tradition both in cashew cultivation and cashew nut processing. The production of raw cashew nuts in Kerala has increased from 92,000 MT in 2016-17 to 96,400 MT in 2011-12.

EXPORT

India is one of the world's large producers of raw cashew nuts, the importer of raw nuts and the largest exporter of processed cashew nuts. India's share in the international cashew market has been reduced over time through the entry of other countries, most recently Vietnam. Both in terms value of and quantity, Kerala's cashew kernel export showed a negative trend. Of the total exports of cashew kernels from India, Kerala's contribution in quantitative terms stood at 57.06 percent and in value terms stood at 56.29 percent.

EXPORT THROUGH COCHIN PORT

The total export of cashew kernels from India during 2016-17 was 2,45,300 MT, valued at Rs. 9670 crore which registered an increase of 85.35 percent in quantity and 69.43 percent in value as compared to the previous year. Similarly, the total export of cashew kernels from Kerala during 2016-17 was 96,750 MT valued at `Rs.2858.45 crore. It showed a decreasing trend of 5 percent in quantity and 7.3 percent in value. Nearly 56 percent of the total exports of India are from Kerala.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS

The share of agricultural products in the total export earnings of the country during 2016-17 was 6.35% and cashew kernel ranked ninth among them contributing 5.25%. This accounted for 0.43% of the total foreign exchange earnings of the country through export. Including the export of cashew nut shell liquid,

the net foreign exchange earnings of India from this industry during 2016-17 was Rs.248.35 crore while there was a loss of Rs.125.57 crore in the previous year. Cashew in 1999-00 contributed 10% of the total agriculture and allied exports in value and 1% of the total value of exports to the country as a single commodity. Moreover it achieved the distinction of obtaining the maximum average dollar value per unit weight among all the agricultural and allied commodities exported in the year 2017-2018. Cashew as a plantation crop can be put to several uses based on the products and by products generated by it. It is crop that is well suited to the wastelands and has the potential to grow in marginal lands too. The scope of increasing productivity as well as enlargement of the area under cultivation is also high. Of late, cashew kernel's nutritional properties have also been highlighted as one of the nuts, which are consumed for better health.

Cashew processing is the key sector within cashew industry that extracts from naturally produced raw cashew nuts, edible kernels for consumption. It forms the vital link between producer and the consumer of cashew kernels. The imports of the raw cashewnuts in to the country in 2016-17 stood at 9.5% of the total agricultural imports Cashew processing being a low capital input, labour intensive industry attracted a large number of entrepreneurs to the lucrative business. High unit export value realisation even after processing imported raw nuts was responsible for proliferation of manufacturer exporters of cashew kernels.

Given the understanding of the importance of strategy at the country and the firm level for an important sector of the economy namely agriculture in India, one of the most important contributors traditionally to the agricultural exports.

PROBLEM OF CASHEW EXPORT

Cashew export processors face a very competitive situation in the export market. The export marketing process involves the evaluation of the offers from the buyers in the international market in terms of the quantity and the value or the price for which he is willing to buy the product. The exporter has to take an instantaneous decision as to whether he is interested to accept the offer or not. This decision has a crucial impact on the export performance of the country in cashew kernels. Their involvement in exports and the contribution to strategic thinking at the firm level also impacts the total exports of cashew kernels from the country.

There has been fluctuation of the cashew kernel prices as well as the share of Indian cashew kernels in the international market recently. India, which was once a monopoly in the international cashew market, has lost its market share in a growing international market for cashew kernels. India is the largest producer of raw cashew nuts as well as the largest exporter of cashew kernels in the world. Given this unenviable situation what are the factors that influence maintenance or increase of the market share of India in the growing international cashew market is a crucial concern of this study.

The share of Cashew kernels fell from 12.0% during 1990-91 to 8.0% in 2017-18. The difference between the relative unit values in the post and pre reform period is negative whereas the relative unit value realization in the post reform period is still greater than one. Cashew is one among the 254 agro commodities consistently exported both in the pre and the post reform period. The quantity and the value gap is 60.48 and 48.88. Elasticity of value with respect to quantity is 0.808. Cashew is also one of the important commodities among the 206 products imported in pre as well as the post reform period. The average value of imports of cashews during 1990-91 was 65347million dollars and during 2016-17 was 2334567 million dollars. The share of cashew nuts import in the total Agro commodities imports have increased from 5.85% to 7.90%.

THE EXISTING PROCEDURE OF EXPORTING CASHEW KERNEL

Buyers and sellers are most essential and vital elements of an economy. While trading or doing, transaction locally in domestic market is one sided only, since it benefits the buyer and sellers within the country. Trading in an international market in between three parties i.e. buyer (importer), seller (exporter) and seller's country (exporter's country). In an export trade, not only importers and exporters are benefited, but the exporting country also derives benefit out of it. Foreign exchange earnings is the backbone of economy in the sense that the country's economy has more buying power for meeting its import requirements.

MARKETING STRATEGY OF CASHEW EXPORT

For exporting of cashew kernels, an exporter has to obtain the RBI code and IMPEX code. The cashew kernels shall be obtained through unit processing. According to the standard specifications laid down by the Government of India under export (quality control and inspection). Act 1963, the cashew kernels are internationally graded into 33 suitable grades under each white whole, scorched wholes, split and butts. The graded kernels as per the specification, in bulk are packed in four-gallon prime tins with a net weight of 11.34 kg. in each tin. Or 10 kg tin. The filled tins are then vacuumised and filled with carbon-dioxide gas and sealed. Two such tins of the same grade are packed in a carton for export. While shipping, freight is charged per cubic meter. Freight for full container load is also fixed. Contracts are normally made on free on board and cost and freight basis. Pricing in international trade in cashew is in U.S. Dollar per lb. Quotations in other currencies are also available. The cashew business is done on an offer and acceptance basis. Cost of insurance is to be borne by the buyer. Payment is usually made by 100 per cent irrevocable letter of credit in favor of shipper through his bank. India had efficiently used the production for export as it was indicated from the fact that as compared to other countries, Indian utilized production for exports and earned valuable foreign exchange. In the international market of cashew, India occupied dominant position by exporting above 60 percent share to total world export of cashew, which was followed by Brazil i.e. 36 percent share of total world export, India had long and glorious tradition of growing and exporting the cashew kernels of the finest quality. Cashew export constituted about 6 to 9 percent of total export earnings from agricultural and allied products. In country total exports earning cashew constituted around 1.5 percent share considering the cultivation and processing. It played vital role getting valuable foreign exchange.

The compound growth rates of area and production was 5.65 percent and 4.56 percent, respectively. However, the quantity of cashew kernels exported grew by 6.08 percent. The positive growth rates in respect of production and export of the cashew was due to the increased domestic production and increased demand for cashew was due to the increased domestic production and increased demand for cashew kernels in the international market. The increased domestic production and exports were due to the several measures by the Directorate of cashew nut development. Cashew Export Promotion Council and State Agricultural Universities on improved methods of production, assistance for export by setting up facilities for upgrading quality and technical advice on scientific post-harvest operations and processing. Thus we may conclude that liberalization policy has affected the cashew export on positive line. The growth rates as constant prices were lower than growth rates at current prices. This indicated that the value received at current prices was much more than the real value received at constant prices. This was due to the fluctuation of Indian rupee in international market.

As regard to the export of CNSL, the quantity decreased significantly by 207.50 MT or by 6.43 per cent. This was due to the processing factor and change in import policies of Korean countries. For maintaining the quality of cashew kernels in international market, drum roasting method was used, and this has

resulted into less extraction of CNSL. This adversely affected the export of CNSL. Also our traditional market for CNSL, the Korea Rep. reduced its imports. These two factors have resulted into fall of CNSL export. In case of Canada, the growth rates of quantity exported and value realized at constant price were statistically not significant, also at the overall level, the growth rates of value received at current prices were significant. The liberalization policy has shown positive impact in the export both quantity and value. U.S.A. in India's big market for export of cashew kernels. The quantity exported, values received at current and constant prices showed the growth rates which were statistically significant, for both periods and at the overall level.

The growth rates for the period II were much more than period I, the export of cashew kernels to U.S.A. has increased in all terms i.e. quantity and value received at current prices as well as constant prices. U.S.S.R. was also the good market for Indian cashew kernels during earlier period. But at the overall level, the quantity exported has decreased by 619.14 MT (7.95%) this may be due to the geodetic changes like break-up of USSR into several independent states. The Netherlands is another traditionally major market for Indian cashew. Like U.S.A. the growth rates of quantity exported and value realized at current prices and constant prices, for both periods and at the overall level was positive and statistically significant. It was found that the growth rates of value received at constant prices were much less than the growth rates of value at current prices. Like other countries the post liberalization period has also a positive effect on cashew export to the Netherlands.

As regards U.K., the growth rates were positive and significant. In U.K., it has been observed that demand for cashew kernels was increasing in this country. The post liberalization period has shown positive effect on quantity exported and value realized in the cashew trade.

Cashew export to Germany also exerted positive and significant growth rates. At the overall level the quantity increased by 46.12 per cent, however the value realized at current and constant prices increased significantly by 30.56 per cent and 17.07 per cent. In case of Germany the growth rates of quantity exported were 225.18 MT and 1.63 MT for the periods I and II, respectively. This indicated that after liberalization policy. There was considerable decrease in the export of cashew kernels to Germany.

As regards France, during period first, the exported quantity decreased by 0.13 MT per annum, but during period II the quantity increased by 321.09 MT. The comparison of growth rates explained the effect of liberalization. At the overall level, the demand increased by 33.71 per cent per annum. Like other countries the value at current and constant prices increased significantly.

Japan is a major importer of Indian cashew in the Asian zone. Growth rates were positive and significant for quantity exported and value realized in period I. however, in respect of the quantity exported to Japan, the growth rates were negative in second period which showed negative influence of post liberalized period. This indicated that the post liberalization period affected adversely on the export to Japan. It may be due to economic depression in Japan in last decade. Like Japan, the policy of liberalization has also affected the export to Singapore. During period I, the quantity increased by 218.88 per cent, however, during the second period, the quantity decreased by 3.02 per cent. U.A.E. had shown significant effect of liberalized policy both in term of quantity as well as at current and constant prices the growth rates were higher during period II. As regards, the quantity exported value realized at current and constant prices to Hong Kong the growth rates were also positive and statistically significant. However, the liberalization policy has affected negatively on export but the growth rates of value at constant were much lesser than the growth rates of value at current prices.

In case of Saudi Arabia at the overall level the quantity has increased by 12.84 per cent per annum. Also the growth rates were higher during post-liberalization period. In the oceanic zone, the quantity exported to Australia increased significantly during period I and comparatively decreased in period II and

at the overall level. Liberalization policy has affected adversely the export of kernels and value received. In case of New Zealand, at the overall level, the quantity increased in the period II as compared to period I. The growth rates of value at current and constant prices were positive. The groups others, at the overall level, the quantity and value increased significantly both in period I and period II indicating positive effect of liberalization policy. The trend analysis indicated that the growth rates of quantities exported and value realized at current as well as constant prices were positive and significant export to U.S.S.R. The main reason behind this was the effect of break-up of USSR into community of independent states. Remaining almost all the countries showed positive' growth rates. This may be due to increasing demand for cashew kernels in those countries.

CONCLUSION

After analyzing the present paper, we can say that in case of quantity exported, value received at current and constant prices, the cashew exports was stable to UAE and Netherlands, moderately stable to USA, Australia, U.K. and the export to France and USSR was highly instable. The world cashew export and export price had significantly influenced the cashew export. The maximum average price was received from U.K. followed by Japan, Hongkong. From the countries like Australia, UAE, Netherlands, Indian got factor price. From the remaining countries India received comparatively less price.

REFERENCES

1. Bhaskar Rao, (1998), *Integrated Production Practices of cashew in India, Integrated Production practices of cashew in the Asia and Pacific Region, F.A.O, Thailand, p. 154.*
2. Deepa, (1994), *Industrial Crisis and Women Workers - A Case study of Cashew Processing Industry in India, Working paper centre for Development Studies, Tiruvandrum, p. 11.*
3. Kannan, (2003), *Cashew Pricing Policy - The Indian Experience, Regional Meeting on the Development of Cashew nut Exports from Africa, International Trade Centre, Benin, p. 236.*
4. Buckley (2008) *Integrating work and family: Stress, social support and well-being among ethnically diverse working women. California School of Professional Psychology, Los Angeles, United States, p. 487*
5. Thirthala (2016) *Role of Constitution in Women Empowerment in Corporate Sectors. Arabian Journal Review 6: p. 78.*
6. Kadam (2012) *Empowerment of Women in India- An Attempt to Fill the Gender Gap. International Journal of Scientific and Research , p. 165.*
7. Bhavani TA (2002) *Small Scale Units in the Era of Globalisation Problems and Prospects. Economic and Political Weekly 37: p. 30.*

India – China Relations Under Modi Era

Dr. Husna Ara

*Asstt. Professor Dept. of Political Science, Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur L.N.M.U.,Darbhanga*

Abstract : *India and China both are the neighbourhood countries and fastest growing economies of Asia. They have good economic, cultural and trade relations since ancient time. Relations between India and China have varied from time to time. Despite having border disputes, trade imbalance, Pakistan factor, Communist party government and 1962 war with China both countries maintained their mutual relations. From the starting of Modi era, both countries tried their best to prosper their affinity. Though, time to time border dispute have occurred. India and China has continued their talks and has given the space to each other on different platforms. Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping are trying to show respect for each other's sensitivities and concerns and are working for mutual peace and stability. This paper will throw light on the relations between India and China under Modi era, and how both countries are trying to tackle the issues of confrontation and improve mutual trust and confidence.*

Key Words: *Bilateral Relations, Border Dispute, Bilateral Trade and Investment, String of Pearls Policy.*

India and China are two emerging superpowers of Asia. They are neighbourhood countries with rich ancient civilizations and having good relations between them. Both are most populous countries and fastest growing economies in the world. India and China have cultural and economic relations since ancient times. The silk road not only served as a major trade route between India and China, but also facilitates the spread of Buddhism from India to East Asia. Relations between India and China have varied over time to time for border disputes and economic nationalism. Border disputes laid to military conflicts – the Sino - India war of 1962, the 1987 Sino-Indian clash, the 2017 Doklam dispute and the recent May 2020 clash between Indian and Chinese troops.

The modern relationship between India and China started in 1950 when India was amongst the first country that recognize the Peoples Republic of China as the legitimate government of China. In 1954,

India and China signed the Panchsheel treaty. This treaty indicates non interference the others internal affairs and respect for each other's territorial unity, integrity and sovereignty. Both the countries signed a trade agreement in 1954 also. But after a short time all these goes in vain. Border disputes resulted in a war between India and China in 1962. Gradually, relations between India and China deteriorated while the China-Pak relations improved. China backed Pakistan in 1965 and 1971 Indo-Pak war. In spite of border disputes, both countries are trying to resolve their border dispute. Top level dialogue has been continued between them. Joint working group on the border issues were held time to time.

In the Modi era, Prime Minister Narendra Modi has presented India as a powerful and strong country on the international platform. From the beginning of the Modi Government, Prime Minister Narendra Modi initiated to make best rapport to neighbour countries. In the meanwhile, Modi government has taken good step to make stronger relations with China. While Narendra Modi was Chief Minister of Gujarat, he said that "China and its people have a special place in my heart." On his fourth visit to China in 2011, he said that "I am admirer their hard working, disciplined and resilient nature and above all, their sense of history." After being prime minister of India, Narendra Modi tried to strengthen ties with Beijing. He invited Chinese president Xi Jinping to India.

XI JINPING VISIT TO INDIA IN 2014

Chinese president Xi Jinping visited India along with a delegation of business representative in September 2014. This was the first bilateral visit of a Chinese President after a gap of 8 years. Prime Minister Narendra Modi received him at Ahmedabad, in Gujarat. It was the first time an Indian Prime minister was receiving a foreign head of the state, outside Delhi. Modi's engagement with China has been deep since he was Gujarat chief minister. PM Modi said that "I am delighted to welcome the president Xi Jinping to India. I am especially pleased to host him within months of the formation of my government in Delhi. I attach great importance and priority to our relations with China. We are two ancient civilizations with a long history"

However, president Xi Jinping came to India after visiting Sri Lanka and Maldives. This shows the growing importance that China attaches to these small Island states in the Indian Ocean and how they come part of a larger Chinese geo-political and economic strategy in the region. Constant border disputes, especially the standoff in Laddakh, could not come in the way of the warmth of relations. Several significant agreements were signed between the two countries which will boost up Chinese investments in Gujarat. Many Chinese companies are attracted to Gujarat for investment particularly in manufacturing sector, energy and infrastructure.

Latter in May 2015, PM Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met in China. Modi attempted to enhance co-operation, reduce asymmetries, manage competition and other conflict. Though the border disputes remain unsolved, but mechanism has been put in place to manage it. Modi's visit to China was likely to be increasing economic engagement and connectivity. India wanted to see to increase Chinese investment and exports to China. This will support the Modi Government's 'Make in India' initiative. India also wants to co-operate with China in information technology, pharmaceuticals and agricultural products.

During Modi era in 2017, we see a setback between India and China flourish relationship on the Doklam issue. The 2017 Indo-China border standoff refers to the military border standoff. Chinese army constructed the road in the area of Doklam, the tri-junction territory. Doklam is an area disputed between China and Bhutan located near India. On the same day, Chinese foreign minister released a map depicting Doklam as part of China. Ministry of external affairs opposed it and wanted status quo. India sent Indian troop at that area. After a big effort, India and China announced that they had agreed to pull their troops back from Doklam.

On 5th September 2017, in 9th BRICS summit, Indian PM Narendra Modi and Chines President Xi Jinping held hour-long discussions on different issues. They agreed on a "Forward looking approach" and vowed to make efforts to ensure that situations like Doklam standoff do not happen again. They reaffirmed that maintaining peace and tranquility in the border areas, was essential for the relations between the two countries.

In 2019, PM Narendra Modi won a powerful mandate in India's 2019 general election. Narendra Modi begins a second five year term, one of the fundamental foreign policy challenges that will remain high on the agenda is the bilateral relationship with China.

Chinese president Xi Jinping visited India on 11 October 2019 for an informal summit with PM Narendra Modi. This is the second informal summit from October 11-12 in 2019. PM Narendra Modi welcomed Xi Jinping in the temple town of Mamallapuram in Tamil Nadu. The two leaders had their first inaugural informal summit in Wuhan, China on 27 – 28 April 2018. In this visit, the focus of the talk is to improve mutual development and expanding overall ties and to maintain peace and tranquility on the Indo-China border. Chinese envoy said, "We should go beyond the model of differences management, actively shape bilateral relations and accumulate positive energy. We should enhance exchanges and co-operation, promote convergence of interests and achieve common development."

INDO-CHINA SKIRMISHES, 2020

We see several ups and downs between Indo-China relations time to time. Border dispute between India and China resumed once again in May 2020. The army of India and China clashed together near Pangong Lake in Laddakh, the border between Sikkim and the Tibet Autonomous Region. This clash resulted in the death of twenty Indian soldiers and casualties of 43 Chinese soldiers according to the media reports. PM Narendra Modi has taken action and banned the 118 Chinese Apps in India. According to Indian foreign affairs ministry, India and China have agreed to resolve their dispute over the shared border in the Laddakh region through peaceful diplomatic channels. But after sometimes the dispute again started. In August 2020, India accused China of provoking military tensions at the border twice within a week. But China strongly denied and said that the standoff was entirely India's fault. In September 2020, China accused India of firing shots at its troops and India accused the same. In spite of all these, it was reported that the border tensions have failed to dampen trade between China and India.

ISSUES OF CO-OPERATION BETWEEN CHINA AND INDIA

- 1. Bilateral trade :-** Trade between India and China has grown hugely. It was \$ 2 billion in 2001-02. It exceeded in 2015-16 \$ 70 billion. Bilateral trade has brought these two countries closer to each other. Despite the border dispute, the bilateral trade between these two countries is continuing.
- 2. FDI & investment :-** The total Chinese FDI into India is about \$ 2 billion. This would support the "Make in India" campaign. India joined the \$ 100 billion Chinese lead Asia Infrastructure and Investment Bank (AIIB). India and China are also equal shareholders of the Shanghai based \$ 50 billion BRICS Bank and a \$ 100 billion Contingency Reserve Arrangement (CRA).
- 3. Cultural relation :-** India has cultural relationship with China since ancient times. The foundation of Buddhism was laid in India and it is the largest religion followed by Chinese.
- 4. Connectivity :-** India has air connectivity with China. Almost, there is one daily direct flight between Delhi and Beijing which connects India and China. The Bangladesh, China, India and Myanmar Economic Corridor (BCIM), is a proposed corridor connecting India and China through Myanmar and Bangladesh.
- 5. Co-operation on counter terrorism :-** China strongly condemns terrorist attacks in India. In December 2019, the units of Indian Army and the Chinese People Liberation Army comments the Hand in Hand

combined military exercise at Umroi, Meghalaya.

6. BRICS :- BRICS is the association of five major emerging national economies – Brazil, Russia, India, China and South Africa. The association tries to improve the global economic situation and reforming financial institutions.

ISSUES OF CONFRONTATION BETWEEN CHINA AND INDIA

1. Border Dispute :- The Indo-China border dispute is an ongoing territorial dispute. China claimed Aksai Chin as part of the country and India claimed Tibet's Autonomous Region as part of the union territory of Laddakh. Due to this reason Chinese and Indian Army clash every now and then.

2. Trade Imbalance :- Trade between India and China has exceeded from \$ 2 billion to \$ 70 billion in the last twenty years. But a huge trade imbalance of almost \$ 50 billion is in favour of China. This results the backwardness of India's economic growth.

3. Import- export between India and China :- India exports China mostly raw materials, have been declining since 2010-11 as the Chinese economy slowed down. But Chinese export in India is mostly manufactures and heavy equipment that have increased rapidly and exceeded \$ 60 billion, which is a great loss for Indian economy.

4. India's opposition of China on the international platform :- China is reluctant to endorse explicitly India's demand for a permanent seat in the UN Security Council. China has objections to India being given membership in the Nuclear Suppliers Group.

5. Pakistan factor :- China's close relationship with Pakistan is affecting India-China relationship badly. China is patting back of Pakistan on the issue of cross border terrorism against India.

6. String of Pearls Policy :- China is creating a ring around India which is named "String of Pearls". It refers to the network of Chinese military and commercial facility and relationship along its sea line of communication. China made a naval base in Gwadar in Pakistan, Hambantota in Sri Lanka, Chittagong in Bangladesh and army base in Maldives. China is strengthening relationship with Myanmar and Seychelles. China is doing above all for getting benefits during any war like situation.

CONCLUSION

There are several issues of conflict between India and China but in spite of these, there are also issues of co-operation. India and China are two vast and powerful emerging economies which can pave the way for the development of Asia by helping each other on economic, cultural, political issues and trade etc. India and China have maintained bilateral trade despite their border dispute. India has started working on the "Necklace of diamonds" strategy to counter China's "String of Pulse Policy". India is expanding its naval bases and improving relations with South Asian and South East Asian countries to counter China's strategy. Both India and China need some kind of competitive co-operation rather than an open conflict for their economic growth. Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping both are working for various forums to maintain their mutual relations. For this both have visited each other countries and doing high level talks with each other.

REFERENCES:

1. *Suhasini Haider, "Modi sets own protocol, to receive Xi in Ahmedabad", The Hindu.*
2. *International Relations in the 21st Century by Pushpesh Pant.*
3. *Piyush Pandey, "China to Invest \$100 Billion in India Over 5 Years" The Times of India, September 13, 2014.*
4. *Indrani Bagchi, "Heats on Border Takes Away from Modi-Xi Warmth", The Times of India, September 20, 2014.*

Foreseeing India-China Relations: The 'Compromised Context' of Rapprochement

Dr. Ratna

M.A. Ph.D., Political Science, B.R.A.B.U., Muzaffarpur

Email: ratnasinh@gmail.com

With the rapid emergence of the Indo-Pacific as a geopolitical paradigm, the trajectory of politics in Asia is changing. North Korea is taking incremental steps to reconcile with South Korea, the United States and China and to achieve peace in the Korean peninsula,¹ albeit perhaps conditionally. Relations between two paramount economies—the U.S. and China—are becoming thornier, embroiled as they are in a sour trade conflict that is heavily influencing global trade politics. The dynamic between India and China seems to have changed as well, since late 2017. As both are strengthening their economic and diplomatic ties following the military border standoff at Doklam in 2017—when India placed troops to prevent China from building a road into territory claimed by its ally, Bhutan—New Delhi and Beijing are trying out different forms of diplomacy to determine their spheres of influence while taking their relationship forward. Whether they are in cooperation, conflict, or bare coexistence has transcended bilateral relations, mainly because it now hinges on certain external conditions. This has, invariably, made India-China relations quite contextual—foreign policy behavior is determined more by the regional and international context than by domestic factors.

No matter how stable and secure India-China relations appear to be post-Doklam, the contextual nature of this stability is more or less "global"—their bilateral dynamics with the United States, Japan, and Pakistan, and with other smaller neighboring countries, will continue to be important. The 2017–2018 revival of the Quadrilateral Security Dialogue, often known as the Quad 2.0, by the new liberal world nexus of Australia, India, Japan, and United States, has raised questions about the seeming stability of India-China relations. The Quad as an "Indo-Pacific" proposition is essentially a consequence of the growing power asymmetry

in Asia, and is directed toward achieving equilibrium. By attempting to overcome the trust deficit between countries and by endorsing a multipolar world order, the Quad calls for a renewed commitment to an orderly rule-based global structure. China's Belt and Road Initiative (BRI) has received both jeers and cheers. India's refusal to support the initiative has not drastically worsened their relationship, but has certainly caused qualms. So has China's ever-increasing adventurism in maritime Asia, with the increase in the construction of ports and other maritime infrastructure in the Indian Ocean Region (IOR).

These intense "global" conditions appear to be enduring, and continue to raise the question of whether the bonhomie and stability of India-China relations, noticed in 2018 and now to 2019, following the Narendra Modi-Xi Jinping informal and personal meeting in Wuhan, is a long standing one. How far this amount to a 'compromised context' in India-China relations? In other words, will the 2018-19 stability of India-China relations endure, especially with Narendra Modi's return to power in India?

THE POLITICAL OVERTURE TO REFRAME TIES

India-China relations are primarily a reflection of their foreign policy trajectories and domestic developments. Chinese foreign policy is geared toward reestablishing China at the center of the global economic and political system, and India, like other major powers, faces the dilemma of accepting or resisting it.² It is important to tackle the zones of contestation, given that energy and maritime security are at risk owing to the growing turmoil in West Asia. Given the current geopolitical landscape, which might be heading toward greater polarization, India is most likely to benefit by not explicitly aligning with either China or the United States.³ India needs the Quadrilateral consultative forum as much as it needs a peaceful border with China. For China, too, a stable neighborhood is crucial as it navigates its relationship with an openly adversarial United States under President Donald Trump. Both countries therefore have a tactical opening for improving their relations, but within limitations. The Wuhan spirit provided temporary solace but was perhaps not entirely successful in overcoming the points of contention in their asymmetrical relationship.

The Doklam border stand-off was no ordinary episode in India-China relations—with its potential to escalate into a small-scale war, it tested their diplomatic nerve and skills. Diplomacy was at its core and both sides successfully averted further escalation. India stood proud that the Indian Army successfully faced the People's Liberation Army (PLA) for 73 days, something that few Asian militaries perhaps could do. For New Delhi, it was crucial to stop the PLA from constructing roads in the Doklam tri-junction area, in what it terms a disputed region, without triggering a war. For Beijing, its attempt to inject an element of strategic complexity into a politically stable India-Bhutan relationship was successful, as evidenced by China's ongoing attempts to create divisions between India and its neighbors. Moreover, Beijing sought to test India's diplomatic character and military preparedness in the face of a territorial threat. The resolution of this incident thus illuminated the complexity of India-China relations and how small-scale incidents can spiral without political will.

However, the inference that the possibility of an India-China confrontation is remote is not guaranteed. China's foreign policy under Xi Jinping exhibits long-term territorial ambitions, both land and maritime. With Donald Trump acting on impulse with regard to China and being generally erratic, the other leaderships were compelled to readjust their treatises. Hence, the renewed attempt to reframe India-China relations, by means of several official exchanges in 2018 and 2019, have certainly brought temporary stability to the relationship. To maintain "closer strategic communication" was the overarching outcome of the Modi-Xi in-formal meeting in Wuhan. The Modi-Xi meet on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Qingdao in June 2018 [and now in Bishkek in June 2019] was followed by a meeting against the backdrop of the Johannesburg Brazil-Russia-India-China-South Africa (BRICS) summit in July 2018. This strengthened the notion that India-China relations were fast following a personality-centric engagement process. The Chinese Defense Minister Wei Fenghe's visit to India in August 2018 was more

for rebuilding the lost confidence between the two militaries. Establishment of a hotline between their militaries and resumption of annual military exercises and dialogues set the course for reframing the faltering relationship, generating an amount of confidence that was most required.

Added to this was the positive change evidenced in their bilateral trade exchanges—the most stabilizing factor in their relations – witnessing an upward trend of 25 percent, to almost \$90 billion in 2017–2018. To India's concern, the trade ties with China are lopsided, with Beijing enjoying a growing trade surplus. Not to overlook, after the United States, India has the second-largest trade imbalance with China. All initiatives to improve this situation have only increased Chinese dumping in Indian markets.

Contrary to India's advocacy for a 'multipolar Asia,' a unipolar Asia led by China seems to be the Chinese leadership's overarching ambition. However, in Chinese estimation, under the ambit of a multi-polar Asia, cooperation with India will remain a priority. Beijing is continuously pitching at such a scenario. For instance, the recently concluded second Belt and Road Forum summit in April 2019 points to a scenario in which China would like to exhibit a more flexible and accommodating posture to the out-side world, including its important Asian neighbors. As India is amassing power, capitalizing on its strategic interests to better position itself globally as an emerging power, it forms an indispensable portion of the Chinese stratagem of global engagement. Furthermore, India's participation is crucial for the successful establishment of an Asia-centric model of global governance, be it through the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), or an expanded SCO and the BRICS. Such externalities have prepared the ground for India-China cooperation, but it is contextualized by the geopolitical situations in which both are intertwined. On India's part, a spirit of competitiveness is readily discernible, to check the increasing Chinese adventurism in South Asia and the Indian Ocean Region (IOR) without appearing too provocative to China. Beijing, too, anticipates a strong Indian role in the U.S.-led liberal world order, and therefore, maintain caution, and does not want the relationship to turn adversarial.

AN OFFSHOOT OF U.S.-CHINA FRICTION

Both India and China have always, independently, tried to have a stable and mutually beneficial relationship with the United States. China's primary quest currently lies in stabilizing the trade and economic relationship; India's interest is to quickly convince Washington of its emergence as a leading power, secure high-end technologies, and strengthen the defense partnership. With the United States considering India as an important strategic partner in the U.S. Indo-Pacific Command, the Indian navy is increasingly exhibiting tendencies to cooperate with the U.S. Naval Central Command (USNAVCENT) in terms of force-projection capabilities.⁴ Both countries are negotiating to enable India to play a more active role in counter-piracy operations, anti-submarine warfare, and carrier-based and other combined naval operations in the Combined Maritime Forces. Such operations, along with the Malabar exercises, military maneuvers undertaken by the Quad countries in parallel with their strategic dialogue, are part of a two-pronged strategy—first, they help expand India's naval capabilities to give it a stronger regional presence and, second, they make China wary of this India-U.S. collaboration and encourage it to be more cautious in the maritime domain.

On the other hand, the trade war between China and the United States, which began with Washington reprimanding China for unfair trade practices, escalated when China adopted a retaliatory approach. Since July 2018, the United States has imposed duties on \$250 billion worth of Chinese goods and China has retaliated by imposing tariffs on U.S. products worth \$110 billion.⁵ Although a temporary truce was achieved after the Group of Twenty (G-20) Summit in Buenos Aires on December 1, 2018,⁶ it turned out to be ineffective. The United States and China have been unable to arrive at a solution, inflicting damage on both economies.⁷ In this scenario, China is looking for other potential markets and India, owing to its proximity and huge market, is an ideal partner.

This trade war has given other countries an opportunity to reevaluate their trade networks and enforce pending free trade agreements (FTAs). China and India too, by participating in tariff relaxations, are in

favor of making their economic relations more robust and diversified. However, three questions emerge in the overall context of their bilateral relations—first, how can Indian imports from China be diversified without increasing the trade imbalance; second, which sectors should be targeted if exports to China are to be increased while avoiding Chinese retaliatory trade measures; and third, what are the platforms for diversifying production in India to shrink the “Made in China” label.

While India’s challenges are to transform its market for foreign investors, liberalize its tariffs, and boost its FTAs, the challenge for China lies in shifting its global trade away from the United States. Although the growth rate of India-China trade experiences momentary surges, various stresses remain, such as the huge trade deficit India is incurring. While U.S.-China trade tension does not have any direct repercussions on the Indian market, it increases the risk of China diverting excessive goods. Undoubtedly, China will suffer a huge loss if it loses its grip on the Indian market. Reducing trade tariffs on products like rice and amending the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) are crucial. To address the increasingly uneven trade relationship, China has reportedly agreed to import two million tons of sugar.⁸ However, the problem is that the Chinese sugar industry is also facing oversupply.⁹ So, India’s trade volume may not end up making much difference to their trade statistics. Addressing this trade deficit will, for the time being, keep India-China relations bristling.

As can be observed, China is rising but is also encountering bumps—it may perhaps even be forced onto a collision course with the United States. In this context, taking a step back and rethinking some of its strategic and diplomatic engagements might be beneficial. This requires China to find like-minded partners to contribute to establishing an alternate global governance structure.¹⁰ Time and again, China has declared its intention to get India on its side in an attempt to revise the world order. In 2018, the Chinese ambassador to India Luo Zhaohui said “From the global perspective, in recent years, the developing countries represented by China and India have emerged as a group, contributing to the ongoing ‘rise of the East’ in the transforming world.” He further noted that “As neighboring major emerging countries, we should coordinate our positions and also explore ways to be with each other.”¹¹ What perhaps gives more meaning to such statements are accompanying actions, and China’s recent decision to lift its technical hold on declaring Masood Azhar, chief of the Pakistan-based militant group Jaish-e-Mohammed, a terrorist at the United Nations is a clear diplomatic triumph for India. Notwithstanding the pressure that was building on China for protecting an internationally ill-famed terrorist and the continuous effort put in by India at major international discussions, the call has finally resolved a serious contention.

A COMPROMISED DEAL ACROSS THE INDIAN OCEAN

An understanding of how developments in the Indian Ocean are putting India and China at logger-heads is important not just to ensure national and maritime security, but also to sustain their geopolitical interests. The growing power asymmetry, military projection and perception in the maritime domain have driven their relationship into an intensely competitive zone. The perception of threat has left both powers scrambling for legitimacy. For India, China seeks to reinforce its offshore defense capabilities by entering into military and semi-military alliances with partner countries, building ports, posting noncombat troops, and supplying arms to selected partners.¹² Indeed, the Chinese presence is most strongly felt in the Djibouti naval base in the Horn of Africa, on Sri Lanka’s Hambantota port, and in the Gwadar Port of Pakistan. China is upgrading another deep sea port in Myanmar’s port of Kyaukpyu. There is speculation that this is leading to another Hambantota-like situation, strengthening China’s foothold in the IOR.

In the case of Pakistan, as well, China is actively engaged in massive sales of military equipment. This strategy of providing military assistance to the littoral countries is not well-received by India, which has a rather proprietary stance toward the IOR. New Delhi is enhancing its maritime connectivity networks based on “Security and Growth for All in the Region” (SAGAR). While the stress is on a safe, secure, stable,

and shared maritime space,¹³ challenging Chinese growth and building durable capacity is the principal concern. One advantage that India has in the IOR is that China has not yet declared a coherent Indian Ocean security strategy, although it is highly interested in acquiring ports, for instance the Hambantota in Sri Lanka, Gwadar in Pakistan, Kyaukpyu in Myanmar, Payra and Chittagong in Bangladesh, Dolareh in Djibouti, and a few others on the African continent. Moreover, the BRI can now be considered as the de-facto Chinese grand strategy to inscribe its footprint across oceans and continents. Such beguiling multimodal connectivity spans the IOR as well.

Consequently, overseeing the presence of other countries’ maritime forces in the IOR is of utmost importance to India. China’s growing maritime understanding with Pakistan and India’s other neighbours most strongly triggers much suspicion. This stems from three factors—China’s support to Pakistan, the Maritime Silk Road coupled with the Silk Road Economic Belt strategy, and the fact that the China-Pakistan Economic Corridor, i.e. land-based Chinese military presence, will have consequences for China-Pakistan military strategy.

Therefore, India is also seeking to extend its outreach over the Pacific. Naval cooperation with like-minded countries like Japan, France, and the United States is at the forefront of India’s maritime strategy.¹⁴ Earlier in 2018, India also succeeded in convincing Indonesia to collaborate in setting up a naval port in Sabang, strategically located at the entrance of the Malacca Strait. 2019 has also brought India a flurry of bilateral naval exercises with the United States, the Philippines, Japan, and Australia in the South China Sea and the Indian Ocean.¹⁵ This spirit of conducting vigorous maritime activities with like-minded countries has reinstated a sense of solidarity against rapid Chinese developments.

India has realized that, on its own, it has limited resource capacity to match China’s assertiveness, making its outreach beyond the Pacific extremely important. With an increasing focus on developing a strong strategic deterrence against China, the Indian leadership is seeking to have an extended maritime neighborhood power-projection, with an emphasis on Act East Policy. Currently, India cannot rival the extravagant Chinese investment packages, but it does redeem itself by offering something China does not—mutually favorable deals that are based more on partnership than on exploitative lending, such as the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway and the Kaladan Multimodal Project. However, the problem for India in effectively challenging China lies in its decision-making process—India might not lack ambition but it certainly lacks the cohesiveness and the resolve to outcompete a country like China.

(NDA)—has followed the same principle of maintaining good ties with major powers. For Xi Jinping, too, another standoff like the Doklam would give a strongly negative impression of China to the international community. The current geopolitical situation, wherein the United States is inching militarily closer to India and moving out of China’s radius, is perturbing for the Chinese leadership. It has also become imperative that China not put the BRI under any stress. It is already facing a backlash from the Maldives, Malaysia, and Sri Lanka, as well as its “all-weather” friend, Pakistan.

This puts Japan at the external core of India-China relations. In 2018, India and Japan elevated their partnership, both economically and strategically, and had China fearing that they might become an existential counterweight. While Beijing and Tokyo did not make any effort to reinvigorate relations until very recently, New Delhi has always found a reliable strategic partner in Tokyo. However, India-Japan ties are unduly economically oriented. India’s need for Japanese investment for fast-track infrastructure development makes this relationship lopsided. Moreover, Japan’s intent to forge a stronger strategic bond with India is heavily influenced by two conjoined goals: (a) to protect its own security and commercial interests for which India is a prospective partner; and (b) to facilitate the influence operations of the United States to balance out Chinese strategic outreach. Indeed, if anything, it is rapid Chinese commercial and military adventurism that has affected Japanese interests lately. So, a partnership with India is a natural progression, as both perceive China as assertive and expansionist.

DOMESTIC COMPULSIONS AND THE GROWING BOND WITH JAPAN

Both Narendra Modi and Xi Jinping have long-standing geopolitical ambitions to maintain stable relations, despite their various blind spots. For Modi, the 2019 national election is momentous for all the initiatives undertaken during his tenure, although India's foreign policy—under the United Progressive Alliance (UPA) or the National Democratic Alliance.

The dilemma facing both countries in this regard lies in reassuring China, which is deeply skeptical of any alliance in Asia, that their partnership is not a threat or a design to “contain” China. A direct diplomatic engagement for countering China could therefore prove tricky. Tokyo is now also a ‘conditional’ partner in the BRI. Japanese Prime Minister Shinzo Abe's balancing act between India and China may have its pitfalls, but it is crucial for Japan to persist in partnering with India, as much as with China. Stronger economic ties with China are of strategic significance to Japanese economic growth.

Nevertheless, India-Japan ties have succeeded in generating a climate of strategic confidence across the Indo-Pacific vis-à-vis China. Yet, neither is a grand alliance against China inevitable nor could the Indo-Pacific liberal world nexus—primarily orchestrated by the U.S.-Japan security alliance—afford to exclude Chinese presence. If anything, the point of the India-Japan understanding is to encourage Beijing to rethink its approach to Asian neighbors by creating a subtle pressure. To some extent, India-Japan relations have succeeded in generating this positive climate against China, by also incorporating the voices of other prominent actors, including Australia, South Korea, Taiwan, Vietnam and other Southeast Asian countries. Together, these countries are balancing, if not completely preventing, the emergence of a highly Sino-centric vision of a world order.¹⁶

This is an opportune moment for India to move beyond the perceived asymmetries and focus on overcoming a hegemonic China by strengthening relations with like-minded states. Despite Trump's cold approach towards India, New Delhi should not delay expanding its sphere of influence when Modi takes charge as the Prime Minister of India for a second consecutive term, especially when the United States is by and large in its side. India's foreign policy under Modi 2.0 could become much more decisive and forceful. What makes China uneasy is precisely the increased attention India has recently garnered under the leadership of Modi. While it has never considered India as a major threat or competitor, it is still obliged to advocate better trade and investment cooperation and to see India as a multilateral economic partner. Geopolitical compulsions in India-China relations are likely to persist in the remainder of 2019 and beyond.

LOOKING AHEAD: CONSTRAINS TO COOPERATION

Three factors might constrain India-China relations despite bilateral efforts. First, the Indian and Chinese foreign policy ambitions have contradictory outreach programs. Either in the IOR or with ASEAN, security ambitions for securing resource opportunities are bound to clash. For India, China is seeing it as a “limited Asian power,”¹⁷ and for China, India is acting as a proprietor of the Indian Ocean. Second, creating sustainable economic opportunities to uphold a true “development partnership” is another area of tension. India's strong reservations about the BRI proposition could bring their future engagement to a standstill. It is also possible that they might make a fresh start on engaging and carrying forward their “development partnership,” including most of the BRI components, without India changing its principal position on BRI. Third, Beijing's growing assertiveness in the maritime domain will not be well-received by India. In other words, despite the lack of maritime disputes between the two countries, the contest between them for maritime domain may gradually increase.

Above all, differences in perception and mutual mistrust may persist between the two, as exemplified by India's staunch refusal to endorse the BRI. Besides, there is no likelihood of continuation of the same externalities—a change in President Trump's policies could have a dramatic impact on Asia's regional dynamics. In such a scenario, India-China ties are not likely to improve drastically, and the cooperative

trend seen in 2018 may be overridden. With Modi and Xi at the helm, as India and China prepare to have a second Wuhan-type summit later in 2019, the onus lies on finding a mutually satisfactory balance. In the face of China continuing to cajole Indian policymakers to alter their resistance to BRI yet failing to understand India's standpoint, the options are limited. Hedging and engaging in external balancing with the Quad countries, as well as promoting regional connectivity with ASEAN countries, therefore must be prioritized in India's Indo-Pacific outreach.

REFERENCES

1. Uri Friedman, “The Beginning of the End of the Korean War,” *The Atlantic*, November 28, 2018, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/11/north-korea-wont-denuclearize-reconciliation-moon-kim/576745/>
2. John Hurley et al, “Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective,” *CGD Policy Paper*, March 2018 <https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf>
3. T.V. Paul, “How India will React to the Rise of China: the Soft-balancing Strategy Reconsidered,” *War on the Rocks*, September 17, 2018 <https://warontherocks.com/2018/09/india-and-the-rise-of-china-soft-balancing-strategy-reconsidered/>
4. “Defence Sales at an All-time High with India: PACOM Commander,” *The Economic Times*, February 14, 2018 <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/defence-sales-at-an-all-time-high-with-india-pacom-commander/articleshow/62921682.cms>
5. “US-China Trade War: Deal Agreed to Suspend New Trade Tariffs,” *BBC News*, December 2, 2018 <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46413196>
6. “China Buys US Soybeans for First Time since Trade War,” *BBC News*, December 14, 2018 <https://www.bbc.com/news/business-46562384>
7. Rishi Iyengar, “The US-China Trade War is Escalating. The Coming Days are Crucial,” *CNN Business*, May 10, 2019, <https://edition.cnn.com/2019/05/10/economy/us-tariffs-china-trade-war/index.html>
- a) Kirtika Suneja, “Sugar Exports from India to China to Begin Soon: Government,” *The Economic Times*, November 8, 2018 <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/sugar-exports-from-india-to-china-to-begin-soon-government/articleshow/66544994.cms>
2. “China's Sugar Consumption Expected to Rise,” *Xinhua*, March 13, 2018 http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/13/c_137175909.htm
3. Michael J. Mazarr et al, “China and the International Order,” *Rand Cooperation*, 2018.
4. Keynote Speech by Ambassador H.E. Mr. Luo Zhaohui at the Opening Ceremony of China-India Relations Seminar, June 19, 2018, <http://in.chineseembassy.org/eng/gdxw/t1569657.htm>
5. Srikanth Kondapalli, “China's Evolving Naval Presence in the Indian Ocean Region,” in *India & China at Sea: Competition for Naval Dominance in the Indian Ocean* (New Delhi: Oxford University Press, 2018), p. 115
6. Sushma Swaraj, “SAGAR – India's Vision for the Indian Ocean Region,” *India Foundation*, November-December 2017.
7. David Brewster, “A Contest of Status and Legitimacy in the Indian Ocean,” in *India & China at Sea: Competition for Naval Dominance in the Indian Ocean* (New Delhi: Oxford University Press, 2018), p. 13.
8. “US Navy Chief to Visit India Next Week,” *The Economic Times*, May 10, 2019, <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/us-navy-chief-to-visit-india-next-week/articleshow/69263404.cms>
9. Michael J. Mazarr et al, “China and the International Order,” *Rand Cooperation*, 2018.
10. Lt. Gen Sanjay Kulkarni, “China Will Never Accept India as a Rising Power in Asia, Cooperation Seen as Cowardice,” *News 18*, July 28, 2017, <https://www.news18.com/news/india/opinion-china-will-never-accept-india-as-a-rising-power-in-asia-cooperation-seen-as-cowardice-1476297.html>.

Impact of Economic Globalization on the Working of Welfare State

Dr. Bishambhar Prasad

In recent years the impact of globalization on the welfare state has become a major issue in comparative policy studies. Some empirical studies demonstrate a negative relationship between globalization and the welfare state, while others show adverse findings or a non-significant relationship. The impact of globalization, however, can be neither uniform nor unidirectional because of the differences in the political economies of individual welfare states. Welfare regimes reflect qualitative differences in arrangements of welfare institutions and the associated enduring configuration of the welfare nexus, suggesting that welfare regimes may influence the impact of globalisation on the welfare state. We scrutinize the relationship between globalization and the welfare state by sampling 18 affluent countries from 1980 to 2001 and concentrating on the mediating effect of three welfare regime types. Our study provides a comprehensive examination of the relationship between globalization and the welfare state using a state-of-the-art analytical technique – the mixed-effect model. Findings suggest that welfare regimes respond differently to the impact of globalization and therefore mediate the relationship between globalization and the welfare state. Globalization negatively affects the welfare state in a social democratic regime, while it marginally affects the welfare state in liberal and conservative regimes. In the last quarter of the 20th century, welfare states, facing the new global economic environment, have undergone a profound transformation. One of the most controversial issues of this restructuring process concerns the impact of economic globalization

on the welfare state. How is the welfare state influenced by the wave of economic globalization (Glatzer & Rueschemeyer, 2005)? Although a consensus is emerging that economic globalization has some type of relationship with the welfare state, the exact nature of the relationship remains unclear (Brady, Beckfield & Seeleib-Kaiser, 2005: 921). Prior research (Hicks & Zorn, 2005; Kim, 2007; Wibbels, 2006) that empirically examined the dynamic between economic globalisation and the welfare state focused on the holistic relationship and ignored the divergent effects of economic globalisation. The impact of economic globalisation on the welfare state, however, can be neither uniform nor unidirectional because of the differences in the political economies of individual welfare states (Yang, 2000). For instance, Rudra (2002) demonstrated that economic globalisation is positively associated with welfare spending in developed countries, whereas it is negatively related to welfare spending in less-developed countries. Furthermore, analysing 57 less-developed countries, Rudra and Haggard (2005) showed that welfare spending in politically authoritarian countries is more sensitive to the pressures of economic globalisation than it is in democratic countries. These results imply that responses to the impact of economic globalisation can vary according to the different welfare schemes and socioeconomic situations among developed countries. In the present study, we scrutinise the relationship between economic globalisation and the welfare state among developed countries, concentrating on the mediating effect of welfare regimes. Welfare regimes reflect qualitative differences in the arrangements of welfare functions between major social institutions including market, family and state (Esping-Andersen, 1990). As a result, welfare regimes prescribe the functional mechanism of the welfare state and therefore may significantly influence the relationship between economic globalisation and the welfare state. While there are several typologies of welfare regimes, the three-fold typology of welfare regimes suggested by Esping-Andersen has dominated the debate on comparative social policy over the last two decades, especially among developed countries (Scruggs & Allan, 2006). Despite the critique of the model, this model provides a systematic empirical validation for a set of ideal types (Scruggs & Allan, 2006). Moreover, as Esping-Andersen's welfare-regime model is based on the broad approach to the welfare state reflected in political economy (Powell & Barrientos, 2004), it provides a comprehensive framework for identifying the unique features of the welfare nexus in given countries. Thus, by employing Esping-Andersen's welfare regime model, we test two main hypotheses: Hypothesis 1: The degree of economic globalization will affect the size of the welfare state. Hypothesis 2: The impact of globalization on the welfare state will be mediated by welfare regime type. Globalization and the welfare state Globalization encompasses various aspects including global communication networks, an international flow of knowledge and information and global civil societies. The most influential aspect of globalization is the interdependence of market systems around the world (Stiglitz, 2006). The intertwining of national economies and the dependency of government finance on global markets has shifted the structure of political economic institutions of the nation-state (Castells, 2004). Thus, in the present study we restrict our focus to economic globalization, which entails the economic integration of the countries of the world through the increased flow of goods, services and capital (Stiglitz, 2006). We conceptualize economic globalization (hereafter globalization) as the intensification of international economic exchange and international economic integration, following the operational definition of Brady et al. (2005). Previous arguments regarding the impact of globalization on the welfare state generally have come to one of three conclusions. A negative perspective contends that globalization undermines existing welfare states and impedes new developments in social welfare policy, resulting in the era of welfare state crisis (Hardt & Negri, 2001; Huber & Stephens, 2001; Schwartz, 2001). In contrast, a positive perspective claims that globalization and the welfare state can be compatible and mutually reinforcing. Thus, a positive perspective suggests that globalization eventually expands the welfare state (Garrett, 1998; Rieger & Leibfried, 2003; Rodrik, 1997). Criticising the current debate on the impact of globalization as an exaggerated one, a sceptical perspective argues that globalization per se is an

insignificant or marginal influence on the welfare state (Atkinson, 2002; Kittel & Winner, 2005; Wade, 1996). A negative perspective, called the efficiency hypothesis (Blackmon, 2006), argues that globalization is the cause of welfare state decline. The basic premise of the efficiency hypothesis is that the instrumental capacity of the nation-state is decisively undermined by the globalization of core economic activities (Castells, 2004). According to Brady et al. (2005), the globalisation of production and investment necessitates welfare state retrenchment, since states lose autonomy over social welfare policies in the face of the overwhelming global economy. Moreover, under the neo-liberal economic paradigm of globalisation, big government is regarded as inefficient in the globalised economic environment, since high levels of taxes and social spending impede developing an internationally competitive economy (Kim, 2007). Therefore, as national economic schemes open to the international market, governments are forced to adapt to the imperatives of global competition with an austere fiscal policy, which induces the cutting of cost-intensive social welfare programmes (Genschel, 2004). Several studies link globalisation and welfare state reduction. For example, Garrett and Mitchell (2001) and Burgoon (2001) demonstrated that openness in economic exchange is associated with less governmental social spending. On the other hand, a positive perspective, called the compensation hypothesis (Blackmon, 2006), claims that the emerging internationalisation of economies is related to a high demand for social security, which in turn facilitates an upward shift of taxation and social spending levels (Kittel & Winner, 2005). According to Kim (2007: 182), Economic integration exposes national economies to the turbulences in the world economy, generating more uncertainty and volatility in the domestic economy. Faced with greater economic insecurity, the state would be pressed to provide more social protection and insurance. In short, economic globalisation creates more demand for compensatory government spending that mitigates economic and social dislocations due to increasing openness. As a result, the more countries experience volatility and uncertainty from fluctuations in international finance and trade, the more governments develop social welfare policies that stabilise the economic security and politically appeal to their citizens (Brady et al., 2005). Consistent with this perspective, several empirical studies have found positive relationships between globalisation and the welfare state. Hicks (1999) and Rodrik (1997) demonstrated that economic openness significantly increases social expenditures. The sceptical perspective contends that there is neither theoretical reason nor empirical evidence to believe that domestic social policy autonomy is influenced by increasing globalisation (Genschel, 2004). Scholars supporting this perspective emphasise that domestic factors, such as societal and political institutions, as well as historical legacy, minimise the globalisation effect in the social policy formation procedure (Berger, 2000). Advocates of the sceptical perspective argue that the politics of a given country, rather than external forces such as globalisation, is the determinant that governs a social policy (Pierson, 2001). Furthermore, it is argued that in a mature welfare state social welfare policies form strong developmental trajectories that are inherently difficult to reverse through constitutional structure and the popularity of welfare programmes (Hacker, 2002). Thus, the sceptical perspective argues that welfare states are able to exert resilience on the impact of globalisation and therefore bolster welfare state stability regardless of globalisation (Brady et al., 2005). With this perspective, several empirical studies (Atkinson, 2002; Brady et al., 2005) have found that globalisation does not significantly affect the welfare state nor does it marginally influence the welfare state.

SPECIFICITY OF THE WELFARE STATE IN INDIA

The first and foremost factor that shaped the specific nature of welfare state in India was the colonial legacy. During the colonial rule and against its central orientations there emerged an articulate discourse on welfare state as integral to the national movement. This specific discourse generated a well-formulated ideology, although there were contentions regarding the future of the welfare state in India. As it has been argued in the earlier chapter on India, the discourse on the well being of the Indian

masses became an issue of intense contention in the national movement and a powerful critique of the laissez-faire state is inbuilt in these contentions, be it Gandhi, Nehru and Ambedkar. The question of alleviating poverty, providing education, employment, health, sanitation and promoting equality were some of the important issues of this contention. The external developments of the Great Depression and the concerns on equality expressed in socialist movements worldwide influenced India and its leaders in making a leeway in this regard. The discourse on welfarism covered a spectrum with distinct ideological ramifications, covering the political, economic and cultural domains. The nationalist movement helped in the making of welfare state in various ways. The growing national consciousness and a sense of public purpose, the broadly shared agreement as a democratic polity, faith in constructive role of the state, a fairly well constructed concept of equality all helped in building an ideology of welfare state which later propelled the institutionalization of welfare state in India. The workers and the peasant's movements with that of women strongly registered their presence in this endeavour. There was a critique of big capital that the nationalist leaders shared although there were diverse hues in this critique. The nationalist movement facilitated the crafting of a public sphere that enabled many Indians to rise above personal and sectarian interests. As the nation defined itself through public interests and collective goals political and policy choices were pronounced subordinating private good to the public good.² Thus unlike Brazil in India the nationalist discourse provided a set of justifications for welfare state. "India's prolonged and relatively cohesive nationalist movement generated more shared values and institutions, leading to a more smoothly functioning civilian polity."³

2 See, Atul Kohli, *State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 243.

3 Quoted from, *Ibid.*, pp. 242-243.

In India the nationalist leaders pressed for a welfare state at the stage of the nationalist movement itself, against laissez-faire British policies, gradually raising such demands in the Constituent Assembly and securing constitutional sanction to the policies of welfare state. Such a move brought in a new era for socio-economic emancipation. There already existed a broad consensus on state intervention, in a wide range of economic and social areas that had shaped an ideology of development.⁴ Nationalist thinking took the task of modernization of Indian society seriously and sought a rapid change in economic and social institutions through the legal and administrative powers of the state. There was the widespread belief that rapid industrialization would remove poverty and create the conditions for a modern and more egalitarian and just society. But increasingly such concerns for development and industrialization came to be laced with welfare considerations. Even in terms of the organization of power, India had through the colonial period worked out a specificity that is quite different from the structure that Brazil inherited. Britain established a colonial state in India with a unified and established authority over various regions and retained the core of centralized state across the various constitutional developments. It is also argued that such a centralist role in turn facilitated the people to wage a united struggle against the British rule. Unlike Brazil, which constructed its bureaucracy in the later years, India eventually took over "...without major change the entire bureaucratic and/army structure, the 'heaven bom' civil service and all, mainly substituting the brown for the white."⁵ State in India is a 'product of both colonial construction and nationalist modification'.⁶ While the colonial state imposed authority and rule of law, the nationalist movement pressed for regular elections, mass adult suffrage, and basic liberal freedoms of speech and association. Therefore, the change of the welfare state in India from the time of independence fell on elected leaders but within the framework of a centralized administration. The constitutional provisions provided for a wide range of liberties with built in provisions for the

disadvantaged. The nationalist leadership itself was closely acquainted with developments with regard to welfare in several countries

- 4 See, Partha Chatterjee, ed., *Wages of Freedom: Fifty Years of the Indian Nation-State*, New Delhi: Oxford University Press, 1998, p. 6.
- 5 Quoted from, Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, London Macmillan, 1983, p.4.
- 6 See, Atul Kohli, *op. cit.*, p. 241.

Amartya Sen has argued particularly with the context of India in mind that the success of liberalization and closer integration with the world economy may be significantly hindered by backwardness in education, elementary health care, gender inequality and limitations of land reforms.⁶⁵ He considers, development as the real freedom, and that individual advantage should be judged by the substantive freedom that the individual enjoys and that development is the process of expansion of individual freedom. He quotes Marx freedom has to do with "replacing the domination of circumstances and chance over individuals by the domination of individuals over chance and circumstances."⁶⁶ According to him, development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as intolerance or over activity of repressive states. Sen, links this to the lack of public facilities and social care. Amartya Sen notes the potential of the 'state to play a protective role vis-avis inequities within the 'community'. However, he feels that the idea of the nation cannot be reduced to a state-seeking project, particularly a state that is violent and authoritarian. Cultural critiques of the nation-state, including those undertaken from a subalternist position, have failed to take account of the lack material entitlements and intellectual opportunities in a context of persistent deprivations and inequalities.⁶⁸ The quest for substantive democracy has been in large part a material struggle for social and economic security that could provide more meaningful content to culturally informed values and a sense of human dignity. Democratic development can be beneficial and ideal only if it addresses material and cultural concerns by assuring individual and group rights at different levels of polity.⁶⁹ And in this regard state has a major role to play.

The welfare state assumed responsibility for the betterment of citizens and safety nets could only help this responsibility to achieve a transitional arrangement. As it is argued, the cross-regional record of safety nets shows mixed responses. In certain cases safety net programs have been effective in reaching out to the poor and vulnerable and have also helped in retaining political sustainability of economic reforms. In some other cases, they have merely been short-term policies to divert political differences of people, and hence had little impact on either poverty reduction or political sustainability of reform. Therefore safety nets cannot entirely serve as a mechanism to reduce poverty and can never become a long-term effective means of social welfare protection. In order to generate sustainable growth in the long-run, policy measures are required. Safety nets may help as a short-term mechanism to ward off the adverse effects of the transitional period. The basic social welfare policies, such as primary health and education, and employment opportunity require the interventionist role of the state more significantly. In contrast to these programmes of safety nets the basic task of building infrastructure to achieve self-sufficiency through agriculture or building up rural infrastructure for education, health and sanitation does not take place solely on the basis of safety net. Ad-hoc policies of any measure would only help the situation have a smooth transition and serve as austerity measures. However, they cannot serve as the long-term policies to replace the welfare state. For example in India, in the context of economic reforms, the government proposed social safety nets for the poor. A National Renewal Fund (NRF) was planned with significant budgetary allocations to provide social protection for the poor and those adversely affected by the process of liberalisation.⁷⁵ However, for such a measure to be successful it requires a great build-

up in the required infrastructure. The present safety nets to address the transition of welfare state will not yield better results unless they are targeted through long-range policies. Even the micro managing of education through Sarva Shiksha Abhiyan, which is introduced in India as a safety net to address the education problem can never manage the educational needs of India.

The experiences of both India and Brazil bring to the fore that in spite of opting for liberalization they have been constrained to pursue policies centrally embodied within the conception of welfare. They also demonstrate that there is no easy replacement to the role of the state in this respect. While neo-liberals may valorize the market, market itself has little potentiality to respond to the myriad problems, that these societies face. At the same time, there is no alternative before societies today to return to a patriarchal model of the welfare state. Freedom understood in a comprehensive way which not merely provides a range of choices to people and enable them to equally and effectively participate in making decisions central to their lives seems to be a non-negotiable principle before large societies such as India and Brazil as it seems the case with other countries as well. Their policy pursuits in the context of liberalization however seem to be deeply caught in the mould of ad-hocism. Ad-hocism can be qualified through the logic of democracy. But such a democracy cannot be merely procedural one but substantial too.

7. ⁶⁵ See, Amartya Sen, 'Theory and Practice of Development', in Isher Judge Ahluwalia, and I.M.D. Little, eds., *India's economic Reforms and Development*, New Delhi: Oxford University Press, 1998, p.82.
8. ⁶⁶ Quoted from, Amartya Sen, *Interview to Frontline*, *op. cit.*
9. ⁶⁸ See, Sugata Bose and Ayesha Jalal, eds., *Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India*, New Delhi: Oxford University Press, 1997, p. 7.
10. ⁶⁹ *Ibid.*, p. 6

REFERENCES

1. Adema W (2001). *Net Social Expenditure (2nd edn). Labor Market and Social Policy Occasional Paper, No. 52, Paris, Organization for Economic Cooperation and Development.*
2. Allan J, Scruggs L (2004). *Political partisanship and welfare state reform in advanced industrial societies. American Journal of Political Science 48: 496–512.*
3. Allison P (2003). *Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application. Cary, NC, SAS Institute Inc.*
4. Atkinson A (2002). *Globalisation and the European welfare state at the opening and the closing of the twentieth century. In: Kierzkowski H, ed., Europe and Globalisation. New York, NY,*
5. *Princeton, NJ, Princeton University Press. Garrett G (1998). Global markets and national politics: Collision course or virtuous circle? International Organization 52: 787–824. Garrett G, Mitchell D (2001).*
6. *Globalisation, government spending and taxation in the OECD, European Journal of Political Research 39: 145–177.*
7. Genschel P (2004). *Globalisation and the welfare state: A retrospective. Journal of European Public Policy 11: 613–636.*
8. Glatzer H, Rueschemeyer D (eds.) (2005). *Globalisation and the Future of the Welfare State. Pittsburgh, PA, University of Pittsburgh Press.*
9. Guillen M (2001). *Is globalisation civilizing, destructive, or feeble? A critique of five key debates in the social science literature. Annual Review of Sociology 27: 235–260.*
10. Hacker J (2002). *The Divided Welfare State: The Battle over Public and Private Social Benefits in the United States. New York, NY, Cambridge University Press.*
11. Hardt M, Negri A (2001). *Empire. Cambridge, MA, Harvard University Press.*
12. Held D, McGrew A, Goldblatt D, Perraton J (1999). *Global Transformation. Palo Alto, CA, Stanford University Press.*
- Hicks A (1999).

The Impact of Modi-economics on common man: An Evaluation

Dr. Mohammad Taqui

Asst. Professor, dept of MBA, A.N. College Patna

Abstract: *This article attempts to examine the socio-economic policies of the BJP (Bhartiya Janata Party) government in India. More than two years have passed since BJP came to power in India under the leadership of Mr. Modi. I think it would be interesting to analyse its economic policies. The BJP is the political front of the RSS (Rastriya Sevak Sangh) and most of the BJP leaders including the Prime Minister Mr. Modi have been members of the RSS. Both organisations are fully committed to the ideology of Hindutva, which is deep rooted in hate against religious minorities, particularly Muslims and Christians. It is important to study India's development because of its huge population, market size and multi-religious, and diverse communities, which would have global impact.*

Key Words: *Demonetization, GST, GDP, Economic growth, FDI*

The dominant narrative in the media during the last two years has been that the economy has remained more or less the same as under the United Progressive Alliance (UPA) government. Some go so far as to state that the UPA delivered better outcomes than during the first two years of the present government. It is also asserted that the above 7% growth during 2014-15 and 2015-16 is the artefact of the new computation methodology of the Gross Domestic Product (GDP) and that it simply does not "feel" that the economy is growing at 7% plus rate. This narrative requires a critical examination. The Economy Today The economy today is far healthier than during the last year of UPA II. Inflation as measured by the Consumer Price Index (CPI) is down to 5% and that measured by the Wholesale Price Index (WPI) has just returned to the (barely) positive territory after declining for 17 consecutive months. The current account deficit is hovering between 1 to 2%. Foreign exchange reserves have climbed up to \$360 billion. While the global economy has gone into tailspin, growth rate in India has steadily risen from 6.9%

as per the new GDP series in 2013-14 to 7.2% in 2014-15 and 7.6% (Advance Estimate) in 2015-16. For the 4th quarter of 2015-16, the Advance Estimate of growth rate is 7.8%, a hair's breadth away from the magical 8% mark. Foreign investors, who were fleeing India during the last years of UPA II rule, causing the massive depreciation of the rupee noted above, have returned. Foreign direct investment (FDI) rose 24% in 2014-15 over that in 2013-14 and 40% during April-December 2015 over the corresponding period in 2014. If certain sectors of the economy continue to exhibit weakness, it is because, at inheritance, they were in crisis and sector-level adjustments take longer than macroeconomic variables. The latter point is amply illustrated by the experience following the Rao-Vajpayee reforms. The early reforms under the Rao government stabilized the exchange rate, inflation and current account within one to two years, even returning the economy to its original growth trajectory. But a sharp break in the growth rate came only in 2003-04, after the Vajpayee era reforms had been added to Rao era reforms. Indeed, a common refrain of many reform critics in the early 2000s was that they had led to little structural change in the economy or major shift in the growth rate. Therefore, full recovery of sectors such as steel, power generation, electricity distribution and construction, which suffered serious damage during UPA II rule, will take longer. This should not distract us from the fact that many sectors including auto, auto parts, two wheelers, engineering goods, infrastructure, software, civil aviation, and other services are experiencing healthy growth. Weak performance of certain sectors, which receives much greater play in the press than superior performance of many other sectors, is not the same as weak performance across the board or of the economy taken as a whole. Some critics question the revised methodology of GDP calculation arguing that 7% plus growth does not square with sluggish corporate profits and sales. But this is a phenomenon most intensely associated with sectors that had suffered the most under UPA II. It has also partially spread to other sectors due to declining prices as reflected in the decline in the Wholesale Price Index for 17 consecutive months and poor sales in the export markets. Sluggish profits and sales are entirely consistent with rising output in the face of declining prices. It needs to be underlined that the sales and profits crucially depend on nominal prices whereas the real GDP growth captures the change in output. Those questioning the revised methodology for the calculation of the GDP have failed to find any real fault with it. It is a matter of record that Chief Statistician T.C.A. Anant has satisfactorily answered all the questions raised on the revised methodology including those by the Reserve Bank of India. The government's accomplishments are, of course, varied and go far beyond GDP growth and macroeconomic stability, which I have highlighted above. In sectors in which the government plays an active and direct role, progress is loud and clear in the data. But even in the private economy, sectors that were not damaged under the previous government or have not been battered by the decline in the global prices have shown healthy growth.

Since BJP came to power in May 2014, its ministers and senior party leaders have been coming out in support of Hindu Rastra (Hindu nation). They have stepped up campaign to the protection of cows and against inter-marriage with Muslims. Since Modi became Prime Minister the religious minorities are feeling more insecure and vulnerable. Even government ministers and members of parliament have openly airing communal sentiments and hate speeches and inciting violence against minorities. The BJP leaders continue to spread false information about Muslims. They are also threatening to launch a ghar-wapsi (return home) programme, i.e. enforced conversion of religious minorities back to Hinduism. As London based magazine The Economist (2015:71) commented: "The BJP's election victory last year was attributed to its promise of competence and good governance. It persuaded enough voters that the Hindu-nationalist part of its agenda and the shadow over [...] past allegations of his [Modi's] complicity in anti-Muslim violence in the State of Gujarat in 2002 were marginal. Now many worry that Hindu nationalism is a pillar of Mr Modi's vision, after all".

It is important to analyse briefly the RSS because the organisation is too politically significant to be ignored and since its political wing has come to power i.e. the BJP attacks against Muslims have risen

sharply. Cultural issues such as cow slaughter and the building of a Ram temple at Ayodhya have been raised again by the RSS as a means of dividing communities and keeping Muslims in a state of constant fear and insecurity. The RSS/BJP also claims that mosques at Kashi (also known as Varanasi) and Mathura are disputed places of worship.

However, I will focus here on the economic policies of the Modi government in India. With the collapse of Soviet Union, the Indian ruling elites also looked for closer integration with the global capitalism. IMF loan was sought in 1991 and in return India was asked to make changes in economic policy and the economy was opened, imports were liberalised and taxes on capital were reduced. As a result, the GDP growth in 1991 to 2010 increased to 5% annually, which shows no significant increase over that of 1980s. More disturbing is that since 1997, the agriculture and manufacturing sector, which accounts for more than four-fifths of the India's workforce have only grown 2.3% and 4.5% respectively, compared to 11.5% increase in the financial services per year. Since early 1990s there was no expansion of area under irrigation. The government has slashed subsidies and extension services to rural sector have been weakened.

The government priority has changed from self-sufficiency in food production and consumption to production for export. The contribution of agriculture and allied sector to GDP has been steadily declining, which is around 14% in 2016 and the growth of the agriculture sector is lower than other sectors. Moreover, the policy of financial liberalisation means less institutional credits available to farmers and put them at the mercy of private money lenders. As a result, numbers of farmer suicides have risen dramatically in the recent years. Neoliberalism is perceived to follow specific economic policies that may not be in the interest of majority of the Indian people, but in the interest of finance capital.

In 2008 on the advent of global financial crisis, a number of measures including the provisions of loan on housing and consumer goods to boost middle class demand were adopted and it did help to restore growth temporarily. But it has its own limitations with risking credit bubbles and balance of payments difficulties given the high import content of the middle class consumption.

It seems that after the economic liberalisation the GDP growth is largely limited to service sector and it has been riding on credit bubble. The economic growth has not made the manufacturing or export sector robust. Unlike in other high growth economies such as China, where manufacturing sector witnessed dramatic change in terms of rise in employment, productivity and exports, while in India the manufacturing sector has not experienced any rapid transformation. Nor the economic liberalisation has delivered any benefit to those who steeped in poverty and deprivation.

I find that on the name of economic reforms Modi's government strategy seems to be to cut subsidies, increase regressive taxes, also increase capital expenditures and privatise public sector banks and state owned enterprises such as Indian Railways. To undertake capital expenditure projects like setting up smart cities will not be able to generate long term economic growth. All these measures would certainly accelerate the process of handing out the Indian economy over to the big corporations, who have financed and supported to bring him to power.

Modi has had mixed successes in delivering on his promises. Here's a breakdown of some of Modi's key policies and how he has performed.

1. DEMONETIZATION

India's economic growth has not recovered to the high levels that were witnessed in the first decade of the 2000s. One important reason for the slow recovery was to do with the Modi government's demonetization policy. On November 8 2016, the government withdrew all 500 and 1000 rupee notes from circulation, announcing the issuance of new 500 and 2,000 rupee banknotes in exchange for the now-defunct old ones.

The aim of demonetization was to deal a death blow to the black economy by reducing the perceived use of illicit cash to fund terrorism and illegal activities. Instead, the policy led to a contraction of the Indian economy, and economic growth slowed down to a four-year low in 2018. Further, by 2018, around 99% of the bank notes that were made invalid had been deposited with the banking system, suggesting that a large proportion of the 500 and 1000 rupee notes in circulation were not counterfeit notes or black money, as the government thought. Thus, demonetization led to a large economic loss without any clear benefits in terms of reducing the role of the black economy or corruption.

2. GOODS AND SERVICES TAX (GST)

The Modi government's second bold policy step was to launch the goods and services tax (GST) in July 2017. The aim of the GST policy was to create a common market in India, as opposed to the many different sales taxes that existed in different Indian states. The initial effect of the introduction of the GST was negative on the economy. This was especially the case for India's large informal sector – which employs the vast majority of people outside of agriculture. The initial implementation of the GST was not handled well – small businesses in particular were confused about onerous reporting requirements, which placed a large compliance burden on them. At the same time, the GST policy could be seen as one of the most important policy initiatives since the country's landmark 1991 economic reforms and as the one of the most significant constitutional innovation since 1950. While the initial effect of the GST policy on the Indian economy was a negative shock, the long-term impact is likely to be strongly positive.

3. DELIVERY OF PUBLIC GOODS

Modi delivered on a large number of important public goods schemes, which built on the initiatives of the previous government. For example, toilet coverage in rural India increased from 47 percent to of all households in 2015 to 74 percent in 2017, in large part due to the Modi government's sanitation programme. As part of the *Pradhan Mantri Awaz Yojana* initiative, the number of rural houses built increased threefold from 2014 to 2016. There was also a large push on rural electrification to ensure all villages had an electricity connection by 2018.

4. AGRICULTURE

Around 50-60% of India's population have some form of economic reliance on agriculture. This sector has experienced a prolonged period of decline in rural incomes since 2011, leading to what may have been termed an agrarian crisis. While the roots of this crisis are deep seated, it could also be attributed to the Modi government's reluctance to increase minimum support prices for staple crops such as rice, wheat and pulses – something he promised to do in his 2014 campaign. This would have prevented the return of food price inflation, which was a major source of discontent with the previous government.

5. JOBS

Perhaps the most disappointing feature of the Modi government has been its lack of success in creating jobs for the large proportion of India's labour force who are unskilled and poor. Unemployment rose to a 45-year high, according to a leaked report from India's National Sample Survey Organisation.

The Modi government's weak record in job creation was particularly surprising, given its original intention to rejuvenate the manufacturing sector as a source of job creation, with the much-heralded Make in India Programme. Here, as in the case of agriculture, the roots of India's manufacturing malaise run deep. They can be linked to India's inability to foster the kind of labour-intensive industrialization that has taken place in and other East Asian countries. The reasons for why this has been the case is

complex, and can be linked to the low levels of skills among India's workers, poor infrastructure and India's antiquated labour laws. But, for all its reformist credentials, the Modi government made little headway in providing the jobs that India's aspirational youth so desperately seek. This could prove crucial in the country's 2019 national elections.

In short, neoliberal policies to deliver economic growth have already been exhausted. Providing further dose by the current BJP government will hardly provide any new impetus. The process of uneven development and deepening socio-economic crisis has created conditions of backwardness and poverty, and the failure of the Congress government in the past to implement progressive reforms, which in turn had created an opportunity for right wing Hindu organizations to organize people on the basis of religion.

REFERENCE:

1. *Bharatiya Janata Party (BJP), Election Manifesto 2014*, p. 40; <<http://bjpelectionmanifesto.com/pdf/manifesto2014.pdf>>. Accessed on 21 May 2015.
2. *The Hindu*, 19 May 2015; <<http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/its-now-act-east-policy>>
3. *Economic Times*, 17 May 2015
4. *Ibid.*
6. *Emran, M. and J. Stiglitz (2005) "On Selective Tax Reform in Developing Countries" Journal of Public Economics*, 89, 599-623.
7. *Haile, D. Nigatu, D., Garshaw, K. and H. Demelash (2016): "Height for Age z score and cognitive function are associated with academic performance among school children aged 8-11 years old" Archives of Public Health*, vol. 74, no.17, DOI 10.1186/s13690-016-0129-9
8. *Jha, R. (2018a) Facets of India's Economy and Her Society, vol. 1: Recent Economic and Social History and Political Economy. London: Palgrave Macmillan.*
9. *Jha, R. (2018b) Facets of India's Economy and Her Society, vol.2: Current State and Future Prospects. London: Palgrave Macmillan*

Breaking the Barriers: Women on the Move in the Panchayats of Bihar

Deepak Kumar Tiwari, (UGC NET)

Research Scholar, Political Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

A critical overview of the existing literature (mostly empirical) on the working of the Panchayati Raj Institutions over the past one-decade, and the role played by women therein reveal two contrasting trends. One trend shows that women in the PRIs are mere proxies who act at the instance of their husbands or other male members of the family. In case of SC and ST women societal restrictions, due to the prevalence of the 'purity-pollution' concept, act as a further deterrence to political representation. However, the second trend indicates that these women are 'first generation learners' who have been gradually becoming more and more aware of their political rights and many have slowly started to make a difference in grassroots politics. In this context, reservation of seats for women is argued to be a "quantum leap in women's political power".¹ The present chapter thus undertakes a preliminary attempt at outlining the nature of these contradictory processes.

The measurement of women's participation in politics based on voting percentage is relatively easy. The challenge is to estimate the actual participation of women in the decision-making process. There have been evidence that due to reservation policy, certain women got elected into the PRIs set up, but they acted merely as the mouth-piece of their male family members. Number of obstacles may be identified that prevent women's numerical strength in the PRIs to lead to qualitative changes in their role as decision makers. The most crucial obstacle in the way of real political empowerment of women through Panchayati Raj occurs at the stage of the filing of the nomination for candidature itself. Most women file their candidature for elections to PRIs not out of their own will, but due to the pressure of husbands, sons or other male member of the family or the village or due to the pressure of some political party. This phenomenon is even more apparent in case of women belonging to SC or ST. In order to fulfill the reserved quota, the political workers have to deploy various strategies to convince the women and one of the most adopted strategies is to influence the women through the family members.

It is further argued that Panchayat elections have come to be dominated by the prevalence of corrupt practices. A study to assess the degree and nature of exclusion and inclusion within PRIs in Rajasthan and Madhya Pradesh reveals that offering bribes in the form of liquor or cash have become common practices in Panchayat elections.² This further becomes responsible for making the participation of women in the Panchayat process a mere tokenism since due to the constraints of village societal norms, indulgence in such practices fall strictly within the male domain.

Many elected women representatives at grassroots level in Bihar acknowledged that substantial sums were spent for their successful election. However, this bribing or lavishly spending money on the electorate is not defined as "corruption", neither in the eyes of the giver nor in those of the taker. Respondents openly referred to these practices and understand it as the way politics works. However, they do not appreciate that this practice actually leads to corrupt habits once the candidates successfully secured office, since at least the amount spent for elections has to be recovered. And this cannot happen through the nominal remuneration for PRI members alone. The sum spent (and normally more than that) is accumulated through corrupt practices like taking bribes for including somebody in a beneficiaries list or channelling money sanctioned for public works into one's own pocket. This practice is regarded as corruption and representatives try to defend themselves against such charges.

The reality at ground level indicates that while some female representatives might have been induced to corrupt practices by their husbands or male colleagues they neither appeared to be very embarrassed nor to resent the fact. Some women might indeed be not or less corrupt than some male colleagues. However, the same might hold for male representatives.³ It appears that corruption is basically institutionalised in the Panchayati Raj. Mostly officials and representatives work hand in hand-money sanctioned for specific purposes get diverted and everybody involved gets a certain share. One could actually speak of the "transparency of corruption" since many people are informed on who gets what share.

Women are so far the weakest segment in the PRI set-up and it does not seem reasonable to expect that they will be able to stem the tide against institutionalised corruption, even if they would wish to do so. However, it seems to be questionable to assume that women are morally superior to men. Women appeared to be less corrupt since they hardly had any opportunities in the past. However, once they get into important positions they might misuse their power in the same way as men. Indian politics has no dearth of high level female politicians without a cleaner record than their male counterparts. It is therefore obvious that one expected positive result of the women's quota is not materialising. Will this be used to argue against women's involvement in politics? It often appears that a quota for women can only be justified if one postulates that women will be the better politicians. Nonetheless, it should be sufficient to argue that women have the same right and in principle the same capability to be present in politics. That does not deny that women will introduce changes in the way politics is done. But such transformations are difficult to predict and the termination of corruption is unfortunately a rather unrealistic expectation.

Indeed, prevalent societal restrictions require that women do not venture into public spaces alone. The traditional patriarchal concept of women's real place being within the four walls of the house is strongly prevalent in rural India. Due to the traditional household role assigned to women, the dominant belief is that if women go out of the four walls of the house to participate in local politics then it would mean that the men would need to attend to the household work. There is, thus, an "unwillingness to alter the division of labour at home and apprehension that the entry of women into the public domain would mean passing on household chores to males". PRIs are mainly regarded as political entities that are associated with power; and power is traditionally a masculine concept, women are not associated with it. In most cases, the large scale presence of women in the hitherto male dominated local politics was viewed as a challenge to the authority of men. Men discourage strong women contenders in order to retain their hold over core public space.⁴

Due to the presence of strict social restrictions on the mobility of women, women who mix around openly with their male counterparts in political meetings are looked down upon as women of dubious character. Sometimes it also so happens that a number of villages come under one Gram Panchayat, in such cases representation and participation of women become difficult as women have much less mobility than men. Therefore, although women can freely attend meetings that are held inside the Panchayat office, the presence of women in Gram Sabha meetings is meager as such meetings are mostly held in open spaces and are mainly attended by males. It is also the case in many villages that the daughter-in-laws (bahu) of the house who generally belong to a different village are hardly allowed to have social intercourse with men of her husband's village.⁵

The issue of surrogated participation of women is one of those popular notions that just refuse to fade away. Yes, in some circumstances, where cultural and the social system is highly patriarchal, proxy participation continues. However, in circumstances where surrogate participation is seen the actual situation might be that the man might be playing a nurturing and consulting role, assisting the new women entrant into the Panchayats. Further, while surrogate participation might exit for the first elected term of the woman, quite often we come across situations where women have increasingly asserted themselves, once they have gained confidence-even winning the next election on their own worth, rather than as symbols of their male backers.

Moreover, dismantling the argument that claimed majority of the women representatives in the PRIs to be drawn from the rural elite (barring the seats that are reserved for SCs/STs), Pragya Rai in her study of Bihar brings out that since families belonging to the higher strata in the villages are not yet ready to introduce their women folk to the public space, it is women belonging to the lower castes or lower class who get entry to the PRIs.⁶

The fact of the matter is that in a country like India, where society is "highly gender-segregated", quotas for women have "an additional relevance".⁷ It is possible for womenfolk in a village to approach the female members of the PRIs with their grievances. Another "ameliorating effect" that women in the have on village governance, according to the Ministry of Panchayati Raj annual report (2012-2013), is the "preparation of gender sensitive budgets". It is further argued that women in PRIs are more likely than men to invest in services and facilities that are crucial for women in the village. A study conducted by Raghavendra Chattopadhyay and Esther Duflo revealed that the PRIs that were led by women were more proactive in providing public services, from building better roads to digging wells for convenient water supply.⁸

One of the very interesting aspects to note here is that owing to the schedule caste women's election to the PRIs and their becoming a part of village self-governance, there is a positive change that has come about in the image and status of SC women and the women feel that their respect in the eyes of their family and community has increased. Thus it is observed that participation in the affairs of the PRIs have made elected women representatives more visible.

What all this suggests is that the PRIs have now become the political training ground for women, allowing them to assume leadership roles and to break the shackles that hitherto confined them only to household responsibilities, thereby breaking the strict private/public divide existing in the society. This has also resulted in a change in the attitude of the women elected representatives of the PRIs regarding certain crucial issues that affect their lives or lives of the larger community. Women in the PRIs today display a tremendous increase in self-confidence, a change in their life-style, more awareness regarding critical issues such as education, marriage of children, dowry and others, and express an increased concern towards the overall development of the village.

However, it needs to be emphasized here that although changes are happening in terms of attitude and practices, they are occurring gradually. For actualizing real political participation of women, quotas cannot be disassociated from the larger structural elements of social relations. Nirmala Buch

documents eight causes that limit the participation of women in PRIs: a) criminalization of politics; b) lack of safety and security; c) lack of incentives; d) illiteracy, ignorance and lack of training; e) lack of awareness about powers and duties; f) lack of adequate leadership quality; g) lack of adequate powers to the Panchayati Raj Institutions; and h) Economic backwardness in rural areas.⁹ To accord qualitative political representation to women along with their quantitative presence in political decision making, these fundamental obstacles need to be dealt with.

While, however, mapping the contours of political participation of women in Panchayati Raj Institutions, it is crucial to acknowledge that although there is now a legitimization and recognition of women as a separate political category, the identity of women in a fractured democracy like India is not manifested as a homogenous category, and therefore, one needs to take into account the role played by caste, class, ethnicity, religion and such other cleavages while analyzing the phenomenon. Moreover, the elected women members continue to suffer under the "dichotomy" of their roles- their ostensible power in the panchayat and their relative powerlessness within the home. In addition, SC/ST women face structural inequalities that cannot be captured through conventional social scientific methods. Rather, explanations must also look at culture and the mechanisms of social stratification to account for outcomes.

At this juncture of analysis, we should not miss this fact that democratization occurs at many different levels, with substantial differences between each level. In other words, as a process, democratization at the federal level is different from the processes occurring at the level of the states and at the village level. Moreover, the policy of reservation was a "top down" effort at greater democratization and was not preceded by sufficient political debate. The result is that women in PRIs have a naive consciousness that leads them to internalize the values of men who are the dominant group in politics.

CONCLUSION

Thus, if we closely examine the question of 'top-down' institutional changes being a viable mechanism for mitigating structural inequities in the context of the realities women's political representation through affirmative action at the village self-governing level, it may be argued that top-down institutional changes can bear result only when they are being supported by socio-cultural support mechanisms. Reservation for women, in this context, however, acts as an "enabling condition" that facilitates the processes of bringing in real participation of women. It is to be recognized that in the presence of deep structural and institutional inequities that prevent the free and fair participation and representation of marginalized groups in political decision making, 'top-down' institutional measures for correcting these inequities may act as catalysts for facilitating the larger emancipation of disempowered groups.

REFERENCES

1. George Mathew, *Panchayati Raj : From legislation to Movement*, Concept Publishing, New Delhi, 2002, p. 6
2. *Ibid*, p. 177
3. M. Venkataramgaiah and M. Pattabhiram, *Local Government in India : Select Readings*, Allied Publishers, New Delhi, 1969, p.169
4. A.K. Majumdar and Bhanwar Singh, *Historical and Conceptual Development of Panchayati Raj*, Radha Publication, New Delhi, 1997, p. 119
5. Shusheela Kaushik, *Women and Panchayati Raj*, Har Anand Publication, New Delhi, 1993, pp. 21-23
6. *Ibid*, p. 178
7. *Ibid*, pp. 304-305
8. Sweta Mishra, *Democratic Decentralisation in India*, Mittal Publication, New Delhi, 1994, p. 7
9. R.P. Joshi, *Constitutionalisation of Panchayati Raj : A Reassessment*, Rowat Publication, Jaipur, 1988, pp. 77-86.

Characteristic and Distribution of Waste Land of West Champaran District

Dr. Ritam Priya

(Resource Scientist), Bihar Remote Sensing Application Centre
Email: ritampriya3@gmail.com

Abstract: Land is the basic and primary need of human. It is used for many purpose like to grow crops in agricultural field, establishment of industries, to make roadways and railways and also used for the human settlement. Any work cannot take place without land. These days population and human activities are continuously increasing but land is limited under this circumstance it is essential to develop waste land according to their characteristic and utility, so that, we could use and develop them to fulfill our purposes. Thus this topic is very foremost.

INTRODUCTION

Wasteland is such type of land which is not comes in human uses. Although like all types of land, waste land is also the part of land cover but it is not the part of Land use because it is not used by human being for any purpose. Land which is lying unproductive or which is not being utilized to its potential in other words land which is incapable of producing material or services of value are called waste land.

STUDY AREA

West Champaran is the very important district of Bihar. This district is very asymmetrical in shape. In the north-west fringe of the West Champaran district, lies Shiwalik Himalayas that run from west to east forming foothills of Himalayas called Someshwar range and the great Gandak in the extreme west. The West Champaran district shares the international boundary of Nepal in north and U.P touches its north-west boundary. East Champaran and Gopalganj district lies in east and south side. It is extended between 26° 35' 5" N – 27° 31' 1" N and 83° 49' 57" E – 84° 46' 4" E.

The Someshwar range of West Champaran has length of 6 kilometers from east to west and the width is 8-10 kilometers. Except the N. W. part of this district, rest area is plain and made by alluvial soil also dense river network is found in this area.


METHODOLOGY

The author has adopted the modern methodology. Remote sensing and GIS methods are applied to acquire the area of different types of waste land and their percentage in particular district. In this study qualitative and quantitative both the methods are used. Liss III satellite image is used for the study. EARDAS IMAGING and Arc GIS software is also used in this study. Pre and post field study is also included.


WASTELAND

Wasteland can be categorized in many classes according to their characteristic like – open scrub, dense scrub, forest scrub, barren rocky, gullied, waterlogged, sandy area and grassland etc. but all types of waste land is not find everywhere, according to physiographic and structure some specific waste land is found in particular area. For example barren rocky and gullied are find in plateau and hilly region. Generally these are found in south Bihar. Open scrub, dense scrub and sandy areas are mostly found along the extensive river. Generally waterlogged area is found in northern Bihar where ever flowing rivers are found and permanent waterlogged areas are present there.

These waste land categories are found in West Champaran distrist as forest scrub, dense scrub, open scrub, waterlogged, sand and grassland. The area of west Champaran district is 522080.4 Hectare and the total area of waste land is 31245.2 which is 5.98% of the total area of the district.




Waste Land Statistics			
District Name- West Champaran			
Sr. No.	Waste Land Classes	Area in hectare	Percent of area
1	Forest Scrub	19164.63	61.33
2	Grass Land	303.93	0.97
3	Dense Scrub	5178.95	16.57
4	Open Scrub	1684.49	5.39
5	Sand	1272.53	4.07
6	Water Logged	3640.67	11.67
	Total	31245.2	100



FOREST SCRUB

As we know the northern part of West Champaran district is hilly region. It is the part of Siwalik ranges. In the most northern part Someshwar hill is located its highest top is 880m. This area is covered by dense forest which is extended in 786 sq kilometers. On the outer area of forest very extensive area is covered by forest scrub. The area of forest scrub is far more than other categories of waste land in West Champaran district. The total area of forest scrub is 19164.63 Hectare which is 61.33% of total waste land. This waste land is distributed in Sidhaw, Ramnagar and Gaunaha block.



DENSE SCRUB (WLS D)

The area of dense scrub is more than open scrub. This waste land covers second highest area in this district. Scrubland or bush is a plant community characterized by vegetation dominated by shrubs, often also including grasses, herbs and geophytes. Scrubland may be unsuitable for human habitation because of the denser of fire. Well drained sandy soil area is perfect for the dense scrub. It is the reason that mostly dense scrub are found along the river and the small part of land which is surrounded by river and its stream because water availability and sandy soil both factors are available there. In West Champaran district mostly dense scrub are concentrated along the Gandak River which is located in west side in this district. The total area of dense scrub is 5178.95 Hectare which is 16.57% of the total area of waste land of this district. Dense scrub is concentrated in Piprasi, Madhubani, Bhitaha and Thakrahan block which is located in west side of this district.

OPEN SCRUB (WLSP)

The area of open scrub is limited than the dense scrub. It is about four times less than the dense scrub. The total area of open scrub is 1684.49 Hectare which is 5.39% of the waste land. In open scrub land the density of scrub, herbs, bushes and grass is less than the dense scrub due to the less water availabilities. Open scrub is also found near the river but this is not concentrated in particular area like dense scrub. It is distributed in these blocks- Ramnagar, Paprasi, Thakrahan, Bairia, Bettiah, Majhauria, Narkatiaganj.

SAND (WLSA)

The area of sand is found along the river in west Champaran district. Especially it is concentrated along the Gandak River. It is the most extensive river of this district. The sand that flow in a river is formed through the action of weathering and erosion. Generally a river rise in a hilly/ mountain/ highland region of its upper course. A river flows very fast because of sloping terrain. Fast moving water erodes the river course thereby creating sediments. Water provides movement of sediments from the beginning of streams and inland areas down through the land while heavier sediments settle along river bank. Its maximum areas are found in Madhubani and Bhitaha block. The total area of sand is 1272.53 which is 4.07 % of waste land. Dry sand is not capable to grow any type of scrub, herbs, bushes and grass due to the scarcity of water.

WATERLOGGED

Waterlogged area is very common type of waste land which is found about everywhere in this district but almost it is found near the river where low land is situated. This area is not capable to grow any type of crops. In waterlogged lands the water table rises to an extent that the soil pores in the crops root zone are saturated resulting in restriction of the normal circulation of air. This causes a decline in the level of oxygen and increase in the level of carbon dioxide. The area acquired by waterlogged is 3640.67 hectare. The area covered by waterlogged is the third highest which 11.67 % of total waste land is. Waterlogged area is distributed in all part of district but its maximum part is comes under these blocks- Gaunaha, Sikta, Chanpatia, Bairia, Nautan, Majhauria and Bagaha.

GRASSLAND

Grassland is characterized as land dominated by grasses rather than large shrubs or trees. The water availability and soil insufficient to support significant tree growth. The area of grassland is very less than the other type of waste land. The total area of grassland is 303.93 hectare which is 0.97 % of the total area of waste land of this district. Its maximum area is found in Majhauria and Sikta block.

CONCLUSION

Wasteland include degraded forest over grazed pastures, eroded valleys, hilly slopes, waterlogged marshy land, barren land etc. But today, the wasteland is converted into the useful land in different ways. This wasteland can be used according to their site, situation and characteristics. We cannot use this land against their nature. For example, we cannot grow crops and vegetation on barren rocky land; we cannot establish heavy industries in marshy land. We should use these lands according to their nature like barren rocky area is better for the establishment of heavy industries; fishing can be developed in waterlogged area. We should develop such type of crop and vegetation which is adaptable to grow in abundance or scarcity of water. There are two ways to use any resource or land, either we develop them according to our requirement or whatever they provide can be used as resource like Sand is used for construction. All types of sand is used according to their characteristics, the grasses of grassland is used in paper industries. It depends upon human how they use it.

In this paper location, distribution, characteristics and the area of wasteland is being described for the better planning and decision making.

REFERENCES:

1. *Degraded and Wastelands of India: Status and Spatial Distribution* by A.K. Maji, G.P.Obi, Dipak Sarkar; published by ICAR.
2. *A Systematic Geography of Bihar* by Prof. L.N. Ram, Patna University, Dept. of Geopgraphy, Published by Geographical society, Dept. of Geography, Patna University 1991.
3. *Bihar: A Physical Economical and Regional Geography* by Enayat Ahmad, Published by Ranchi University.
4. *Historical Geography and Topography of Bihar: M.S. Pandey*, Published by Motilal Banarasidass Publisher pvt Ltd., 2001.
5. *Soils of Bihar for Optimizing Land Use(1996)*, by A.Kss Shrivastav, R.Thampi, D.S. Sehgal

Congress and Labour 1918-20: An Overview

Manish Kumar, (UGC, NET)

Research Scholar, History, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

Abstract: *Right from the beginning of the labour movement in India, the Congress sought to check its growth on independent lines, betraying greater keenness than did the imperialist government to keep the labour under strict legislative control. What manifested in the post-independence days was a logical and a harsher confirmation of the policies pursued by the Congress during the pre-independence period.*

Keyword: *Peasant movement Non-cooperation movement.*

Working Class Movement, Peasant Organization, Peasant Militancy, Provincial Congress GoveThe broad spectrum of the Congress policy towards the labour movement comprised three strands of thought. Sharing the same ideological orientation, these strands differed from one another in terms of tactics for handling the labour. They believed in restraining the workers' movement from growing militant and to keep it under the Congress control.¹

The first of these strands was represented by Gandhi who, with his faith in class harmony, did not support any type of coercion either by the millowners or by the workers. Another set of leaders—those who formed the All India Trade Union Congress (AITUC)—believed in class harmony. But they did not agree with Gandhi's methods. Mostly reformists, like N.M. Joshi, V.V. Giri, and Diwan Chamanlal, these leaders did not eschew cooperation with the British government as is clear from their association with various conferences and commissions. Supporting forcible and repressive methods of control over the

working class activity, the second strand was represented by leaders like Sardar Patel, Rajendra Prasad, and C. Rajagopalachari. Capitalists like Birla and Tata, naturally, had great faith in them and strengthened their hands to safeguard vested interests.² A section of Congressmen was affected by socialist ideas. They were mainly led by Jawaharlal Nehru and Subhash Bose. In spite of their 'socialist' sympathies, they never deviated from the Congress policies vis-a-vis the working class. Later on some radicals inside the Congress, who realized how antagonistic the party was towards the working class, broke off and joined the Communist Party of India.

After the First World War prices had gone up and the workers were getting restive all over the country. But this period was dominated by Gandhian ideology. An isolated incident like the formation of the Madras Labour Union, under B.P. Wadia in 1918, was away from the mainstream, though this was the first effort to formally organize the workers under a modern trade union. However, being a liberal constitutionalist who sincerely believed in the British sense of 'justice' Wadia could not lead the workers on an independent path of struggle. The same year the workers of Ahmedabad Textile Mills went on strike. The reason of the strike was that the 'plague bonus' was being withdrawn by the millowners after the end of the war and the epidemic. The latter were offering a 20 per cent wage increase, whereas the workers wanted the increase to be 50 per cent to neutralize the hardship of price rise. When the situation was about to get out of control, Gandhi intervened. With his new ideology and calculations, he advised the workers to demand 35 per cent increase and stick to that. At the same time he told the workers' not to indulge in mischief, quarrelling, robbing...but behave peacefully.³ Gandhi felt obliged to resort to his method of 'fasting' in order to bring moral pressure on the millowners. He was ultimately 'successful' and an agreement was reached. The provisions of the agreement will explain the extent of Gandhi's 'success'. According to the agreement on the first day of the settlement the workers would be given 35 per cent increase (to keep the prestige of Gandhi), on the second day they would get 20 per cent as was earlier offered by the millowners so that the millowners should not feel that they had lost their prestige. There after the half of the remaining 15 per cent would be given to the workers until the decision of the arbitrators. If the decision was 35 per cent, the millowners would pay the balance; if the decision was 20 per cent, the worker would refund the balance.

Gandhi, it is clear from the agreement, had checked the growth of a militant workers' movement and put it on the path of arbitration. This, as we shall notice in the subsequent discussion, became the main goal of the Congress. The Ahmedabad Textile Union, formed under Gandhi's guardianship, remained loyal to him and his ideology; except in 1934 when even these workers could not remain passive under the mass wage cut and retrenchment policy of the millowners. Gandhi again used the threat to 'fast' and persuaded the workers to accept the wage cut cheerfully.⁴

After the end of the First World War the decline in real wages led to mass unrest among the working class in 1920. This coincided with the Non-Cooperation Movement and the formation of the All India Trade Union Congress. There was no link between these two movements. The workers were not yet penetrated by the Congress party. Going by their own experience of capital, they had learnt to oppose it, in this period, by going on spontaneous strikes. But soon under Congress leadership this independent expression of labour unrest came to be controlled by the bourgeoisie. For several years the potential militancy of labour remained dormant.

Various case studies show that the Congress did not organize any strike in this period. Indeed, whenever one occurred, it tried to take charge of it, lest it should turn into an independent movement. The Ahmedabad Textile Union provides the only instance of consistent labour participation in the nationalist movement. This was due to the Union's loyalty to Gandhi. The other possible example is that of Railway workers whose support of the Non-Cooperation Movement may be attributed to 'the racial division in the work force'. But their support to the Congress-led nationalist movement began to wane after 1930.⁵

In the Kharagpur Bengal Nagpur Railways strike of 1927, which was brutally repressed by the British-owned Company, the Tatas helped the Railway authorities. The Tatas, it may be noted, were supported by the nationalist leadership when the TISCO workers went on strike during the period under study. On the other hand, when in 1920 the workers of A.B. Railways at Chandpur went on strike in sympathy with the tea plantation labourers of Assam who were fighting against the oppression of the British-owned planters, reformist leaders like C.R. Das rushed to take charge of this strike to prevent it developing into a more class conscious militant struggle. Gandhi, Andrews, and Hardayal simply condemned the strike in the name of public inconveniences 'n' although the public of Bengal was fully supporting the strike. Naturally the strike collapsed for want of financial and other help. Support to this strike could have advanced the cause of the working class and sharpened their class consciousness. It could also have enlisted labour to the nationalist movement. But the Congress found such support inconsonant with its own class interests.

In Kanpur and Jamshedpur the Congress leadership were busy trying to implement Gandhi's ideology of 'class harmony'. Interestingly there is a striking similarity in these two places regarding the approach of the Congress. In Kanpur workers started their strike in 1919. Soon certain Congressmen got associated with the Union called Mazdoor Sabha and expressed their concern for the working class. Initially they played the role of mediators to help settle the strike. But soon after they tried to restructure the Mazdoor Sabha. Some of them like G.S. Vidyarthi, Murari Lal, and N.P. Nigam became important office bearers of the Sabha. All these leaders were closely associated with the Home Rule League, Khilafat, and Non-Cooperation Movement. They emphasized the principle of maintaining goodwill and harmony between the workers and employers and showed a Gandhian faith in the benevolence of the millowner. A belief in an abstract and undefined principle of 'justice' and 'reciprocity' seems to have prevailed in their ideas just as it did in Gandhi's conception of working class struggle.⁶ Leaders like G.S. Vidyarthi felt that the employers could be made aware of their duties toward the workers and with the methods of persuasion the hearts of the millowners could be changed. They went to the extent of calling the recurrent strike after the 1919 settlement as 'unjustified' because according to them the millowners were generally 'fair' in their dealings with the labour. This opinion of the local Congress leadership in Kanpur was formed at a time when the strikes were mostly in protest against the non-fulfilment of the settlement and promises made earlier. Without bothering about the workers, problems these leaders went on emphasizing the principle of arbitration and conciliation and also got them incorporated in the Mazdoor Sabha constitution so that they could prevent 'violent' strikes and 'destructive tendencies' among the workers.

Almost the same type of behaviour is noticed when Congressmen from Calcutta went to Jamshedpur in 1920 to take charge and guide the workers' strike at TISCO. We may say that the Congress attitude in the case of TISCO was more cautious because it was considered a 'national industry' which had the largest number of workers under one roof. Though Tata claims to be the most 'benevolent capitalist' in India, there was no system of increment in wages in TISCO. Jamshedpur, where TISCO was located, suffered the highest price hike after the War. The workers of TISCO were not organized under any union till 1920. But their unbearable situation made them go on strike on their own. Later they sent two of their educated workers to Calcutta to find a leader to guide their strike. These workers contacted Byomkesh Chakravorty and S.N. Haldar, two advocates who were also members of the Congress. Interestingly one millowner, Mr Jain, who was a member of the Congress also joined the other leaders in their visit to Jamshedpur.⁷

These leaders immediately formed a union of the workers and started negotiating with the management. These leaders undermined the seriousness of the situation and on their own tried to compromise for lesser percentage of wage increase. In spite of being inexperienced, the workers were very clear about their needs. They would not allow the leaders to compromise. Mr Jain found the workers so adamant that he told the Superintendent of Police that 'if the men now decline to behave let them go to hell'. He

soon left Jamshedpur. The other two leaders also were not very successful in persuading the workers to agree to their compromise. They tried to weaken the struggle by demanding a settlement for those who wished to go to their villages. The tactics of the Congress leaders did not bring anything to the workers of TISCO, and in the end they had to join back the works. In the course of the struggle they lost five of their comrades in a shooting spree by the Company's honorary magistrate and twenty of them were injured. Soon after, Teja Singh, a local leader of the workers who claimed to be in touch with Gandhi, informed them that Gandhi had sent a message asking the workers to 'suffer in silence for the national industry'.

Subsequent to this strike the local Congress leadership publicly eulogized the General Manager of the Company and said that he had been misled by the advice of wrong people and so workers should forget and forgive these actions. This appears to have been a calculated move, because the Congress led JLA was more interested in getting recognition from the TISCO management in order to control the workers through their union. They knew that to get recognition they must cooperate with the management which was under the control of an Indian capitalist—a person who was in the good books of nationalist leaders like Gandhi and Motilal Nehru. These calculations were made clear when the workers were told that the Calcutta leaders were busy revising the rules of JLA, and the main principles would be: (1) to cooperate with the Company, increase its output and promote its interests; and (2) to safeguard the interests of the employees.⁸

Incidentally after the tragic end of the 1920 strike Tata management passed a resolution thanking the government authorities for helping in the termination of the strike. These new developments were well analysed by the Deputy Commissioner of Jamshedpur. He wrote that the first principle with the Congress was that since the Company was Indian and financed by Indian capital it was incumbent on the workers, as Indians, to look after the interest of the Company. The second principle seems to have been that since a hungry man could not do a full day's work, the Association should see that he was well fed and so should assist the Company in turning out more work.

CONCLUSION

Different ideological trends may have emerged within the Congress. But so far as the workers' struggle was concerned in effect and in practice the party seems to have shown astonishing consistency in following the path of so-called 'class harmony' and in curbing the growth of an independent and militant working class movement. The Bengal Jute strike of 1937 was an exception. But the exception became possible because of political and ideological considerations in that support to this strike which offered a chance to discredit the Haq ministry and weaken the Communists. In fact, what the Congress did in the name of class harmony was to further strengthen the position of the capitalists by subordinating the struggle of the working class to the logic of a nationalism that was little more than the rationalization of dominant vested interests.

REFERENCES

1. V.B. Karnik, *Indian Trade Unions : A Survey, New Delhi, 1977, p. 13.*
2. *Ibid, p. 16.*
3. J. Mathur, *Indian Working Class Movement, Lucknow, 1964, p. 39.*
4. *Ibid, p. 42.*
5. *Ibid, p. 43.*
6. C. Meyers, *Industrial Labour in India, Bombay, 1958, pp. 58-61.*
7. *Ibid.*
8. *Ibid.*

Role of Gramin Bank in Agricultural Credit: An Overview

Dr. Santosh Kumar

*Assistant Professor, Department of Economics, Pt. Yamuna Karjee Jayanti College,
Bagahi, Kharauna(Dholi), Muzaffarpur*

Abstract: *The importance of the rural banking in the economic development of a country cannot be overlooked. Without the upliftment of the rural economy as well as the rural people of our country, the objectives of economic planning cannot be achieved. In fact, the real growth of Indian economy lied in the emancipation of rural masses from acute poverty, unemployment, and socio-economic backwardness. Hence, bank and other financial institutions are of vital importance for development of rural economy of a country.*

Regional Rural Banks have been in existence for around three decades in the Indian financial scene. Inception of regional rural banks can be seen as a unique experiment as well as experience in improving the efficacy of rural credit delivery mechanism in India. With joint share holding by Central Government, the concerned State Government and the sponsoring bank, an effort was made to integrate commercial banking within the broad policy thrust towards social banking keeping in view the local peculiarities. The genesis of the RRBs can be traced to the need for a stronger institutional arrangement for providing rural credit. The *Narsimham* committee conceptualized the creation of RRBs in 1975 as a new set of regionally oriented rural banks, which would combine the local feel and familiarity of rural problems characteristic of cooperatives with the professionalism and large resource base of commercial banks. Subsequently, the RRBs were set up through the promulgation of RRB Act 1 of 1976. Their equity is held by the Central Government, concerned State Government and the Sponsor Bank in the proportion of 50:15:35.¹

RRBs were supposed to evolve as specialized rural financial institutions for developing the rural economy by providing credit to small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small

entrepreneurs. Over the years, the RRBs, which are often viewed as the small man's bank, have taken deep roots and have become a sort of inseparable part of the rural credit structure. They have played key role in rural institutional financing in terms of geographical coverage, clientele outreach and business volume as also contribution to development of the rural economy. A remarkable feature of their performance over the past three decades has been the massive expansion of their retail network in rural areas. From a modest beginning of 6 RRBs with 17 branches covering 12 districts in December 1975, the numbers have grown into 196 RRBs with 14,446 branches working in 518 districts across the country in March 2004 and thereafter in 2009-10 the total banks were 82 with 15,475 branches in 518 districts.² RRBs have a large branch network in the rural area forming around 43 per cent of the total rural branches of commercial banks.

The rural orientation of RRBs is formidable with rural and semi-urban branches constituting over 97 per cent of their branch network.³ The growth in the branch network has enabled the RRBs to expand banking activities in the unbanked areas and mobilize rural savings. Regional Rural Banks in India are an integral part of the rural credit structure of the country. These banks played a pivotal role in the economic development of the rural India. The main goal of establishing regional rural banks in India was to provide credit to the rural people who are not economically strong enough, especially the small and marginal farmers, artisans, agricultural labors, and even small entrepreneurs.

The rural population in India suffers from a great deal of indebtedness and is subject to exploitation in the credit market due to high interest rates and the lack of convenient access to credit. Rural households need credit for investing in agriculture and smoothening out seasonal fluctuations in earnings. Since cash flows and savings in rural areas for the majority of households are small, rural households typically tend to rely on credit for other consumption needs like education, food, housing, household functions, etc. Rural households need access to financial institutions that can provide them with credit at lower rates and at reasonable terms than the traditional money-lender and thereby help them avoid debt-traps that are common in rural India.

Banks play an important role in mobilization and allocation of resources in any country. Rural people in India are facing problems in the inadequate supply of credit. The major source of credit to rural households, particularly low income working households, has been the informal sector. Informal sector advances loans at very high rates of interest; the terms and conditions attached to such loans have given rise to an elaborate structure of intimidation of both economic and non-economic conditions in rural population in India. RRBs were established in India for the purpose of taking banking service to the doorsteps of rural people, particularly in places without banking facilities.⁴

AGRICULTURAL CREDIT

The progress of agricultural credit in India has depended crucially on government intervention over the years i.e. package of incentives and policy measures, which the RBI and the Centre formulate and implement. The growth of commercial banks' lending to agriculture and allied activities witnessed a substantial decline in the 1990s as compared to the 1980s. Credit flow to the agriculture sector from all formal sources amounted to Rs. 70,810 crore in 2002-03 and Rs. 86,981 crore in 2003-04, much below the levels envisaged in the Tenth Plan. Agriculture's share in scheduled commercial banks' total outstanding credit as on 31st March 2005 was only Rs. 1,12,475 crore. The total agricultural lending by commercial banks is lower than credit in personal loans which stood at Rs. 2,66,988 crore, comprising advances for housing and consumer durables. In recent years, retail advances have increased by 41.2 per cent in 2004-05 as compared to the growth of 27.9 per cent in the overall loans and advances of Scheduled Commercial Banks. As a result, their share in total loans and advances increased significantly during the year ended March 2005.⁵

However, according to the study only 15 out of 85 banks registered an increase in return on assets as at the end of 2004-05 over 2003-04. Hence, the argument that rural credit drives down the banks profits and increases NPA is not justified. NPA in rural credit are far less and the rate of retrieval of rural credit NPAs is faster than other advances. The annual growth rate of farm credit is around 15% and this growth in rural advances essentially comes from advances like gold loans for agriculture and Kisan Cards. About 70% of the present rural credit stock of over Rs. 115243 crore is Kisan Credit Cards spread over 4.8 crore of such card holders. This shows the narrow focus of the banks towards short-term production loans rather than for term loans.⁶

The RRBs were established with a view to developing the rural economy by providing, for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas, credit and other facilities, particularly to small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs, and for matters connected therewith and incidental thereto. RRBs established with the explicit objective of Bridging the credit gap in rural areas, Check the outflow of rural deposits to urban areas & Reduce regional imbalances and increase rural employment generation. The main objectives of setting up the RRB are to provide credit and other facilities, especially to the small and marginal farmers, agricultural labourer's artisans and small entrepreneurs in rural areas. Each RRB will operate within the local limits specified by notification. If necessary, a RRB will also establish branches or agencies at places notified by the Government. Each RRB is sponsored by a public sector bank, which provides assistance in several ways, viz., subscription to its share capital, provision of such managerial and financial assistance as may be mutually agreed upon and helps the recruitment and training of personnel during the initial period of its functioning.⁷

Every RRB is authorized to carry on transacting the business of banking as defined in the Banking Regulation Act and may also en-gage in other business specified in Section 6 (1) of the said Act. In particular, a RRB is required to undertake the business of:-

(a) granting loans and advances to small and marginal farmers and agricultural laborers, whether individually or in groups, and to cooperative societies, including agricultural marketing societies, agricultural processing societies, cooperative farming societies, primary agricultural credit societies or farmers' service societies, primary agricultural purposes or agricultural operations or other related purposes, and

(b) Granting loans and advances to artisans, small entrepreneurs and persons of small means engaged in trade, commerce, industry or other productive activities, within its area of operation.

The Reserve Bank of India has brought RRB's under the am-bit of priority sector lending on par with the commercial banks. They have to ensure that forty percent of their advances are accounted for the priority sector. Within the 40 per cent priority target, 25 per cent should go to weaker section or 10 per cent of their total advances to go to weaker section.

CONCLUSION

RRBs were set up with the intention of taking banking services to the villages to cover such categories of rural masses, which hitherto were considered un-bankable by other institutions specially the commercial banks. It may be seen that although there has been substantial growth in lending of RRBs, their share is not commensurate with their vast network and manpower. With the existing network, RRBs have the potential to achieve a 25 percent share of the ground level credit to agriculture as against less than 10 percent as on 31 March 2009. In agricultural credit, the share of RRBs stand at 10 percent under crop loans while under medium/long term loans, the same is just 5 percent. However, there is a silver lining that the growth in lending in agriculture under the programme of doubling of credit, the average growth rate which was just 8 percent in 2000-01 increased substantially to 63.6 percent in 2004-05. The performance of

RRBs has been highly satisfactory in so far as taking the banking services to the rural poor is concerned. RRBs have 121 lakh loan accounts out of about 1300 lakh rural households. The per account loan, as on 31 March 2005 was Rs. 21469 as against Rs. 97207 of the PSBs as on that date. This confirms that the RRBs, as mandated, have mostly covered the people of small means belonging to the target groups.

Thus RRBs have to take on an expanded role. In the next three years their branch presence needs to be doubled to nearly 30,000. This requires a vast increase in their staff strength. With the older staff superannuating in the next three years, there would be an accretion of younger and modern skilled human resources to these banks who can be molded to deal with the changing needs of agricultural credit. Along with this a scheme of commercial banks voluntarily relinquishing their branches to RRBs may be introduced. With this programme we may expect the addition of another 8-10,000 branches to RRB system. With these additions we would be poised for a situation in which RRBs take a major stake in agricultural credit-a role in tune with their original mandate.

REFERENCES

1. Himanshu Shekhar (1997) - *Regional Rural Bank In India* – Radha Publishers, Delhi.
2. *Banking Statistics quarterly (2011)* -Financial Express.
3. Deogirikar A.B. (1997) -*Financial Sector Reforms and RRBs, Impact of Financial Liberalization Policy in India*, edited by Dr. B.M. Jani, Himalayan Publishing House: New Delhi, pp.60-64.
4. M. Syed Ibrahim (2010) - *Performance Evaluation of Regional Rural Banks in India* - *International Business Re-search* Vol. 3, No. 4.
5. Gupta and Sodhi (2005) - *Economic Liberalization and Rural Credit* - *Kurukshetra*, (XLIII):10, pp. 27-30.
6. *Role of Banks In Agriculture & Rural Development (2006)* - *The Chartered Accountant* February, p.1130.
7. Biswa Swarup Misra (2010) - *Regional Rural Banks in India* - VDM Verlag, Delhi
8. Agarwal R. K. (2012) - *Evaluation of Working of Regional Rural Banks* - Mittal Publications, New Delhi.

Study on Investigation of Manpower Planning, Recruitment Selection Strategies in Indian Public Sector Undertaking Companies

Dr. Anu Kumari

*Former Research Scholar, Department of Economics, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur.
Email: anuyadv32@gmail.com*

INTRODUCTION

Based on the requirement of the additional manpower of the individual department, the detailed manpower planning is made by the Human Resource Department, giving specific details of each new post other than the casual posts with justification thereof and its manpower plan will form a part of the overall Human Resource Budget of the Company. While drawing up the Human Resource Budget, each department will indicate the cost of additional manpower required recruitment selection. The recruitment and selection is the major function of the human resource department and recruitment process is the first step towards creating the competitive strength and the strategic advantage for the organizations. Requirements are normally made through employment exchange, advertisements in news papers. Due reservation concessions as per statute are provided to candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically challenged/ex-service men/Sports persons/Compassionate ground etc.

Recruitment process involves a systematic procedure from sourcing the candidates to arranging and conducting the interviews and requires many resources and time. Probation after selection is followed in all PSUs in general and in some cases probation period gets extended when the candidate does not meet the required level of understanding the operations of the organization.

Manpower planning is advantageous to firm in following manner:

1. Shortages and surpluses can be identified so that quick action can be taken wherever required.
2. All the recruitment and selection programmes are based on manpower planning.
3. It also helps to reduce the labor cost as excess staff can be identified and thereby overstaffing can be avoided.
4. It also helps to identify the available talents in a concern and accordingly training programmes can be chalked out to develop those talents.
5. It helps in growth and diversification of business. Through manpower planning, human resources can be readily available and they can be utilized in best manner.

Objectives of Human Resource Planning:

1. To recruit and retain the human resource of required quality and quantity
2. To foresee the employee turnover and make the arrangements for minimizing turnover and filling up of consequent vacancies.
3. To meet the needs of the programmes of expansion, diversification.
4. To foresee the impact of technology on work, existing employees and future human resource requirements.
5. To improve the standards, skills, knowledge, ability, discipline etc.,
6. To minimize imbalances caused due to non-availability of human resources of the right kind, right number in right time and right place,
7. To make best use of its human resources and
8. To estimate the cost of human resources

Activities involved in Manpower Planning:

1. Identifying and designing current and planned organization structure of the organization.
2. Estimating current and future workload for different functions and organizational units in the organization and based on that, estimating the current and future total requirement of people to fill the various positions of different types and at different levels.
3. Developing profile or specifications for people to fill the various positions identified.
4. Taking an inventory of existing employees in the company, and their capabilities.
5. Comparing the manpower requirements and availability to determine the additional people required in the organization at different times. While working out this requirement, suitable provision is made for likely attribution of some of the existing employees. Similarly while examining capability requirements of employees consideration is given to on the development of skill and capability of people with work experience. This activity results in identification of the total additional manpower requirements to be fulfilled by various means.
6. Determining, the means of acquiring the additional required manpower through various means such as external recruitment, internal transfers and promotions, and training.
7. Preparing recruitment plan.
8. Preparing training plan.

For this the following things have to be noted:-

1. Type of organization
2. Number of departments
3. Number and quantity of such departments
4. Employees in these work units

Once these factors are registered by a manager, he goes for the future forecasting.

IDENTIFYING VACANCIES

Screening of vacancies in an organization is the primary requirement to understand the needs based on the business requirements. Identifying a company is known by the people it employs. In order to attract people with talents, skills and experience a company has to create a favorable impression on the applicants" right from the stage of reception. Whoever meets the applicant initially should be tactful and able to extend help in a friendly and courteous way. Employment possibilities must be presented honestly and clearly. If no jobs are available at that point of time, the applicant may be asked to call back the personnel department after some time.

DATA COLLECTION

Primary Data: Primary data was collected through survey method by Discussion / Interview with the employees of PSUs. The questions were carefully designed by taking into account the parameters of my study.

Secondary Data: Data was collected from HR manuals of Public Sector Undertaking Companies, journals, and web sites of the PSUs. It is the data collected for this particular research study. The analysis is done based on the data collected to know the current common and different HR practices of Indian PSUs. The analysis required comprehensive research about the policies and procedures prevalent in the companies. Completely based on the secondary data collected from their HR Manuals and Service Rules Manual and the interview conducted with the employees of various PSU organizations.

The analysis is done of the data collected to know the current common and different HR practices of Indian PSUs. The analysis required comprehensive research about the policies and procedures prevalent in the companies.

Firstly, the data of about different HR policies and practices for Manpower Planning, Recruitment & Selection collected from the findings of the Questionnaires and research papers, then the innovative HR practices were sorted out.

Secondly, HR practices of different PSUs were compared and then similar and different practices were extracted out(Analysis).

Research Analysis: Total number of Public Sector Undertaking companies considered for this research is 26. Different processes were listed down from each of the companies.

DATA ANALYSIS

Manpower Planning

Q No. 1: How often the organizations to check the vacancies and plan the manpower?

About 65% of the employees feel that manpower planning to be done immediately when a vacancy arises either due to the employee's retirement or resignation or death. Otherwise the existing employees are over loaded with the work of the employees who have already left. About 30% of the employees feel that at least the manpower planning to be done once a year as the filling of vacancies depend based on State Government policies and approval in some cases. And about 5% of the employees feel that due to the increase in the workload and the business, the vacancy identification and manpower planning to be done once in a quarter.

Q No. 2: Who takes the decision on filling the vacancies?

About 40% of the employees say that the decision on filling the vacancies to be a combined decision of the Department Head and the HR, whereas 40% of the employees say that HR department decides on the filling of vacancies as they have the budget planned for each year and 20% say that the Department has to take decision.

Q No. 3: What do we do with the redundant employees?

All the employees prefer Job rotation if employees are in excess and none preferred just retaining them in their same position or retrenching the excess employees. In the PSUs there are also options to lend employees to other Government organizations.

Recruitment & Selection

Q No. 4: What are the sources for recruitment and selection?

About 79% of the employees prefer both internal as well as external source for recruitment and selection where as only 21% go for internal source and none for external sources.

Q No. 5: Which method do you mostly prefer for recruitment and selection?

About 50% of the employees go for direct recruitment and selection and 50% go for indirect d to opt for third party recruitment.

FINDINGS

After thorough analysis it is identified that there are various stages in the manpower planning, Recruitment and Selection of candidates for employment. Each of these stages has a set of processes and sub processes which help the organizations carryout their tasks with ease. Basic principles followed are Proper documentation of the HR processes called HR manual. Some of the PSUs have a documentation called as 'Service Rules' which details on the HR rules for vacancy creation, recruitment, and selection.

Some of the PSUs have a committee formed for vacancy identification and are approving authority for selection of candidates for filling such vacancies. Though this process is not mentioned explicitly in all the HR manuals considered, all of them in principle follow the same. In some cases approval from the State Government is taken for filling of posts at higher level. HR Budgeting and HR planning are also followed by all of the PSUs considered for this research but not explicitly mentioned in all their manuals.

Vacancy Identification – Creation of Posts

Most of the PSU organizations have their procedure for creation of posts clearly defined in their manual. When they want to create a position, they also follow a pre verification of the positions identified for filling. The identified vacancies are approved for calling for applications by a deciding authority. The deciding authority for each of the levels is well defined already in many of the PSUs. Every position/role already has their well defined eligibility. Each of the positions also has an appointing authority. For specific higher levels, Government is the appointing authority. Recruitment Rules, reporting structure are also defined. Though all the organizations have an understanding on the Key Result Areas for each of the roles/positions, it is not well documented and performance appraisals are not linked to them. There are various recruitment types which are filled in different modes of recruitment. The types include Regular/ Full time, Part time, Consulting, Contract, Trainees / Internships, Out sourcing & On Deputation and some also prefer Outsourcing to external parties.

Vacancy Identification – Employee Classification

In general all the PSU organizations have similar types of classifications. They are Unskilled, Skilled, Semi Skilled, Officers, and Advisors. Educational Institutions prefer Academic and Non Academic as major classification and some of the other classifications under Non-academic. Though this is not majorly documented in their manuals.

Short listing of Applications – Recruitment sources

Call for applications through Advertisements and Employment sources are the primary sources of recruitment. Every PSU has a defined list of employment sources which are a validated and approved. Technological advancements have also resulted in many of the PSUs opting for Online sources too. Other sources include Web posting, Word of mouth, Job portals, Outsourcing of complete recruitment and internal referrals.

Selection Process – Method of Recruitment

Vacancies are classified as Fresh, Deputation and Promotion. Whereas selection is based on either one or many of the following processes: Written tests, selection through Employment exchanges, Interview, Campus recruitment, Selection by communal rotation basis. Sports persons, Ex-Service men and recruitment on Compassionate grounds.

Offer Letter

When the organizations have selected a candidate for employment, the offer letter is issued. The employee on boarding has specific set of processes followed. Background check is a mandatory requirement for most of the positions. Reference check is also carried out as part of the background check for specific posts. Some PSUs opt for pre employment medical test and some prefer post employment medical test. If the medical test proves to be negative, the offer letter is rejected and the candidate is disqualified. Every organization has a pre-defined leading time for joining and the candidate is expected to agree on a particular date for initiating the joining formalities. On special grounds extension of joining time is also given to the candidates.

CONCLUSION

This presents the summary of the study and survey done in relation to the Manpower Planning, Recruitment & Selection and in Indian Public Sector Undertaking Companies. The conclusion is drawn from the study and survey of the company regarding the Manpower Planning, Recruitment & Selection carried out there. Though there is a process to identify the vacancies followed by recruitment is documented in HR Manual/ Service Rule, the recruitment process initiation is not usually done immediately. The work is assigned additionally to the existing employees resulting in low morale.

1. HR manual / Service Rule clearly detail the skills, years of service, Educational Qualification, but promotion initiation is not done automatically resulting in a friction in the environment.
2. When a vacancy arises, considerations to internal candidates to be given first and if in case there is no match identifiable for the open position, external candidate recruitment can be done. But in most of the cases, the internal candidates are not considered even if they are eligible.
3. The recruitment process to some extent is not done objectively and therefore lot of bias hampers the future of the employees.
4. Service Rules are not updated based on the current trend and organizations still use the rules built about two or three decades back.
5. Selection of candidates through Employment exchanges is good as the basic qualification required for the job is taken care else there is a problem. But candidates do not possess enough knowledge to carry out the tasks as they do not possess any knowledge on the working of the organization. Training time required to bring them on par is too heavy.
6. Telephonic interview is cost effective for both employer and the candidate. But none of the Indian PSUs prefer telephonic interview as they still believe in face to face meeting and evaluation.

7. On time promotion to be followed as per the existing rules which will help in Employee motivation.
8. Job Rotation is most welcome by the employees as it will help provides an opportunity to learn different functions resulting in employee development.

REFERENCES

1. <http://www.bemlindia.com/documents/aboutus/HR%20Hand%20Book.pdf>
2. http://www.tcil-india.com/new/public_html/hrd/HR%20Manual.pdf
3. http://www.rcftd.com/webdocs/847/2015/12/HR_Manual_Nutshell.pdf
4. www.andrewyule.com/rti/5/HRD%20Manual.doc
5. http://www.nift.ac.in/Downloads/Establishment_Manual.pdf
6. www.hindustanpetroleum.com/termsandconditions
7. hppcl.gov.in/file.axd?file=2011%2F4%2FEmployment+%26+Service+Conditions-II.pdf
8. <https://www.umssystem.edu/ums/rules/hrm/>
9. <http://www.icar.org.in/files/Manual-%20Establishment-%20Administration-ICAR-Officers.pdf>
10. http://nhb.org.in/infoact/HR_Manual_NHB.pdf
11. <https://www.rbi.org.in/commonman/upload/english/content/pdfs/71073.pdf>
12. <https://www.rbi.org.in/commonman/upload/english/content/pdfs/71073.pdf>
13. <http://finance.bih.nic.in/Documents/HR-Manual-2014-15.pdf>
14. http://www.hal-india.com/Manual%20and%20Policy/M_42
15. <http://www.dhrm.virginia.gov/docs/default-source/hr/manuals/employeehandbook.pdf?sfvrsn=4>
16. <http://www.pdfdrive.net/human-resource-policy-manual-sihfw-rajasthan-e5767015.html>
17. <http://mrvctest.ucs.in/ckfinder/userfiles/files/HRM%20Manual%202006.pdf>
18. http://dpe.nic.in/important_links/dpe_guidelines
19. hr.karvy.com/HRpolicies/HR_Policy_Manual_KFSL.pdf
20. <http://www.psc.gov.gh/file/HR%20POLICY%20FRAMEWORK%20&%20MANUAL.pdf>
21. <http://www.gupshupstudy.com/note/31353439/hr-management-standards-notes-ebook-pdf-download>
22. http://civildservice.govmu.org/English/Documents/HRM%20Directory/HRMM_08042011.pdf
23. http://www.microsave.net/files/pdf/Human_Resource_Management_Overview.pdf
24. [http://www.mphrc.nic.in/WriteReadData/UserFiles/file/Madhya%20Pradesh%20Human%20Rights%20Commission%20Officers%20and%20Employees%20\(Recruitment%20and%20Conditions%20of%20Service\)%20Rules,%202011%20ENGLISH.pdf](http://www.mphrc.nic.in/WriteReadData/UserFiles/file/Madhya%20Pradesh%20Human%20Rights%20Commission%20Officers%20and%20Employees%20(Recruitment%20and%20Conditions%20of%20Service)%20Rules,%202011%20ENGLISH.pdf)
25. <http://www.sidco.tn.nic.in/rti.pdf>
26. <http://cpwd.gov.in/Publication/wcmanual.pdf>
27. <http://tourism.nic.in/writereaddata/Uploaded/Guideline/012220130231638.pdf>
28. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/4474/12/12_chapter%207.pdf
29. [https://www.coalindia.in/Portals/0/CIL_HR_VISION_\(FINAL\)_18052015.pdf](https://www.coalindia.in/Portals/0/CIL_HR_VISION_(FINAL)_18052015.pdf)
30. <http://www.aai.aero/misc/KKJhaArticle-060214.pdf>
31. www.fsnl.nic.in/permanual.pdf
32. <http://www.nifm.ac.in/site/Footermenusubdes.aspx?Name=RecruitmentRules>
33. <http://hpforest.nic.in/pages/display/NHNkZmFihXM1NHNkZg==rp-rules>
34. <https://www.nmdc.co.in/Docs/Service%20Regulations.pdf>
35. https://www.crowc.in/CRWC/pdfs/Employees_Service_Rules_2013.pdf

Impact of Democracy and Politics on Indian Middle Classes

Nihal Sarwar

*Type-B-588, Phase-2 PTS, P.O.-Diptinagar, NTPC, Kahalgaon, District- Bhagalpur- 813214, Bihar
Email:- nihsarwar@gmail.com*

Indian “middle classes” had for long been spectators in electoral politics. However, as the country prepares for the 16th general elections, this time around, they seem to be audible and visible everywhere: on television screens, and in newspapers reports; as the angry aam aadmi or ordinary citizen, protesting on the urban streets; as the catalyst that propelled a new party, the Aam Aadmi Party (the Common Man’s Party, hereafter referred as AAP) to visibility and power in Delhi’s Assembly Election. Who are the middle class or middle classes in India? What has been their role in politics and elections? How do we understand the ascendancy of a ‘new’ middle class identity - the aam aadmi, the vocal and active citizen, at once an individual ‘common man’, and a collective ‘everyman’.

“Middle class” in India is a complex group that is often difficult to define. For one, it is a highly heterogeneous social category, differentiated not just by income, education, occupation, but also by caste, language, religion, age, gender, ethnicity, rural or urban location. Among the middle classes, not all social groups enjoy equal dominance. The hegemonic position is occupied by the “new middle-classes” who have come to embody India’s transition to liberalization- the prosperous, young, metropolitan, invariably upper caste and Hindu, white collared professionals - working in the private sector, who feel as at home in India, as in the West, with a consumption pattern similar to their western counterparts. What defines them and differentiates them from others are their life style, consumption and social distinctions. Perspectives Asia is a publication series providing an analysis of global trends and greater insights into developments and current political issues across the Asian region.

Second, given the heterogeneity within middle classes, their priorities, ideological base, their relationship with the state, and their politics differs, depending on the subgroup they belong to. Hence,

the new middle class that works in the private sector, reposes its faith in the market and does not depend on the state for jobs or public services such as education or health. It nevertheless engages with the state as a “client” to protect its own interest; demands that the state “steer” rather than “do”, and expects it to govern in the New Public Management (NPM) style, outside politics. It prioritizes efficiency, merit, competition (market principles), over distributive justice, equity, and democracy, which it perceives as messy business of “dirty politics”.

However, there are large sections of middle classes who articulate a different world view, and seek solutions through politics and the state. For middle classes coming from historically marginalized sections, the state remains an important centre where they gain or lose power, and hence continue to depend on the state and its framework of social justice, rights and entitlements, and on representative democracy.

This is in sharp contrast with the push for efficiency, competition, value neutral meritocracy by the dominant middle classes - creating for contestation on issues such as affirmative action policies, representative vs. direct democracy, notions of equality as sameness vs. substantive equality. Similarly, subsections of middle classes living in smaller cities, towns, rural India, are not the apotheosis ‘new’ middle class. For while they may share the aspiration of their metropolitan counterparts (depending on their caste, religion and other locations), their consumption pattern and location in the economy is not the same. They do not have the same proximity to power, nor the same visibility as the urban dominant middle classes.

Third, middle classes exist as an empirical reality, and an ideological construct. As an empirical reality, middle classes are defined in economic terms, using income level, consumption patterns, and ownership of assets. Based on this criteria, the National Council for Applied Economic Research (NCAER) through an exhaustive survey, identified 153 million people in this category as per 2001 data, with a disposable income of Rs 200,000 to 1,000,000 (\$4.380 - \$21.890) a year. According to its recent estimate in 2011 the NCAER stated that by 2016-17, this “consuming segment” would be growing to 267 million. Other, more contested criteria include type of occupation (manual vs. non-manual), education level (English medium vs. others), place of residence (rural vs. urban), and caste/religious identity (Hindu upper castes vs. others). Depending on the criteria used, the middle classes are estimated to comprise between 10 percent and 30 percent of the total population.

As an ideological construct, the middle classes, particularly the new middle classes, are the new “moral majority” who despite being a small proportion of the total population, have come to occupy a hegemonic position, and their worldview, aspirations and values are influential far beyond themselves. They have come to project what India wants to be in the twenty first century: educated, upwardly mobile, with a westernized consumption pattern (but not necessarily westernized values). Notwithstanding the heterogeneity within middle classes, there is a homogenization of aspirations. Thus what we have is a project of “middle-classization” unfolding with contradictory tendencies.

On one hand, there is a growing social polarization between new middle classes, and others, when it comes to practices (consumption patterns, lifestyle, living spaces, on issues of affirmative action and social justice etc). At the same time, these lines become more and more blurry and aspirations increasingly homogenous. This is becoming most evident in Indian cities. The rise of the aam aadmi identity in Indian cities - as middle class, and cutting across class, as ‘everyclass’ identity - needs to be located within this Janus faced project of middle classization.

In prevailing theories, middle class has often been considered the mainstay of democracy. Here, a direct correlation is made between higher economic development, education, middle class and higher political participation, open political attitudes (toleration of opposition, inter-personal trust). However the Indian experience defies these theories. While it can be argued that the notion of the authentic middle

class, progressive and liberal in its views, is a myth the world over, this is particularly true in the Indian context. For, far from having a rationalist modern political attitude, Indian middle class use their social and cultural capital in contradictory ways: advocating radical change and preservation of tradition; liberty and authoritarianism; equality and hierarchy all at the same time. As mentioned earlier, their political attitudes are largely influenced by their location in the caste, religion, ethnicity, language sub group and the Indian middle classes have not militated against identity politics. Even as the new middle class becomes globally mobile, inhabits modern spaces, uses the language of modernity, they actively participate in articulations of identity politics of both the dominant “majorities” and of the “minorities”.

Besides, their actions are about protecting their own interests and social privileges. Many scholars have also pointed out to the preoccupation of the middle classes with their own ken of interests and consumption, and immunity to abject poverty and deprivation around; their zealous protection of upper caste privileges and promotion of Hindutva (hindu right wing nationalism); to their thriving on “connections”, family and patronage. There are of course exceptions, and sections of middle classes have spoken out or joined progressive movements, but these at large have been the dominant tendencies of Indian middle classes.

When it comes to procedures of democracy, in sharp contradiction to the law of political participation the world over, in India it is the uneducated, and the poor who vote more than the educated middle class; Dalits and members of the “lower caste” vote more than upper castes, rural areas vote more than urban areas, women vote almost as much as men do. The new middle classes, in another words, are absent from electoral politics despite growing voter turnout. This is not to suggest that the middle class do not enjoy dominance, but to highlight that the power and influence of the middle class is played out outside electoral politics and institutions of the state, through the convergence of its interest with the market, media, and an increasingly neoliberal state.

Along with this, the middle class has been increasingly turning to ‘new politics’ to set policy agendas without being dependent on electoral results. This ‘new politics’ centers around new forms of organizations and “associational activism” – all in the domain of the civil society. For instance, if one examines middle class voting behavior in the decentralized local government of Indian cities, on one hand the middle classes have withdrawn from participating in the local self governance elections (in contrast to urban poor and marginalized groups). On the other hand, the middle classes have entered the local governance structures and exercise their clout over decision making through civil society organizations, middle class neighborhood associations, such as Advanced Locality Management groups (ALMs), or Resident Welfare Associations (RWAs), or other parallel structures which are increasingly becoming integral part of the governance of cities - circumventing the formal democratic process and undermining their value.

Of late, the ‘middle class’ has increasingly sought to influence national agenda and policies through new forms of citizens’ activism and on issues that directly affect it. For a while now, middle class anger has been spilling into city squares and streets. Given their ‘ownership’ of digital and media technology, their intersecting interest with mainstream media, and televisions, their protests and anger have become spectacular, and received far more coverage and attention than any other protests by tribal’s, the poor, or Dalits in India. However, from the initial middle class protests such as demand for “justice” for Jessica Lal, justice for Priyadarshini Mattoo, and Nitish Katara, to the later anti corruption protests in 2011, and the anti rape protests in 2012, – these movements grew more amorphous, drawing in the aspiration and some participation of urban working class.

This cross class ‘collectivized’ anger on the urban street, proved to be a significant catalyst in the rise of the AAP, a political party that emerged out of the anti corruption movement. Despite AAP’s origin in a middle class movement, its entry into electoral politics compelled it to expand its base and get far more inclusive. It can be argued that it has been able to ride on the “homogenization of aspiration”

wave unfolding in urban India - by carefully expanding the politics of corruption to link it with cross class issues such as price rise, and bijli, sadak, pani (electricity, roads, water), and education in urban cities. While consolidating the support of the middle class, AAP successfully enlisted a large support base among urban working class and poor, migrant workers, others living in urban slums, resettlement and unauthorized colonies.

Significantly, for the first time in Indian politics, the AAP mobilized outside identity politics, or ideology, or common bonds - addressing the aspirations of the aam aadmi, the ordinary citizen - the common ‘man’ and every man. It has created space for a different type of politics, and a significant contribution of the AAP phenomenon has been an increased participation of middle classes in electoral politics - as candidates for elections, as volunteers for the party, and supporters/fund contributors, as voters. Consequently, the Delhi Election in December 2013, for the first time saw a very high voter turnout in middle class residential areas of South Delhi, raising expectations and perhaps bringing in the middle classes, as a social category, as active and vocal participants in politics of urban India.

It is being discussed in India at the moment, whether the middle class will or won’t play a significant role in the 2014 elections. Given the heterogeneity of middle classes, how the voting behavior would unfold is yet to be seen. Political Parties have nevertheless for the first time begun to address the middle class as a social category. The Congress party, going by the speech of its Vice President, is likely to target the “lower middle class” sections who have moved out of poverty, but have not fully ‘become’ the middle classes yet. Middle classes from the marginalized sections are likely to remain with the Bahujan Samaj Party. In the urban areas, the AAP would also try to win over these areas. The “new middle class” is likely to split between the right wing Bharatiya Janata Party (BJP), and the AAP.

However, it is difficult to predict what role the middle classes would eventually play. Perhaps more than they have in the past, which would represent an important urban trend. However, given the size and plurality of the Indian electorate, the dynamics of its politics, the huge hinterland of rural India, regional politics, the contests and negotiations, is what will ultimately shape the 2014 elections, and Indian democracy.

REFERENCES

1. Leela Fernandes, *Hegemony and Inequality: Theoretical Reflection on India’s ‘New’ Middle Class*, In Baviskar and Ray, *Elite and Everyone*, p 69.
2. Satish Deshpande “Mapping the Middle”: *Issues in the Analysis of the Non-Poor Classes in India*”. Mary E. John, Praveen Kumar Jha and Surinder S. Jodhka (eds) *Contested Transformations. Changing Economies and Identities in Contemporary India*. Tulika Books, New Delhi, 2006, pp. 215-236
3. *Idid*, p. 240
4. Jos Mooij and Tawa Lama-Rewal, *Class in Metropolitan India: The Rise of the Middle Classes*, in Joël Ruet, Tawa Lama-Rewal, ed., *Governing India’s Metropolises: Case Studies of Four Cities*, Routledge; 2010.
5. Richa Singh’s study: “*New Citizen’s Activism in India – Movements, Moments, and Mobilization*” published by the Centre for Democracy and Social Action (CDSA) in February 2014.

बिहार में कृषि आंदोलन: एक ऐतिहासिक भूमिका

डॉ० मनोज कुमार राम

इतिहास विभाग, ल० ना० मि० वि०, कामेश्वरनगर, दरभंगा

शोध सारांश: किसान सभा का जन्म 1927 के अंतिम दिनों में हुआ। इसकी ईराकी विधि वत्त घोषणा 4 मार्च 1928 को हुआ। बिहार में किसानों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई। फिर 1938 में पटना में किसानों ने प्रदर्शन किये। किसान सभा के जन्म के साथ किसान में नयी जागृति आई। पटना सारण दरभंगा चम्पारण में किसान ने जमींदारों के खिलाफ लड़ाईयां लड़ी और विजय हुए। किसानों की मुख्य मांग थी जमींदारी प्रथा खत्म हो, गौर कानून वसूली बेदखली बंद और बकाशत की जमीन वापस हो।

परिचय

भूमिहीन किसान और साधारण किसान में जो अलगाव है उसका एक पहलू आर्थिक और दूसरा पहलू सामाजिक है। सामाजिक पहलू कहीं-कहीं आर्थिक पहलू से भी ज्यादा नुकसान देह है। आमतौर पर गाँव में साधारण किसान मध्य और द्विज जाति का भूमिहीन किसान हरिजन जाति का होता है। इस जातिगत अलगाव के कारण ये खेती या गाँव की लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक किसान आन्दोलन के लिए इस जातिगत अलगाव को दूर करना होगा। 1917 को चंपारण के नील किसानों का आंदोलन आजादी से पहले के कुछ कृषि आंदोलन है। आजादी के पूर्व जहाँ किसानों ने दासता के खिलाफ जमींदार, राजाओं और अंग्रेज उपनिवेशवादियों के साथ लड़ाईयाँ लड़ी वही आजादी के बाद उन्होंने जमींदारों और सरकार के खिलाफ संगठित प्रतिरोध शुरू किया बिहार में कृषि आंदोलन की जड़े इस क्षेत्र की कृषि संरचना में उत्पादन के साधनों के भूमि स्वामित्व, कम मजदूरी जातिय विभेद समाज के निचले हिस्से में ऐसे ही संरचनात्मक उत्पीड़न और शोषण जैसे मुद्दों में चेतना को और भी जगा दिया है।¹

अतः किसान सभा के आन्दोलन से पहले चम्पारण के रैयतो ने निलहो के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। 1905 में रैयतो ने पहला संघर्ष किया। 1907 में चम्पारण के तेलहारा क्षेत्र में नील फैंक्ट्री के मैनेजर बल्यूम फील्ड की हड्डी-पसली तोड़ कर रख दी। यह घटना एक छोटी घटना जरूर थी। लेकिन इससे जानकारी मिलती है कि रैयत के मन में कैसी घृणा पल रही थी। 1907 से 1917 तक इस क्षेत्र में महात्मा गाँधी के आने तक किसानों और रैयतों ने खुद के नेतृत्व से विद्रोह और संघर्ष का झंडा उठाया। बीस के दशक में उत्तर बिहार में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में रैयतों का आंदोलन खूब लोकप्रिय हुआ किसान संघर्ष के लिए तैयार हो रहे थे। किसानों के संघर्ष का विस्तार होने लगा था। 1936 से 1939 तक किसानों

ने कई जीवंत लड़ाईयाँ लड़ी। बड़हिया खेड़ा मझियावां में किसानों ने न बकाशत की जमीन के लिए संघर्ष किया इन आंदोलनों ने किसानों को चेतन बनाया। किसानों पर दमन तेज हुआ। 1936 में बड़हिया टाल के किसानों पर जमींदारों ने कहर बरसाया किसान झूठे मुकदमों में फसाये गये किसान जेल में डाले जाने लगे।²

किसान का संघर्ष— खेड़ा में किसानों ने नोटिस देकर जमींदारों के खेत जब्त कर लिये। पुलिस खेत में जारी-हल चलाने वाले किसानों को पकड़ती। किसान पुरुष और महिलाएं भारी संख्या में हल पकड़ लेते। यह था आंदोलन का रूप मझियावां गाँव में टेकारी महाराजा के गुडो और लठैतों को महिलाओं ने खदेर कर भगाया और साडा में महिलाओं ने पुलिस को घेड़ा तोड़कर खेतों में हल चलाया पुलिस भाग गई।

किसानों के जुझारू आंदोलन को कांग्रेस और कॉंग्रेसी सरकार ने कभी खेती में जाती हल चलाने वाले किसानों को संघर्ष करना पड़ता किसान आंदोलन के जनक सहजानंद सरस्वती और किसान सभा पर कॉंग्रेसियों ने हिंसा का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास कराया। किसानों को भरमाने के लिए लिये एक नकली किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद की कई सभाओं को असफल कराने और किसानों को मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई।³ 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के अधिवेशन में पास बिहार के किसानों के संबंध में जाँच-पड़ताल रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन कॉंग्रेसियों ने इस जाँच पड़ताल को प्रकाशित नहीं होने दिया सहजानंद सरस्वती के अनुसार —“बिहार के कॉंग्रेसि। लीडर जमींदारों के पक्के आदमी है। एक-एक के बारे में गिनगिन कर कहा जा सकता है और वे आखिर रिपोर्ट लिखते भी क्या। जमींदारी प्रथा के चलते जमींदारों ने इतने पाप और अत्याचार किसानों पर किये और अभी करते हैं कि इंसान का कलेजा धर्रा जाता है और मनुष्यता पनाह मागती है दरअसल किसान संघर्षों के विकास के बीच समाजवादी तथा कम्युनिस्ट विचार धारा के प्रवेश ने कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर दिया था। किसान सभा का दरवाजा किसान संघर्षों से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं के लिए खुला था कांग्रेस के नेता किसानों के संघर्ष को नजरदांज नहीं कर सकते थे। ऐसे में सरकार ने सुधारों की घोषणा की सरकार को जमींदारी बिल पास करना पड़ा। कांग्रेस सरकार ने यह बिल जन दबाव के कारण पास कराया। उन्हे भी संघर्षशील किसानों को इस्तेमाल करना था। 1949 में कांग्रेस ने जमींदारी अधिनियम लागू किया दरअसल किसानों के संघर्ष का असर असर सरकार पर बना हुआ है। देश के अन्य भागों में जमींदारों और सरकार के खिलाफ किसानों ने हथियार उठा लिये थे। तेलगंगा और तेभागा ने किसानों के मनोबल को काफी उँचा उठाया था। सरकार में शामिल अधिकांश लोग, जो जमींदारों के वर्ग से आये थे वह यह भी अच्छी तरह जानते थे कि किसानों के बीच कम्युनिस्ट व समाजवादी कार्यरत है। उनका यह संघर्ष कांग्रेस के परंपरागत संघर्ष से भिन्न था। कॉंग्रेसी राज द्वारा जमींदारी उन्मुलन के लिए उठाये गए कदम की अन्तर्वस्तु के मूल में यहीं बात थी।⁴ लेकिन राज्य के जमींदारों चुप नहीं बैठे। उन्होंने अदालती कार्रवाई की जमींदारी ने भूमि सुधार अधिनियम को अवैध करार देने के लिए याचिका पेश की और पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन हुआ। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, जमींदारों ने संवैधानिक दंग से फायदा तो उठाया ही, उन्होंने अपने कब्जे में रखने के लिए उपाय भी रहे और सफल भी हुए बाद में भूमि सुधार, हदबंदी निर्धारण और फाजिल जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम बने। जमींदारी उन्मुलन के पर्व लगान वसूल करने का जिम्मा तथा कृषि संबंध सुविधाएँ उपलब्ध कराने का काम जमींदारों के जिम्मे था। फलत किसानों का आंदोलन जमींदारों को निशाना बनाता था। बाद के दौर में यह लड़ाई सरकार के खिलाफ मुखरित हुई, हालाकि गाँव के स्तर पर जमींदार ही मुख्य थे, किसानों के साथ उनका टकराव था।⁵

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने दरभंगा मुगेर, पटना गया, भागलपुर आदि जिलों में सामंती जुल्म और बकाशत की जमीन को लेकर किसान के बीच पहचान कायम कर ली थी। 1951 के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में बटाईदारी आन्दोलन बाढ़ राहत तथा किसानों की अन्य महत्वपूर्ण मागों को लेकर हदबंदी की मांग को लेकर लड़ाई लड़ते रहे। हालाकि एक दौर के बाद किसानों का आन्दोलन व्यापकता हासिल नहीं कर सका कमोबेश आज स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती लेकिन उसकी संभवनाएँ बिहार में हमेशा बरकरार रही।

भूमिहीन किसान संघर्ष

भूमिहीन किसान और साधारण किसान में जो अलगाव है उसका एक पहलू आर्थिक और दूसरा पहलू सामाजिक है। सामाजिक पहलू कहीं-कहीं आर्थिक पहलू से भी ज्यादा नुकसानदेह है। आमतौरपर गाँव में साधारण किसान मध्य और द्विज जाति का और भूमिहीन किसान हरिजन जाति का होता है। इस जातिगत अलगाव कारण वे खेती या गाँव की लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक सफल किसान आंदोलन के लिए इस जातिगत अलगाव को दूर करना होगा। मध्य जाति और हरिजन, द्विज और हरिजन के बीच सामाजिक बराबरी स्थापित करने के लिए किसानों संगठनों को अगुआ की भूमिका निभानी होगी।⁶

अंतिम विश्लेषण के तौर पर हम कह सकते हैं कि आमतौर पर किसी आन्दोलन की असफलता के लिए उसके नेतृत्व तथा कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन यह एक सरलीकरण और सतही विश्लेषण ही होता है। गइराई से देखे तो इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो किसान किसान आंदोलनों में आमतौर पर व्यापक वैचारिक परिपेक्ष्य दिशा और समझ का अभाव रहा। वे अपनी तात्कालिक संकिर्ण मॉगों में ही उलझे रहे। किसानों की स्थिति और किसानों के शोषण की ऐतिहासिक रूप से पड़ताल करते हुए गइराई से विश्लेषण करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। 1970 के बाद में किसानों ने पुनः नये सिरे से संगठित होने की कोशिश की। किसानों के आन्दोलन ने खूनी टकराव का रूप धारण किया। भूमिहीन किसान सामंतवाद विरोध संघर्ष की मुख्य शक्ति बने कहने की जरूरत नहीं कि किसान आंदोलन का सृजन उनही इलाकों में कमोवेश हुआ था, जहाँ किसान सभा और समाजवादी तथा कम्युनिष्ट पार्टी ने आंदोलन के बीज बोये थे। पटना भोजपुर, गया और मुजफ्फरपुर में आंदोलन नये रूपों में विस्तार पाने लगे। जमींदारी दासता के खिलाफ किसान प्रतिरोध संघर्ष में उत्तर पड़े। सरकार ने किसान प्रतिरोध संघर्ष में उत्तर पड़े। सरकार ने किसान पर दमन तेज कर दिया। साथ ही साथ किसानों के लिए सुविधाओं की घोसना भी की गयी। लेकिन सुविधाओं और घोषणाओं के लाभ से निचले स्तर के किसान वंचित रहे इस लाभ को भी जमींदारों ने हड़पा हरित क्रांति ने गरीब किसानों व मध्य श्रेणी के किसानों पर निर्भरता को और वदा दिया ग्रामीण जीवन की सामाजिक संरचना में बदलाव आया बाद के दौर में जमीन से जुड़े सवालों को लेकर किसानों की आवाज मुखरित हुई और इसमें भूमिहीन गरीब किसानों को आन्दोलन किया। किसानों ने नये सिरे से आंदोलन छेड़ दिया था। बिहार के गांवों में मजदूरी बढ़ाने आहार पोखरों की जमीन से फजील जमीन के लिए किसानों के संघर्ष ने एक प्रभाव छोड़ा। जातिगोलबनदी हो रहे थे तो दूसरी और जमींदार किसानों का यह संघर्ष पहले के दौर के किसान आन्दोलन से ज्यादा जुझारूपन लिए हुए था।⁹ बिहार में जुझारू या उग्र कृषि आंदोलन का पूर्व संक्षिप्त ऐतिहासिक भूमिका सामाजिक तथ्य को को दुहरता है कि उग्र कृषि आंदोलन वर्तमान कृषि संरचना के अवश्यभावी परिणाम है। विषय कृषि व्यवस्था के कारण अन्त विरोध तीव्रतर कृषि संसाधनों पर नियंत्रण रखने वालों और अतिरिक्त उत्पादन हड़प लेने वालों और मजदूरों और असली उत्पादकों के बीच होता है लेकिन टकराव का स्राते आर्थिक दायरो में सिगटा नहीं रहता। गैर आर्थिक दबाव सामाजिक प्रतिष्ठा से इंकार आदि जैसे—सामाजिक ऐतिहासिक परम्पराएँ जुझारू किसानों आंदोलनों की और ले जानेवाली शक्तियों के बिन्यास में योगदान करती है शायद इसलिए जहाँ कहीं किसान संगठनों राजनीतिक पार्टियाँ और व्यक्तियों ने नेतृत्व दिया वहाँ दृष्टि से दलित महिलाओं और बच्चे में इस जुझारू संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है हालांकि आंदोलन का नेतृत्व प्रभावशाली जातियों के हाथों में रहा। तो भी दलित, आदिवासी पिछड़ी जातियों और महिलाएँ इन आंदोलन में अग्रणी भूमिका रहे। लेकिन इसके बाबजूद बिहार में किसान आंदोलन विडंबना का शिकार बनता रहा है।⁹

बहरहाल, किसान आंदोलन के सामने सबसेबड़ी समस्या यह है कि देश के किसान कई वर्गों में बाटें हैं। सबसे उपर ऐसे किसान हैं जो धनी हैं। इनको सामन्ती भूमि—व्यवस्था के हजारों एकड़ जमीन मिली है इसी तरह नए प्रकार के पूजीवादी किसान हैं जिनके पास उतनी जमीन नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसी का उत्पादन करते हैं। जिनकी सामाजिक जरूरत नहीं है, जैसे गुलाब, निर्यात के लिए खुशबूदार बासमती चावल आदि। इनका अच्छा दाम मिल जाता है। ऐसे किसान सरकार से सहायता भी लेते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं और साल में दो—तीन महीने के लिए फार्म (खेती) पर जोत है ये पूँजीपति किसान हैं, दूसरी और सबसे नीचे भूमिहीन मजदूर हैं। फर्क यही है कि इनके पास अपना खेत नहीं है। हमारे सामने दो आदमी हैं जो एक खेत में काम नहीं करता लेकिन जिसके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है दूसरा वह जो सब करता है, लेकिन जिसके पास भूमि नहीं है आज दृष्टि यह बनी हुई है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है। लेकिन जो खेती कोई काम नहीं करता हम किसान मानते हैं।¹⁰ समकालिन उग्र कृषि आंदोलन में असमान्य भूमि स्वामित्व, काम मजदूरी, जातिगोलबनदी, समाज के निचले हिस्से में ऐसे ही संरचनात्मक उत्पीड़न और शोषण जैसे मुद्दों में चेतना को और भी जगा दिया। इस दरम्यान किसान ने कभी दुश्मनों को परास्त करने के लिए तीर कमान और हथियार के बल पर संघर्ष किया। तो कभी जन आंदोलन छेड़कर।

निष्कर्ष

किसान सभा का जन्म 1927 के अंतिम दिनों में हुआ। यों इराकी विधि वत घोषणा बिहार में किसान के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कि गई। किसान सभा के आंदोलन से पहले चम्पारण के रैयतों ने निलहो के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। 1905 में रैयतों ने पहला संघर्ष किया। किसानों के जुझारू आंदोलन को काँग्रेस और काँग्रेसी सरकार ने कभी पसंद नहीं

किया। भूमिहीन किसान और साधारण किसान में जो अलगाव है। उसका एक पहलू आर्थिक और दूसरा पहलू सामाजिक है। सामाजिक पहलू कहीं—कहीं आर्थिक पहलू से भी ज्यादा नुकसान देह है।

संदर्भ सूचि

1. राकेश गुप्ता— बिहार पिजेन्ट्री एण्ड द किसान सभा, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली—1982 60—62
2. स्वामी सहजानंद सरस्वती: मेरा जीवन संघर्ष पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली, 1985 229
3. ए.एन. दास: एग्रेरियन मूवमेंट्स इन इंडिया, सेचूरी बिहार लंदन, 182
4. गिरीश मिश्र: पूर्वोक्त 1976 231
5. ए एन0 दास: पूर्वोक्त 1983 195
6. गिरीश मिश्र: द एग्रेरियन प्रोब्लम्स आफ परमानेंट सेटलमेंट पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1978 10.32
7. पी0 पी0 घोष एग्रे : इकोनॉमिक सर्वे इन बिहार पटना: एसोसिस्टेड कु0 कंपनी, 1978 पृ 288
8. वही पृष्ठ—292
9. सुनील सेन एग्रेस्थिन रिलेशंस इन इंडिया, नई दिल्ली, 1979 पृ 170
10. क्रिशन पटनायक: किसान आंदोलन दशा और दिशा, राजकृमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2006 पृ0—76

वर्तमान भारतीय राजनीति: दशा और दिशा

डॉ० राजकिशोर कुमार
+2 स्कूल, जोगीयारा, दरभंगा

शोध सारांश: लोकतंत्र में जनाकांक्षा की प्रधानता होती है, सैद्धान्तिक रूप में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति नियम निर्धारण तथा इस व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों द्वारा व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। जनता समष्टि की अभिव्यक्ति है। वह विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय में बंटी हुई दिखाई पड़ती है जिससे उनमें सापेक्ष वृहत्तर हित के विन्तन का अभाव हो रहा है तथा संकीर्णता की भावना बलवती होती जा रही है। स्वतंत्रता के पूर्व देश में संकीर्णता को छोड़कर स्वतंत्रता के व्यापक लक्ष्य के प्रति सभी का समर्पण था। अपनी तमाम विकृतियों के पश्चात् भी भारतीय लोकतंत्र की विश्व के सफलतम देशों में गिनती की जाती है क्योंकि जब भारत में लोकतंत्र स्थापित किया था तो तत्कालिक परिस्थितियों बहुत ही विश्व थी। आज भारतीय लोकतंत्र दिशाहीन प्रतीत हो रहा है। जैसा कि लोकतंत्र का तात्पर्य, जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन माना जाता है। लेकिन आज धनिकों, बाहुबलियों एवं अपराधियों के चंगुल में फँस गया और जनता की स्थिति दास या सेवक की हो गई है। राजनीतिक दल भी दिशाहीन, विचारधारा रहित प्रतीत हो रहे हैं। आज राजनीतिक दल आम जन को भेड़-बकरियों की तरह हांकने की कोशिश करते हैं, इसके लिए कहीं धर्म, तो कहीं जाति, बिरादरी का, कहीं प्रलोभन, तो कहीं डंडे का भय।

Key Words: जातिवाद, साम्प्रदायिकता, लोकतंत्र

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में राजनीतिक स्थिरता के प्रयास शीर्षोन्मुखी है। जनसंख्या का दबाव, बढ़ती हुई जनकथाएं, वैज्ञानिक प्रगति, उदाररीकरण, निजीकरण एवं भूण्डलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक सम्बन्धों का प्रसार, राष्ट्रीय सम्प्रभुता के बदलते आयाम और अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश इन सभी ने भारतीय राजनीति के स्थापित मानकों को कदाचित विचलित किया है तथा नए मानकों के लिए पथ प्रशस्त किया है राष्ट्र की प्रगति में सभी की गरिमा सुनिश्चित होती है। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक सहभागिता की स्थितियां निर्मित होती हैं। देश के नागरिकों द्वारा मताधिकार के प्रयोग द्वारा सत्ता का परिवर्तन हमेशा शान्तिपूर्ण ढंग से आम निर्वाचन के द्वारा होता है। भारतीय राजनीति सभी वर्गों के लिए देश की आत्मा एवं आवाज है। महिलाएं तथा ग्रामीण जनता को स्वशासन का अधिकार देकर भारतीय लोकतंत्र ने जता दिया है कि वह प्रगतिशील एवं जीवन्त है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अन्तर्गत बच्चों, वृद्धों, विकलांगों को लगातार सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में नतृत्व के लिए मानक चारित्रिक व्यवस्था का निर्धारण नहीं है तथा निर्धारित मानकों में भी तमाम छिद्र हैं। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने का कारगर उपाय नहीं हो सका है। कहने को राजनीतिक दलों के कुछ सिद्धान्त हैं, परन्तु व्यावहारिक धरातल पर उनकी हकीकत में पर्याप्त

अन्तर है। जिस किसी प्रकार सत्ता हथियाना आदर्श तथा लक्ष्य हो गया है। दलीय सिद्धान्त सामूहिक न होकर विशिष्ट व्यक्तियों के कथोपकथन इच्छा की परिक्रमा करने वाला रह गया है। ऐसी स्थिति में शास्त्रवर्णित गुणों से युक्त नतृत्व के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपे के लिए मानक नियम निर्धारण तथा उसे कार्यान्वित कराने की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र की कल्पना करते हुए महात्मा गाँधी, सरदार पटले, जवाहरलाल नेहरू आदि राजनेताओं ने कभी नहीं चाहा था कि देश का नतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में चला जाए जो कि सच्चरित्रता, सदाचार, संयम, नैतिकता आदि गुणों के खिलाफ जीवन शैली रखते हैं। जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग संसद में जायेंगे तो लोकतंत्र और राजनीति निश्चित रूप से प्रभावित होगी। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। हम सभी भारतीयों की आस्था और भरोसे का प्रतीक है लेकिन जबसे गठबंधन की राजनीति शुरू होती है, तभी से संसदीय प्रक्रिया प्रभावित होनी शुरू हुई और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का महत्व और बढ़ता गया है। चुनाव क्षेत्रों में अपनी अपराधिक प्रवृत्ति व धनबल के आधार पर संसद व विधानमंडल में पहुँचकर संसदीय गरिमा को बेचते हैं। आज संसद के संचालन में यही घटक गतिरोध ला रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की होगी कि इस तरह संसद की गरिमा को क्षति पहुँचेगी। आज राजनीति में जाना एक तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। ये सदस्य संसद और विधानमंडल में जाने के पश्चात् समाज और देशहित को दरकिनार करके औद्योगिक घरानों का हित साध रहे हैं। साथ ही साथ सत्ता प्राप्त करने की लालसा के लिए झुण्ड राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय हित की जगह क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता तथा अन्य ऐसे तत्त्वों को उठा रहे हैं जो संसदीय प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर रहे हैं। यहां तक कि संसद सदस्यों में आत्म चते ना की कमी है आज के समय में यह हर किसी के द्वारा गौर किया जा रहा है कि अब संसदीयराजनीति में भाषा की काड़े मर्यादा शेष नहीं रह गयी।

सामाजिक अवमूल्यन के इस दारै में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी दूसरी पार्टी के नेता के विरुद्ध किसी भी स्तर तक जाकर भाषा का प्रयोग कर रहा है वह सारी हदें पार कर रहा है। साथ ही अधिकांश सांसद अपनी स्थानीय विकास निधि को भी उचित प्रकार एवं सही समय पर खर्च नहीं करते हैं जो यह दर्शाता है कि उनकी अपने क्षेत्र के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय राजनीति में भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए असीमित लोभ के वशीभूत अधिकाधिक धनसंग्रह की प्रवृत्ति का नग्ननृत्य सर्वत्रा दृष्टिगोचर हो रहा है, सामाजिक स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अनैतिक रूप से धनार्जन करने वाले व्यक्ति का क्षणिक, स्वार्थवश लोग यशोगान की स्थिति में आ गए हैं। अनैतिक मूल्यों की निन्दा अथवा उसे हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति नगण्य हो गई है। प्राचीन काल के ग्रंथों, संदर्भों में सम्पत्ति संग्रह के अधिकार के साथ यह दिशा निर्देश है कि जिसके घर में तीन वर्ष के लिए या उससे अधिक भृत्य पोषण के लिए पर्याप्त धन हो उसे ज्योतिष्ठोम कर सोमपान करना चाहिए।

वर्तमान समय में राजनीतिक दल क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, हिंसा, वित्त की आवश्यकता, लोकतंत्र का अभाव, महिलाओं की भागीदारी, पार्टी सदस्यों का प्रशिक्षण, सिद्धान्तों और राजनीतिक मूल्यों का अभाव, प्रचार अभियान का तरीका, विघटन एवं गठबंधन की राजनीति, लम्बा चौड़ा मंत्रिमंडल, जातिवाद, अपराधीकरण, प्रशासन, नतृत्व क्षमता जैसी समस्याओं के दलदल में बुरी तरह से फँसे हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की जातिवादी राजनीति का जहर अब राष्ट्रीय दलों में भी फैला दिख रहा है। जातिवाद समाजिक सच्चाई है लेकिन हमारे नेताओं ने उसका राजनीतिक उपयोग करते-करते उसे विघटनवाद के कगार तक पहुँचा दिया है जैसे लोकपाल में आरक्षण होना, लोकसभा में न्यायपालिका में आरक्षण की बात करना। भविष्य में यदि सेना, खेलों में भी आरक्षण की माँग सुनी जाये, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। राजनीति में जातिवाद का नया जाशे पिछड़ावाद और अतिपिछड़ावाद के रूप में सामने आया है।

आज महात्मा गाँधी का कथन संसदीय शासन व्यवस्था में संसद की स्थिति वेश्या और बांझ की है, जो चरितार्थ हो रही है फिर भी अगर संसदीय लोकतंत्र की साख को बचाना है तो इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और राजनीति में इनकी भागीदारी के साथ ही साथ इनके नैतिक मूल्यों का संचय जरूरी है। अरस्तू ने ठीक कहा कि एक आदर्श राज्य की स्थापना उस राज्य के नागरिकों के चरित्र से हो सकती है। आज जरूरी है आम जनता की भागीदारी बढ़े और अपने नेता का चुनाव ईमानदारी से देश हित के लिए करें, जिससे कि संसदीय प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं राजनीतिक दलों को भी अपने टिकट बंटवारे से लकर चुनाव प्रबंधन और प्रचार में ईमानदारी बरतनी चाहिए, अच्छे उम्मीदवार को टिकट दें, अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में आनवुंशिक आधार पर न रखें बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से ही चुनाव करें जिससे कि संसदीय गरिमा को बचाया जा सके। भारत जैसे दुनिया के विशालतम लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक, कार्यकारी एवं न्यायिक सत्ता कुर्सी पर बैठे लोगों को प्रचुर शक्तियां प्रदान करती है। भ्रष्टाचार का जन्म कहीं न कहीं सत्ता लोलुप्ता का ही परिणाम होता है। सत्ता की भूख जब-जब हदें पार करती है तो वह अकूत ताकत, बेशुमार सम्पत्ति तथा वह सब कुछ जिसे हमारी परम्परा त्याज्य समझती थी, को समेट लेना चाहती है। भारत में भ्रष्टाचार का प्रसार सरकारी महकमे में निर्वाचित राजनीतिज्ञों से लकर उच्च? नौकरशाही और निम्न नौकरशाही के

विभिन्न स्तरों पर लम्बवत रूप में अर्थात् ऊपर से नीचे तक फैला है। भ्रष्टाचार का सर्वाधिक दुष्प्रभाव देश की गरीब जनता पर पड़ता है। यदि घोटाले और काले धन के रूप में जमा रकम को जब्त कर गरीब बच्चों की स्कूली शिक्षा, मुफ्त भोजन, किताब, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च किये जायें, तो हम भारत को शीघ्र ही विकसित देश की श्रेणी में पहुँचा सकते हैं। अतः इन नतोओ को चुनने वाली जनता अपने आंख, कान को खुले रखकर इस प्रदूषण को कम करने के लिए यह संकल्प लेना होगा कि वे अपना कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत कभी नहीं देंगे, थोड़ी परेशानी सहेंगे, थोड़ा नुकसान भरेंगे, थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन भ्रष्टाचार के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी चुनौतियाँ राजनीतिक स्तर पर मौजूद हैं। स्थिरता, परिपक्वता के बावजूद हमारी राजनीतिक प्रणाली में गहरी विसंगतियाँ पैदा हो गई हैं। राजनीति धर्म, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, भ्रष्टाचार, अलगावाद, पृथक्तावाद जैसे संकीर्ण मद्दों पर आधारित हो गई है चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है पर आज भी महिलाएँ कन्याभ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं क्षेत्रीयता, आर्थिक असमानता, अपर्याप्त शिक्षा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, व्याधि, प्रदूषण, आतंकवाद, नक्सलवाद, अवसरहीनता जैसी समस्याओं का समाधान सुशासन एवं सुनियोजित विकास से ही संभव है। राजनेताओं की दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, सामाजिक संरचना की जटिलता शिथिल करने तथा राष्ट्रीय उपलब्धियों को जनमानस तक पहुँचाने में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता का लाभ तभी है जब इसके सफल संचालन में देश के सभी नागरिक योगदान दें। हाल ही में देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने 8 नवम्बर, 2016 से 500 और 1000 के नोट बंद करके उसके स्थान पर 500 व 2000 का नया नोट शुरू किया, जिससे देश की 86 प्रतिशत मुद्रा चलन से बाहर हो गई। मोदी जी द्वारा ऐसा कठोर कदम उठाने का मुख्य उद्देश्य काला धन, जाली मुद्रा, आतंकवाद, नक्सलवाद, तस्करी व ड्रग्स के लिए फंडिंग तथा अन्य देशों के विरोधी गतिविधियों में इनके इस्तेमाल पर नकेल कसने के लिए ऐसा किया गया, जिसका विरोध केवल विपक्षी राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं जबकि इसके समर्थन में देश के अधिकांश जनता खड़ी है इतना बड़ा कदम देश में पहली बार उठाया गया जिसमें सीधे तौर पर ईमानदारों की बले-बले हो रही है जबकि बेईमानों को कठोर से कठोर सजा का अहसास हो रहा है। इस देश हितैषी मुद्दे पर भी सभी राजनीतिक दल एकमत नहीं हैं पूरा विपक्ष इसके खिलाफ अपने निजी राजनैतिक स्वार्थ के लिए खड़ा है जो भविष्य में देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति में डकैत, लठैत, सामन्त, आलाकमान जैसे शब्दों का राजनैतिक विमर्श में बाहुल्य बेहद चिन्ताजनक है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नक्सलवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में विद्यमान है। स्वतंत्रता के बाद भारत की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की यथास्थिति को जिन आन्दोलनों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, उनमें नक्सलवादी आन्दोलन प्रमुख है। अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह आन्दोलन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गम्भीर समस्या के रूप में उभरा है। आतंकवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए नासूर है आतंकवाद का जो स्वरूप भारत में दिखाई पड़ता है वह स्थूल तौर पर 'जिहादी' है। आतंकवाद ने भारत में राजनीतिक संवाद एवं चर्चे ना के धरातल पर एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है। आतंकवाद ने वर्गीय विभाजन को धर प्रदान की है इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ी है। एक वर्ग विशेष के लोगों से घृणा की जा रही है यह भारतीय समाज की एक नियति बन गई है। हाल ही में संसद भवन पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु, ताज होटल पर आतंकी हमले के जीवित आरोपी अजमल कसाब तथा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी बुरहान वानि के जनाजा में लाखों की भीड़ इकट्ठी होना और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जवाहर लाल नहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, जादवपुर विश्वविद्यालय, पं.बंगाल में देश विरोधी नारे लगाने वाले कुछ भ्रमित विद्यार्थियों के साथ देश के नामचीन राजनेताओं, मीडिया हाऊसों, फिल्मी हस्तियों का खड़ा होना, देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर अँगुली उठाना आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं। आखिरकार ऐसे लोग देश को किस दिशा में लकेर जाना चाहते हैं। और इस देश का भविष्य क्या होगा? इस प्रकार अनुचित प्रकार से अर्जित धन देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक तथा राष्ट्र की सामाजिक समरसता, आदर्शों को नष्ट करने वाला प्रमुख कारक है। भारतीय राजनीति की चिन्तनीय वर्तमान दशा में नेतृत्व के लिए योग्यता हेतु मानक का प्रयोग तथा अन्यायार्जित धन सम्पदा का राष्ट्र के प्रति हरण कर राजनीति की वर्तमान दशा को सुधारा जा सकता है। देश के भीतर और बाहर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, इससे निपटने के लिए जनता के दिलों को जीता जाये, वह भी राजनीति के माध्यम से, आर्थिक विकास, त्वरित न्याय और जन-शिकायतों की तीव्र सुनवाई हो, ये सब बेहतर प्रशासन की कुजी है अहिंसक जन आन्दोलनों की प्रकृति जटिल होने के कारण इनसे निपटने के लिए धैर्य से काम लना होगा। देश में लोकतंत्र की सफलता और उसे जीवन्त रखने के लिए एक बार फिर धरती पुत्रों के निकटजाना होगा, उनकी कठिनाइयों को जानना होगा। अब

इसजनतंत्रीय व्यवस्था में 'तन्त्र' तो विभिन्न प्रकार के मिल जायेंगे किन्तु 'जन' तो दूर तक नजर नहीं आता है। जन को इसे पाने के लिए संघर्ष करना होगा। वस्तुतः भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कई तरह की नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आई हैं, इनमें प्रमुख हैं— क्षेत्रवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, पर्यावरण संकट, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, दूरस्थ नियंत्रित प्रधानमंत्री, गठबंधन राजनीति, नौकरशाहों का दलों की तरफ आकर्षण, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। इनमें से क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद भारतीय राजनीति के ऐसे मुद्दे हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते गठबंधन की राजनीति परिस्थितियों के गर्भ से उत्पन्न होती है। राजनीतिक गठबंधन बेशक सत्ता सुख सुलभ कराते हैं लेकिन इसमें शामिल घटक दलों की बार-बार की दोस्ती, धोखाधड़ी एवं सौदेबाजी ही गठबंधन राजनीति की कड़वी सच्चाई बन गई है। यह राष्ट्रीय और राजनीतिक दायित्वों के प्रति गैर जिम्मेदार और गैर जवाबदहे होता है। वर्तमान में राष्ट्र हित में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की बनती संस्कृति को रोकना होगा और उनकी भूमिका को भी सीमित करना होगा जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहे और केन्द्र शक्तिशाली स्थिति में रह सके, जिसे क्षेत्रीय पार्टी अपनी संकीर्ण माँगों के लिए झुका न सके। महिला आरक्षण विधेयक भी भारतीय राजनीति का ज्वलन्त विषय बन गया है। महिलाएँ अपने इस अधिकार की प्राप्ति हेतु एकजुट होकर संघर्ष करें तभी उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। पंचायतों में महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण उनके सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की संभावनाओं के दरवाजे खोल दगे। स्वतंत्रता के उपरान्त जाति भारतीय राजनीति का निर्धारक तत्व रहा है। आज राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए जातिवाद के आधार पर राजनीतिक धुवीकरण एवं सामाजिक विखण्डन लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के लिए हितकर नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं सफल बनाने में संसद, न्यायिक प्रक्रिया, सतर्क मीडिया, जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग, चुनाव आयोग और संगठित कार्यकारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय राजनीति की दशा पर विचार किया जाए तो राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराधका राजनीतिकरण, उत्तरदायित्व का अभाव, धनशक्ति और भुजबल का प्रभुत्व, धर्मवाद, जातिवाद, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूहों का दमन, क्षेत्रवाद, भाषावाद एवं लिंगभेद का कुप्रभाव जैसी त्रुटियाँ सामने प्रमुख रूप से आती हैं। वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दशा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में आतंकवाद एवं व्यापक भ्रष्टाचार है जिसने देश को अपने गिरफ्त में ले रखा है। जिसका उपचार गाँधीवादी मूल्यों के द्वारा किया जा सकता है।

संदर्भ

1. गोस्वामी, भालचन्द्र 2012: विधि और सामाजिक न्याय अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, प्रियंवदा 2005: भारतीय राजनीति के दो आरव्यान, हिंद पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली
2. सेगं र, शैलने द्र 2009: भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, गुंजन प्रकाशन, नई दिल्ली
3. राय, अरुंधति 2012: कठघरे में लोकतंत्र, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
4. गोस्वामी, भालचन्द्र 2013: भारतीय न्याय प्रणाली अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़ विप्लव, नरेश 2012: लोकतंत्र के प्रमुख स्तम्भ, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
5. सेगंर शैलेन्द्र 2015: भारतीय प्रशासन बदलते आयाम, कविता बुकसेंटर, दिल्ली सक्सेना, हरिशरण 2009 : संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, पल्लवी पब्लिकेशन्स, हरियाणा सुध, खुशबू 1999: धर्म राजनीति एवं मूल्यहीनता, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर
6. पाण्डेय, अरुण 2000: हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
7. दुबे, एम.पी.: धर्मनिरपेक्षवाद और भारतीय प्रजातंत्र, नेशनल पब्लिकेशिन हाउस, नई दिल्ली
8. सिंह, महेश्वर 2000: भारतीय लोकतंत्र समस्याएं व समाधान, साहित्यगार, जयपुर
9. जैन, कमलेश 2001: न्यायपालिका कसौटी पर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
10. कश्यप, सुभाष 2010: हमारी संसद, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली
11. टंडन, बिशन 2009: जनतंत्र और प्रशासन, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
12. गजराज, पदम सिंह 2014: चेतना गुजरात: भारतीय राजनीति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और चुनौतियाँ, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली सोमरा,
13. कर्णसिंह 1992: साम्प्रदायिक सदभाव एवं राजनीतिक चेतना, प्रिन्टवेल, जयपुर
14. त्रिपाठी, ममता मणि 2013: समकालीन भारतीय राजनीति के मुद्दे समस्या एवं समाधान, भारती पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैजाबाद
15. बसु, दुर्गादास: भारत का संविधान: एक परिचय प्रेंटिस हॉल? ऑफ इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में आतंकवाद का उदय और विस्तार

दिलीप कुमार

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, ल ना मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

आतंकवाद की एक स्वीकार्य परिभाषा है, 'राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अक्सर सरकारों या समाजों को मजबूर करने या उन्हें डराने के लिए व्यक्तियों या संपत्तियों के खिलाफ बल या हिंसा का गैरकानूनी उपयोग या धमकी भरा उपयोग करना'। वाल्टर लाकर इसे 'राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों के लिए जनता या सरकार को हिस्सा के व्यवस्थित उपयोग या धमकी भरे उपयोग के इस्तेमाल की धमकी देने के लिए मानता है। हिंसा के कृत्य... 'दुःखद रूप से, कट्टर अपराधियों और भूमिगत चरमपंथियों और आतंकवाद की विचारधारा से आकर्षित दृढ़निश्चयी युवाओं द्वारा अंजाम दिये जाते हैं जो पूरे समाज में लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है'।¹

19वीं सदी के अंत में शुरू हुए इस्लामी पुनरुद्धारवादी आंदोलन से अलग आधुनिक इस्लामिक उग्रवाद का उदय हुआ। इस्लामी पुनरुत्थानवाद मुस्लिम दुनिया की कथित कमजोरी का एक उत्तर था। इस्लामिक पुनरुत्थान से जुड़े विचारकों ने पैन इस्लामिक एकता के लक्ष्यों के आधार पर इस्लामिक सिद्धांतों की नई व्याख्या और श्रद्धाहीन कानूनों पर आधारित इस्लामी राज्य की स्थापना का प्रचार किया। विचारकों के एक समूह का तर्क है कि इस्लामिक चरमपंथी राजनीतिक और सामाजिक हालात से पैदा हुए हैं। इस तरह विचारकों के समूह का मानना है कि पश्चिम और उनकी सरकार और उनकी सेना द्वारा मुस्लिम देशों में किए गए अन्याय से उग्रवादियों को उकसावा मिला है। विचारकों के इस समूह के मुताबिक आक्रोशित मुस्लिम आबादी की शिकायतों को दूर करके इस्लामिक चरमपंथियों का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए विदेश नीति में परिवर्तन, असहमति के क्षेत्रों में राजनीतिक रियायत, सुधार, मुस्लिम देशों की शिकायतें दूर करना और आय पुनर्वितरण व वार्ता का रास्ता अपनाया पड़ेगा। विचारकों का दूसरा समूह मानता है कि इस्लामिक उग्रवादियों द्वारा जन्मी ये शिकायत महज इसलिए हैं ताकि पश्चिम के प्रति अपने विरोध का औचित्य वे सिद्ध कर सकें।²

आतंकवाद के विश्लेषक, आद्रे कुर्थ क्रोनिन ने धार्मिक चरमपंथी आतंकी समूहों की तस्वीर को निम्न शब्दों में सामने रखा है कि जिहाद युग, धार्मिक पहचान और सिद्धांत के तत्वों के साथ व्यापक रूप से जुड़ा हुआ अलगाव है। मानव

मानस में गहरे तक समाया हुआ बलों का एक खतरनाक मिश्रण है। धार्मिक आतंकवादी अक्सर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से अलगाव की पूरी भावना को प्रदर्शित करते हैं। वे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अधिक परिपूर्ण और अधिक समतावादी बनाने के बजाय वे इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं (दि फेलियर आफ पालिटिकल इस्लाम (पालग्रेव मैकमिलन 2003)। इसी प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ बुनियादी पुनरुत्पादन का वर्णन किया गया है जो वर्तमान में इस्लामी दुनिया में मौजूद है। ब्रदरहुड के माध्यम से प्राथमिक जमीनी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। यह संगठन दुनिया में 70 से अधिक देशों में मौजूद है। इसकी स्थापना 1928 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में मिन्न में हुई थी। इसका मकसद शरिया पर आधारित आदर्श सरकार बनाना था। ब्रदरहुड ने गरीबों के लिए स्वयं सहायता, उदारता, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक सेवाओं का प्रचार किया और महिलाओं को घर मत वापस अपनी पारंपरिक भूमिका निभाने के लिए बाध्य किया। 1948 में समूह के एक सदस्य ने मिन्न के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। तब ब्रदरहुड दो हिस्सों में बंट गई, इनमें से एक हिंसा का समर्थक था तो दूसरा इस्लामिक समाज के लिए गैर हिंसक तरीके से काम करना चाहता था। यही प्रक्रिया अन्य देशों में भी दोहराई जाने लगी। वहां भी संगठन दो हिस्सों में बंट गया।³

अरब-इजरायल संघर्ष

1960 के दशक में अल फतह और पापुलर फ्रंट फार दि लिबरेशन आफ फिलीस्तीन (पीएफएलपी) जैसे फिलीस्तीन धर्मनिरपेक्ष आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1967 में इजरायल ने अरब बलों को बुरी तरह पराजित किया तो फिलीस्तीनी नेताओं ने महसूस किया कि अरब जगत सैन्य रूप से इजरायल का सामना करने में समर्थ नहीं है। उसी समय, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में क्रांतिकारी आंदोलनों से भी सबक लिया गया। इसके अलावा फिलीस्तीन में ब्रिटेन के खिलाफ यहूदी संघर्ष के दौरान देखा गया कि फिलीस्तीनियों ने गुरिल्ला और ग्रामीण आधारित युद्ध की बजाय शहरी आतंकवाद की तरफ रुख किया। कट्टरपंथी फिलीस्तीनियों ने अपने संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए आधुनिक दूरसंचार और परिवहन प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने हाईजैकिंग, अपहरण, बम विस्फोट और गोलीबारी की जैसे बाढ़ सी ला दी हो। जिसकी समाप्ति 1972 में म्यूनिख ओलंपिक खेलों के दौरान इजरायली एथलीटों के अपहरण और उनकी मौत के साथ हुई ये फिलीस्तीनी समूह तमाम धर्मनिरपेक्ष आतंकवादियों के लिए एक आदर्श बन गए। बाद में जातीय और धार्मिक आंदोलनों के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया। फिलीस्तीनियों ने एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी नेटवर्क तैयार कर लिया—जिसमें विभिन्न राज्य प्रायोजकों जैसे सोवियत संघ, कुछ अरब राज्य के अलावा पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ गठजोड़ किया। 1970 के दशक के अंत तक फिलीस्तीनी धर्मनिरपेक्ष नेटवर्क दुनिया भर में आतंकवादी तकनीक के प्रसार के लिए एक प्रमुख चैनल बन गया था।⁴ अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से 9-11 तक 1979 में सोवियत संघ ने 'अफगानिस्तान कम्युनिस्टों की मदद करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, जिन्होंने सत्ता हासिल की थी। दुनिया भर के मुसलमानों ने मुस्लिम देशों को आक्रमणकारी से मुक्त करने के लिए इस्लाम की रक्षा के नाम एक जिहाद या पवित्र युद्ध का आह्वान किया। इसमें दुनिया भर से तमाम देशों के हजारों नौजवान इस काम के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए। सऊदी ने पड़ोसी पाकिस्तान के धार्मिक स्कूलों में जिहाद के लिए तमाम वोलंटियर्स तैयार किए। न केवल मुस्लिम ब्रदरहुड से बल्कि सऊदी अरब और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए से भी पैसे की बरसात होने लगी। सऊदी अरब ने न केवल तमाम वोलंटियर्स लड़ाके भेजे, बल्कि लाखों डॉलर भी दिए। सीआईए ने तीन बिलियन डॉलर से ज्यादा का योगदान दिया। उसने 1000 से ज्यादा छोटे, पोर्टेबल स्टिंगर मिसाइल (नीचे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकाप्टरों और जहाजों को मार गिराने के लिए) प्रदान किए। इस तरह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौर में भी अफगानिस्तान एक युद्धक्षेत्र बन गया था। इसमें एक 25 वर्षीय सऊदी वॉलंटियर था ओसामा बिन लादेन। जो कि बहुत ही समृद्ध सऊदी परिवार का सदस्य था। उसने वहाबी स्कूल से पढ़ाई के बाद कालेज से इंजीनियरिंग और सार्वजनिक प्रशासन की पढ़ाई पूरी की थी। अफगान जिहाद के लिए उसने अपने पारिवारिक संबंधों के आधार पर पैसे का इंतजाम किया। प्रशिक्षण कैंपस स्थापित किया और सोवियत के खिलाफ लड़ाई में मुजाहिदीन की कमान संभाली। उसने अल कायदा का गठन किया। 1989 में सोवियत द्वारा अफगानिस्तान ने अपनी सेनाएं वापस बुला लेने के बाद ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब एक हीरो की तरह वापस गया। लेकिन 1990 में सद्दाम हुसैन की अगुआई में इराक ने कुवैत पर हमला किया। डर था कि सऊदी अरब पर अगला हमला इराक का होगा। सऊदी राजा फहद ने इराक को हराने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों पर भरोसा करने का फैसला किया। और उसने उन्हें मुस्लिम पवित्र धरती पर किसी गैर मुस्लिम की सेना को देख ओसामा बिन सऊदी अरब के राज परिवार और उसके अमेरिकी रक्षक का विरोधी बन गया। इस पर सऊदी अरब ने 1991 में ओसामा बिन

लादेन को देश से निष्कासित कर दिया। वह पूर्वी अफ्रीका के सूडान चला गया। तब सूडान में एक सख्त इस्लामवादी सरकार थी। वह अपने साथ लगभग 250 मिलियन डालर की धनराशि ले गया था। इसका एक हिस्सा उसने आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप के लिए खर्च किया। इस समय तक ओसामा बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय कानून का दुश्मन बन गया था। उसने अफगानिस्तान में भी अपनी पैठ बना ली, जहां तालिबान समूह ने सत्ता हासिल करने के बाद सख्त इस्लामवादी शासन लगाया था (अरब में तालिबान का मतलब छात्र होता है)। तालिबान ने उसे अफगानिस्तान में न केवल अभ्यारण्य प्रदान किया, बल्कि वित्तीय सहायता और लड़ाके भी दिए। उसने अलकायदा आतंकवादी नेटवर्क की वृद्धि के लिए तमाम कैंप स्थापित किए। 1998 में बिन लादेन ने अमेरिकियों और यहूदियों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। दावा किया कि अमेरिका ने मुस्लिमों की पवित्र भूमि अरब पर कब्जा कर लिया है। उसकी संपत्ति को लूट रहा है, लोगों को अपमानित कर रहा है, और पड़ोसियों को धमकी दे रहा है। बिन लादेन ने कहा कि यह हर मुस्लिम का कर्तव्य है कि 'अमेरिकियों का सफाया करें। बिन लादेन के आदेश पर इस्लामवादी आतंकवादी ने अमेरिकियों को लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया। 1998 में अफ्रीका में दो अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई। सन् 2000 में आत्मघाती हमलावरों ने यमन के तट पर यूएसएस कोल युद्धपोत पर हमला किया। सन् 2001 में जहाज हाईजैक कर आतंकवादियों ने अमेरिका में लगभग 3000 लोगों को मार डाला था। ओसामा बिन लादेन के लिए शिकार अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को उखाड़ फेंका। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगियों ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन के शासन को समाप्त कर दिया। सद्दाम के बारे में माना जाता है कि वह एक क्रूर तानाशाह था, हालांकि इस्लामवादी विचारों से जुड़ा नहीं था। अमेरिका के दोनों राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने बिन लादेन को पकड़ने या मारने की कसम खाई थी। ओबामा ने अफगानिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजा। अमेरिकी सेनाएं अलकायदा के सदस्यों को लक्ष्य करने और उन्हें समाप्त करने में सफल हुईं, लेकिन अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन फिर भी सुरक्षित बच कर निकलता रहा। अगस्त 2010 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसके संबंध इस आतंकी नेता से थे। महीनों तक सूचनाएं एकत्र करने के बाद और अमेरिका ने बहुत सारे सुबूत इस बात के एकत्र कर लिए कि ओसामा बिन लादेन यहीं छिपा है। 29 अप्रैल 2011 को काफी विचार विमर्श और सुरक्षा बैठकों के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने नेवी सील (सी, लैंड और एयर टीम) को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रविवार एक मई को नेवी सील ने हमले में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अंधाधुंध फायरिंग चार और लोग मारे गए थे, इनमें एक ओसामा बिन का पुत्र, पत्नी और दो अन्य लोग थे। इस समाचार को सुनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की हमने उसे पा लिया। दस साल की तलाश खत्म हुई। लेकिन अमेरिका ने अपना काम खत्म नहीं किया। उसने अलकायदा के नेताओं हमेशा निशाने पर रखा। सीरिया में अलकायदा से जुड़े समूह के नेता और सऊदी नागरिक सैनाफी अल-नासर का सफाया किया। हालांकि अलकायदा और इससे संबद्ध समूह (निष्ठा का दावा करने वाले समूह) इराक, सीरिया, नाइजीरिया, सोमालिया और यमन आदि देशों में अभी भी सक्रिय हैं। अयमान अल-जवाहिरी, जिस राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेषज्ञ 9-11 की घटना का मास्टरमाइंड कहते हैं, अलकायदा का प्रमुख प्रवक्ता हैं। यमन में अलकायदा ने पेरिस, फ्रांस में व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्डो में जनवरी 2015 में व्यापक गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना में 12 लोग मारे गए थे। चार्ली हेब्डो अक्सर पैगम्बर मुहम्मद के अलावा अन्य गैर-मुस्लिम धार्मिक और राजनीतिक लोगों के भी मजाकिया कार्टून प्रकाशित किया करता है। बोको हराम-9811 के हमले के बाद के वर्षों में एक अन्य जिहादी समूह बोको हराम (अंग्रेजी शिक्षा हराम है) अस्तित्व में आया। यह समूह अफ्रीकी देश नाइजीरिया में वहां की सरकार के खिलाफ आतंकवादी विद्रोहियों का संगठन है। यह दक्षिणी नाइजीरिया के ईसाई-वर्चस्व वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। यह पूरे देश में इस्लामिक सरकार भी स्थापित करना चाहता है। बोको हराम हिंसक छापों और हमलों में मुसलमानों और ईसाई को भी निशाना बनाता है। बोको हराम के आतंकवादी समूह द्वारा चिबाक के छात्रावास से ढाई साल पहले अपहृत इन 276 छात्राओं में मात्र 21 लड़कियों को ही उनलोगों ने छोड़ा। फिर भी इसे 17 अक्टूबर 2016 को सरकार और समूह के बीच कूटनीति में सफलता का प्रतीक कहा जा सकता है। मूल रूप से अलकायदा से संबद्ध बोको हराम ने 2015 में अपने प्रतिद्वंद्वी आईएसआईएस समूह को समर्थन की घोषणा की।

अल शबाब

हरकत शबाब अल मुजाहिदीन को आमतौर से अल शबाब के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है युवा (अरबी में) या युवाओं का समूह, जो कि इस्लामिक कोर्ट के सोमाली परिषद का आतंकवादी विंग है, जिसने दक्षिण सोमालिया के

अधिकांश हिस्सों पर 2006 के उत्तरार्द्ध में कब्जा कर लिया था। इस समूह को 2007 में सोमाली और इथियोपियाई सेना ने हरा दिया था, इसके बावजूद अल शबाब (एक कबीले आधारित विद्रोही और आतंकवादी समूह) ने दक्षिणी और मध्य सोमालिया में अपना हिंसक विद्रोह जारी रखा है। यह समूह अस्थायी रूप से ही वहां से बेदखल हुआ था। इसके बाद उसन वहां के रणनीतिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा। उप कबीलों के लड़ाकों की भर्तियां कीं, गुरिल्ला युद्ध छेड़े रखा। सोमालिया की संघीय सरकार (एफजीएस), सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन (एमिएसओएम) शांतिरक्षक, और गैर सरकारी सहायता संगठन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। हालांकि सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन (एमिएसओएम) शांतिरक्षक और इथियोपियाई बलों की 2011 से भारी दबाव के कारण अल शबाब का नियंत्रण काफी ढीला हुआ है, खासतौर से मोगादिशू में, लेकिन साथ ही देश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी, और इनके वरिष्ठ नेताओं के बीच के संघर्ष ने समूह के भीतर टूटफूट को बढ़ा दिया है। 2013 के बाद अल शबाब ने पड़ोसी देशों में भी हाई प्रोफाइल आपरेशन शुरू कर दिए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा सितंबर 2013 में नैरोबी के वेस्टगेट मॉल, मई 2014 में जिबूती में पश्चिमी देशों के नागरिकों के पसंदीदा रेस्त्रां में उसका आक्रमण रहा।

तालिबान

तालिबान अफगानिस्तान में सोवियत सेना के हटने के बाद 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में उभर कर सामने आया। एक प्रमुख पख्तून आंदोलन के तौर पर 1994 के शरद ऋतु में तालिबान अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व कायम करने में सफल रहे। सोवियत संघ के जाने के बाद और अंदरूनी कलह तथा मुजाहिदीन के अत्याचार से अफगान तंग थे। उन्होंने तालिबान का स्वागत किया। ऐसा माना जाता है कि वे धार्मिक सेमिनरी में दिखाई देते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले पख्तून क्षेत्रों में तालिबान का वादा था कि सत्ता में आने के बाद शांति और सुरक्षा को बहाल कर शरिया के कठोर संस्करण या कानून को लागू करेगा। दोनों ही देशों में इस्लामी सजा का समर्थन किया। जैसे कि दोषी ठहराए गए हत्यारों और व्याभिचारियों तथा चोरी के दोषी पाए गए आरोपियों को सार्वजनिक मृत्युदंड देना। उन पर का घोर उल्लंघन और सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने का आरोप था। इसका एक कुख्यात उदाहरण 2001 में तब सामने आया था, जब अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद तालिबान ने मध्य अफगानिस्तान में प्रसिद्ध बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं नष्ट कर दीं।

अलकायदा अभ्यारण्य

सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान पर दुनिया का ध्यान केंद्रित हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान पर ओसामा बिन लादेन और अलकायदा आंदोलन के लिए एक अभ्यारण्य प्रदान करने का आरोप लगा था। 9811 की घटना के बाद अमेरिकी गठबंधन की सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन उनका नेता मुल्ला मोहम्मद उमर पकड़ा नहीं जा सका। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में तालिबान फिर उभर कर सामने आए और सितंबर 2012 और हाल के वर्षों में काबुल में तमाम तालिबानी हमले हुए। समूह ने नाटों के बेस कैंप पर कई बड़े हमले किए। सितंबर 2012 में ही अमेरिकी सेना ने विवादास्पद बगराम जेल जेल का नियंत्रण अफगान अधिकारियों को सौंप दिया। इसमें उस समय 3000 से ज्यादा तालिबान लड़ाके और संदिग्ध आतंकवादी बंद थे। सितंबर 2015 में तालिबान ने एक प्रांत की राजधानी पर नियंत्रण कर लिया। 2001 में तालिबानी हार के बाद यह पहला मौका था, जब सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण शहर कुंदुज पर तालिबान ने नियंत्रण किया। अमेरिका अफगानिस्तान में लगभग 10 हजार सैनिक रखे हुए हैं, फिर भी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के समूह का तेजी से उदय होता जा रहा है।

निष्कर्ष

वैश्विक आतंकवाद हिंसा या डर का गैरकानूनी उपयोग है। इससे जनता के बीच में डर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह हिंसा का एक दर्शन है, जिसके माध्यम से आतंकवादी किसी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को डांवाडोल करना चाहते हैं। जो आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसे वैश्विक आतंकवाद के नाम से जानते हैं। हत्या, बमबारी, हाईजैकिंग, राजनयिक अपहरण राजनीतिक हिंसा का सबसे प्रचलित रूप है। इसका उपयोग आतंकवादी आतंक पैदा करने के लिए करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक अन्याय, जातीय राष्ट्रवाद, धार्मिक असहिष्णुता, खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि स्थितियां आतंकवाद के कारण सामने आ रही हैं। अलकायदा, अबू सयाफ, अंसार अल इस्लाम, अल्जीरिया का सशस्त्र आतंकवादी समूह, आर्मी आफ इस्लाम, बोको हराम, अल शबाब, तालिबान, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, लश्कर ए तय्यबा, जैश ए मुहम्मद, जिमाह इस्लामिया, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन,

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अंसार ई शैताई, अंसार दीने, काकेशस अमीरात आदि तमाम आतंकवादी समूह हैं, जो दुनिया भर में विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त हैं। सीरिया, ईराक, लीबिया आदि में इस्लामिक स्टेट द्वारा भयानक आतंकवादी गतिविधियां दुनिया के सामने हैं। इनके कारण लाखों लोग अपने घरों से पलायन कर यूरोप में शरणार्थी जीवन जीने को बाध्य हैं। जिसके कारण अप्रवासन की गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई है।

आतंकवाद चाहे जहां भी हो, हर हाल में निंदनीय और मानव जाति के लिए खतरा है। आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतराष्ट्रीय समुदाय को हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। मौजूदा परिदृश्य पर नजर डालें तो आतंकवाद पर काबू पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर दुनिया किस दिशा में जा रही है। आखिर मानव जाति का भविष्य क्या होगा और अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या होगा। लेकिन दीर्घावधि में देखे तो लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार, उदार विचारधाराओं को अपनाना, राष्ट्रीय भावना को पैदा करना, मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले। सामाजिक और राजनीतिक समाज से ही इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

संदर्भ

1. Alex Schmid, *Terrorism-The Definitional Problem*, *Journal of International Law*, 36, 2and3, 2004
2. Ryan Mauro, "Understanding Islamist Extremism available at www.clarionproject.org.
3. "Fundamentalist Islam: The Drive for Power", (Martin Kramer, 1997), Available: http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Phil%2010808/Fundamentalist%20Islam%20The%20Drive%20for%20Power%20by%20Martin%20Kramer.htm
4. Michael J. Mazarr, "The Psychological Source of Islamic Terrorism" available at www.hower.org. June 2004
5. Prof Rajesh Dogra, "ISIS: The geopolitics of terrorism, *World Focus*, New Delhi, February, 2016

21वीं सदी में भारत में भाषावाद की समस्या और उसके समाधान

डॉ० राम कुमार साह

ग्राम-अजना, पो.-गोपालपुर, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर

सार-संक्षेप

भारतीय भाषाओं को दो भागों में बाँटा गया है। उत्तर और मध्य भारत की भाषायें सीधे संस्कृत पर आधारित हैं। दक्षिण की चार भाषाओं का मूल भिन्न है पर उन पर भी संस्कृत का यथेष्ट प्रभाव है। उत्तर भारत की भाषायें समय प्रायः लोग लिपियों पर ध्यान देते हैं, पर लिपियाँ भाषाओं की भिन्नता का सदा सही माप नहीं देतीं। यदि भोजपुरी की अपनी लिपि होती तो वह भी पंजाबी की तरह एक अलग भाषा मानी जाती। ऐसे कई और उदाहरण दिये जा सकते हैं शायद इसी कारण विनोबा भावे ने कई दशक पूर्व आग्रह किया था कि सभी भारतीय भाषायें संस्कृत की लिपि यानी देवनागरी अपनायें। उनका यह सुझाव आया गया हो गया क्योंकि इसके अन्तर्गत हिन्दी और मराठी को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं को 'बुकना' पड़ता। समाधान ऐसा हो कि देश के भाषायी समन्वय के लिए हर भाषा को किंचित त्याग करना पड़े। भारत को अपने व्यापक पिछड़ेपन से यदि कभी उबरना है तथा विभिन्न वर्गों की घोर असमानता यदि कभी कम करनी है तो जरूरी होगा कि हम एक आम आदमी को उसी की भाषा में शिक्षा और शासन दें जैसा कि हर विकसित देश में होता है। हम अन्य देशों से सीखें, आज चीन जिस तरह दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आश्चर्य नहीं कि इस शताब्दी के मध्य तक चीनी भाषा विश्व में उत्तरी ही महत्वपूर्ण हो जाय जितनी अंग्रेजी। इसके संकेत अमेरिका में अभी से दिखने लगे हैं।

परिचय

विश्व के तेजी से प्रगति कर रहे सभी विकासशील देश अंग्रेजी अपनाये बिना, अपनी भाषाओं के माध्यम से प्रगतिशील हैं वही भारत में स्थिति उल्टी है यहाँ अंग्रेजी की जकड़ बढ़ रही है और भारतीय भाषायें चपरासियों की भाषायें हो चलीं हैं। इसका प्रमुख कारण है हमारी भाषाओं का आपसी वैमनस्य के निराकरण के लिए, अच्छा होगा यदि सभी भारतीय भाषायें एक लिपि अपनायें जो वर्तमान विभिन्न लिपियों का मिला-जुला रूप हो, पर सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा दक्षिण की चार भाषाओं को उत्तर भारत में मान्यता, साथ ही हिन्दी के पाठ्यक्रम में दूसरी उत्तर भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनायें जोड़ी

जाय ताकि छात्र इन भाषाओं की निकटता से परिचित हों। अंग्रेजी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषा है पर वाइसरायों के जमाने से चला आ रहा हमारा आंग्ल पाठ्यक्रम विवेकशून्य और आत्मघाती है। हम अंग्रेजी ऐसे पढ़ाये जैसे किसी भी अन्य देश में एक विदेशी भाषा पढ़ायी जाती है। भारत को अपने व्यापक पिछड़ेपन से यदि कभी उबरना है तथा विभिन्न वर्गों की घोर असमानता यदि कभी कम करनी है तो जरूरी होगा कि हम एक आम आदमी को उसी की भाषा में शिक्षा और शासन दें जैसा कि हर विकसित देश में होता है।

भारत में ऐसे 'जानकार' हर गली-नुकड़ पर मिलते हैं जो अंग्रेजी को प्रगति का पर्याय मानें। कोई उन्हें झकझोरे और बताये कि उन्नति का स्रोत आंग्ल भाषा नहीं, वह ज्ञान है जिसे अंग्रेजी से अनूदित कर जापान, कोरिया और चीन जैसे देश जन-सामान्य तक पहुँचाते हैं, उसका विकास करते हैं और अपना विकास करते हैं। क्या भारतीय भाषायें चीनी, जापानी आदि भाषाओं की तुलना में इतनी अक्षम हैं कि अंग्रेजी से अनुवाद न किया जा सके? स्वयं अंग्रेजी में निरन्तर पारिभाषिक शब्द गढ़े जाते हैं जो प्रायः ग्रीक और लैटिन भाषाओं पर आधारित होते हैं। संस्कृत का शब्द-भण्डार इन दो प्राचीन भाषाओं से अधिक समृद्ध है। हमें पारिभाषिक शब्द बनाने में कठिनाई क्यों हो? जापानी, कोरियाई आदि भाषाओं की तुलना में हमें अधिक सुभीता होना चाहिये। पर किस भाषा में अनुवाद? यह "अंग्रेजी की महत्ता क्यों और कितनी?" से भी बड़ा प्रश्न है भारतीय भाषाओं के आपसी वैमनस्य के कारण, पहले इसका हल ढूँढें।

भारतीय भाषाओं को दो भागों में बाँटा जाता है। उत्तर और मध्य भारत की भाषायें सीधे संस्कृत पर आधारित हैं। दक्षिण की चार भाषाओं का मूल भिन्न है पर उन पर भी संस्कृत का यथेष्ट प्रभाव है। उत्तर भारत की भाषायें समय प्रायः लोग लिपियों पर ध्यान देते हैं, पर लिपियाँ भाषाओं की भिन्नता का सदा सही माप नहीं देतीं। यदि भोजपुरी की अपनी लिपि होती तो वह भी पंजाबी की तरह एक अलग भाषा मानी जाती। ऐसे कई और उदाहरण दिये जा सकते हैं शायद इसी कारण विनोवा भावे ने कई दशक पूर्व आग्रह किया था कि सभी भारतीय भाषायें संस्कृत की लिपि यानी देवनागरी अपनायें। उनका यह सुझाव आया गया हो गया क्योंकि इसके अन्तर्गत हिन्दी और मराठी को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं को 'झुकना' पड़ता। समाधान ऐसा हो कि देश के भाषायी समन्वय के लिए हर भाषा को किंचित त्याग करना पड़े। ऐसा सम्भव है क्योंकि सभी भारतीय लिपियों की उत्पत्ति ब्राम्ही लिपि से हुयी है। यदि हम इस ब्राम्ही लिपि का ऐसा आधुनिक सरलीकरण और "त्वरित उद्भव" करें कि वह प्रचलित विभिन्न लिपियों का मिश्रज (हाईब्रिड) लगे तो उसे अपनाने में भिन्न भाषाओं को कम आपत्ति होगी। पर क्या अपनी लिपि का लगाव छोड़ा जा सकेगा? प्रथम तो यह कि मिश्रज लिपि पूरी तरह अपरिचित अथवा विदेशी न होगी। दूसरे, यदि कुछ कठिनाई होगी भी तो लाभ बड़े और दूरगामी हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि अंकों के मामले में ऐसा पहले ही हो चुका है..... अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर। संसार की सभी लिपियाँ अंकों के लिए अब 1, 2, 3, 4, 5.... का प्रयोग करती हैं। अब हम जहाँ-तहाँ ही हिन्दी में चार को '१' अथवा तमिल में सात को '७' लिखा पाते हैं।

बात अन्तर्राष्ट्रीयता की आई है तो कुछ लोग कहेंगे कि क्यों न हम अंग्रेजी की रोमन लिपि अपनायें? ऐसा करना अनर्थकारी और हास्यास्पद होगा। भारतीय वर्णमाला को विश्व का अग्रणी ज्ञानकोश..... इन्साक्लोपीडिया ब्रिटेनिका.... भी 'वैज्ञानिक' कहता है। भारतीय लिपियाँ पूरी तरह ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) हैं अर्थात् उच्चारण और वर्तनी (स्पेलिंग) में कोई भेद नहीं। ऐसी लिपि प्रणाली को छोड़कर यूरोपीय लिपि अपनाना सर्वथा अनुचित होगा। इस समय हमारी लिपियों की संसार में कोई पूछ नहीं है। यदि सभी भारतीय भाषायें एक लिपि का प्रयोग करें तो शीघ्र ही इस लिपि को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी जैसी कि चीनी, अरबी आदि लिपियों को आज प्राप्त है। एकता में बल है। एक-लिपि हो जाने पर भी भारतीय भाषायें भिन्न बनीं रहेंगी। दूसरा कठिन कदम होगा एक भाषा को समस्त भारत में प्रधान बनाने का यह हिन्दी होगी पर विशाल हृदय हिन्दी! साथ ही, हिन्दी के दक्षिण भारत में प्रसार के लिए आवश्यक है कि दक्षिण की चार भाषाओं को उत्तर भारत में मान्यता मिले। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है! हिन्दी भाषियों की संकीर्णता ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में सबसे बड़ी अड़चन रही है। दक्षिणी भाषाओं के प्रति उत्तर भारत में कोई जिज्ञासा नहीं है। यदि है तो एक 'हापड़िल्ले सापड़िल्ले' वाली उपहास-वृत्ति, आश्चर्य नहीं कि स्वाभिमानी दक्षिण भारतीय, जिनकी भाषाओं का लम्बा इतिहास और अपना साहित्य है, हिन्दी प्रसार के प्रयत्नों को इकतरफा और हेकड़ीभरा कहकर उसका विरोध करें।

भारतीय सेना में दक्षिण भारत की सेना-टुकड़ियों के उत्तर भारतीय अफसरों को चार दक्षिणी भाषाओं में से एक सीखनी पड़ती है। उत्तर भारत की शिक्षा-प्रणाली में ऐसा ही कुछ किया जाना नितान्त आवश्यक है। जैसे, हर माध्यमिक स्कूल में छठी कक्षा से एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाने की व्यवस्था हो। ऐसा होने पर उत्तर-दक्षिण का भाषायी वैमनस्य जाता रहेगा और तदजनित सद्भव के वातावरण में सहज ही हिन्दी को दक्षिण भारत में स्वीकृति मिलेगी। उत्तर भारत की दूसरी भाषाओं के प्रति हिन्दी को विशालहृदय भी होना होगा। बंगाली, गुजराती, उड़िया आदि के शीर्षस्थ साहित्यकारों की रचनायें हिन्दी पाठ्यक्रम में जोड़ी जायें। इससे छात्रों पर अतिशय भार न पड़ेगा। इन हिन्दीतर भाषाओं के अनेक पद्यों की भाषा हिन्दी की खड़ी बोली से लगभग उतनी ही दूर है जितनी 'रामचरितमानस' की अवधी। "वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ परायी

जाणे रे" का अर्थ समझने के लिए किस हिन्दी भाषी को कुंजी उठानी होगी। संस्कृतिगर्भित होने पर यह दूरी और भी कम हो जाती है जैसा कि 'जन गण मन' और 'वन्दे मातरम्' जैसी रचनायों में देखा जा सकता है। गद्य पाठन भी मुश्किल न होगा। "शांतता, कोर्ट चालू आहें" का अर्थ एक बार जान लेने पर क्या किसी उत्तर भारतीय के लिए याद रखना कठिन है?

उत्तर भारत की भाषाओं के सामीप्य के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं:-

- मीराबाई के भजन हिन्दी में जितने लोकप्रिय हैं उतने ही गुजराती में।
 - बिहार के विद्यापति को हिन्दी और बंगाली भाषी दोनों ही अपना मानते हैं।
 - पंजाबी के गुरु ग्रन्थ साहिब में मराठी कवि 'नामदेव' के अनेक पद हैं। उत्तर भारतीय भाषाओं के पाठ्यक्रम में दूसरी सहोदरी भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं को समाहित कर लेने से छात्र स्वयं इस भाषायी-निकटता से अवगत होंगे। हमारी सांस्कृतिक धरोहर में भिन्न क्षेत्रों के साहित्य का जो योगदान है उससे उनका परिचय होगा। भाषायी-सौहार्द तो बढ़ेगा ही।
- यों देश में आज भी दूसरी भारतीय भाषाओं की कुछेक रचनायें पढ़ाई जाती हैं..... पर अंग्रेजी के माध्यम से! इस पर कुछ कहने से पहले हम 'अंग्रेजी की महत्ता' के बड़े विषय को लें। निस्सन्देह वैज्ञानिक, प्रोद्योगिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में नई खोजों, नये विचारों की भाषा प्रायः अंग्रेजी होती है। सबसे उन्नत देश अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है। ज्ञान-विज्ञान की जितनी पुस्तकें, पत्रिकायें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं उतनी किसी और भाषा में नहीं। पर क्या इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हम अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजी को अंगीकार करें? भारत में आज ऐसा ही हो रहा है। अंग्रेजों के जाते समय अंग्रेजी भाषा की जितनी महत्ता थी, उससे अधिक आज है। क्या हमारा यह अंग्रेजी-अनुराग हमारे देश के उत्थान में सहायक हुआ है अथवा इस विदेशी भाषा पर अधिकार करने के अर्धसफल या असफल प्रयास में हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपार समय और ऊर्जा गँवा रहे हैं?

उच्च शिक्षा के लिए जितने छात्र भारत से प्रतिवर्ष अमेरिका जाते हैं, लगभग उतने ही तैवान, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों से, जहाँ विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा तकनीकी विषय भी चीनी, कोरियाई जैसी भाषाओं में पढ़ाये जाते हैं। हमारे अंग्रेजी-दक्ष इंजीनियर कोरिया के लोगों को कार, टीवी बनाना नहीं सिखाते। उनके टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने वाले इंजीनियर हमें, और बाकी दुनिया को, ऐसा सामान बनाकर बेचते हैं। इन अंग्रेजी-मोह से मुक्त देशों की सफलता का कारण समझना कठिन नहीं है। वहाँ अंग्रेजी की पुस्तकों का स्वदेशी भाषा में अनुवाद करके उस ज्ञान को जन-साधारण के लिए सुलभ कर देते हैं। जो छात्र उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अथवा जो दूसरे कारणों से अंग्रेजी में रुचि रखते हों, केवल वे ही अंग्रेजी पढ़ते हैं। शेष छात्र इस भार से लगभग मुक्त। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि इन देशों में विदेशी साहित्य और संस्कृति के प्रति रुचि न हो। टैगोर की कवितायों से इन एशियाई देशों के छात्र जितने परिचित हैं उतने भारत के नहीं। वहाँ महाकवि का काव्य अपनी बोली में भाषान्तर करके पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ करोड़ों बंगाली छात्र उन्हीं कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हैं जो कुंजियों की मदद से आधा-अधूरा किसी के पल्ले पड़ जाय तो बहुत समझिये। बात हमारे अंग्रेजी पाठ्यक्रम की आई है तो उसके अन्य आयाम भी देख लें। भारत में अंग्रेजी एक विदेशी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती। उसका पठन-पाठन कुछ ऐसा है मानो हम सब लंदन के निवासी हों!

वे छात्र जो अभी अंग्रेजी व्याकरण सीख ही रहे हैं और जो अपने मन के एक-दो सहज विचारों को ठीक तरह अंग्रेजी में व्यक्त करने में असमर्थ हैं उनसे कहा जाता है कि वे अंग्रेजी में गद्य तथा पद्य की सन्दर्भ सहित व्याख्या करें। संसार का शायद ही कोई दूसरा देश एक विदेशी भाषा को सीखने में ऐसी कमअक्ली दिखाता हो। स्वयं भारत के महानगरों में, जहाँ फ्रांसीसी, जर्मनी आदि भाषायें सिखाई जाती हैं वहाँ जोर व्याकरण की पक्की नींव डालने और शब्द ज्ञान बढ़ाने पर होता है। उस भाषा के साहित्य का अध्ययन-अनुशीलन तो बहुत बाद में और अधिकांश छात्रों को उसकी आवश्यकता ही नहीं। यह उस साहित्य का अध्ययन-अनुशीलन तो बहुत बाद में और अधिकांश छात्रों को उसकी आवश्यकता ही नहीं। यह उस साहित्य की अवहेलना नहीं, अपनी सीमायें समझने और प्राथमिकता निर्धारित करने की बात है।

अंग्रेजी में ऐसे अनेक उच्च कोटि के कवि और लेखक हैं जिनकी कुछेक रचनाओं से परिचित होना किसी भी शिक्षित भारतीय के लिए जरूरी है, पर अंग्रेजी साहित्य विश्व-साहित्य नहीं है। अन्य विदेशी भाषाओं में भी प्रथम स्तर के बहुतेरे साहित्यकार हैं। वास्तव में टाल्सटॉय, चेखव और दॉस्तोयव्स्की जैसे रूसी दिग्गजों के आगे अंग्रेजी का कोई कथाकार नहीं ठहरता। हम क्यों न सभी श्रेष्ठतम विदेशी साहित्यकारों की रचनायें पढ़ें..... पर अपनी भाषा में अनूदित करके, जैसा कि संसार के लगभग हर दूसरे देश में होता है। हमारे वर्तमान आंग्ल-पाठ्यक्रम में फ्रांसीसी मोपासां और रूसी चेखव की कहानियाँ कुछ ऐसे प्रस्तुत की जाती हैं मानो वे अंग्रेजी के लेखक हों। बंगाली के टैगोर का क्षोभनीय उदाहरण तो हम देख ही चुके हैं। आज से 500 वर्ष पहले विश्व की भाषाओं में अंग्रेजी की कोई गिनती नहीं थी। इसको बोलने वाले दो-एक टापू तक सीमित थे और वहाँ भी विद्वानों की भाषा लैटिन थी। शासक वर्ग में लैटिन की पुत्री इतालवी को सीखने का लोगों को सबसे अधिक चाव था.... पर इंग्लैण्डवासी इस विदेशी-भाषा-शक्ति से ऊपर उठे। उन्होंने उस समय के सभी महत्वपूर्ण

ग्रन्थों का बाइबिल जिनमें प्रमुख थी अपनी बोली में अनुवाद प्रारम्भ किया। विदेशी पुस्तकों, कथाओं आदि के आधार पर अपनी भाषा में साहित्य रचा। उनकी भाषा समृद्ध और सशक्त हुई और साथ ही सबल हुआ वह समाज। उनके उत्कर्ष की शेष कहानी तो हम जानते हैं।

निष्कर्ष

पाँच सदी पूर्व की अंग्रेजी की तुलना में हमारी भाषाओं की वर्तमान स्थिति श्रेयस्कर है। अगर कमी है तो केवल इच्छाशक्ति की, एक संकल्प की, आपसी भाषायी राग-द्वेष को मिटाकर आगे बढ़ने की। आज देश में जो भी प्रगति हो रही है उसका लाभ प्रायः उच्च-मध्यवर्गीय 20 प्रतिशत लोगों तक सीमित है। शेष 80 प्रतिशत के पास अपना जीवन स्तर सुधारने के बहुत कम रास्ते हैं, जिनका एक कारण अंग्रेजी की प्रभुसत्ता है। यदि भारत को कभी उन्नत देशों की श्रेणी में गिना जाना है तो जरूरी है कि हम अंग्रेजी की बेड़ियों से मुक्त हों। उसे एक अतिथि सा सम्मान दें, गृहस्वामिनी न मानें। आम आदमी को उसी की भाषा में शिक्षा और शासन दिया जाय। हम अन्य देशों से सीखें, आज चीन जिस तरह दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आश्चर्य नहीं कि इस शताब्दी के मध्य तक चीनी भाषा विश्व में उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाय जितनी अंग्रेजी। इसके संकेत अमेरिका में अभी से दिखने लगे हैं।

संदर्भ स्रोत

1. एस. एम. सिंह, भाषावाद का महत्त्व, वाणी प्रकाशन, आगरा, 1992, पृ- 162
2. राकेश बहादुर सिंह, भाषावाद एवं पिछड़ापन, जेनरल बुक एजेन्सी, पटना, 2007, पृ037.
3. प्रो. डॉ. गौतम भोंग, भाषावाद का समस्या एवं समाधान, सक्सेस पब्लिकेशन, आगरा, 2011, पृ0 97.
4. जीया लाल यादव, भाषावाद का सिद्धांत, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2012, पृ0 15.
5. विक्रम गोस्वामी, आधुनिक भाषावाद का परिचय, डिसकवरी पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2012, पृ0 56.

संस्कृत महाकाव्य मे 'सीताचरितम्' एक अवलोकन

माया कुमारी

पी-एच0डी0 (संस्कृत विभाग), बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर

विपुल और समृद्ध संस्कृत साहित्य में सीता-चरित को अधिकृत कर काव्य-प्रणयन का श्रेय कविवर रेवा प्रसाद द्विवेदी को ही है। इनका महाकाव्य 'सीताचरितम्' सीता-चरित विषयक पहला काव्य है। रेवा प्रसाद जी की सीता एक सबल और स्वाभिमानी नारी है।

'अत्र सीता करुणैकपात्रं नास्ति' - कहकर कवि ने महाकाव्य के प्रथम संस्करण की भूमिका में ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर दी है। अतः यह महाकाव्य पूर्ववर्ती महाकवियों द्वारा रचित सीता-चरित से इतर महत्व रखता है। 'सीताचरितम्' में द्विवेदी जी ने राम और सीता के राज सिंहासन पर आसीन होने से लेकर सीता के भू-समाधि तक की कथा प्रस्तुत की है। दस सर्गों में उपनिबद्ध इस महाकाव्य में डॉ0 द्विवेदी ने भारतीय जीवन दर्शन और उसके उच्चतम आदर्श मूल्यों को 'सीताचरित' के माध्यम से जितनी सूक्ष्मता से प्रदर्शित किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। 'सीताचरितम्' की सीता केवल एक परित्यक्ता नारी नहीं है, अपितु वह जगत् के कल्याण के लिए अपने समस्त सुखों का त्याग करने में भी सदैव तत्पर रहती है।

परिस्थितियों की विषमता होने पर भी प्रेमसिक्त चित्त से राम के प्रति निष्ठापूर्वक अपने धर्म का निर्वहण करती हुई सीता जिस प्रकार दोनों कुलों की मर्यादा की रक्षा करती है, उसके लिए कौशल्या मुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा करती हुई कहती है- आज मेरे लिए तू वंदनीया हो गई-

सुते! विधौ वामविधायिनि व्रतं सुताय मे दिग्गमना न याऽत्यजः ।

कुलद्वयस्यापि सुरक्षितत्रपात्वमेव वन्धाऽसि शुभे! ममाधुना ॥¹

वजाति के लिए वंदनीय जो धर्म की मुद्रा सूर्यवंश की कीर्ति-पताका पर विराजित है और जिस देव प्रतिमा से 'रामायण' नामक मन्दिर सुशोभित है, वह सीता ही है-

त्वमेव भास्वत्कुल-कीर्ति-केतने वृषांकमुद्रासि नृलोकवन्दिता ।

त्वमेव रामायणनाम्नि मन्दिरे विभासि सर्वप्रमुखेव देवता ॥²

जगत् कल्याण हेतु शरीर धारण करने वाली सीता राम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान होकर उषः श्री के सदृश शोभायमान हो रही है-

निमिकुलतपसां वा सत्फलं, पुण्यपाको
रविकुलजनुषां वा जानकीत्यार्य लक्ष्मीः ।
व्यरूचदवनिपालस्यार्थ भद्रासनस्था
श्रितवपुरिव लोकस्योदया यौषसी श्रीः ॥³

सीता के साथ श्रीराम के युगल छवि का वर्णन करते हुए कवि सीता की उपमा लक्ष्मी के साथ विमान श्रृंग पर बैठे लक्ष्मीपति विष्णु के साथ करते हैं—

विमानश्रृंगाद् भगवांस्त्रियः पतिर्यथैक्षत ब्रह्मसरः समुद्भवाम् ॥⁴

सीता का असह्य कष्ट और अपूर्व त्याग राम को पुनः विचलित कर देता है। विह्वल राम की विवशता प्रजावत्सल राम के धर्म के समक्ष पराजित हो जाती है, और राजधर्म का निर्वहण करते हुए वे अपनी पतिव्रता पत्नी के परित्याग का निर्णय लेते हैं। जिसे सुनकर राम की माताएँ अपार कष्ट का अनुभव करती हैं। सीता की सत्यता के विषय में माताओं की यह उक्ति ही प्रमाण है—

क्त भूतधात्र्या दुहिता स्नुषा च मे,
प्रतीपभावा क्वच तादृशी कथा ।
उपांशु मल्ली न विषं, न चन्द्रिका तमो,
न गंगा कलुषायितं भजेत ॥⁵

सीता के गुणों का बार-बार स्मरण करती हुई माताओं द्वारा लगातार अश्रुपात करते रहने से जब राम दुविधा में दिखाई पड़ते हैं तब वहाँ अक्षुण्ण पातिव्रत्य धर्म की मूर्ति बनकर सीता स्वयं राम को इस संशय से मुक्त करती हैं। आत्मदेवता को साक्षी मानकर राम की विमलचित्त धर्मपत्नी सीता स्वयं कर्तव्य का निश्चय करती हैं—

अथ रघुपतिजायैवात्मदेवस्य साक्ष्या-
ज्जटिति विमलचेता निश्चिकाय स्वधर्मम् ।
वदितुमथ च धैर्यात् किंचिदाकुंचिताक्षी
धृततनुदिव काशी प्रक्रमं सा चकार ॥⁶

सीता के कर्तव्य निश्चय का विशेष वर्णन संपूर्ण तृतीय सर्ग में किया गया है। यहाँ सीता-चरित को अपनी परिकल्पना के अनुरूप ढालने के लिए द्विवेदी जी ने उसमें ओजस्विता का समावेश किया है। जब सभी परिजन किंकर्तव्य विमूढ़ होकर मौन हो जाते हैं, तब सीता स्वयं बोल पड़ती हैं। परिजनों के परायेपन से आहत सीता धीरता का अवलंबन कर अपना निर्णय सुनाती हैं। वस्तुतः कुलीनता का परिचय इसी से होता है, न कि अपमानित जीवन जीने से। कोई उसे अपमानित कर घर से निकाल दे, इससे पूर्व वह स्वयं ही घर से निकल जाने का निर्णय सुनाती हैं। सीता का यह निर्णय भले ही शोभनीय न हो, किन्तु परिस्थितिजन्य होने से उचित माना जा सकता है।

‘सीताचरितम्’ की सीता नारी स्वाभिमान के रक्षार्थ स्वयं साहसिक निर्णय लेती हैं न कि शोक सागर में डूबकर अपमानित और उपेक्षित जीवन स्वीकार करती हैं। मुखरित सीता का अभिनव वर्णन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं—

‘सा निसर्गमधुस्वरा ततः सत्यहेमिनि लिखितेव देवता ।
आजहार हृदयानि भाविनी बान्धवस्य पटुभाषिणी सती ॥⁷

दोष-दर्शन तो मानव का सहज स्वभाव है। दोष को स्वतः प्रमाण मानने वालों की दृष्टि में कमल तो केवल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, जबकि वह जल से भी उत्पन्न होता है और सूर्यप्रभा का भी अवलंबन करता है—

किन्तु विश्वसिति दूषणं प्रमापूतमेव जनता स्वतः सदा ।
तोयजं भवति पंकजं ही तन्मानसे श्रयदपि प्रभां रवेः ॥⁸

कर्तव्य दर्शन में आत्मनिश्चय को प्रमाण मानने वाले उत्तम व्यक्ति के लिए दूसरों का निर्देश पालन संभव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मद्रष्टा निर्भय होते हैं। वनगमन का साहसिक निर्णय निश्चय ही ‘सीताचरित’ की सीता को पूर्ववर्ती कवियों की नायिका सीता से पृथक् करता है। पति राम की अक्षुण्ण कीर्ति सदैव बनी रहे और मानवजाति का कल्याण होता रहे, इसलिए सीता दृढ़ संकल्पित हैं। विधाता की लिपि नष्ट करना मनुष्य के वश में नहीं, परन्तु सन्मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति की अन्तरात्मा की शुद्धता का प्रमाण देती है, जिससे वह आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है। संवेदनशील हृदय सीता विषम परिस्थिति में भी शुभ की कामना करती हैं। राम के प्रति सीता की यह उक्ति बहुत तर्कपूर्ण है, वह कहती है कि शुचिता के सत्यापन के लिए प्रमाण की आवश्यकता होने पर भी मन को वश में रखने वाले धनी महात्माओं का अनुसरण करने वाले के लिए प्रामाण्य परतः नहीं हुआ करता—

आर्य यद्यपि शुचित्वमात्मनः सेदुर्मर्ति न साक्षिणं विना ।
किन्तु वश्यमनसां महात्मनां वर्त्मगे न परतः प्रमाणिता ॥⁹

कवि ने सीता को नवम् वर्ग में राष्ट्र देवी कहा है— ‘राष्ट्रस्य देवी च पुनर्व्यलोकिके’। पति से पृथक् वाल्मीकि आश्रम में सीता दो पुत्रों का समुचित पालन करती हैं।

समस्त सिद्धियों से परिपूर्ण सीता के ओज में लघिमा, शरीर में अणिमा, चरित्र में महिमा, अंतःकरण में वशीकरणत्व, यश में प्राकाम्य और बुद्धि में गरिमा उसके प्रखर और मुखर व्यक्तित्व को स्वतः प्रस्फुटित करते हैं।

लघुत्वमोजस्यणिमा शरीरे तस्यास्तदानीं महिमा च वृत्ते ।
वशित्वमन्तः करणे यशःसु प्राकाम्यमासीद् गरिमा च बुद्धौ ॥¹⁰

संक्षेप में कह सकते हैं आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने नारी स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति के रूप में सीता की जीवंत प्रस्तुति की है। द्विवेदी जी की सीता रामायण युग की चरित्र नायिका नहीं है, अपितु वह क्रांतिकारी विचारोंवाली जागृत नारी है, जो सदियों की रूढ़िवादिता से परे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखती है। नारी-जागरण के प्रतीक के रूप में वर्णित सीता न केवल आत्मस्वाभिमान से परिपूर्ण तटस्थ विचारों वाली स्त्री है, प्रत्युत अपने अदम्य साहस और दृढ़ निर्णय-शक्ति से पुरुष समाज को अपने समक्ष नतमस्तक होने पर बाध्य करती है। द्विवेदी जी की दृष्टि में सीता एक सशक्त पतिव्रता नायिका है जिसमें स्त्रीयोचित दुर्बलता का सर्वथा अभाव है। तत्कालीन समाज का नेतृत्व करने वाली यह सीता न तो आँसू बहाना जानती है और न व्यर्थ दैव प्रलाप ही करती है अपितु वह तो साहसिक निर्णय लेकर सबों को विस्मित करती हुई उस स्त्री समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है जिसके प्रखर व्यक्तित्व के सामने पुरुषार्थ भी नगण्य हो जाता है।

संदर्भ

1. सीताचरितम्— 1.16
2. सीताचरितम्— 1.19
3. सीताचरितम्— 1.68
4. सीताचरितम्— 2.8
5. सीताचरितम्— 2.51
6. सीताचरितम्— 2.60
7. सीताचरितम्— 3.1
8. सीताचरितम्— 3.6
9. सीताचरितम्— 3.21
10. सीताचरितम्— 9.55

श्रुति प्रोक्त भाष्यों का मूलार्थ विवेचन

श्याम सुन्दर चौधरी
मधुबनी

श्रुति गुरु-परम्परा से श्रुत विद्या का नाम है। अर्थात् सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज तक जिनकी सहायता से ब्रह्मादि ऋषियों को सत्यविद्या की प्राप्ति हुई, उसे 'श्रुति' कहते हैं। मनुस्मृति कहती है- 'श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः' अर्थात् वेदों को ही श्रुति समझना चाहिए। 'वेद' शब्द किसी एक ग्रन्थ विशेष का बोध न कराकर मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दराशि का बोध कराता है। मन्त्र भाग को संहिता और अर्थ स्मारक वाक्यों को 'ब्राह्मण' कहा जाता है। वृक्ष और शाखा की तरह ही शब्द और अर्थ की पृथक् सत्ता नहीं है। श्रुति भगवती बतलाती है कि 'अनन्ता वै वेदाः' वेद का अर्थ है-ज्ञान। ज्ञान अनन्त है, अतः वेद भी अनन्त हैं। तथापि मुण्डकोपनिषद् की मान्यता है कि वेद चार हैं-

ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोथर्ववेदः । 1. ऋग्वेद, 2. यजुर्वेद, 3. सामवेद और 4. अथर्ववेद। इन वेदों के चार उपवेद इस प्रकार हैं-

**आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्ववेदो चैते त्रयः ।
स्थापत्यवेदमपरमुपवेदश्चतुर्विधः ॥**

उपवेदों के कर्ताओं में आयुर्वेद के कर्ता धन्वन्तरि, धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र, गान्धर्ववेद के कर्ता नारदमुनि और स्थापत्यवेद के कर्ता विश्वकर्मा हैं।

वेदों के सर्वाङ्गीण अनुशीलन के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, इन छह अङ्गों सहित प्रतिपदसूत्र, अनुपद, प्रातिशाख्य ;छन्दोभाषाद्ध धर्मशास्त्र, न्याय तथा वैशेषिक सहित छह दर्शन ग्रन्थ भी हैं। 'प्रातिशाख्य' को वैदिक व्याकरण भी कहते हैं।

वेद-विद्या के अनुसार विश्व के दो मूल तत्त्व हैं- देवतत्त्व और भूततत्त्व। एक सूक्ष्म है, दूसरा दृश्य। सूक्ष्म देवतत्त्व ही शक्ति तत्त्व है। प्रजापति ही वह मूल शक्ति तत्त्व है। यही अनिरुक्त-निरुक्त, अमूर्त-मूर्त, ऊर्ध्व-अधः आदि रूपों से सृष्टि में परिव्याप्त है। इसीलिए उन्हें वेदों में 'अजायमान' तथा 'बहुधा विजायते' कहा गया है-

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनिं भुवनानि विश्वा । ;यजु. 31/19द्ध

अर्थात् प्रजापालक परमात्मा सब पदार्थों के अन्दर विचरता रहता है, वह अजन्मा होकर भी अनेक प्रकार से प्रकट होता है। उनके मूलस्वरूप को ज्ञानीजन देखते हैं, उन्हीं में सम्पूर्ण भुवन व्याप्त है।

सामान्यतः जिस विद्या से परमात्मा की व्यापकता को देखा या जाना जाता है, वह ज्ञान है और जिससे उस एक के प्रपंचात्मक विस्तार का ज्ञान होता है, वह विज्ञान है। दूसरे शब्दों में अनेक रूपों में व्याप्त एक-तत्त्व को जानना ज्ञान है और एक तत्त्व की बहुविध व्यापकता को समझना विज्ञान है। वेदों में ब्रह्मतत्त्व ज्ञान है तथा यज्ञ प्रक्रिया विज्ञान है।

'अणोरणीयान्महतो महीयान्' सूत्र के रूप में वेद-विद्या में सृष्टि-विद्या का विवेचन निहित है। वैदिक ज्ञान-विज्ञान के रूप में व्याख्यायित वेद-ब्रह्म की अनुभूति के लिए आर्ष-पद्धति का अनुसरण अपरिहार्य है। आर्ष-पद्धति के अनुरूप मानसिकता से ही अर्थ गूढ़ आलंकारिक शैली एवं प्रतीकों तथा सांकेतिक मिथकों के रहस्योद्घाटन होनेपर वेद के गुह्य अर्थ की संगति बैठती है और वेद-विद्या के सत्यदर्शन से आधुनिक भौतिकवाद तथा भोगवाद से आक्रान्त विरोध-अन्तर्विरोध, आरोप-प्रत्यारोप एवं आक्षेपों का समाधान हो पाता है। जैसे- वेद में पशु, रश्मि एवं प्रकाशवाचक 'गो' शब्द का बहुशः प्रयोग हुआ है, किंतु इसका अर्थ आत्मज्योति करने पर सर्वत्र संगति बैठने के साथ ही अर्थ की गरिमा भी प्राप्त होती है। 'अश्व' का अर्थ आत्मशक्ति करने पर गोमेध और अश्वमेध को लेकर किये जानेवाले कुतर्क स्वतः शान्त हो जाते हैं।

वेद-प्रयुक्त इन्द्र-अग्नि आदि का परमात्मशक्ति, वृत्र का मलिनता से आवृत करनेवाला, अर्णव शब्द का तेजःपुंज, क्षरीरसागर का अमृतमय अनन्तसत्ता आदि अर्थ करने पर वेद के गुह्यार्थ की अनुभूति होती है। इसी प्रकार 'ऋतंच सत्यं चाभीद्वात्.....' तथा 'अविनमीले पुरोहितं' आदि मन्त्रों का लौकिक-शाब्दिक नहीं, आध्यात्मिक यौगिक अर्थ करने पर ही वैदिक ऊर्जा एवं वेद-ब्रह्म की अनुभूति होती है और वेदार्थ को आध्यात्मिक आयाम मिलता है। इसी प्रकार 'चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ' एवं 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते' आदि मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ करना ही समीचीन है।

वैदिक शब्दों के रूढ़ या गूढ़ अर्थों के स्पष्टीकरण के लिए 'निघण्टु' नामक वैदिक भाषा के शब्दकोश की रचना हुई तथा विभिन्न ऋषियों ने 'निरुक्त' नाम से उसके व्याख्या ग्रन्थ लिखे। महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में अठारह निरुक्तों के उद्धरण दिये हैं। वेदार्थ के निर्णय में महर्षि यास्क की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अर्थगूढ़ वैदिक शब्दों का अर्थ प्रकृति-प्रत्यय-विभाग की पद्धति द्वारा स्पष्ट किया है। उनका यह प्रयास रहा है कि वेदों में भिन्नार्थक शब्दों के योग से यदि मिश्रित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है तो गुण-धर्म के आधार पर एक ही शब्द विभिन्न संदर्भों में विभिन्न अर्थों का द्योतन करता है। उदाहरणार्थ- निरुक्त के पंचम अध्याय के प्रथम पाद में 'वराह' शब्द का निर्वचन द्रष्टव्य है। संस्कृत में 'वराह' शब्द शूकर के अर्थ में ही प्रयुक्त है, किन्तु वेदों में यह शब्द कई भिन्न अर्थों में भी प्रयुक्त है। जैसे-

'वराहो मेघो भवति वराहारः ।'

-मेघ उत्तम या अभीष्ट आहार देनेवाला होता है, इसलिये इसका नाम 'वराह' है।

अयमपीतरो वराह एतस्मादेव । वृहति मूलानि । वरं वरं मूलं वृहतीति वा ।' 'वराहमिन्द्र एमुषम् ।'

-उत्तम-उत्तम फल, मूल आदि आहार प्रदान करनेवाला होने के कारण पर्वत को भी 'वराह' कहते हैं।

'अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते ।'

-तेजस्वी महापुरुष उत्तम-उत्तम गुणों को ग्रहण करने के कारण 'वराह' कहलाते हैं।

'वरं-वरं वृहति मूलानि ।'

-उत्तम-उत्तम जड़ों या औषधियों को खोदकर खाने के कारण शूकर 'वराह' कहलाता है।

महर्षि यास्क ने प्रकृति-प्रत्यय-विभाग स्पष्ट दृष्टिगत न होनेवाले परोक्ष शब्दों के अर्थ करते समय व्याकरण-सिद्ध पारम्परिक अर्थ के स्थान पर लोक-प्रचलित अर्थ ग्रहण करने के सिद्धान्त को भी मान्यता दी है- 'अर्थो नित्यं परीक्ष्यते न संस्कारमाद्रियते ।'

'समुद्र' शब्द संस्कृत में केवल सागर का अर्थ-बोधक है, परन्तु वैदिक भाषा में विस्तीर्ण का पर्यायवाची होने से सागर तथा आकाश- इन दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त है। हिन्दी में 'गो' शब्द गाय के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है और संस्कृत में गाय एवं इन्द्रियों के अर्थ में व्यवहृत है। वेदों में 'गो' गाय तथा इन्द्रिय के अर्थ में प्रयुक्त तो है ही, महर्षि यास्क के मतानुसार 'गौर्यवस्ति लोवत्सः', अर्थात् गो, यव, तिल, वत्स के अर्थ में भी प्रयुक्त है। इसी प्रकार संस्कृत में 'दुहिता' शब्द लड़की के अर्थ में प्रयुक्त है, किन्तु निरुक्त के अनुसार दूर में ;पतिगृह में रहने से जिसका हित हो, वह 'दुहिता' ;दूर हिताद्ध है या फिर गाय दुहनेवाली कन्या 'दुहिता' ;गवां दोग्धी वाद्ध है।

वेद-भाषा का तदनुसार अर्थ न करने से कितना अनर्थ हो सकता है, इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है- **एकया प्रतिष्ठापित्व् साकं सरांसि त्रिंशतम् । इन्द्रः सोमस्य काणुका ।।** ऋग्वेद 8/77/4द्ध विद्वानों ने संस्कृत व्याकरण के आधार पर इस मन्त्र का अर्थ किया है- 'सोमप्रिय इन्द्र एक ही बार में एक साथ सोमरस के तीस प्याले पी गये' जबकि निरुक्त के निर्वचनानुसार यहाँ इन्द्र 'सूर्य' का और सोम 'चन्द्रमा' का बोधक है। कृष्णपक्ष के पन्द्रह दिन तथा पन्द्रह रात्रि मिलकर तीस अहोरात्र ;त्रिंशतम् सरांसिद्ध कहे जाते हैं। कृष्णपक्ष में सूर्य इस सोमरस चन्द्रमा की तीस अहोरात्र वाली कलाओं का पान कर जाता है, यह अर्थ निश्चित होता है।

इसी प्रकार निरुक्तकार महर्षि यास्क ने वेदों में वृत्रासुर की कल्पना न कर वेदमन्त्र में प्रयुक्त 'वृत्र' को मेघ के अर्थ में स्वीकार किया है-

तत् को वृत्रो ? मेघ इति नैरुक्ताः । ;निघण्टु 2/16द्ध

अर्थात् वृत्र मेघ का ही नाम है। इन्द्र शब्द तेजस्वी विद्युत् के अर्थ में प्रयुक्त होने से यहाँ यह भाव स्पष्ट होता है कि मेघ

द्वारा जल का धारण करना तथा विद्युत् के प्रहारों से मेघों का भेदन कर उनसे जलवर्षण करना ही इन्द्र का वृत्र के साथ संग्राम है, जो इन्द्र-वृत्रासुर के संग्राम की भूमिका में आलंकारिक वर्णन के रूप में प्रसिद्ध है।

निरुक्तकार यास्क ने वैदिक शब्दों के विलक्षण व्युत्पत्ति प्रस्तुत की है। प्रकृति-प्रत्यय के अनुरूप इन शब्दों की व्युत्पत्ति के क्रम में उनकी परंपरा को ही इंगित किया गया है। वैदिक कोषों के संग्रह को निघंटु कहा गया है। परवर्तीकाल में विद्यावाचस्पति मधुसूदन झा ने वैदिक कोष का संग्रह किया जो छन्दोबद्ध, श्लोकबद्ध है। श्री पाददामोदर सातवलेकर, योगिराज अरविन्द आदि महानुभावों ने वैदिक शब्दों के रस-रहस्य का पल्लवन किया है।

वैदिक शब्द मूलतः यौगिक माने गए हैं। इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ अद्वैत सत्ता का ही समर्थन करते हैं। 'देवता नपात्' नामक ग्रन्थ में विद्यावाचस्पति मधुसूदन झा ने जिन नपात् देवताओं का परिचय प्रस्तुत किया है, उसके द्वारा शब्दों का व्याकरणिक विवेचन भी प्रकट हुआ है। उदाहरणस्वरूप श्रुतिप्रयुक्त अपानपातः शब्द को लिया जा सकता है। इसका निर्वचन इस प्रकार किया गया है— 'आप्नोति अपा अन्तरिक्ष स्यात्। वैदिक सृष्टि विज्ञानक्रमेण अयमात्मनः आकाशः सम्भूत आकाशाद् वायुः वायोरग्नेनपात इति नप्ता न पततीति पितरः यस्यै स नपातः पौत्रः अपानपातः अग्निः स्यात् अन्तरिक्षस्य पुत्रः वायुः वायोरग्ने अग्निः कस्मात् अग्रणी भवति। अङ्ग करोति यज्ञेषु प्रणीयते आग्नेयो वै ब्राह्मणः इति श्रुतेः।'

इसी प्रकार तनूनपात् इस शब्द का अर्थ घृत किया गया है। 'तनु विस्तारे' तथा 'क्षीण करने' धातु से तनु शब्द बना है, तनु का अर्थ गाय होता है। गाय का पुत्र दुग्ध है तथा दुग्ध का पुत्र घृत होता है। इस प्रकार तनूनपात् शब्द घृत का वाचक है।

वैदिक इंडेक्स में वैदिक शब्दों का मूलार्थ प्रस्तुत किया गया है। उदाहरणार्थ इन शब्दों का उल्लेख किया जाता है—

आक्रमण	—	सीढ़ी
आडम्बर	—	एक प्रकार का ढोल
शाप	—	नदी का तलछट
अथरी	—	भाले की नोंक/ हाथी
घास	—	एक प्रकार का पौधा।

उपर्युक्त शब्दों का मूल अर्थ अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, आक्रमण का अर्थ सीढ़ी है क्योंकि इस पर क्रमशः चढ़ा जाता है। किसी ऊँचाई पर चढ़ाई करने के क्रम में सीढ़ी, आक्रमणद्ध का उपयोग होता था, किन्तु अब आक्रमण शब्द चढ़ाई का ही वाचक हो गया है। इसी प्रकार शाप शब्द मूलतः नदी तलछट का वाचक है, परंतु अब जीवन-धरा में कालिमा के आगमन को शाप कहा जाता है।

श्रुति में इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, वृषभ, विष्णु आदि शब्द मूलतः ईश्वर के ही वाचक हैं। इन्द्र तथा स्यन्द— इन दो ऽ पातुओं से सम्बद्ध है। इनका अर्थ ऐश्वर्य तथा गतिशीलता है। इसी प्रकार मित्र शब्द 'इमिदा स्नेहने' धातु से निष्पन्न है, जो मूलतः ईश्वर का ही वाचक है तथा 'वृवरणे' धातु से वरुण शब्द निष्पन्न है। इसी प्रकार 'अंजूगतौ' धातु अग्नि शब्द तथा 'वृष्टु व्याप्तौ' धातु विष्णु शब्द में है। श्रुति का कथन है— 'त्वमग्ने इन्द्रो वृषभो सतामसि।' 'त्वं विष्णुरुगुगायो नमस्य।' अर्थात् ब्रह्म अन्य आख्यानों के साथ वृषभ शब्द से भी अभिमण्डित है। वृषभ शब्द को इस प्रकार सिद्ध किया जाता है। 'वर्षतीति रसः इति वृषभः = वर्षतीति आपः इति वृषभः = वर्षतीति धर्मः इति वृषभः।' वृषभ शब्द मूलतः ईश्वर का ही वाचक है किन्तु इसका प्रयोग उच्छा अथवा बैल के लिए भी होता है। इसकी व्युत्पत्ति है— 'वर्षतीति रेतः इति वृषभः।'

मैक्समूलर आदि भाष्यकारों ने वेदों के अग्रह्य अर्थ भी किए हैं। उन्होंने इंद्र को शताधिक महिषी को पकाने वाला कहा है परन्तु वेद में महिषी का अर्थ भैंस न होकर महान् है। इस प्रकार श्रुति मन्त्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की मीमांसा मनन-चिन्तन-निदिध्यासन के द्वारा ही सम्भव है। अतः श्रुति प्रोक्त पारिभाषिक शब्दों के मूलार्थ का पल्लवन आवश्यक प्रतीत होता है।

सन्दर्भग्रन्थ

1. मनुस्मृति, 2/10 श्री पं० हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान
2. यजुर्वेद संहिता 31/19; मंत्रानुक्रमण्या सहितद्व— नाग पब्लिशर्स
3. अणोरणीयान्महतो महीयान् कठोपनिषद् 1/2/20
4. 'ऋतंच सत्यं चाभीद्वात्.....' ऋग्वेद संहिता, 10/190/1
5. 'अग्निमीले पुरोहितं' ऋग्वेद संहिता, 1/1/1
6. निरुक्तम्; मुकुन्द झा बख्शीद्ध, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
7. वैदिक कोष; मधुसूदन झाद्ध, चौखम्बा प्रकाशन
8. वैदिक कोष, सूर्यकान्त, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, वैदिक इण्डेक्स, भाग-1; रामकुमार रायद्ध, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,
9. वैदिक इण्डेक्स, भाग-2; रामकुमार रायद्ध, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण-2010
10. कल्याण, वेद कथाङ्क, गीताप्रेस, गोस्वपुर-1999

राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान एक अध्ययन

डॉ० राजीव नयन दूबे

एम०ए०, पीएच०डी०, राजनीति विज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास से कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है। समाजों में, सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप हुए राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतया राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। कोलमैन के अनुसार "राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रातिकालीन ;ज्त्तंदेपजपवदंसद्ध समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है।" इन परिवर्तनों का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा व्यवहार प्रतिमानों से होता है। इस अर्थ में राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से अधिक व्यापक अवधारणा कही जा सकती है। इसको व्यापक अवधारणा मानने का प्रमुख कारण इसका शहरीकरण, उद्योगीकरण, लौकिकीकरण, लोकतांत्रिककरण, शैक्षणिक और सहभागिता से आगे तक के परिवर्तनों से सम्बन्धित होना है। अर्थात् राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति से सम्बन्धित पहलुओं को लेकर मानव दृष्टिकोण में परिवर्तन आना है। राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक समाज वही कहा जा सकता है जिसमें व्यक्ति का अभिज्ञान राजनीतिक व्यवस्था और इसके विभिन्न पक्षों से होने लगता है।'

कोलमैन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढाँचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली माँगों का मुकाबला कर सके।" इस तरह राजनीतिक आधुनिकीकरण का सम्बन्ध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की माँग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सकें, किन्तु उसमें इतनी शक्ति भी हो कि हर प्रकार की माँग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके, अर्थात् हर उचित माँग को स्वीकार करने के साथ ही साथ उसे पूरा करने और अनुचित माँग को दृढ़ता के साथ टुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक कहा जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ व परिभाषा से स्पष्ट है कि विशेष लक्षणों वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकृत कहा जाता है।'

राजनीतिक आधुनिकीकरण की कई विशेषताएँ हैं जिनका उल्लेख भिन्न-भिन्न विद्वानों ने किया है। आइजन्स्टॉड के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं³ :-

- I. राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाओं एवं प्रकार्यों में उच्च मात्रा का विभेदीकरण तथा केन्द्रीकृत एवं एकीकृत शासन-व्यवस्था का विकास;
- II. केन्द्रीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों का विस्तार तथा समस्त सामाजिक क्षेत्रों में उनकी व्याप्ति
- III. समाज की अन्तर्निहित शक्ति का अधिकाधिक समूहों तथा सामान्य नागरिकों में फैलाव।
कार्ल डायश और आमंड व पावेल ने भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है।⁴
 1. राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केन्द्रीकरण— राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण यह है कि मानव-जीवन से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के सम्बन्ध में आवश्यक शक्तियाँ राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रित होने लगती हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में विकेन्द्रीकरण नहीं है। वस्तुतः विकेन्द्रीकरण तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। राज्य में शक्ति के केन्द्रित होने का अर्थ है राजनीतिक शक्ति का महत्व।
 2. राज्य एवं सरकार का सामाजिक स्तरों में प्रवेश— प्राचीनकाल की राजनीतिक व्यवस्था पुलिस राज्य की व्यवस्था थी। उस समय राज्य या सरकार सामान्य जन में प्रवेश नहीं करती थी। राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर पर राज्य या सरकार की पहुँच जनता तक है। सामाजिक स्तर पर सरकार की जनता तक पहुँच या प्रवेश आवश्यक है।
 3. केन्द्र और परिधि की बढ़ती हुई अन्तःक्रिया— आधुनिक राजनीतिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके अन्तर्गत केन्द्र और सरकार की परिधि की अन्तःक्रिया बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीतिक शक्ति के विभिन्न केन्द्र आपस में इतने अधिक क्रियाशील हो जाते हैं कि दोनों स्तरों के केन्द्र निरंतर संप्रेषण के माध्यमों से जुड़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में एक साथ दो तरफा प्रक्रिया चलती है। यहाँ केन्द्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है और परिधि या परिसर का अर्थ समाज से है।
 4. सत्ता के परम्परागत स्रोतों का कमजोर होना— राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवस्था में सत्ता के परम्परागत स्रोत कमजोर हो जाते हैं। हम पाते हैं कि परम्परागत राजनीतिक समाज में राजनीतिक सत्ता का स्रोत कबीलों का मुखिया, राजा-महाराजा, धार्मिक गुरु तथा पारिवारिक प्रमुख होते हैं। उस समाज में रहनेवाले लोग इन्हें श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं। उदाहरण के लिए, आज भी भारत में धार्मिक गुरुओं और जाति नेताओं का व्यापक प्रभाव है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में इन स्रोतों का प्रभाव लोप हो जाता है और उनके स्थान पर सत्ता के नये केन्द्र उभर जाते हैं।
 5. राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण एवं विशेषीकरण— राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण तथा विशेषीकरण राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। सरकार के कार्यों में वृद्धि होने के कारण राजनीतिक व्यवस्थाएँ पेचीदा हो जाती हैं और उनके कार्यों में विशेषीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। सरकार के बड़े हुए कार्यों के सही और समुचित ढंग के संचालन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का विभेदीकरण करना आवश्यक है। संस्थाओं के विभेदीकरण और विशेषीकरण के बिना यह संभव नहीं हो सकता है कि सरकारें उन समस्त कार्यों को सही और प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें, जिन्हें सम्पन्न करने के लिए वे आधुनिक राज्यों में उत्तरदायी मानी जाती हैं। विकासशील राज्यों में राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण और विशेषीकरण सीमित स्तर पर होने के कारण वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं को विभेदीकरण और विशेषीकरण अनिवार्य हैं।
 6. राजनीतिक व्यवस्था में जन सहभागिता का विस्तार— राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए केवल संस्थात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में जन सहभागिता कितनी है यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। कुछ देशों में स्वाभाविक रंग से जन-सहभागिता नहीं उपलब्ध हो पाती है, इसलिए वहाँ जन संचालन की आवश्यकता होती है। यह बात विकासशील देशों के साथ ज्यादा लागू होती है।
 7. व्यक्तियों में राजनीतिक व्यवस्था के साथ अधिकतम तादात्म्य की भावना— राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक प्रमुख पहचान यह भी है कि व्यक्तियों में राजनीतिक व्यवस्था के साथ तादात्म्य होने की अधिकाधिक प्रकृति या भावना हो। राष्ट्र या सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा या अपनापन राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण संकेत या अभिव्यक्ति है।
 8. व्यापक आधारवाली नौकरशाही— राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए व्यापक आधारवाली नौकरशाही आवश्यक है। आधुनिक राज्य के लिए एक संगठित और कुशल नौकरशाही आवश्यक तो है ही, परन्तु उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि नौकरशाही का आधार व्यापक हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधिक नौकरशाही की स्वीकृति राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण लक्षण है। भारत में भी प्रतिनिधिक नौकरशाही की मांग दिन-व-दिन बढ़ती

जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कुछेक दशकों तक हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकांश सदस्य समाज के उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं। प्रतिनिधिक नौकरशाही के अभाव के कारण भारत तथा विकासशील देशों में नौकरशाही में अभिजनवाद की प्रवृत्ति पनप गयी है। परिणामस्वरूप निम्न तबके के लोगों को प्रशासनिक सेवा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है।

राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमानों का उल्लेख करने के क्रम में दो बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम, राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है और द्वितीय, राजनीतिक आधुनिकीकरण कोई आनुक्रमिक प्रतिमान नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसके लिए कोई निश्चित या सर्वव्यापी प्रतिमान ढूँढना संभव नहीं है। फिर भी एडवर्ड शील्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था के पाँच रूपों का उल्लेख किया है।⁵

1. राजनीतिक लोकतंत्र — एडवर्ड शील्स के मतानुसार राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्थाओं की आधुनिकता के स्तर तक पहुँचने का संकेतक है। उसी व्यवस्था को राजनीतिक लोकतंत्र कहा जाता है जहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश लक्षण कम या अधिक मात्रा में विद्यमान हों। अमेरिका तथा ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक लोकतंत्र कहा जा सकता है।

राजनीतिक लोकतंत्र की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं :-

- (क). इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक व्यवस्थापिका हो जो सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अधीक्षक, निदेशक और नियंत्रक के रूप में काम करे। इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण करना हो।
- (ख). राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो जो चुनाव में विजयी होकर सरकार का गठन करें तथा निर्वाचन घोषणा-पत्र में दिये गये वायदों को पूरा करें।
- (ग). इसके अन्तर्गत सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थात्मक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित रूप से स्थापित हों।
- (घ). स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व हो।
- (ङ). राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूर्वशर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जैसे, जनता आत्मसंयमी हो, सरकार में परिवर्तन के लिए सांविधानिक उपाय ही अपनाये जाएँ, इत्यादि।
- (च). सुगठित और सशक्त नौकरशाही हो तथा राज्य में विधि-व्यवस्था रखने के लिए पर्याप्त पुलिस दल की व्यवस्था हो।
- (छ). आम लोगों की सरकार तथा सम्पूर्ण व्यवस्था में विश्वास और आस्था हो तथा स्थापित मूल्यों एवं मानकों के प्रति प्रतिबद्धता हो।

2. अभिभावकी लोकतंत्र — एडवर्ड शील्स के अनुसार अभिभावकी लोकतंत्र का स्थान राजनीतिक लोकतंत्र के बाद आता है। अभिभावकी लोकतंत्र वह व्यवस्था है जो लोकतंत्र के मूल्यों और मानकों के मानने के लिए प्रतिबद्ध हो और उन विधियों और पद्धतियों को अपनाता हो जो आमतौर से राजनीतिक लोकतंत्र में अपनायी जाती हैं। अभिभावकी लोकतंत्र की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं :-

- (क). अभिभावकी लोकतंत्र में कार्यपालिका वास्तविक शक्तियों का केन्द्र होती है। यह व्यवस्थापिका से ज्यादा शक्तिशाली होती है।
- (ख). व्यवस्थापिका वस्तुतः कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करती है इसलिए इसकी भूमिका अत्यधिक सीमित होती है।
- (ग). यद्यपि विपक्ष को भी स्थान दिया जाता है, परन्तु राजनीतिक संचार के साधनों पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है।
- (घ). विधि का शासन होता है तथा नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा की जाती है और मान्यता दी जाती है।
- (ङ). इसके अन्तर्गत एक निष्पक्ष और सुगठित नौकरशाही होती है जो सरकार को निष्पक्ष परामर्श देती है।

3. आधुनिकोन्मुख वर्गतंत्र — कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि आधुनिकीकरण के प्रयत्न लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफल या प्रभावी नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत, उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग अवरुद्ध होने लगते हैं। वैसी स्थिति में यह प्रतीत होने लगता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को सफल और प्रभावी बनाने के लिए लोकतंत्र की अपेक्षा वर्गतंत्र ही उपयुक्त है। इस संदर्भ में आधुनिकोन्मुख वर्गतंत्र की चर्चा की जा सकती है।

आधुनिकोन्मुख वर्गतंत्र परम्परावादी वर्गतंत्र से ज्यादा और राजनीतिक लोकतंत्र से कम है। इस प्रकार की व्यवस्था में

सत्ता या तो असैनिक शासकों के हाथ में रहती है या सैनिक शासकों के हाथ में। जब सत्ता असैनिक शासकों के हाथ में रहती है तो उसका सेना पर नियंत्रण रहता है, किन्तु यदि सत्ता सैनिकों के हाथ में रहती है तो सत्ता के उच्चतर सैनिक पदाधिकारी व्यवस्था के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण रखते हुए असैनिक नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं :-

- (क). व्यवस्थापिका की भूमिका मात्र अनुसमर्थन देने तक सीमित रहती है।
- (ख). विपक्ष को समाप्त कर दिया जाता है; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं; राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तथा संचार के साधन प्रतिबंधित रहते हैं।
- (ग). नौकरशाही को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- (घ). स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव रहता है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक लोकतंत्र की सभी संचनात्मक व्यवस्थाएँ या तो भंग कर दी जाती हैं या उनकी भूमिका मात्र औपचारिक बनकर रह जाती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण की अपेक्षा आर्थिक और सामाजिक आधुनिकीकरण पर अधिक बल दिया जाता है।

4. सर्वाधिकारी वर्गतंत्र – सर्वाधिकारी वर्गतंत्र में राजनीतिक आधुनिकीकरण की अपेक्षा आर्थिक व सामाजिक आधुनिकीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें एक संगठित एवं सर्वशक्तिमान राजनीतिक दल के नेतृत्व में आधुनिकीकरण के प्रयास किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत राजनीतिक स्वतंत्रताओं की अपेक्षा आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। इसके अन्तर्गत शासन संचालन की शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथ में निहित रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं

- (क). सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित रहती है;
- (ख). शासकीय अभिजन विचारधाराओं के आधार पर सुसंगठित एवं अनुशासित रहते हैं;
- (ग). इसके अन्तर्गत विधि के शासन तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव रहता है;
- (घ). वधस्क मताधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका तथा लोकतंत्र के अन्य उपकरणों का प्रयोग मात्र प्रचार तथा दिखावा के लिए किया जाता है।
- (ङ). आम जनता की शासक वर्ग की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। सोवियत रूस या जनवादी चीन की राजनीतिक व्यवस्थाएँ इसके उदाहरण हैं।

5. परम्परागत वर्गतंत्र – परम्परागत वर्गतंत्र का आधार परम्परागत धार्मिक विश्वास या अभिवृत्तियाँ होती हैं। शासक वंशपरम्परानुगत होते हैं। इनका चयन या तो रक्त सम्बन्धों के आधार पर होता है या रक्त सम्बन्धी रिश्तों या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनके द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों द्वारा चुनाव-दोनों के संयोग के आधार पर होता है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं :-

- (क). शासन संचालन चुने हुए अपने निकटतम व्यक्तियों के परामर्श पर किया जाता है;
- (ख). इसमें व्यवस्थापिका या तो रहती ही नहीं है; या उसकी भूमिका गौण होती है;
- (ग). शासन संचालन के लिए शासक अपने साथ पुलिस या सेना की सशक्त टुकड़ी रखते हैं;
- (घ). सत्ता केवल रक्त सम्बन्धियों या कुछ निकटतम व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है, इसलिए कुशल एवं संगठित नौकरशाही की व्यवस्था नहीं रहती है;
- (ङ). विपक्ष का अभाव रहता है और जनमत का निर्माण नहीं हो पाता है।
- (च). शासक वर्ग परम्परागत संस्कृति के संरक्षण के आधार पर सत्ता की वैधता स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

काउत्सकी का वर्गीकरण

एडवर्ड शील्स के अतिरिक्त कई अन्य विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान के रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। काउत्सकी के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान के रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है :- (क) परम्परावादी कुलीनतंत्र, (ख) सत्तावादी व्यवस्था, (ग) सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, (घ) बुद्धिजीवी सर्वाधिकारवादी और (ङ) लोकतंत्र। इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के बावजूद काउत्सकी ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था का विशुद्ध रूप ढूँढ़ पाना कठिन है। सभी व्यवस्थाएँ किसी न किसी रूप में मिश्रित व्यवस्थाएँ हैं।^१

डेविड ऐप्टर का वर्गीकरण डेविड ऐप्टर ने भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के कई प्रतिमानों का संकेत किया है। ऐप्टर ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण स्वेच्छाचारी व्यवस्था, सैनिक वर्गतंत्र तथा कई अन्य प्रतिमानों में विभक्त किया है।^१

निष्कर्ष

उपर्युक्त वर्गीकरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के किसी निश्चित प्रतिमान की स्थापना करना न तो सहज है और न ही संभव। सच पूछा जाये तो यह कहा जा सकता है कि विश्व में जितनी राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं उतने ही राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान हैं, या हा सकते हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ प्रतिमानों की विवेचना की जाती है। एक बात यह स्पष्ट होती है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ कम या ज्यादा मात्रा में राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख हैं।

सन्दर्भ सूची

1. एस.पी. वर्मा, *मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, विकास पब्लिशिंग, दिल्ली, 1995, पृ. 208.*
2. एम.जे. लेवी, *मॉडर्नाइजेशन एण्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसायटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन, 1966, पृ. 11.*
3. उपरोक्त.
4. एस.पी. वर्मा, *पूर्वोक्त, पृ. 209-211.*
5. एडवर्ड ए. शिल्स, *पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट्स, माउटन, हेग, 1962.*
6. एस.पी. वर्मा, *पूर्वोक्त, पृ. 210.*
7. डेविड ऐप्टर, *पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो, 1965.*

13 अगस्त, 1990 को वी.पी.सिंह ने संसद में दिए गए अपने बयान में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले की तरफदारी की। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि हम जागरूकतापूर्वक उन्हें देश के निर्णय-निर्माण में एक स्थान देना चाहते हैं, संरचना में एक स्थान देना चाहते हैं, कि केवल विभिन्न तबकों के आर्थिक फायदे के लिए कार्यक्रम बनाने से कुछ नहीं होगा। सबसे गरीब व्यक्ति को सत्ता संरचना से जोड़ने के तर्क में बहुत अधिक दम है।¹⁹

यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का सबसे घातक पहलू इसका सामाजिक रूप से विभाजनकारी होना था। सामाजिक न्याय के नाम पर इसने एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर दिया। विभिन्न समूहों से बातचीत कर किसी फैसले पर पहुँचने की कोशिश नहीं की गई। ऊँची जातियों के युवा इसे अपने हितों को नुकसान पहुँचाने वाला मानते थे। उन्हें आरक्षण को क्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। मंडल-विरोधी आंदोलन ने सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करने, बसों को जलाने, रैलियों और प्रेस में बहस इत्यादि का रूप धारण किया। ऊँची जातियों द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन का समर्थन अक्सर इन्हीं जातियों से संबंधित शिक्षक, ऑफिस-कर्मचारी आदि कर रहे थे। ऊँची जातियों के छात्रों ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के फैसले को रद्द करने की मांग की। अपनी मांग पर जोर देने के लिए सितम्बर के मध्य में ऊँची जातियों के कई छात्रों ने आत्मदाह करने की कोशिश की।²⁰ मंडल-विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर पिछड़ी जातियों ने भी आरक्षण के समर्थन में आंदोलन छेड़ दिया।

ऊँची जातियों के छात्रों और बुद्धिजीवियों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की। पिछड़ी जातियों के छात्रों और बुद्धिजीवियों ने इस मांग का तीखा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जाति भारतीय समाज का यथार्थ है। जातिवाद की बढ़ोत्तरी संबंधी बातें ढकोसला है, क्योंकि जाति के आधार पर ही शूद्र जातियाँ सदियों से शोषण का शिकार होती रही हैं। आरक्षण-समर्थकों ने इस बात पर जोर दिया कि ऊँच-नीच पर आधारित जाति-व्यवस्था सकारात्मक विभेदीकरण के लिए पहले से ही कायम संरचना है। गेल ऑमवेट लिखते हैं कि ऊँची जातियों को यह डर था कि केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण लागू हो जाने से नौकरशाही से संबंधित शक्ति-संरचना में उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जातियाँ मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले का विरोध कर रही थीं।²¹

बहरहाल लालू की मौन सहमति से इकट्ठा होकर, पिछड़ी जातियों ने शहरों के बीच से कूच किया और उच्च जातियों से टक्कर ली जिन्होंने उनकी संपत्ति उजाड़ी थी। लालू ने पुलिस को मंडल विरोधी आंदोलनकारियों के साथ सख्ती से पेश आने के आदेश दिए। उनका उद्देश्य उच्च जातियों में भय जगाना था, कुछ ऐसा करते और कहते रहना था जिससे उनके मन में लालू के प्रति घृणा बढ़े और निचली जातियाँ आनंद से विभोर होकर पूरी तरह उनके पीछे हो जाएँ। वह चाहते थे कि निचली जातियों के लोग उन्हें अपना सूरमा, उद्धारक और मसीहा समझें। राज्य में अलग-अलग जिलों में पुलिस के हाथों उच्च जाति के दर्जन भर युवक मारे गए। शायद ही कोई ऐसा शहर या गाँव बचा हो, जहाँ आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी गुटों में हिंसक झड़पें न हुईं हो।

जल्दी ही यह टकराव ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर उपजी जातीय हिंसा से बुरी तरह प्रभावित जिलों में सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, छपरा, सीवान, पटना, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी और भागलपुर प्रमुख थे। 1990 में अगड़ों और पिछड़ों के बीच विद्वेष की भावना इस बार 1978 की तुलना में अधिक गहरी थी। उनके बीच सामाजिक संपर्क पूरी तरह बंद हो गया था। उच्च जातियों के युवकों ने भारी बेरोजगारी से भरे उन दिनों में मंडल को जिंदगी और मौत का सवाल बना लिया था और पिछड़ी जाति के युवकों को इसमें वह सब पाने का अधिकार एवं मौका नजर आ रहा था जो सदियों से उनसे छिना जाता रहा है।

अगड़ों और पिछड़ों के बीच मध्यस्थता करने और शांति स्थापित करने के बजाय, लालू ने ऐसे भाषण दिए जिनसे खाई बढ़ गई। दोनों के बीच आग अधिक से अधिक भड़काकर ही राजनीतिक लाभ चौगुना किया जा सकता था। लालू ने वही किया। लालू ने उच्च जातियों के विरुद्ध बहुत जहर उगला और उसे पिछड़ी जातियों के लिए बहुरंगी दिन में बदल दिया। 8 अक्टूबर, 1990 को लालू ने गांधी मैदान में 'मंडल रैली' आयोजित की। इस रैली में पिछड़ों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रैली में लालू ने जोर देकर कहा कि चाहे धरती आसमान एक हो जाए, पर मंडल पर कोई समझौता नहीं होगा। लालू ने आरक्षण के पक्ष में गाँव-गाँव दौरा किया। पिछड़ों, को यह समझाया कि पहले क्लेक्टर, एस.पी. मिसिर जी, त्रिपाठी जी, सिंह जी, वर्मा जी होते थे— अब होंगे यादव जी, महतो जी, साह जी। यही है आरक्षण।²²

आरक्षण के खिलाफ ऊँची जातियों के तीखे विरोध का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाढ़ में वी.पी. सिंह की सभा में जूते-चप्पल फेंके गये तो आरा में लालू की सभा में उपद्रव हुआ। किसी भी राजनीतिक दल ने खुलकर आरक्षण विरोधी आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं की। फिर भी यह एक जमीनी सच्चाई है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व दूसरे दर्जे के ऊँची जाति के कांग्रेसी और भाजपाई नेता कर रहे थे। दूसरी ओर, लालू और उनके साथी आक्रामक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिए जाने की मुहिम के अगुआ बने हुए थे।

मंडल परिघटना तथा पिछड़ा, दलित और मुसलमान समीकरण (1990-2005)

मो० आले नबी

शोध, छात्र, राजनीति विज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सन् 1990 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के छह महीने बाद ही केन्द्रीय राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह ने अपने शासन का सबसे विवादास्पद फैसला किया। 7 अगस्त को उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इस फैसले का देश की राजनीति पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने बिहार की राजनीति को साफ तौर पर ऊँची जातियों और पिछड़ी जातियों के खानों में बाँट दिया। बिहार के समाज में यह विभाजन पहले भी मौजूद था। लेकिन मंडल परिघटना ने इसमें बहुत अधिक बढ़ोत्तरी की। यह घोषणा लालू प्रसाद के लिए एक वरदान साबित हुई।

मंडल रिपोर्ट लागू करने की घोषणा के साथ ही राज्य में उच्च जातियों का गुस्सा तुफान की तरह फैल गया। वे भी जो सिद्धांत रूप में इस फैसले से असहमत नहीं थे, इस अचानक और मनमाने फैसले से चकित थे। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला करने से पहले वी.पी.सिंह ने अपने कैबिनेट से सलाह-मशविरा तक नहीं किया था।²³ मंडल आयोग की सिफारिशों को यकायक लागू किए जाने के फैसले से सभी राजनीतिक दल भौचकके रह गये। किसी भी दल ने खुले रूप में पिछड़ों को आरक्षण देने का विरोध नहीं किया, क्योंकि कोई भी दल पिछड़ी जातियों का विरोधी नहीं दिखाना चाहता था। फिर भी, कांग्रेस, भाजपा और वामदलों के बिना किसी विचार-विमर्श के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के वी.पी. सिंह के फैसले का विरोध किया। इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की वकालत की।

वी.पी.सिंह की सहयोगी पार्टियों, भाजपा और वाम मोर्चा का उन पर दबाव बढ़ रहा था कि आरक्षण में आर्थिक मापदंड को शामिल किया जाना चाहिए। ये पार्टियाँ वी.पी. सिंह से मांग कर रही थीं मंडल की सिफारिशों में उस 'बिहार फार्मूला' के अनुसार संशोधन किया जाए, जिसे नवम्बर 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था। बिहार फार्मूला में तीन विशिष्ट लक्षण थे। एक, सभी ओ.बी.सी. को आरक्षण देने के बजाय इसने ओ.बी.सी. को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया था— (1) ई.बी.सी. यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग और (2) बी.सी.अर्थात् पिछड़े वर्ग— और दोनों के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी; उच्च पिछड़ों को अलग एक उपश्रेणी में रखा गया था, ताकि उन्हें आरक्षण के तहत सभी नौकरियों हथियाने से रोका जा सके। दो, उन बच्चों को कोटे में शामिल नहीं किया गया था जिनके माँ-बाप आयकर देते हैं। तीन, उच्च जातियों में गरीबों को एक पिछड़ा वर्ग मानते हुए, 3 प्रतिशत कोटा उनके लिए निर्धारित किया गया था।²⁴

इसी कड़ी में उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ एक याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया। अक्टूबर 1990 को इसने मंडल रिपोर्ट को लागू करने का रोक लगाने के संबंध में अपना अंतरिम आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश के बाद मंडल-विरोधी आंदोलन धीरे-धीरे कमजोर पड़ते हुए शांत हो गया। लेकिन मंडल-विरोधी हिंसक आंदोलन के गहरे राजनीतिक निहितार्थ निकले। इसने संपूर्ण उत्तरी-भारत में गहरे सामाजिक विभाजन को और अधिक बढ़ाया।

दरअसल बिहार की राजनीति में आजादी के बाद से लेकर 1990 के बिहार विधानसभा चुनावों तक पिछड़ों की हिस्सेदारी में काफी बढ़ोत्तरी हो चुकी थी। लेकिन मंडल परिघटना ने पिछड़ी जातियों और ऊँची जातियों के बीच ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर दी। यह परिघटना बिहार में सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन के नये आयाम को रेखांकित करता है।

वी.पी. सिंह के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले के बीच भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की घोषणा कर मंडल राजनीति का जवाब अपनी *कमंडल नीति* से देने का फैसला किया। यह देशभर में हिंदुत्व के लिए एक धर्मयुद्ध था। यह रथ-यात्रा अयोध्या पहुंचकर समाप्त होनी थी जहां वह उस स्थल पर एक राम मंदिर का निर्माण करते हेतु भक्तों का नेतृत्व करने वाले थे जिस जगह सोलहवीं सदी का बाबरी मस्जिद खड़ी थी।

आडवाणी की रथ-यात्रा जैसे-जैसे बढ़ी, कई शहरों में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए। बिहार में 1989 में रामशिला शोभायात्रा के कारण भागलपुर में हुए जनसंहार का संत्रास अभी तक मुसलमानों के दिल से गया नहीं था। वी.पी. सिंह ने आडवाणी को अयोध्या पहुंचने से रोकने का फैसला किया। आडवाणी उस दौरान बिहार से होकर अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे, जब वी.पी. सिंह ने लालू को उनकी रथ यात्रा रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हिन्दू धर्मात्साह की विशाल लहर को ध्यान में रखते हुए 23 अक्टूबर, 1990 को उत्तर बिहार के अन्तर्गत समस्तीपुर में आडवाणी की गिरफ्तारी को वास्तव में राजनीतिक रणकौशल का एक शानदार उदाहरण माना गया। हालांकि आडवाणी को रोकने का श्रेय मुख्य रूप से वी.पी. सिंह को मिलना चाहिए था, फिर भी लालू ने जो किया वह कोई सूरमा ही कर सकता था। वह मुसलमानों के हीरो बन गए।¹

भाजपा के आक्रमक हिन्दुत्व तेवर देखकर मुसलमान पहले से ही चकराए हुए थे और एक सशक्त राजनीति सुत्रधार की तलाश में थे। इस तरह, लालू ने हिन्दू श्रेष्ठतावाद के विरुद्ध अपनी चालें चलकर स्वयं को पिछड़ी जातियों और मुसलमानों, दोनों का चहेता बना लिया।

आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद 7 नवम्बर 1990 को भाजपा ने वी.पी.सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। भाजपा द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण लालू सरकार को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। लेकिन अपनी जोड़-तोड़ की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लालू ने भाजपा में विभाजन करवा दिया। इस तरह से वे अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। दरअसल अपनी सरकार बचाने के लिए लालू ने अनेक समझौते किए, लेकिन ओ.बी.सी. तथा मुसलमानों में उनकी बढ़ती लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने इसे एक वीरतापूर्ण कार्य समझकर इसका जश्न मनाया: उच्च जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के लिए आगे बढ़ने में सब-कुछ उचित था। इस भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से, लालू ने अपनी जीत को सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जीत बताया।²

केन्द्र में गठित चंद्रशेखर सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 5 मार्च 1991 को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के कारण चन्द्रशेखर की सरकार गिर गई। लोकसभा के मध्यावधि चुनावों की घोषणा की गई। लोकसभा के ये चुनाव बिहार के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव हो रहे थे। बिहार में चुनाव मुख्य रूप से त्रिकोणीय था। एक ओर जनता दल था, इसका भाकपा, माकपा और जामुमों से चुनावी गठजोड़ था। भाजपा और कांग्रेस अपने बूते चुनावी मैदान में उतरी थीं। कांग्रेस ने गैर-कांग्रेसी दलों द्वारा स्थिर सरकार देने में नाकाम रहने, मँहगाई बढ़ने और सामाजिक रूप से विघटनकारी राजनीति के खिलाफ अपने लिए जनादेश मांगा। भाजपा ने हिन्दुत्व और राम मंदिर को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। जनता दल और उसके सहयोगियों ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य पर जोर दिया। खासतौर पर लालू ने पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों को सामन्तवादी और सांप्रदायिक भाजपा से दूर रहने के लिए आगाह किया।

मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद पिछड़ी जातियों ने सबसे अधिक जनता दल गठबंधन को वोट दिया, जबकि जनता दल गठबंधन को ऊँची जातियों का सबसे कम वोट मिला। दरअसल, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के फैसले ने पिछड़ी जातियों में सत्ताधिकार की भावना जगाई। लेकिन दूसरे दलों में भी राज्य स्तर पर इन जातियों के नेता सक्रिय थे। इसलिए मंडल कमीशन के लागू होने के कुछ महीने बाद हुए चुनावों में पिछड़ी जाति के दूसरे दलों के नेताओं के वर्चस्व को एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता था। इसके लिए लंबे और निरंतर प्रयास की जरूरत थी। लालू और उनके साथियों ने इस तरह की कोशिश जारी रखी और इसका नतीजा 1991 के चुनावों के बाद

के वर्षों में दिखा। लालू को गरीबों के हितैषी और सामन्तवादी ताकतों से जूझते नेता की छवि के कारण जनता दल को दलितों का सबसे ज्यादा वोट मिला।³

1991 के चुनावों के बाद बिहार की राजनीति दो दिशाओं में आगे बढ़ी— एक, बिहार में सभी पिछड़ी जातियों में सत्ताधिकार की भावना ने जोर पकड़ा और दूसरा, लालू का मुस्लिम-यादव सामाजिक आधार और मजबूत हुआ। पिछड़ी जातियों को अब यह बात ज्यादा साफ तौर पर महसूस होने लगी कि कांग्रेस का शासन मुख्य रूप से ऊँची जातियों के वर्चस्व का दौर था। अब पिछड़ी जातियाँ जातीय-रैलियाँ के माध्यम से खुलकर अपनी राजनीतिक ताकत का इजहार करने लगीं। ये रैलियाँ 'हम भी हैं,' की जातिगत पहचान के साथ-साथ अपना हिस्सा पाने की ललक व्यक्त करती थीं। 1993-94 के बीच राजधानी पटना में इस तरह की कम से कम 40 रैलियाँ हुईं।

6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब देश के कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, उस समय भी बिहार में शांति बनी रही। लालू ने पहले से कदम उठाते हुए संघ परिवार के स्वयंसेवकों को अयोध्या नहीं जाने दिया और असामाजिक तत्वों को जेल में डाल दिया। लालू ने पिछड़ी जातियों के सामने यह बात मजबूती से रखी कि आडवाणी की रथयात्रा की तरह बाबरी-मस्जिद का गिराया जाना भी ऊँची जातियों की साजिश है। इस साजिश के तहत ऊँची जातियाँ मंडल आयोग के क्रियान्वयन को रोकना चाहती हैं और बिहार में पिछड़ों की सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बिहार में दंगों से मुक्त रखने के कारण लालू प्रसाद को दो स्तरीय राजनीतिक फायदा हुआ। पहला, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उन्हें एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में मान्यता मिली। दूसरा, बिहार में मुस्लिम अधिक मजबूती से लालू प्रसाद के साथ जुड़े। इससे लालू के मुस्लिम-यादव सामाजिक आधार को ज्यादा मजबूती मिली।

संदर्भ सूची

1. घनश्याम शाह, *सोशल मूवमेंट इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन, दिल्ली, 1990, पृ. 87*
2. प्रसन्न कुमार चौधरी, *बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ. 246*
3. रोमा मित्रा, *कास्ट पोलराइजेशन एण्ड पॉलिटिक्स, सिंडीकेट पब्लिकेशन, पटना, 1994, पृ.139*
4. श्रीकांत, *बिहार में चुनाव: जाति, हिंसा और बूथ लूट, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005, पृ. 48*
5. अरुण सिन्हा, *नीतीश कुमार और उभरता बिहार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2013, पृ. 153*
6. राजीव धवन, 'द सुप्रीम कोर्ट एज प्रॉब्लम सोल्वर: द मंडल कंट्रोवर्सी' संकलित, वी.ए.पाई पानडिकर (सं.), द पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्डनेस: रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, कोणार्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997, पृ.187
7. विपन चंद्र, *मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, आजादी के बाद का भारत (1947-2000), पूर्वउद्धृत, पृ. 384*
8. अरुण सिन्हा (2013), *पूर्वोक्त, पृ.154*
9. प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकान्त, *बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम (1912-1990), पूर्वोक्त, पृ. 250.*

भारत में पंचायती राज संस्थानः उतार-चढ़ाव के कालखण्ड

कमल किशोर

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान,, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

भारत में प्राचीन काल से ही गाँवों में पंचायतों का किसी न किसी रूप से अस्तित्व रहा है। वैदिक काल में ग्राम प्रशासन का उत्तर दायित्व ग्राम पंचायत पर था जो ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों की सहायता से काम करती थी। मौर्य काल में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में आदर्श गाँव का उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल में संघों की कार्य पद्धति का जो वर्णन मिलता है उस पर ग्राम राज की प्रथाओं की स्पष्ट छाप है। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता रहा है, इस काल में ग्राम पंचायत के लिए पाँच सदस्यीय समितियों की स्थापना की गई थी। बौद्ध काल एवं गुप्त काल में पंचायत प्रणाली का विकास एक ऐसा रूप में हुआ जिसने ग्रामीण जीवन को अधिक से अधिक खुशहाल बनाने का कार्य किया। चोल प्रशासन ने इसे पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर इसे अत्यधिक भाक्ति सम्पन्न किया।

मुगल काल के भासकों प्रचलित विकेन्द्रिकृत प्रशासकीय व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और न ही उसे समृद्ध करने का प्रयास किया। जब मुगल भासकों ने जमींदारी प्रथा भुंरु किया तो इस प्रथा में जमींदार को राजस्व एकत्रित करने के साथ ही अन्य अधिकार दिये जाने से परम्परागत ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था कमजोर हुई। तत्कालीन समय में ही अफगान भासक भोरशाह सूरी ने ग्रामीण व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया। आगे चलकर ब्रिटिश भासन काल में ग्रामीण प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। धीरे-धीरे ग्रामीण प्रशासन का स्रोत पंचायत संस्थाओं का अस्तित्व मिटने लगा। सभी कार्य प्रादेशिक सरकारों करने लगी परम्परागत स्थानीय स्वशासन के जो कुछ अवशेष मुगल काल में भोश थे वे भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगे। परन्तु यह भी सच है कि ब्रिटिश काल ही पंचायतों का नया रूप उभरकर सामने आया जिसे आधुनिक पंचायती व्यवस्था की संज्ञा दी जा सकती है।

दिसम्बर 1870 को लार्ड मेयों ने सत्ता के विकेन्द्रिकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए काँसिल में प्रस्ताव लाकर जनता की सहभागिता स्थापित करने का पहला प्रयास किया इस प्रस्ताव को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार ने सड़कों के रख रखाव व निर्माण, चिकित्सा सेवाओं, एवं शिक्षा आदि का काम प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित करने तथा इस हेतु उन्हें अनुदान देने का निर्णय किया। 1871 के अधिनियम के अनुसार बम्बई, बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रान्तों व पंजाब में मेयो के प्रस्ताव के बाद स्थानीय स्वायत्त प्रशासकों की स्थापना हुई।

18 मई सन् 1882 को लार्ड रिपन का प्रस्ताव लागू हुआ जो स्वायत्त भासन की संस्थाएं स्थापित करने में मिल का पत्थर साबित हुई। यद्यपि लार्ड रिपन का यह प्रस्ताव पूरी तरह लागू न हो सका फिर भी इस व्यवस्थित स्वरूप के लिए रिपन को

भारत में स्वायत्त भासन की संस्थाओं का जनक कहा जा सकता है। तमाम अवरोधों के उपरान्त उनके प्रस्ताव से पंचायती संस्थाओं के गठन की दिशा में थोड़ी बहुत प्रगति अवश्य हुई।¹

सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा ग्रामीण प्रशासन के लिए पंचायतों को पुनर्जीवित करने की माँग सन् 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ। यह प्रस्ताव पारित किया गया की सरकार ग्राम स्तर से ऊपर तक जन निर्वाचित स्थानीय निकाय स्थापित करने के लिए कदम उठाए। ब्रिटिश भासन ने ग्रामीण प्रशासन के लिए सन् 1887, 1907, 1920 में भाही आयोगों का गठन किया इन आयोगों ने ग्रामीण प्रशासन के विकास पर बल दिया। सन् 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। जिसे 'माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड' सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में पंचायतों को प्रान्तीय सरकारों के अधीन करने की बात की गई। सन् 1925 तक छः प्रान्तों यथा; बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब उड़ीसा व असम ने पंचायत अधिनियम पारित कर लिए थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजवाड़ों ने भी पंचायत अधिनियम पास किये थे। सन् 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने जहाँ पंचायतों का विशय राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया वही भारत सरकार अधिनियम 1935, में पंचायतों को प्रान्तीय विधायी सूची में शामिल किया गया।²

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेतृत्व स्वशासन के विशय पर विशेष ध्यान नहीं दिया। परन्तु गांधी जी ने पंचायत व्यवस्था पर अपने विचार अवश्य प्रकट किए। उनके अनुसार ग्राम स्वराज ही मेरी कल्पना है कि "वह एक पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर न हो।"³ हर गाँव का पहला काम होगा वह अपनी जरूरतों का तमाम अनाज और कपड़ों के लिए कपास स्वयं पैदा करें। प्रत्येक गाँव की अपनी एक पाठशाला और सभा भवन होगी, बुनियादी शिक्षा सबके लिए जरूरी होगी। जहाँ तक हो सकेगा गाँव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। गाँव का भासन चलाने के लिए हर गाँव से पाँच आदमियों की एक पंचायत चुनी जायेगी। जिसके लिए योग्यतानुसार एक विशेष निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति को गाँव के बालिग स्त्री-पुरुष को अपने पदाधिकारी चुनने का अधिकार होगा। इन पंचायतों के पास सभी प्रकार की आवश्यक सत्ता एवं अधिकार रहेंगे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गाँधी जी के ग्राम स्वराज की उपयोगिता के स्वप्न को साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 द्वारा राज्य को यह निर्देशित किया कि राज्य पंचायतों का संगठन करेगा। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की पाँचवी प्रविष्ट में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया। जिसको अनुपालन भारत वर्ष में लगभग सभी राज्यों द्वारा पंचायतों का संगठन करने के लिए कानून बनाये गये जिसके कारण देश के कुछ राज्यों में द्वि-स्तरीय तथा कुछ राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था स्थापित है। पंचायती राज की अवधारणा जो गाँधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित है वह यह कि "राजनीतिक भाक्तियों का विकेन्द्रिकरण सम्प्रति के विकेन्द्रिकरण के साथ होना चाहिए।"⁴

यहाँ इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंचायतों के गठन के लिए विधि (कानून) निर्माण राज्यों द्वारा किया गया था इस कारण पंचायत संस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने के लिए लम्बी अवधि से समय-समय पर मांग भी की जाती रही। यद्यपि पंचायतों की महत्ता को स्पष्ट करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू का कथन है कि "पंचायती राज व्यवस्था एक क्रान्तिकारी कदम है जो ग्रामीण जीवन में क्रान्ति ला देगा।"⁵

2 अक्टूबर 1952 को नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के तत्वावधान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन प्रखण्ड को इकाई मानकर प्रखंड के विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ सामान्य जनता को जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जनता को अधिकार न दिये जाने के कारण यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और विफल रहा। 2 अक्टूबर 1953 को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा' कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया किन्तु यह भी असफल सिद्ध हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में सिफारिश करने के निमित्त सरकार द्वारा विविध समितियाँ गठित हुयी। जिसमें बलवन्त राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जे०के०वी० राव समिति, डॉ० एल०एम० सिधंवी समिति एवं जे०के० थुंगन समिति प्रमुख रही। यहाँ इन समस्त समितियों की सिफारिशों पर एक नजर दौड़ाना प्रासंगिक जान पड़ता है।

बलवन्त राय मेहता समिति (सन् 1957): सामुदायिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय प्रसार सेवा की असफलता के बाद बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लगभग एक वर्ष में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी—

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाय जिनके अर्न्तगत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला परिशद का गठन किया जाय।
2. मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रजातांत्रिक विखण्डन की मूल इकाई प्रखण्ड या समिति स्तर पर हो।

अशोक मेहता समिति (सन् 1977): बलवन्त राय मेहता समिति द्वारा की गयी सिफारिशों में आई कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता के अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन 1977 में किया गया इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् 1978 में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं।

1. पंचायतें दो स्तर पर गठित हो जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला परिशद तथा ब्लाक स्तर पर मण्डल पंचायत हो।
2. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन न किया जाय।
3. सभी विकास योजनाएं जिला परिशद द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उनका क्रियान्वयन मण्डल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए।

जे.के.बी. राय समिति (सन् 1985): ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मुलन से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करने के लिए सन् 1985 में जे.के.बी. राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं—

1. राज्य स्तर पर राज्य विकास परिशद का गठन किया जाय।
2. कार्य संचालन के लिए जिला परिशदों की विभिन्न समितियों का गठन किया जाय।

एम.एल., सिंधवी समिति (सन् 1986): पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा एवं सुझाव के लिए सन् 1986 में एम0एल0 सिंधवी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया इस समिति की मुख्य सिफारिशें यह थीं—

1. पंचायती राज प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि इन्हें राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप से दूर रखा जाए।
2. ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाय।

पी.के. थुगन समिति (सन् 1988): सन् 1989 में पी.के. थुगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की उपसमिति गठित की गई इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए अनेक सिफारिशें की जिनमें एक मुख्य सिफारिश यह थी कि “पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए।”⁶

64वाँ संविधान संशोधन: मई 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनसहभागिता एवं पंचायतों को सशक्त करने पर बल देते हुए एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक यद्यपि की लोकसभा में पारित हो गया किन्तु राज्य सभा में सांसदों के विरोध के कारण पारित न हो सका।

73वाँ संशोधन और पंचायती राज: वर्ष 1991 में जब कांग्रेस की पुनः सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिम्हा राव को स्पष्ट बहुमत की कमी तथा देश में बन चुके वातावरण के कारण पंचायतों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः अनेक दलों के विचार-विमर्श के बाद लोकसभा में बिल पेश किया गया जो 22 दिसम्बर को लोकसभा एवं 23 दिसम्बर को राज्यसभा द्वारा 73वाँ संविधान विधेयक पारित किया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद यह अधिनियम के रूप में स्थापित हो गया इस प्रकार यह संविधान संशोधन अधिनियम भारत सरकार के राजपत्र में 26 अप्रैल 1993 को प्रकाशित और प्रवर्तित हुआ। अधिनियम बनने के बाद एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों को अपनी पंचायती राज अधिनियमों में इस संशोधन को ध्यान में रखकर बदलना था परन्तु राज्य सरकारों ने अपने पंचायती अधिनियमों में अन्तिम समय सीमा में पारित किया। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को भाग नौ में शामिल कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज की स्थापना के लिए संविधान में नए अनुच्छेद 243 ए से 343ण तथा एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई है। इन अनुच्छेद तथा अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के गठन, प्रक्रिया तथा भावित्तियों का वर्णन किया गया है।⁷

वस्तुतः संविधान के 73वें संशोधन से स्थापित पंचायती राज व्यवस्था के मूलतत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. सभी राज्यों में पंचायती राज का स्वरूप एक समान होगा। यह तीन स्तरीय व्यवस्था पर आधारित होगा।
2. तीनों स्तरों के सदस्यों के चुनाव सीधे प्रत्यक्ष व्यस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। जिला तथा ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। चुनाव अनिवार्य तथा निश्चित पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होंगे। यदि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसी स्तर को पांच वर्ष से पहले भंग किया जाता है तो 6 महीने के अन्दर-अन्दर दुबारा चुनाव कराए जाएंगे।

3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या में प्रतिशत के अनुपात में स्थान सुरक्षित होंगे। कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षित स्थानों के लिए चुनाव क्षेत्रों को समय-समय पर बदला जा सकता है। अध्यक्ष पद तथा अन्य पदों के लिए भी इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी।
 4. संविधान की ग्यारहवीं सूची में वर्णित भावित्तियों तथा अधिकारों के अतिरिक्त आर्थिक नियोजन तथा विकास और सामाजिक न्याय इत्यादि संबंधित योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के अन्य अधिकार भी राज्य की विधायिका कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को दे सकती है।
 5. राज्य की विधायिका को भाक्ति दी गई है कि वह कानून द्वारा पंचायती राज्य-संस्थाओं को कर, टोल इत्यादि लगाने, उन्हें एकत्रित करने तथा इस्तेमाल करने का अधिकार दे। राज्य सरकारें इन संस्थाओं को अनुदान भी दे सकती है। यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पांच वर्ष या उससे पहले एक दिन आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में संसाधनों के वितरण के बारे में सुझाव देगा।
 6. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाये जायेंगे। इसी प्रकार पंचायती राज्य संस्थाओं के हिसाब-किताब की जांच राज्य लेखा परीक्षक के द्वारा की जाएगी।
- उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर भारत में स्थानीय भासन व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर रही है। इस व्यवस्था को और अधिक सबल बनाने हेतु समय-समय पर पंचायती राज विभाग मंत्रालय ने विशेष ध्यान दिये हैं। मई 2009 में पंचायती राज विभाग ने 73वें संविधान संशोधन के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए मण्डल पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। 73वें संविधान संशोधन के बाद सन् 1996 के पेशा अधिनियम और सन् 2009 तथा सन् 2011 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से और भी अधिक सबल बनाया जा सकता है।⁸

निष्कर्ष

73वें संविधान संशोधन ने हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इस संशोधन से पूर्व तक भारतीय संविधान में, केवल ग्राम पंचायतों का उल्लेख था और वह भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों वाले अध्याय में जो कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार, बाध्यकारी नहीं है। इसके विपरीत 73वें संशोधन के प्रावधानों की प्रकृति बाध्यकारी है। 73वें संशोधन पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र की सीमा में वृद्धि करता है, यह व्यवस्था करके कि सभी स्तरों पर प्रतिनिधि, व्यस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। परन्तु इस संशोधन की कुछ दुर्बलताएँ हैं। समरूपता के आधार पर 73वाँ संशोधन उन राज्यों पर भी त्रि-स्तरीय व्यवस्था थोपने का प्रयास करता है, जिन्हें परम्परागत रूप से द्वि-स्तरीय अथवा मात्र एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दीर्घ अनुभव था। ऐसे राज्यों में अतिरिक्त स्तरों की स्थापना करना एक प्रकार का बनावटी प्रयास है। अतः यह अच्छा होगा, यदि स्तरों का प्रश्न राज्यों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता। प्रत्येक राज्य का अपना इतिहास, परम्पराएँ तथा परिस्थितियाँ हैं, जिनके आधार पर कोई भी राज्य एकल अथवा द्वि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपना सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. एम. शारदा, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया : फ्रॉम ट्रेडिशनल टू कंस्टीट्यूशनलाइज्ड पंचायतस, कनिष्क पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2010, पृ.76.
2. एस. गोयल, पंचायती राज इन इंडिया : थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दीप एण्ड दीप, न्यू दिल्ली, 2009, पृ. 9.
3. नागेन्द्र शैलजा, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, इशिका पब्लिशिंग, न्यू दिल्ली, 2015, पृ. 89-91.
4. उपरोक्त.
5. एम.के. सिंह, पंचायती राज इन इंडिया, सेंट्रम प्रेस, न्यू दिल्ली, 2014, पृ. 102-103.
6. ई. बैंकटेंसू, डिमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया : एक्सपेरियंस, इशूज एंड चैलेन्जेज, रूटलेज, न्यू दिल्ली, 2016, पृ. 48.
7. महिपाल, पंचायती राज इन इंडिया, पब्लिकेशन डिविजन, भारत सरकार, 2018, पृ. 38.
8. उपरोक्त, पृ. 39
9. डॉ. दीपिका अनिल चौधरी, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया : इशूज एंड चैलेन्जेज, एवीडी पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 2019, पृ. 47-48

स्वामी सहजानन्द सरस्वती और बिहार में किसान आन्दोलन

रवि कुमार गुप्ता

शोध छात्र (इतिहास विभाग), ल.न.मि. विश्वविद्यालय, दरभंगा।

भूमिका

स्वामी सहजानन्द के जीवन के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध खंडों की अलग-अलग भूमिकाएँ हैं। अपने जीवन के पूर्वार्द्ध काल में सहजानन्द आध्यात्मिक, पुनरुत्थानवादी और सामाजिक कार्य में बंधे रहे, लेकिन शीघ्र ही वे उस घेरे से मुक्त होकर अपने जीवन के उत्तरार्द्ध काल में भारत के राजनीतिक मंच पर एक महान् क्रांतिकारी जननायक के रूप में प्रकट हुए। सहजानन्द अपने राजनीतिक जीवन के पहले दौर में महात्मा गाँधी और गाँधीवादी से प्रभावित थे, किन्तु व्यावहारिक रूप में उनका मोह भंग होने में अधिक समय नहीं लगा और उन्होंने अनुभव से यह समझ लिया कि भारत की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक गुलामी के बंधनों से तभी मुक्ति मिलेगी, जब भारत के राजनैतिक नेता पूंजीवाद की जड़ों को मजबूत करने वाले समझौतावादी पथ का परित्याग कर आम जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने वाले वैज्ञानिक समाजवादी मार्ग का अनुसरण करेंगे। स्वामी सहजानन्द इस शताब्दी के उन महान् भारतीयों में से एक हैं, जिन्हें युग पुरुष कहा जा सकता है उनका सम्पूर्ण जीवन देश समाज और सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग “**किसान**” के प्रति समर्पित थे। वे उत्तम कोटि के चिन्तनशील विचारक थे।

बिहार में किसान आन्दोलन

अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलन्द करना तो स्वामीजी का स्वभाव-सा बन गया था। भूमिहार-ब्राह्मण उद्धार के ही सवाल को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों की एक शाखा भूमिहारों ने अपने को ब्राह्मण-वृत्ति से अलग कर लिया अर्थात् परम्परागत धार्मिक कर्मकाण्डों को सम्पन्न कराने के बदले दान-दक्षिणा ग्रहण करना बन्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप शेष ब्राह्मण समुदाय ने उन्हें हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। सामाजिक श्रेणीबद्धता में भूमिहारों पर ब्राह्मणों द्वारा अनुचित ढंग से आरोपित हीनता ने स्वामीजी को भूमिहार-ब्राह्मण के जातीय पुनरुद्धार जैसे सामाजिक कार्य में कूदने को बाध्य कर दिया।

उसी प्रकार पददलित किसानों की समस्या ने उन्हें सर्वाधिक वेग से आन्दोलित किया। शोषण, दोहन, अत्याचार एवं अन्याय की नींव पर निर्मित जमीन्दारी व्यवस्था की अद्वैतिका को ध्वस्त करना वे अपना परम कर्तव्य समझने लगे थे। सामाजिक न्याय उनका लक्ष्य बन गया जो भूमि के समान वितरण एवं जमीन्दारी व्यवस्था के उन्मूलन से ही सम्भव था।

कुत्सित जमीन्दारी प्रथा के उन्मूलन के बिना न तो आर्थिक विकास सम्भव था और न सामाजिक परिवर्तन ही। यही कारण है कि स्वामीजी ने आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए किसान आन्दोलन का श्रीगणेश किया। इस प्रकार स्वामीजी एक ऐसे समाज-सुधारक थे जो यह मानते थे कि “आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में अन्वयानुश्रय सम्बन्ध है।”

स्वामीजी महान् राष्ट्रवादी भी थे 1920 में पटना में आयोजित एक सभा में महात्मा गाँधी आये थे जिसमें स्वामी जी ने भाग लिया था। सभा समाप्ति के बाद स्वामीजी ने महात्मा गाँधी से धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर एक घंटे तक बातचीत की। इस घटना का अपनी आत्मकथा में उल्लेख करते हुए स्वामीजी ने लिखा है, “वार्ता के बाद मैंने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। इससे न केवल देश का कल्याण होगा बल्कि मुझे सन्यासी बनने में भी मदद मिलेगी।” इसके बाद नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर ने राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

स्वामी इस तथ्य को भली-भाँती जानते थे कि जबतक इस देश से अंग्रेजी राज और जमीन्दारी प्रथा की समाप्ति न होगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। उनकी इस दूरदर्शिता ने किसान आन्दोलन का सूत्रपात किया। स्वामी जी किसानों से प्रेम एवं जमीन्दारों से घृणा करने लगे थे। यही कारण था कि वे गाँधीजी को खटकने लगे। यह उल्लेखनीय है कि गाँधीजी ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, किन्तु वे गाँधीजी के इस विचार से सहमत नहीं थे कि राम-राज्य में जमीन्दार और किसान साथ-साथ रहेंगे। उनका विचार था कि किसान क्रांति के लिए जेहाद छेड़ना ही पड़ेगा जो भारत से अंग्रेजी राज को निकाल बाहर कर दे और यह आन्दोलन किसी भी मामले में राष्ट्रीय आन्दोलन से कम महत्वपूर्ण न होगा। गाँधीजी और राजेन्द्र बाबू को स्वामीजी का यह क्रांतिकारी चिन्तन पसन्द नहीं था। यह स्वाभाविक था, क्योंकि कांग्रेस प्रारम्भ से ही उदारवादी विचारधारा का पृष्ठपोषण करने के साथ-साथ किसान-मजदूर आन्दोलन आदि से एक दूरी कायम रखना चाहती थी, क्योंकि ये आन्दोलन तो मार्क्सवादी विचारधारा के पोषक थे और कांग्रेस कोई कम्युनिस्ट पार्टी तो थी नहीं।

किसी व्यक्ति, सिद्धान्त या संगठन से चिपके रहना सहजानन्द को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने तर्क के आधार पर जिसको उचित नहीं समझा उससे पिंड छुड़ा लिया। स्वामी सहजानन्द की विचार यात्रा कल्पना से यथार्थ की ओर, आध्यात्म से भौतिकवाद की ओर, वेद से विज्ञान की ओर और गाँधीवाद से मार्क्सवाद की ओर अग्रसर होती गयी।

स्वामी सहजानन्द के हृदय में देश की मुक्ति के लिए गहरी तड़प थी। विदेशी शासन से होने वाली राष्ट्रीय क्षति को उन्होंने गम्भीरता से अनुभव किया था। “जालिया वाला बाग” के काण्ड से उस सन्यासी के मन में विद्रोह की भावना भर चुकी थी। 4 दिसम्बर 1920 को पटना में मौलाना मजहरूल हक के मकान पर स्वामी सहजानन्द ने महात्मा गाँधी से भेट की। दोनों की लम्बी वार्ता हुई। सहजानन्द स्वतंत्रता संग्राम में जुझारू तेवर के साथ उतरे। 1920 में नागपुर और 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष बातचीत और परिचय हुआ। सन् 1923 में जेल से मुक्त हो गये। सन् 1930 में नमक कानून भंग करने के कारण स्वामीजी फिर पकड़े गये और छः महीने की कारावास की सजा पाई। 1940 में रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन के बाद उन्हें 3 वर्ष की कारावास की सजा मिली।

1927 से सहजानन्द किसानों को संगठित और आन्दोलित करने में लग गये। 1929 से 17 नवम्बर को बिहार राज्य किसान सभा और 1936 को 11 अप्रैल को “अखिल भारतीय किसान सभा” की स्थापना स्वामी सहजानन्द की अध्यक्षता में हुई। स्वामी सहजानन्द ने किसान संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्य-धारा से जोड़ने का प्रयास किया। पटना जिले के बिहटा में उनका आश्रम था। अनवरत किसानों के बीच उनका तूफानी दौरा होता रहा था। वे देश में “मजदूर किसान राज” चाहते थे। “कमाने वाला खायेगा” “लुटनेवाला जायेगा” “नया जमाना आयेगा” यही सहजानन्द के नारे थे। स्वामी सहजानन्द ने एक दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की। दयानन्द और विवेकानन्द ने उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण पैदा किया, जिससे पराधीन राष्ट्र में अपनी अस्मिता के पहचान के लिए नव जागरण आया था। वैसा ही कार्य वीसवीं शताब्दी के तृतीयदशक में सहजानन्द ने किया। स्वतंत्रता के संघर्ष को वैचारिक धरातल से उतार कर किसान, मजदूरों के संघर्षों के साथ जोड़ा।

स्वामी सहजानन्द ने किसान समस्या को सशक्त एवं सक्रिय ढंग से समाज के सामने रखकर शोषित, पीड़ित, मूक, समस्या-ग्रस्त भारतीय जनता को वाणी देने का सार्थक प्रयास किया। बड़े-बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और

नये भारत के निर्माण के लिए स्पष्ट कार्यक्रम दिया। वामपक्षी जनवादी शक्तियों का विकल्प खड़ा कर ही स्वामी सहजानन्द के मजदूर किसान राज के सपने को साकार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि जमीन्दारों द्वारा किसानों को शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के लिए अपनी अडिग प्रतिबद्धता के कारण ही स्वामीजी कांग्रेस से अलग हो गए। 1927 में उन्होंने किसान सभा की स्थापना की। किसान सभा की राजनीति के प्रति कांग्रेसी नेताओं की नापसंदगी के बावजूद स्वामीजी ने 1936 ई० में “अखिल भारतीय किसान सभा” की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उनका लक्ष्य किसान सभा के संदेशों को देश के कोने-कोने तक पहुँचाना रह गया। उनके नेतृत्व में किसान सभा दिनानुदिन सुदृढ़ होती चली गई तथा भारतीय राजनीतिक मंच पर एक शक्ति के रूप में उभर आई। अखिल भारतीय किसान सभा “लाल ध्वज” का उपयोग करने लगी। जब कांग्रेसी नेताओं ने इस “लाल ध्वज” के उपयोग का विरोध किया, तब स्वामीजी ने किसान सभा के अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट स्वरों में यह प्रत्युत्तर दिया था, “तिरंगा झंडा राष्ट्रवाद का प्रतीक है और वह लाल झंडा अन्तर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में किसान आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसके बिना यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है।”

यह कहना सर्वदा उचित है कि स्वामीजी दलित किसानों के दुख-दर्द को अपना ही दुख-दर्द समझते थे और किसान आन्दोलन को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। दलित-किसानों के प्रति अपनी अटूट सक्रिय सहानुभूति के कारण वे मानवता के पुजारियों की प्रथम श्रेणी में आ गए। अपने जीवन के अंतिम काल तक वे इसके लिए संघर्षरत रहे।

संदर्भ सूची

1. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, राहुल प्रेस, पटना।
2. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. सहजानन्द सरस्वती, महारुद्र का महाताण्डव, साधना पब्लिकेशन्स, आगरा।
4. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, जंग एवं राष्ट्रीय लड़ाई, आर्या पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
5. अरविन्द नारायण दास, बिहार किसान सभा : कल, आज और कल, नव भारत टाइम्स, पटना।
6. कौशल किशोर शर्मा, अंग्रेजियन मूवमेन्ट्स एण्ड कांग्रेस पॉलिटिक्स इन बिहार, ग्रन्थ शिल्पी अकादमी, दिल्ली।
7. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, अध्यक्षीय भाषण, नवा बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन, शेरघाटी, गया, 1942।
8. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, खेत मजदूर, जानकी प्रकाशन, पटना।

ग्रामीण संस्कृतिकरण

डॉ० राजेश रंजन

ग्राम-हरिपुरकृष्ण, पो०-सीहो, जिला-मुजफ्फरपुर

संस्कृतिकरण की संकल्पना मूलतः डॉ० एम० एन० श्रीनिवासन की है, जो जातिप्रथा एवं तत्सम्बन्धि सुधारों से है। ग्रामीण समाज में प्रायः ऐसा पाया जाता है कि उच्च जाति के लोगों के रहन-सहन, खान-पान, बात-व्यवहार, चाल-ढाल एवं बात-विचारों का अनुकरण निम्न जाति के लोग करते हैं। उच्च जाति की संगति के क्रम में उनके अधिकांश गुणों को वे अपनाते हैं, फलतः उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हो रहा है।

जाति-प्रथा के अन्दर क्रियाशीलता

पत्थर भी घड़ा रखने से घीस जाता है तो असभ्य एवं संस्कृतिहीन भी उच्च संस्कृति के बीच रहकर उनके गुणों को अपनाते हुए शिष्ट हो जाता है। किन्तु स्थिति यह है कि जाति जन्म पर आधारित होती है। इस सम्बन्ध में एस.भी. केतकर का कहना है कि एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो उस जाति के लोगों से ही पैदा होते हैं। मजुमदार एवं मदान का कहना है कि जाति एक बन्द वर्ग है। इसमें उपर-नीचे होने की संभावना नहीं होती। वस्तुतः जाति जन्मना है अर्थात् जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है उसी में वह अंत तक रहता है। यदि वह अन्य जाति में प्रवेश चाहता है तो वह संभव नहीं है। वस्तुतः जाति एक बन्द वर्ग है। जाति के बन्द वर्ग के होने की व्यवस्था पर रावर्ट वीरस्टीड का विचार है कि “एक पूर्णतया खुली वर्ग-प्रथा एवं एक पूर्णतया बन्द जाति प्रथा ये दो सम्पूर्ण विपरीत छोर हैं और ये संदेहयुक्त युक्त है कि किसी भी समाज में किसी प्रकार के उग्र रूप पाये जाते हैं। समस्त वास्तविक समाजों में सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध अवश्य ही होते हैं चाहे वे कितने भी उदार क्यों न हों। उसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक समाज में कुछ सामाजिक गतिशीलता भी होती है, चाहे उसे प्रोत्साहित भले ही नहीं किया जाए।” इनका तर्क है कि जाति एक बन्द वर्ग नहीं है क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में कानून, राजनैतिक परिस्थितियाँ एवं शिक्षा के प्रसार ने इसमें परिवर्तन ला दिया है। फलतः इसे पूर्णतः बन्द रहना या कहना समीचीन जान नहीं पड़ता है। संस्कृतिकरण का अभिप्राय यह है कि निम्न जातियाँ उच्च एवं विकासशील जातियों के सम्पर्क में उनकी संस्कृति से प्रभावित होकर जाति-प्रथा के अन्दर ही क्रियाशील एक प्रक्रिया है। इस तथ्य पर पूर्ण प्रकाश डालने के क्रम में मूल संस्कृति की विवेचना भी श्रेयस्कर होगा।

संस्कृति क्या है?

संस्कृति ऐसी चीज है जो लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किन्तु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अर्थों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है जो हममें व्याप्त है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन ये तथा इनके समान सारी अन्य स्कूल वस्तुयें संस्कृति नहीं, सभ्यता के समान हैं। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज है। निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। यह

सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन, फूल में सुगंध और सभ्यता की अपेक्षा टिकाउ भी अधिक होती है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियाँ टूट-फूट कर विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। जब भी दो जातियाँ मिलती हैं उसके सम्पर्क या संघर्ष से जिन्दगी की एक नयी धारा फूट निकलती है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है और उसी के सहारे वह अपने को जिन्दा रखती है।¹ एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। इस प्रकार एक दूसरी जाति का संस्कार दूसरे के साथ घाल मेल कर प्रगति का पथ प्रशस्त करती है। हमारा समाज जातिय सामाजिक संस्कृति का नमूना है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने भी भारतीय संस्कृति के क्रम में कहा है कि भारत की संस्कृति मिश्रित है, क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति का मिलन इस्लामिक संस्कृति से और बाद में इसाई संस्कृति से हुई है। आज की भारतीय संस्कृति मिश्रित है। हम धोती-कुर्ता, पायजामा-अचकन और पैंट-शूट पहनते हैं जिसमें तीनों संस्कृतियों का मिश्रण है।

संस्कृतिकरण को स्पष्ट करते हुए डा० श्री निवास ने कहा है – संस्कृतिकरण का अर्थ केवल नवीन प्रथाओं, आदतों को ग्रहण करना ही नहीं किन्तु पवित्र एवं लौकिक जीवन से सम्बन्धित नये विचारों एवं मूल्यों को भी प्रकट करना है। जिनका वर्णन संस्कृत के विशाल साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। कर्म, धर्म, पाप, माया, संसार, मोक्ष आदि संस्कृत के कुछ अत्यन्त लोकप्रिय आध्यात्मिक विचार हैं जब लोगों का संस्कृतिकरण हो जाता है, तब वे अपनी बातचीत में इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं।²

अस्तु यह स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जाति के लोग अपनी स्थिति के समुन्नत करते हैं। उच्च जाति के संस्कारों को अपनाते हैं जिससे उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक स्तर में श्रीवृद्धि होती है।

प्रक्रिया एवं परिवर्तन

परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही और निम्न समाज उच्च समाज के सम्पर्क में प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा। संस्कृतिकरण की यह प्रक्रिया समाज में चलता रहता है और परिवर्तन होता रहता है। वस्तुतः ब्राह्मण समाज संस्कृति की दृष्टि से विकसित और शिक्षित है। वह जीवन के विविध आयामों को जानता है। जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों का वह ज्ञाता होता है। अस्तु उसके द्वारा किये गए कार्यों पर निम्न जाति समूह की पैनी दृष्टि रहती है और वह उसका अनुमकरण का सुसंस्कृत होता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण समाज में दृष्टिगोचर होता है। द्विज जाति के कर्मकाण्ड एवं उनके द्वारा सम्पादित पूजा-पाठ आदि का भी अनुकरण कर अपनी संस्कृति में इजाफा करता है।

निम्न स्तर की जातियाँ अथवा उसका समूह नीचे की सीढ़ी से उपर की ओर पग रखने के क्रम में नकल करता है, जिसके फलस्वरूप उसका उत्थान होता है जो उसकी पूर्व की स्थिति के स्तर में परिवर्तन ला देता है।

संस्कृतिकरण के क्रम में खुलापन आता है और यह जातिय संरचना के अतिरिक्त सामाजिक संरचना में भी भागीदार होकर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। इस क्रम में जीवनयापन के तमा विन्दुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जीवन स्तर सीढ़ी दर सीढ़ी उपर की ओर अग्रसर होकर लक्ष्य की प्राप्ति करता है।

संस्कृतिकरण में उच्च पद की स्थिति आने पर उसका नैतिक उत्थान होता है और उसकी गतिशीलता तीव्र गति से बढ़ती है। इसका प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर भी पड़ता है। ऐसा ग्रामीण समाज में देखा जाता है कि ब्राह्मण की विभिन्न घटकों, क्षत्रिय एवं वैश्यों के विभिन्न घटकों की विकसित संस्कृति को निम्न जाति एवं समूह अपना आदर्श मानकर उसका अनुशासन करते हैं। जब निम्न जातियाँ तथाकथित उच्च जातियों के समरूप स्थित कर लेते हैं तो उन्हें अपने सांस्कृतिक विकास पर गौरव अनुभव होता है। इस प्रकार इन प्रक्रियायों के द्वारा उनका सामाजिक परिवर्तन होता है।

संस्कृतिकरण के सहायत तत्त्व

भारतीय ग्रामीण समाज में कतिपय ऐसी आस्थायें भी हैं जिसके फलस्वरूप कार्य आसान हो जाता है। हम उन अवस्थाओं पर दृष्टिपात करेंगे।

1) धन की महत्ता

संस्कृत साहित्य में कहा गया है— व्यापारे वसति लक्ष्मी। इसके साथ और भी कहा गया है – सर्वपाप हरे लक्ष्मी। तो फिर जीवन के विभिन्न आयामों में धन की महत्ता सर्वाधिक है। धनवान होने पर सब कुछ संभव है। आज का युग भौतिकवादी है और लोग धनोपार्जन के लिए स्वतंत्र हैं तथा हर व्यक्ति अपनी आर्थिक समृद्धि में दत्तचित है। धन की प्रचुरता होने पर निम्न समाज भी उच्च समाज की देखादेखी कर उसके संस्कार एवं कार्यों का अनुकरण एवं उसकी पूर्ति धन के बल पर

आसानी से कर लेता है। प्रत्येक जाति अथवा जाति समूह के सदस्य अर्थ के बल पर भी अपनी स्थिति मजबूत कर अकल से नकल कर अपनी संस्कृति को विकसित कर लेता है।

2) राजनैतिक तत्त्व

स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन सत्ता संभालते हैं, जिसमें सभी जाति के प्रायः प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधिगण जाति या जाति समूह का ख्याल अवश्य रखते हैं। अब तो जाति के आधार पर चुनाव में विभिन्न दल के द्वारा टिकट दिया जाता है और मंत्रिमंडल निर्माण में भी जातिय आधार पर मंत्री पद की व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में निम्न जाति के मंत्रियों के विकसित संस्कृति का अनुशासन भी ग्रामीण समाज की निम्न जातियाँ करती हैं। वे अपने भाषण, सम्बोधन एवं कार्यों के द्वारा निम्न जातियों को विकसित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अब खासकर बिहार राज्य में पंचायती व्यवस्था के अन्दर महिलाओं तथा निम्न जाति का कोटा ही निर्धारित कर दिया है, जिससे पंचायत प्रशासन के विभिन्न पदों पर निम्न जाति के प्रतिनिधि भी निर्वाचित होकर अपना सामाजिक स्तर को ऊँचा उठा रहे हैं। अब जातिय सोपान में अपनी स्थिति को उच्च करने में ये सफल हो रहे हैं।

3) सामाजिक कानून

स्वतंत्रयोत्तर भारत में कतिपय कानून ऐसे बने जिससे सामाजिक स्तर में काफी सुधार हुआ। सर्वप्रथम 1954 ई० के अस्यपृश्यता कानून की चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से अस्यपृश्यता अर्थात् छुआछूत का निराकरण हुआ। अब कोई जातिय आधार पर अस्यपृश्य नहीं है फलतः समाज में जातिय आधार पर समानता प्राप्त हुई। बाल विवाह एवं विजातिय विवाह को कानूनी जामा पहनाया गया जिसके फलस्वरूप वाल विवाह समाप्त हो गया जो निम्न जाति में बड़ी संख्या में होती थी। अब लड़का और लड़की की शादी का उम्र निर्धारित है। यदि कोई कम उम्र में विवाह करता है तो यह दण्डनीय हो गया। जातिगत विवाह पर भी प्रहार हुआ और कोई एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो कानून उसका संरक्षक है। फलतः विजातिय विवाह कम-वेश प्रारंभ हो गया। तीसरा कानून यह बना कि दलित एवं महादलित जाति को जाति सूचक शब्दों से सम्बोधन नहीं किया जा सकता और इन्हें उत्पीड़न करने पर गैर जमानती धारा लागू कर दी गयी जिससे निम्न दलित समाज को शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति मिली और उनका सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

4) शिक्षा

16वीं शताब्दी तक शिक्षा तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक सीमित थी। इन वर्णों का देखादेखी कर शूद्रों में भी शिक्षा का आहिस्ते-आहिस्ते प्रसार हुआ। अब समाज यह समझने लगा कि शिक्षा के बल पर ही उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। जातिय स्तर पर बंधे रहने से पद और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। अतः शिक्षा के लिए लोग अग्रसर हुए। रात्रि पाठशाला, वयस्क शिक्षा और अब अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से 1 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। प्रायः प्रत्येक गांव में विद्यालय स्थापित है, जिसके माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता है। शिक्षा के प्रति आकर्षण के लिए बिहार सरकार ने छात्र-छात्राओं को विद्यालय में मुफ्त पोशाक, साइकिल और पुस्तकों की व्यवस्था की है। मध्यान् भोजन भी चल रहा है। फलतः प्रायः सभी लड़के एवं लड़कियाँ विद्यालय में शिक्षित हो रही हैं। समाज का एक अन्य वर्ग भी प्राइवेट स्कूल स्थापित कर नर्सरी से प्लस टू तक की शिक्षा फी लेकर कर रहा है, जिसमें आर्थिक सम्पन्न व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि शैक्षणिक उत्थान की वजह से भी बोलचाल, रहन-सहन, पोशाक एवं खान-पान में काफी परिवर्तन हुआ है और दलित महादलित समाज के प्रतिपाल्य भी शिक्षित हो रहे हैं, जिससे इनका सांस्कृतिक उत्थान एवं संस्कार मूँ अभिवृद्धि हुई है। अस्तु संस्कृतिकरण के क्रम में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

5) यातायात और संचार व्यवस्था

हाथ रिक्शा, बैलगाड़ी और टमटम की जगह अब ऑटो, कार, बस, रेलगाड़ी जैसे यातायात के साधन हो गए हैं। खासकर मोटरसाइकिल की सर्वाधिक इसमें भूमिका है जो शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान जाते-आते हैं। बड़े पैमाने पर सड़कों का पक्कीकरण होने से सुदूर देहात में भी टेम्पू, बस, कार, मोटर साइकिल उपलब्ध है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान के आवागमन में बड़ी सुविधा होती है। रेल एवं हवाई जहाज का भी सफर निम्न जाति के लोग भी करके भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरे राज्यों में जाने पर वहाँ के रहन-सहन का अनुकरण करते हैं। वहाँ के उद्योग क्षेत्र में काम कर कुशल कारीगर बन जाते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एवं धन में श्रीवृद्धि होती है। इस प्रकार यंत्रीकरण, उद्योग, व्यवसाय एवं खेती-गृहस्थी में भी विकास होता है।

6) धार्मिक एवं सामाजिक तत्व

भक्ति आन्दोलन की धारा में छूत-अछूत एक हो गए। रैदास जैसे कवि को उस काल में ही आदर एवं सम्मान मिला। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे आन्दोलनों ने जाति प्रथा पर प्रहार किया और समता का भाव प्रदर्शित किया। महात्मा गांधी ने हरिजन आन्दोलन के माध्यम से उसके स्तर को उपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धार्मिक आन्दोलन में अछूत पर प्रहार किया गया। सभी जाति के लोग धर्म के मामले में समान माने गए। सामाजिक सुधार में इन आन्दोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसके फलस्वरूप समाज के दबे-कुचले लोगों को विकसित श्रेणी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसका संस्कृतिकरण में धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलन के तत्व बड़ा सराहनीय कार्य किया।

संस्कृतिकरण की धारा

संस्कृतिकरण के क्रम में उच्च जातियों के अंधाधुन अनुकरण से परिणाम की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके लिए उच्च समाज के आदर्श, विचार एवं मूल्यों को अपनाना होगा। जो जाति या जाति समूह उच्च वंश का है उसके साथ समरूपता स्थापित करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। इससे उच्च श्रेणी के पद की प्राप्ति मान-प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होती है। निम्न जाति के लोग उपर की ओर उठने में उनकी जातिय अवस्था का पद के अनुसार परिवर्तन होता है।

हिन्दू समाज में प्रायः ब्राह्मण जाति के लोग आदर्श जाति के रूप में मानते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा, कर्मकाण्ड आदि का रगन एवं जीवन स्तर काफी ऊँचा होता है। यो ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय एवं वैश्य समाज भी आदर्श के मातहत आते हैं। किन्तु एक शूद्र ब्राह्मण बनने की आकांक्षा नहीं रखकर शूद्र में ही आदर्श की इच्छा रखता है। हमारे देश में क्षत्रिय और वैश्य में काफी भिन्नता भी मिलती है और शूद्रों में भी यह पाया जाता है। इसका भी स्थानीय स्तर पर काफी सांस्कृतिकरण हुआ है।

प्रभु जाति की भूमिका

ग्रामीण समाज में प्रभु जाति की भूमिका का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रभु जाति किसी भी जाति का हो किन्तु उसके पास कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में हो और उस जाति की आबादी भी अच्छी हो। इसके साथ ही स्थानीय जाति समूह में उसका स्थान काफी श्रेष्ठ हो। ग्रामीण व्यवस्था में प्रभु जाति का वर्चस्व होता है और सब लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। भले ही प्रभु किसी भी जाति का हो। निम्न जाति में भी प्रभु हुआ करता है, किन्तु उसकी संख्या निम्न होती है। समाज में प्रभु जाति का वर्चस्व होता है और समाज के लोग उसकी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। इसका कारण यह है कि भूमि की अधिकता के कारण समाज पर उसका दबदबा होता है। अतः उसका अनुशरण निम्न जाति के लोग करते हैं। प्रत्येक जाति के प्रभु जाति का आदर्श भिन्न-भिन्न होता है।

ब्राह्मण के आदर्श को सभी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि धार्मिक गुरु वे ही होते हैं। ऐसा कहा गया है कि वे शाकाहारी होते हैं और उनका विचार शुद्ध होता है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। अब ब्राह्मण मदिरापान एवं मांसभक्षण में पीछे नहीं हैं। फिर भी परम्परागत एक धारणा बनी हुई है, ब्राह्मण ही सुसंस्कृत एवं श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका अनुकरण सराहनीय होता है।

शिक्षा तथा आर्थिक दशा अच्छी होने पर संस्कृतिकरण में सुविधा होती है और उच्च स्थान प्राप्त भी लोग कर लेते हैं। किन्तु डॉ० श्रीनिवास के अनुसार किसी समुदाय जाति का संस्कृतिकरण कितना भी पूर्ण क्यों न हो जाए वह अस्पृश्यता कर बाधा को पार करने में असमर्थ हैं।

संदर्भ ग्रंथ

- 1) एस० भी० केतकर – हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इण्डिया।
- 2) रावर्ट वीरस्टीड – दस सोसल ऑडर।
- 3) रामधारी सिंह दिनकर – संस्कृति के चार अध्याय।
- 4) रवीन्द्रनाथ मुखर्जी – ग्रामीण समाज शास्त्र
- 5) डॉ० श्रीनिवास – आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन।

नेपाल के शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव का यथार्थ

पल्लवी

शोधार्थी-इतिहास विभाग, ल.ना. मि. विश्वविद्यालय, दरभंगा
Email: pallavivatas@gmail.com

भारत और नेपाल के बीच शान्ति समझौता सबसे जयादा दोनों देशों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया, जिसके अन्तर्गत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने मार्च 1950 में बताया था कि, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था नेपाल से जुड़ी हुई है। उन्होंने संसद भवन में बताया था कि “यह जरूरी नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच कोई सैन्य व्यवहार हो। इस पर इन सब से हट के हमलोग किसी भी तरह के घुसपैठ को अपने इस भारतीय उपमहाद्वीप के एक अंग नेपाल में बर्दाष्ट नहीं कर सकते। नेपाल के साथ किसी भी तरह का अत्याचार भारत की सुरक्षा में दखल डाल सकती है।”

आगे चलकर नेहरू ने 6 दिसम्बर 1950 को पुनः अपने भाषण में नेपाल और भारत की सुरक्षा के बारे में बताया कि “बहुत प्राचीन समय से हिमालय भारत की भोभा बढ़ाता रहा है। दरअसल अब तो हिमालय अब उतनी अहम भूमिका नहीं निभाती, फिर भी वो असरदार है। जहाँ पर हम भारत और नेपाल के बीच स्वतंत्रता की बात करते हैं जो कि भारत और नेपाल की सीमाओं का स्वतंत्रता की बात करते हैं यह हमारे सुरक्षा के लिए हानि पहुँचा सकता है।”

भारत और नेपाल के बीच जिस समझौता पत्र की अदला-बदली हुई उसके मुताबिक “कोई भी सरकार विदेशी घुसपैठ को या किसी भी धमकी को बर्दाष्ट नहीं करेगी। ऐसी किन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए दोनों सरकार एक दूसरे से (आपस में) बात करके अचित कारवाई करेगी।” 1950 के समझौते के अनुसार दोनों देशों के बीच आर्थिक और औद्योगिक विकास की बातें भी हुई।

भारत और नेपाल के बीच भांति एवं मैत्री समझौता जुलाई 1950 में दोनों देशों की सुरक्षा और सहमति के साथ हस्ताक्षरित हुआ था। समझौते के अनुच्छेद (2) के मुताबिक भारत और नेपाल किसी भी नाजुक विवाद या गलतफहमी की स्थिति में एक दूसरे को सूचना देगा, जो कि उनके पड़ोसी राज्य के मध्य हो, ताकि भारत और नेपाल के सरकारी सम्बन्धों के बीच कोई दरार न आए।

1950 के समझौता अनुसार नेपाल की ओर से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि से बचना था। भारत को नेपाल की ओर से सबसे बड़ा खतरा चीन की तरफ से था।

1956 की भुरुआत में चीन और नेपाल के बीच राजनायिक संबंध की भुरुआत हुई थी और उनके बीच एक सहायता समझौता को हस्ताक्षरित किया गया, जिसके अनुसार नेपाल को 20 करोड़ नगद और 40 करोड़ के तकनीकी उपकरण की मदद दी गई। तभी से चीन अपना प्रभाव नेपाल में बढ़ाने लगा। वहीं दूसरी ओर भारत भी नेपाल को अपने पक्ष में रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। भारत नेपाल के साथ सहायता समझौता 1951-52 में भूरू किया। लेकिन वह अपने आप को असहज महसूस करता था, क्योंकि 1956 में चीन ने नेपाल को सहायता समझौता पर हस्ताक्षर किया, भारत ने भी बिना कोई देरी किये हुये नेपाल को 110 करोड़ नगद रूपये नेपाल के पहले पंचवर्षीय योजना के उद्धार के लिए प्रस्तावित किया। 1960 में जब नेपाली प्रधानमंत्री बी० पी० कोईराला दिल्ली आए तो भारत सरकार ने नेपाल की आर्थिक सहायता के लिए और 180 करोड़ नगद राशि देने का वादा किया। उसी समय नेपाल के साथ 11 सितम्बर 1960 को एक और समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जो कि दानों देशों के बीच व्यापार संबंधों को लेकर था। इसी समझौते के अनुसार दोनों देशों के आयात कर को बहुत कम कर दिया गया। 1961 को नेपाल की स्थिति खराब होने का यह कारण था कि, नेपाली काँग्रेसी नेताओं ने आतंकवादी गतिविधि के लिए भारत को अपना गढ़ बनाना भुरु किया। उसके उपरान्त नेपाली राजा चीन-पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को बढ़ाने में लग गए, क्योंकि उसे लगता था कि नेपाल राजतंत्र विरोधी आलोचना की प्रेरणा से चलाया जा रहा था।

नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ऋषिकेश साहा के अनुसार, 1973 में गुट निरपेक्षता पर अलजिरिया में राजा विरेन्द्र ने व्यक्त किया था, यह प्रस्ताव रखा कि नेपाल विष्व के दो बड़े विषाल राष्ट्रों के बीच में है। इसलिए इसे भातिपूर्ण देश घोषित किया जाय।

25 फरवरी, 1975 को राजा वीरेन्द्र ने उच्चाधिकारियों के सामने यह भाषण दिया कि "हमें भाति अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता और विकास के लिए चाहिए। इसलिए कि यह मेरी पहली इच्छा है और मैंने यह प्रस्ताव रखा कि नेपाल को भातिपूर्ण देश घोषित किया जाय।"

भारत भुरु से ही नेपाल के भाति प्रस्ताव पर चुप्पी साधे रहा। नेपाल के प्रशासन ने यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि, नेपाल के भाति प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य क्या है इसके फलस्वरूप यह हुआ कि नेपाली प्रेस ने अलग-अलग ब्यान दिया। कुछ अखबारों ने यह बताया कि, राजा के प्रस्ताव का परिणाम यह होगा कि नेपाल भी "पूर्व का स्वीटजरलैंड हो जाएगा" और दूसरे अखबारों ने यह लिखा कि नेपाली प्रस्ताव को विदेशी समर्थन, जो कि इनके पड़ोसी मूलकों का था, उसे गुट निरपेक्षता की नीति और तीव्रता के साथ पालन करने में मदद करेगी। कुछ नेपाली समालोचकों ने भाति प्रस्ताव को द्विपक्षीय बताया। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया था कि नेपाल एक भातिपूर्ण देश है। दूसरी तरफ तभी लागू होता जब उसके दो बड़े पड़ोसी मूलक उसका समर्थन करते। सभी देशों ने इस प्रस्ताव को अनेक अर्थों में देखा। उदाहरण स्वरूप तत्कालीन सोवियत यूनियन ने इसे एषियाई सुरक्षा के मद्देनजर देखा, और पाकिस्तान ने इसे दक्षिण एषिया में न्यूक्लियर हथियार से स्वतंत्र क्षेत्र माना। नेपाल ने अपने इस प्रस्ताव को अस्पष्ट इस लिए रखा ताकि कोई भी देश इसका विरोध न करें।

नेपाल भाति प्रस्ताव के कारण

इस भाति प्रस्ताव को दो भागों में बाँटा गया:-

(1) आदर्शवादी :- अपने देश को आदर्शवादी और प्रेरणादायक घोषित करना।

(2) यथार्थवादी :- आदर्शवादी और प्रेरणादायक होने का कारण था कि, नेपाल को पूर्णतः स्तंत्रता चाहिए था। गुटनिरपेक्ष देशों के सामने अपने मान-सम्मान मर्यादा का बढ़ावा देना था, और भारत चीन के साथ समान दोस्ती करने का था। उनके यथार्थवादी कारणों के परिणामस्वरूप अभी के कुछ सालों में राजनैतिक ढाचें में बदलाव आया है।

आदर्शवादी और प्रेरणादायक कारण:- 1950-51 की नेपाल क्रांति के बाद भारत और नेपाल के रिश्ते नाजुक हो गए। 14 मई 1934 को नेहरू जी ने 1950 में भारत नेपाल भाति-मैत्री समझौते के बारे में बताया कि, यह दोनों देशों की सम्पुष्टि के बिना कारगर नहीं हा सकता। 28 मई को 6 भारतीय संसदीय राजनैतिक काठमाण्डू गए और वहाँ उन्हें नेहरू के दिए भाषण पर नेपाली लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते तब और नाजुक हो गए, जब राज महेंद्र ने 1955 में नेपाली की गद्दे सम्भाली। वो अपने पिता से इस मामले में असहमत थे और अन्होंने गद्दी संभालने के बाद यह जाहिर कर दिया कि नेपाल अपनी सरकार चलाने के लिए भारत से किसी तरह का राय नहीं लेगा। इसके नतीजन 1956 में नेपाली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि, भारत सरकार के साथ किसी तरह का विशेष रिश्ता नहीं रखना चाहता, बल्कि सभी देशों के साथ बराबर का दोस्ती रखना चाहता है। इसलिए नेपाल ने चीन के साथ अपने रिश्ते को सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाए। जब 1959 में वी०पी० कोईराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने तो यह उम्मीद कि जा रही थी कि, वो भारत के साथ गहरी दोस्ती और विशेष

रिश्ते का बढ़ावा देंगे। परंतु उसके उल्टा उन्होंने भी भारत और चीन के साथ बराबर की दोस्ती की नीति का साथ दिया। 15 सितम्बर, 1959 को काठमाण्डू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाहिर किया कि, भारत और चीन के बीच "मैक मोहन लाइन" एक मुद्दा है जिसमें पड़ कर चीन पिसना नहीं चाहता। नवम्बर 1959 में नेहरू जी ने संसद में यह कहा कि "नेपाल और भूटान के विरुद्ध कोई भी कारवाई भारत के विरुद्ध की गई कारवाई मानी जाएगी।" अन्ततः कोईराला एकपक्षीय कदम नहीं उठायेगा, चाहे कोई भी कारवाई नेपाल के विरुद्ध ही क्यों न हो हो माँगे जाने पर ही भारत मदद करेगा।

कुछ दिनों बाद नेपाली नेता 1950 के समझौते को बदलने की बात करने लगे। 22 नवम्बर, 1977 को नेपाल को चार बड़े नेता एस० पी० उपाध्याय, पूर्व गृहमंत्री टी० पी० आचार्य, पूर्व विदेश मंत्री डी०आर० रेग्मी, पूर्व सचिव (कम्युनिस्ट पार्टी) के० जी० रायमाझी आदि ने एक साथ 1950 के समझौते की माँग की जो कि पंचशील के आदर्शों के मुताबिक हो। उन्होंने नेपाली नागरिक को विदेशी सेना (ब्रिटेन और भारत) में भर्ती राष्ट्रीय अपमान माना और उनके भर्ती केन्द्रों की जानकारी माँगी। 1950 के बाद नेपाल ने बहुत सारे उतार-चढ़ाव का सामना किया। सामान्यतः भीत पुद्ध के समय विष्व दो बड़े ताकतवर षिविरो में विभाजित था, जिसमें नेपाल की कोई भूहिका नहीं थी। नेपाल की भी यह इच्छा थी, कि उसे सारे गुट-निरपेक्ष देशों के सदस्य के बीच एक महत्वपूर्ण ब्यान मिले। नेपाल का अनुभव कोसी, गंडम परियोजनाओं में निराशाजनक रहा और नेपाल का ऐसा मानना है कि ये परियोजनाएँ भारत की उन्नति और नेपाल की दूर्गति के लिए हैं। यह एक कारण हो सकता है कि किसी और नदी की परियोजनाएँ क्यों नहीं कार्यान्वित हो रही है? अपनी पानी के नियोजना एवं प्रबंध के लिए भी नेपाल सारे एषियान देशों जिसमें चीन भी शामिल है, अपनी मदद चाहता है।

इस तरह से नेपाल का एक भाति क्षेत्र का प्रस्ताव न सिर्फ अपने देश के विपक्षी पार्टी को समझाने में कामयाब रहा, बल्कि चीन को भी यह बता दिया कि नेपाल भारत के साथ कोई विशेष रिश्ता नहीं रखता।

यथार्थवादी कारण:- नेपाली राजा को यह एहसास होने लगा कि, दक्षिण एषियन क्षेत्रों में उन्नति से उनके देश की सुरक्षा को खतरा है, और उससे बचने का उपाय था कि, नेपाल अपने को एक भातिपूर्ण क्षेत्र घोषित करें। राजा वीरेन्द्र ने यह बताया कि हम किसी देश के धमकी से डरने वाले नहीं हैं।

वास्तव में नेपालियों को अपने देश की सुरक्षा की चिन्ता भारत पाकिस्तान के बीच दिसम्बर 1971 युद्ध के बाद सताने लगी थी। बहुत सारे नेपाली अखबारों ने बँगला देश की जंग में भारत की भूमिका के बारे में लिखा। सन् 1960 से नेपालियों की यह शिकायत थी कि, भारत उनके आन्तरिक मामलों में विशेष दिलचस्पी रखता था और उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा मंडराता हुआ नजर आता था। पहले उनकी सोंच थी कि, वह चीन का इस्तेमाल भारत के साथ अपने ताल-मेल बनाए रखने के लिए करेगा। दूसरी सोंच यह थी कि, भारत और पाकिस्तान के पास समान्य ताकत है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के दो बड़े-बड़े देश हैं और नेपाल की सुरक्षा में दोनों का सहयोग चाहिए। नेपाल में भारत का स्रोतों और क्षेत्रफल के मामले में बड़ा होने के बावजूद भी पाकिस्तान को मजबूत देश माना गया। परंतु 1965 के युद्ध के परिणाम ने नेपालियों को सोचने पर मजबूर किया। 1971 के भारत-पाकिस्तान भुद्ध के बाद सारे निर्णयों पर पानी फिर गया। नेपालियों को यह एहसास हो गया कि, अगर चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी सहायता ही दे सकता है तो वह नेपाल की भी मदद कर सकता है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के कुछ महीनों बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ प्रगति ने नेपाल को डरा दिया। ऐसी ही एक घटना भारत का 18 मई 1974 को दिया गया न्यूक्लियर परीक्षण था। हालांकि भारतीय सरकार ने यह बता दिया था कि, यह न्यूक्लियर परीक्षण सिर्फ न्यूक्लियर के एक भातिपूर्ण उपयोग तथा न्यूक्लियर विज्ञान के बारे में और अधिक गहरी जानकारी हासिल करने के लिए किया गया था।

नेपाल को यह एकहसास हो गया था, कि गुट निरपेक्षता की उसकी नीति उसे सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए उसने यह फैसला लिया कि उसे अपने प्रदेश को भाति क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, जिससे उसको बड़े पड़ोसी मुल्क उसके साथ अतिक्रमण न कर सके। इन सबसे ऊपर उठकर सिक्किम की प्रगति नेपाल के आन्तरिक स्थिति को बहुत अधिक प्रभावित कर सकती। सिक्किम काँग्रेस और नेपाली काँग्रेस के बीच घनिष्ठता हो गई थी। नेपाली राजा को अपनी बिना पार्टी के पंचायती राज्य पर खतरा मंडराता दिख रहा था, जो कि सिक्किम ने लोकतंत्र की जीत और अधिक बढ़ गया। वी० पी० कोईराला ने 1974 के मतदान के दौरान सिक्किम काँग्रेस की भरपूर मदद की थी। उन्होंने सिक्किम काँग्रेस की जीत पर अपनी खुषी जाहिर की थी और यह उम्मीद की थी कि, सिक्किम में लोकतंत्र की विजय से उसके पड़ोसी राजघाटी मुल्क पर भी कुछ असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया था कि, अगर नेपाल में निरपेक्ष चुनाव हो तो नेपाली काँग्रेस भी 90 प्रतिषत स्थान अपनी झोली में डाल सकती है।

संदर्भ :-

1. Jawahar Lal Nehru , India's Foreign Policy' New Delhi, 1961, P-436
2. A.S. Bhasin, Document on Nepal's Relatings, New Dehi, 1970, P-254
3. S.D. Muni, Foreign policy of Nepal, Delhi, 1973,P-241
4. Rishikesh saha, Nepal as a zone of Peace, Tokyo, P-170
5. Shre Krishna Jha, India and Nepal in the Past-Cotonual Era, New Delhi. 1975,P-
6. Rishikesh Shaha, Government of Non-Aligend, Algiers, Countries, 5-9 September, P-149-156
7. S.D. Muni, Asian Recodar, New Delhi, 1969,P-9058.
8. Jawaharlal, Indian's Policy, New Delhi., 1961, P-436.
9. Jawahar Lal, Foreign Policy of India, New Delhi, 1959,P-31-33
10. A.S. Bhasim, Nepal Relation with India and Nepal, New Delhi, 1959,P-49
11. Bhasim, Nepal for Economic Development, New Delhi, 1975, P-18
12. Bhasim, Nepal of Economic, New Delhi, 1976,P-141-142
13. S.D. Muni, Foreign Policy of Nepal, New Delhi, 1973,P-9060

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की मांग तथा भारतीय संघवाद की सीमाएं: एक अध्ययन

बीर बहादुर यादव

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, ल ना मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

अपने सकारात्मक स्वरूप में क्षेत्रवाद प्रत्येक राज्य में विद्यमान होता है। इस स्वरूप में क्षेत्रवाद का अर्थ है, उस क्षेत्र अथवा इलाके से प्रेम जिसमें एक व्यक्ति रहता है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है कि पंजाब के रहने वाले पंजाबी भाषा, संस्कृति और क्षेत्र को प्रेम करते हैं, इसमें कोई गैर प्राकृतिक बात नहीं है। अपने प्रांत अथवा क्षेत्र अथवा इलाके के हितों की सुरक्षा के लिये प्रयास करने सभी निवासियों की स्वाभाविक रुचि और आवश्यकता होती है। इस प्रकार के क्षेत्रवाद को भारत जैसे संघीय राज्य की एक प्राकृतिक विशेषता के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। लेकिन क्षेत्रवाद उस समय एक बुराई बन जाता है जब इसकी पैरवी राष्ट्रीय हितों और आवश्यकताओं की कीमत पर की जाती है। अपने नकारात्मक रूप में क्षेत्रवाद का अर्थ है अपे क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों और यहाँ तक कि राष्ट्र से भी अधिक महत्व देना। क्षेत्रीय हितों की पीर्त के लिये राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करना। ऐसे क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति के अधीन एक स्थानीय क्षेत्र के लोग, जिनमें परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क होते हैं और जो आपस में भावात्मक रूप से बहुत जुड़े होते हैं, वे अपने हितों को दूसरे क्षेत्रों के हितों और राष्ट्रीय हितों से संकीर्ण रूप में प्राथमिकता देते हैं। जब एक क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय और संकीर्ण हितों और मांगों की पैरवी करते हुए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हैं तो ऐसा क्षेत्रवाद नकारात्मक और हानिकारक क्षेत्रवाद होता है। ऐसा क्षेत्रवाद राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय शक्ति को हानि पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ है अपने एक विशेष क्षेत्र अथवा इलाके को समस्त देश क्षेत्र के हितों की अधिक पैरवी करना।

भारत में क्षेत्रवाद

एक क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम और उसको समस्त देश से भी अधिक प्राथमिकता देना ऐसा नकारात्मक क्षेत्रवाद भारत में विद्यमान रहा है। यह क्षेत्रवाद राष्ट्र से अधिक एक क्षेत्र के प्रति प्रेम के रूप में विद्यमान रहा है और कई बार क्षेत्रवाद के कारण ही राष्ट्र के हितों को उपेक्षित किया जाता रहा है। यहां कई ढंगों और स्वरूपों में भारतीय राजनीतिक प्रणाली में क्षेत्रवाद विद्यमान रहा है। क्षेत्रवाद अग्रवर्णित प्रमुख स्वरूपों में अस्तित्व में रहा है और आज भी है।

1. भारतीय संघ से अलग होने की मांग
2. भारतीय संघ से अलग अस्तित्व वाले राज्य की मांग
3. पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग
4. राज्य की स्वायत्तता की मांग
5. एक राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग
6. अन्तर्राज्यीय झगड़े
7. भूमिपुत्र सिद्धान्त
8. उग्र-क्षेत्रवाद
9. भाषायी क्षेत्रवाद

भारतीय संघ से अलग होने की मांग भारत में क्षेत्रवाद का सबसे अधिक बुरा स्वरूप रहा है। अलगाववादी शक्तियाँ जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैण्ड, मिजोरम और त्रिपुरा में या वास्तव में लगभग समस्त पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम 1950 में तमिलनाडु के राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नैत्रदकड़गम ने मद्रास राज्य को भारतीय संघ से विलग करने की मांग की थी। इस मांग के तहत भारतीय संघ से अलग कर एक 'द्रविड़ स्थान' राज्य की मांग की गयी जिसमें मद्रास, आंध्रप्रदेश, केरल एवं मैसूरु राज्य शामिल थे। इस तरह की विघटनकारी मांगों को रोकने के लिये संविधान के 16वें संशोधन द्वारा अक्टूबर 1963 में संसद को ऐसे कानून के निर्माण का अधिकार दिया गया जिसके द्वारा भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके। इसके साथ ही संसद अथवा राज्य विधानमण्डलों के चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक कर दिया गया कि वे संविधान के प्रति निष्ठा की तथा देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा की शपथ लें। अकाली दल ने स्वतंत्रता पूर्व ही मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में पृथक सिक्ख राज्य की मांग की थी। डॉ. जगजीत सिंह के नेतृत्व में अकाली दल ने पृथक खालिस्तान की मांग के लिये आंदोलन चलाया। 80 के दशक में 'खालिस्तान' की मांग को लेकर पंजाब में उग्रवादी आंदोलन संचालित किया गया। अन्य क्षेत्रों जैसे उत्तरपूर्व में 'नागा' एवं 'मिजो' द्वारा भी भारतीय संघ से पृथक होने की मांग की गयी थी। 1962 में 'सिंध' वधान में 13वें संशोधन द्वारा 'नागालैण्ड' को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य तथा 1985 में 'मिजोरम' को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार पृथक तेलंगाणा, स्वतंत्र गोरखालैण्ड एवं स्वतंत्र कश्मीर हेतु पृथकतावादी हिंसक आंदोलन चलाये गये हैं। क्षेत्रवाद का एक अन्य रूप पृथक राज्य की मांग है। अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रान्तीयता एवं संकीर्ण हितों के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की गयी। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मेघालय, झारखण्ड, उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन पृथक राज्यों के लिये की गयी निरन्तर मांग का ही परिणाम है।¹ स्वतंत्रता के पश्चात् 1956 में सर्वप्रथम भाषागत आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। किन्तु इस पुनर्गठन से असंतुष्ट देश के विविध क्षेत्रों ने नवीन राज्यों के गठन की मांग उठायी। 1960 में गुजराती एवं मराठी भाषा के आधार पर बम्बई राज्य के विभाजन की मांग पर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना की गयी। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ का गठन किया गया। 1968 में असम राज्य का पुनर्गठन कर मेघालय, 1972 में भूतपूर्व सघंय प्रदेशों मणिपुर एवं त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।² पुराने राज्यों का पुनर्गठन कर नवीन राज्यों के गठन के क्रम में संसद ने अगस्त 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित कर उत्तरांचल, अगस्त 2000 में ही बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित कर झारखण्ड तथा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित कर छत्तीसगढ़ राज्यों का सृजन किया गया। किन्तु उक्त नवगठित राज्यों के बावजूद अनेक नये राज्यों के गठन की मांग उठायी जा रही है जैसे— उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, हरित प्रदेश एवं बुंदेलखण्ड, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, आंध्रप्रदेश में तेलंगाना, असम में बोडोलैण्ड तथा पश्चिम बंगाल में गोरखालैण्ड आदि। इनमें से अनेक राज्यों की मांग अव्यवहारिक भी है किन्तु क्षेत्रीयतावाद की मनोवृत्ति के कारण यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को विकास के अवसर नहीं मिलते, रोजगार एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है तो ऐसी मांगें उठती हैं।³ क्षेत्रीयता का एक अन्य पहलू विविध राज्यों के मध्य होने वाला पारस्परिक विवाद है। नदी-जल बंटवारा, विद्युत वितरण, भाषा संसाधनों का आवंटन, केन्द्र द्वारा प्रदत्त अनुदान, रोजगार, विस्थापन आदि अनेक मसलों पर राज्यों के मध्य तनाव व्याप्त हुआ है। कावरे नदी के जल वितरण को लेकर तमिलनाडु एवं कर्नाटक के मध्य विवाद, भाखड़ा जल विद्युत के उपयोग को लेकर राजस्थान एवं हिमांचल प्रदेश में विवाद, यमुना नदी के जल के बंटवारे को लेकर हरियाणा एवं दिल्ली के मध्य विवाद, पंजाब एवं हरियाणा के मध्य सीमा विवाद आदि अनेक मामले अन्तर्राज्यीय विवादों के उदाहरण हैं। यद्यपि अन्तर्राज्यीय विवादों के

निस्तारण हेतु परिषदें स्थापित की गयी हैं तथापि इन क्षेत्रीय परिषदों की सक्रिय भूमिका अपेक्षित है। क्षेत्रीयतावाद का एक अन्य स्वरूप देश में भाषायी विवादों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। सिंधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था तथा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एवं 1956 में भाषायी आधार पर ही राज्यों का हिन्दी विरोध एवं हिन्दी को राजभाषा के रूप में थोपे जाने के प्रचार से भाषा के प्रश्न को लेकर क्षेत्रवाद के स्वर फूटे। असम में भाषा की राजनीति असम आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रही। पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के आधार पर पृथक राज्यों के गठन की मांग की गयी। इस प्रकार भाषा को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रान्तवाद की भावना को प्रेरित किया। भाषा के राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग ने विविध वर्गों में अनावश्यक तनाव भी उत्पन्न किया। क्षेत्रीयता की मनोवृत्ति के कारण ही भारत में उत्तर दक्षिण की भावना पनपी। दक्षिण भारत के चार राज्यों में राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित तत्वों ने यह प्रचारित किया कि राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से दक्षिण भारत को उत्तर भारत के समान संसाधन एवं अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक के इन राज्यों में जहाँ द्रविड़ भाषा बोली जाती है, हिन्दी को राजभाषा घोषित किये जाने का विरोध किया गया है। हिन्दी को उत्तर भारत की भाषा मानते हुए दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति के धूमिल होने की शंका प्रकट की गयी तथा राजकीय एवं प्रशासकीय कार्यों में हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को मान्यता देने की मांग की गयी। केवल भाषा ही नहीं वरन् दक्षिण भारत के राजनीतिक सत्ताधारियों ने संसाधनों के आवंटन को लेकर भी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभेद करने का आरोप लगाया।

भारत में सुदृढ़ संघवाद की प्रवृत्ति के अनुरूप शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना गयी तथा सहयोगी संघवाद की कल्पना की गयी थी। किन्तु विगत दशकों में जब-जब केन्द्र एवं राज्यों में पृथक-पृथक राजनीतिक दलों की सरकारों का गठन हुआ है तब-तब राज्यों ने और अधिक स्वायत्तता के नारे दिये हैं। विभिन्न राज्यों में धीरे-धीरे यह भावना बलवती हुयी है कि केन्द्र ने उन्हें उपयुक्त स्वायत्तता से वंचित रखा है। भारत में अनेक राज्यों का गठन सुदीर्घ जनतांत्रिक आंदोलन के पश्चात् भाषायी आधार पर किया गया है। इसलिये केन्द्र द्वारा राज्यों के साथ आर्थिक-राजनैतिक भेदभाव का, स्वायत्तता हनन के किसी भी कदम का सम्बन्धित, राज्य द्वारा न केवल राजनैतिक एवं आर्थिक स्तर पर प्रतिकार किया जाता है, बल्कि इसे राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला करार देकर इसका प्रतिकार अस्मितामूलक उद्वेलन से किया जाता है। ऐसे में स्वायत्तता की मांग जो संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत संसाधनों के न्यायोचित पुनर्वितरण की जनतांत्रिक मांग के रूप में शुरू होती है, राजनैतिक सुप्रबंधन के अभाव में पृथकतावाद के अवनत तक पहुँच जाती है।

1960 के दशक के आरम्भ में तमिलनाडु में भाषायी राजनीति का जबरदस्त उभार हुआ तथा इसे 'तमिल अस्मिता' के प्रश्न के रूप में भारी जनसमर्थन मिला था। इसी क्रम में 1967 में राज्य में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल डी.एम.के. की सरकार ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग की। द्रमुक नेता अन्ना दुराई का मत था कि "हमें संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धान्त और व्यवहार को अपनाना चायि। संघात्मक संविधान में आदर्श केन्द्र द्वारा केवल उतनी शक्तियाँ व्यवहार में लायी जानी चाहिये, जिनसे कि देश में संप्रभुता और एकता की रक्षा हो सके। राज्यों को सिंध वधान की ओर से स्वायत्तता प्राप्त है और उनके साथ नगरपालिकाओं के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है।" इसी परिप्रेक्ष्य में 1969 में तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर विचार के लिये 'राजमन्मार समिति' की स्थापना की। 1971 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दिये जाने, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के पुनर्गठन का सुझाव दिया। किन्तु केन्द्र सरकार ने इन मांगों को भारतीयसंघवाद के विरुद्ध मानते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया।⁴

दिसम्बर 1977 में राज्यों की स्वायत्तता की मांग पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा की गयी। उन्होंने केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर एक परिपत्र तैयार कर सभी राज्यों को भेजा। परिपत्र के अनुसार भारत जैसे देश में जहाँ प्रजाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की भारी विविधता है, वहाँ शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के सजग सुनिश्चित प्रयासों से ही राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की रक्षा की जा सकती है। परिपत्र ने मांग रखी कि 'संविधान में यूनियन' शब्द के स्थान पर 'फेडरल' शब्द अतः स्थापित किया जाये। इसके अलावा अनुच्छेद 356 एवं 357 के विलोपन, केन्द्र सरकार की आय का 75 प्रतिशत भाग राज्यों को आवंटित करने तथा राज्यसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं लोकसभा के साथ उसके समानाधिकार की मांग की गयी। 1980 के दशक में कई प्रमुख राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय आधार वाले दल सत्तारूढ़ हुए जिन्होंने राज्यों की स्वायत्तता की मांग को जोर-शोर से उठाया। इस दशक में केन्द्र में विशाल बहुमत वाली कांग्रेस सरकार थी, जिसके वर्चस्व को चुनौती देने के लिये सभी क्षेत्रीय दलों ने संघवादी एजेण्डे को सर्वोपरि रखते हुए 'सम्मेलन राजनीति' का दौर शुरू किया। 1983-84 में कलकत्ता, विजयवाड़ा, दिल्ली एवं श्रीनगर में ऐसे सम्मेलन आयोजित किये गये, जिनमें डी एम के अकालीदल, टी.डी.पी. जैसे क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया। इन सम्मेलनों में शक्तियों के अति केन्द्रीकरण को वैध क्षेत्रीय जनाकांक्षाओं की उपेक्षा के लिये उत्तरदायी माना गया, जिसके कारण पंजाब, कश्मीर एवं

असम में हिंसात्मक-पृथकतावादी आंदोलन ने जन्म लिया। इन सम्मेलनों में मुख्यतः आर्थिक एवं वित्तीय विकेन्द्रीकरण के संदर्भ में केन्द्र राज्य सम्बन्धों के पुनरावलोकन की मांग की गयी।⁵

क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति क्षेत्रीय आर्थिक तनावों के रूप में भी हुयी है। स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग के कारण देश के समग्र विकास के ध्येय को अर्जित नहीं किया जा सका है। उद्योगों की स्थापना, शिक्षा, रोजगार एवं ससांधनों के आवंटन की दृष्टि से असंतुलन के कारण देश के विविध भागों में असंतोष उत्पन्न हुआ है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में आंदोलन, देश के विविध भागों में नक्सली हिंसा, उत्तर-पूर्व के राज्यों में पृथकतावादी आंदोलन आदि के मूल में आर्थिक असंतुलन के प्रश्न निहित हैं। अतः आर्थिक विकास की अवहेलना क्षेत्रीयता के प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक रहा है।

1950 के दशक में 'धरती पुत्र की धारणा' सिद्धान्त के रूप में आयी। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले प्रवासी मजदूरों और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों की हैसियत से सम्बन्धित रहा है। कई राज्यों में इस बात के लिये आंदोलन आयोजित किये गये हैं कि सरकार अपने हस्तक्षेप द्वारा 'स्थानीय निवासियों के लिये रोजगार और नौकरियों की गारंटी करे और 'बाहरी' लोगों को इसमें प्रवेश करने से रोके 'धरती पुत्र' दर्शन के पीछे मूल विचार यह है कि एक राज्य उस विशेष भाषाई समूह की है जो वहां के निवासी है अथवा एक राज्य के निवासी है जो खास भाषा वर्ग से आते हैं का अपना अलग 'गृहभूमि है और ये स्थानीय' या 'धरती पुत्रों' की अपनी जमीन है, बाकी अन्य जो लोग वहां रहते हैं, या वहां बस गये हैं, जिनकी भाषा वहां की मातृभाषा से भिन्न है, वे सभी बाहरी घोषित कर दिये जाते हैं।

'धरती पुत्र आंदोलन मुख्यतः तभी उठा है या और ज्यादा आक्रामक बनकर उभरा है, जब औद्योगिक एवं मध्यवर्गीय रोजगार के लिये प्रवासी और स्थानीय शिक्षित मध्यवर्गीय युवकों के बीच प्रतियोगिता प्रारम्भ हुयी, धरती पुत्रों को लगा कि उनके रोजगार, आवास तथा अन्य सुविधा के अधिकार पर बाहरी लोग कब्जा जमाते हैं, इन्ही भावनात्मक मुद्दों को उभारकर भी अनेक क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ, विशेषकर महाराष्ट्र में शिवसेना, मनस, आसाम में उल्फा, असम बोडोलैण्ड फ्रंट, आंध्रप्रदेश में टी.आर.एस. इत्यादि प्रान्तीय दल। यद्यपि धरती पुत्र आंदोलन से जुड़े क्षेत्रीय दल संघवाद के बुनियादी ढांचे के विपरीत हैं किन्तु लम्बे समय तक ये आंदोलन मुख्य धारा में नहीं बने रह पाते, और न ही इन्हें व्यापक समर्थन मिलता है, क्यों कि इसी प्रकार के विघटनकारी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिये सिं वधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनु. 15, धर्म, भाषा, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के समान अवसर का उल्लेख करता है जो भाषा अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। फिर भी संसद, किसी राज्य में राजकीय नियुक्तियों के लिये उस राज्य में निवास की आवश्यकता का प्रावधान बनाते हुए कानून स्वीकृत कर सकती है। राजनीतिक दबावों के अन्दर संविधान की अस्पष्टता का फायदा उठाते हुए कई राज्यों ने कुछ नौकरियां आरक्षित कर दी है या राज्य नौकरियां अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती के लिये राज्य के निवासी को प्राथमिकता देते हैं, जन्म स्थान के आधार पर नौकरियों में प्राथमिकता अथवा आरक्षण हासिल है किन्तु भाषा के आधार पर ऐसा करने की छूट बिल्कुल नहीं है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की मांग को संघाद की परिधि में लाता है, यद्यपि आजादी के बाद अनेक भारतीय एवं विदेशी विचारकों ने देश के संघीय ढांचे पर आशंका जतायी थी। 1957 में सीम् राजगोपालाचारी ने भविष्यवाणी की "केन्द्र पर सारी शक्तियाँ अन्ततः हावी हो जायेगी और राष्ट्र को राजनीतिक अराजकता के एक कालसे गुजरने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और फांसीवाद के उदय के खतरे का सामना करना पड़ेगा।"⁶

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की मांग

खालिस्तान की मांग: क्षेत्रीयतावाद के आधार पर भारतीय संघ से पृथक होने की खालिस्तान की मां स्वतंत्रता की मांग थी। पंजाब में उग्रवादी गुटों द्वारा सिखों के लिये की गयी पृथक सिक्ख देश की मांग ने भारतीय अखण्डता को गम्भीर चुनौती प्रस्तुत की। वस्तुतः सिक्ख धर्म हिन्दू धर्म का ही भाग है। सिक्खों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव जी ने सिक्खों अर्थात् शिष्यों (अनुशासनबद्ध गुरु की आज्ञा मानने वाले) को हिन्दू धर्म की रक्षा का भार सौपा था। तभी से सिक्ख शौर्य तथा वीरता से दुश्मनों का सामना करते आये। किन्तु स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने हिन्दू-मुसलमान फूट के समान हिन्दू एवं सिक्ख में मतभेद उत्पन्न किये। 1925 में अकाली दल की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने अकाली नेताओं को भी विभाजन के लिये उकसाया। मास्टर तारा सिंह द्वारा सिक्खों के लिये एक अलग राज्य की मांग की गयी।

1940 के दशक के मुस्लिम लीग के सिद्धान्तों को प्रतिध्वनित करते हुए अकालियों ने भी यह नारा बुलंद किया कि सिक्ख धर्म खतरे में है तथा अकाली दल सिक्ख पंथ का एकमात्र प्रतिनिधि है। कांग्रेस को हिन्दुओं का राजनीतिक दल बताने तथा प्रचार-प्रसार के बावजूद 1946-47 में हिन्दू मुसलमान साम्प्रदायिक दंगों के दौरान हिन्दू-सिख एकता

बनी रही। आजादी के बाद अकाली दल जो एक धार्मिक संगठन था, ने राजनीति में प्रवेश किया। सिक्ख धर्म के प्रतीकों एवं संस्थाओं का उपयोग धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाने और साम्प्रदायिक अपील करते हुए अकाली आंदोलन को संगठित किया गया। स्वतंत्रता के उपरान्त सर्वप्रथम भाषा के प्रश्न को लेकर पंजाब बनाम हिन्दी के विवाद से सिक्खों एवं हिन्दुओं में दुराव उत्पन्न हुआ। भाषा एवं लिपि के प्रश्न को दोनों समुदायों के कट्टरपंथी तत्वों ने साम्प्रदायिक रंग दे दिया। दूसरा मुद्दा पंजाबी सूबे का था। मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में अकाली दल ने पंजाब सूबे की मांग के इर्द-गिर्द एक शक्तिशाली आंदोलन संगठित किया। अपनी मांग को खुल्लम-खुल्ला साम्प्रदायिक चरित्र देते हुए अकाली दल ने आरोप लगाया कि इस मांग को स्वीकार न करना सिक्खों के खिलाफ भेदभाव की कार्रवाई है। 1956 में अकाली दल और भारत सरकार के मध्य हुए समझौते से पंजाब एवं पेप्सू का विलय हुआ। मार्च 1966 में पंजाब राज्य का दो भागों में विभाजन कर दिया गया— पंजाबी भाषी पंजाब तथा हिन्दी भाषी हरियाणा। किन्तु चण्डीगढ़ को केन्द्र शासित क्षेत्र घोषित करते हुए पंजाब एवं हरियाणा दोनों के लिये राजधानी घोषित किया गया। अकाली दल ने नवम्बर 1966 में चण्डीगढ़ को पंजाब में शामिल करने के लेकर आंदोलन छेड़ा। नवगठित पंजाब सूबे में 1967 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल को बहुमत प्राप्त हुआ तथा उन्होंने साझा सरकार बनायी। इसी दौरान सिक्ख होमलैण्ड के नारे लगाये गये। 17 अक्टूबर, 1973 को अकाली दल की कार्यसमिति ने सिक्खों के पञ्च नीय स्थल आनन्दपुर साहिब से धार्मिक, क्षेत्रीय एवं राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। इन मांगों को अकाली दल की कार्य समिति द्वारा 13 अक्टूबर, 1973 को स्वीकार किया गया। अकाली दल द्वारा जो मांगे समय-समय पर उठायी जाती रही हैं वे प्रमुखतः धार्मिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, नदी जल बंटवारे को लेकर सीमा विवाद, पंजाबी भाषा आदि से सम्बन्धित रही हैं। आनन्दपुर साहिब प्रस्तावों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मांगों का समावेश किया गया है। इन्ही मांगों को लेकर अकाली दल द्वारा एक दबाव समूह के रूप में दबावकारी साधनों काम रोको, रेल रोको, हड़ताल आदि से आंदोलन किया गया। 1977 में आपातकाल के दौरान अकाली दल इंदिरा कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी के साथ था। तात्कालिक राजनीतिक कारणों से जनता पार्टी ने अकालियों की गैर वाजिब मांगों एवं कार्यों की अनदेखी की। 1980 के चुनावों में पराजित होने के बाद अकाली दल ने 'आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव' को क्रियान्वित करने के लिये पुनः आंदोलन संचालित किया, जिससे समूचा क्षेत्र अशान्त क्षेत्र बन गया। 1981 में संत लोगोवाल के नेतृत्व में मुख्य अकाली दल ने प्रधानमंत्री को धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 45 मांगे एवं शिकायतों का मांगपत्र सौपा जिसमें पंजाब की नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच बांटने तथा पंजाब को चण्डीगढ़ हस्तारित करने का मुद्दा भी शामिल था। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करना इनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। इस प्रस्ताव के अनेक रूपान्तर मौजूद थे, अपने सभी स्वरूपों में ये साम्प्रदायिक एवं अलगाववादी थे।⁷

अकाली उग्रवाद के समानान्तर 1981 में पंजाब में हिंसात्मक उग्रवाद अपने विकराल रूप में सामने आया। इस आतंकवाद के शक्तिशाली अभियानकर्ता थे संत जनरैल सिंह भिंडरावाले। जिसने 70 के दशक के अंतिम दिनों में सिक्ख कट्टरवाद को प्रश्रय दिया। 1981 से 1984 तक का समय आतंकवाद की पराकाष्ठा का दुःखद समय था। जिसमें न केवल गैर सिक्ख बल्कि सिक्खों को भी जान-माल से हाथ धोना पडा। अनेक सिक्ख उग्रवादी संगठन जैसे दल खालसा, बब्बर खालसा, अखिल भारतीय सिक्ख छात्र संघ आदि ने विभिन्न गैर-राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया। पंजाब में आतंकवाद की समस्या इस कारण चिंताजनक बन गयी थी क्योंकि आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर न केवल हिन्दुओं को निशाना बनाया बल्कि आतंकवादियों को विदेशों से सहायता भी मिलने लगी। विदेश में रह रहे डॉ. जगजीत सिंह ने 'सिक्ख ब्रदरहुड' का नारा दिया तथा पश्चिमी देशों, चीन एवं पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करता रहा। भारत के खिलाफ कम तीव्रता के युद्ध लड़ने की अपनी रणनीति के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तान इन सिक्ख संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार, विचारधारात्मक प्रचार, छुपने के लिये सुरक्षित जगह और सैनिक मार्ग निर्देशन प्रस्तुत करता रहा था। 1984 के प्रारम्भ तक आतंकवादी गतिविधियां इतनी बढ़ी कि स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। पंजाब में हिन्दुओं एवं सिक्खों के बीच दरारे बढ़ने के साथ ही पंजाब और पूरे राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिये खतरा उत्पन्न हो गया। अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु तथा शरणस्थली बन गया। जून 1984 के प्रथम सप्ताह में अमृतसर स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में 'आपरेशन ब्लू स्टार' के नाम से सैनिक कार्यवाही की गयी, जिसमें अनेक चरमपंथी नेता— भिण्डरावाला, अमरीक सिंह आदि मारे गये। आपरेशन ब्लू स्टार ने पूरे देश में सिक्खों के बीच असंतोष एवं नाराजगी की भावना पैदा की। सिक्खों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही को आतंकवादियों से निबटने के लिये एक अरुचिकर किन्तु आवश्यक कार्यवाही के रूप में नहीं वरन इसे धर्म विरोधी तथा अपने समुदाय के खिलाफ अपमान के रूप में देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं उनके परिवार से स्वर्ण मंदिर अपवित्र करने के लिये आपरेशन ब्लू स्टार कार्यवाही का बदला लेने की आतंकवादियों द्वारा

घोषणा की गयी। 31 अक्टूबर 1984 को इन्दिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों में शामिल दो सिक्ख सदस्यों द्वारा उनकी हत्या कर दी गयी। दिल्ली में हुए हिन्दू-सिक्ख दंगों से साम्प्रदायिक असंतोष उभरा। पंजाब समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण चरण राजीव-लोगोवाल समझौता है।

24 जुलाई 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा अकाली आंदोलन के अध्यक्ष संत हरचन्द सिंह लोगोवाल के मध्य 11 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। मई 1988 में आपरेशन ब्लैक थंडर द्वारा स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से पूर्णतः मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। आपरेशन डिमालीशन का उद्देश्य स्वर्ण मंदिर के आस पास 30 किलोमीटर का गलियारा बनाना था जिससे आतंकवादियों पर नजर रखी जा सके। पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी। 1985 के विधानसभा चुनावों के उपरान्त सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार बनी। आतंकवाद अपरोक्ष रूप से सुलगता रहा। 1993 तक पंजाब मोटे तौर पर आतंकवाद से मुक्त हो चुका था। 'खालिस्तान' की मांग ने अखण्ड राष्ट्र के रूप में भारत के संघवाद के लिये गम्भीर चुनौती प्रस्तुत की।⁸

पृथक बोडोलैण्ड की मांग

असम की जातीय और सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने के लिये तथा असम में पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से आये विस्थापितों (तथाकथित विदेशियों) को खदेड़ने के लिये 1979 में असम में संगठित आंदोलन चलाया गया यद्यपि इसकी जड़े स्वतंत्रतापूर्व ही मौजूद थी। अंग्रेजों ने असम के चाय बागानों में काम करने के लिये बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि क्षेत्रों से आये सस्ते मजदूरों को रोजगार दिया। 1947 में भारत के विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी असम में बसे। 1950 में बंगाल में साम्प्रदायिक दंगों, 1964 में पूर्व पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों तथा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असम में शरणार्थियों के बसने का क्रम बना रहा। किन्तु शरणार्थियों की बड़ी संख्या का संकट 1971 में भारत-पाक युद्ध एवं बांग्लादेश के उदय के दौरान हुआ जब 90 लाख बंगाली शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ किये और यह संख्या निरन्तर बढ़ती रही। स्थानीय राजनीतिक दलों द्वारा इन शरणार्थियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखा गया। विदेशी शरणार्थियों को घुसपैठ के कारण असम की स्थानीय संस्कृति एवं ताने-बाने में संकट उत्पन्न हो गया।

इस संगठन ने अपना असम के लिये सम्प्रभु राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा। 80 के दशक में असम में हिंसक आंदोलन से तनाव उत्पन्न हुआ। असम समस्या की एक कड़ी बोडोलैण्ड की मांग से जुड़ी है। असम के कोकराझार, बारपेटा, नलबाड़ी, तेजपुर तथा डिब्रुगढ़ के आधे जिलों को मिलाकर अलग बोडो राज्य की मांग की गयी है। विद्रोही संगठन बोडो लिबरेशन टाइगर्स ने हिंसा का मार्ग अपनाया। बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध सरकार ने 'आपरेशन क्रांति' अभियान चलाया।¹⁰

फरवरी 2003 को विद्रोही संगठन बोडो लिबरेशन टाइगर्स ने 10 फरवरी 2003 को केन्द्र और असम सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर असम के 46 सदस्यीय बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के गठन का निर्णय किया है। इससे 10 वर्ष पुरानी बोडो समस्या का निर्णय होगा। इस समझौते के तहत बोडो भाषा को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल किया गया।⁹ क्षेत्रवाद की उक्त समस्याओं ने भारत में एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे के लिये संकट उत्पन्न किये हैं। क्षेत्रवाद की उक्त समस्याओं के अतिरिक्त अन्य दुष्परिणाम अन्तर्राज्यीय विवाद, नदी जल बंटवारे, सीमा विवाद, भूमिपुत्र की अवधारणा, वर्गीय विद्वेष रहे हैं। आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में बढ़ती राज्य पुनर्गठन की मांग या बिना किसी तार्किक आधार पर राज्यों की मांग ने एक बार फिर संघीय व्यवस्था के सम्मुख एक नये प्रतिमान की समस्या खड़ी कर दी है, क्योंकि नए राज्यों की नितः नयी-नयी मांगें समय-समय पर बढ़ती ही जा रही हैं। जहां आरम्भ में राज्य पुनर्गठन की मांग का आधार भाषा रखा गया, वहीं कुछ समय पश्चात इसके पीछे जनजातीयवाद, अलगाववाद तथा क्षेत्रीयतावाद देखा गया, लेकिन वर्तमान में अब तर्क दिया जाता है कि छोटे राज्य प्रशासन और विकास की दृष्टि से बेहतर साबित होते हैं। इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अपना तर्क दिया। (15 जनवरी 2008 को मायावती ने अपने जन्म दिवस पर औपचारिक घोषणा की थी, वैसे इससे पहले 10 अक्टूबर 2007 को आयोजित रैली में उन्होंने ऐसा सुझाव रखा था।) उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को (पश्चिमी, पूर्वी और बुंदेलखण्ड) तीन खण्डों में बांटकर नये राज्य बना दिये जाने चाहिये। किन्तु मगर इस पर भी दिन प्रतिदिन राजनीतिक मांग में वृद्धि होने लगी है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पहले तीन भागों में बांटने की मांग थी, वहीं अब इसे मध्य प्रदेश के साथ मिलाकर चार राज्यों में विभाजित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसमें बुंदेलखण्ड जो क्षेत्रफल की दृष्टि से साठ हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के 77 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग होने लगी

है, दूसरा हरितप्रदेश-22 जिले और 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अलग राज्य की मांग, तीसरा पूर्वांचल 27 जिले और 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और चौथा उत्तर प्रदेश- 15 जिले और 70,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से मिलाकर कुल चार राज्यों की मांग में बदल गया है। जहाँ तक बुंदेलखण्ड और हरित प्रदेश का अलग राज्य के रूप में प्रश्न है तो इस पर वर्तमान में सबसे ज्यादा राजनीति की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस अलग-अलग तरह से छोटे-छोटे राज्यों की मांग को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) इसके विरोध में है।¹⁰

यद्यपि बुंदेलखण्ड में अभिनेता राजा बुंदेला, जो बुंदेलखण्ड के राज-परिवार से भी सम्बन्धित है, शान्तिपूर्ण अभियान के जरिये इस मांग को और मजबूती से पेश कर रहे हैं। वस्तुतः बुंदेलखण्ड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष का कहना है कि गरीबी, भुखमरी, पिछड़ापन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव समेत सारी समस्या का समाधान अलग राज्य का गठन ही है, क्यों क यहाँ की जनता विकास पैकेज की खोखली राजनीति से परेशान हो गयी है। इसके विपरीत रालोद के अध्यक्ष अजीत सिंह द्वारा हरित प्रदेश के लिये उठायी गयी मांग की वजह समृद्धि और सत्ता से प्रेरित है। इस कड़ी में सबसे रोचक तथ्य है कि आंध्र प्रदेश की 'तेलगांवा राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चन्द्रशेखर राव ने अपने पूर्ववर्ती नेता, 1955 में पृथक आंध्र प्रदेश की मांग करने वाले श्री रामूलू की भांति तेलंगाना राज्य की मांग को व्यवहारिक स्तर पर तीव्रता देने के लिये आमरण अनशन कर दिया जिसके दबाव में केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री को प्रधानमंत्री के साथ आधी रात को ही कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक के बाद तेलंगाना को पूर्ण अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा करनी पड़ी। इस आधार पर अगर कमजोर उत्पादकता को भी जाड़े दिया जाये तो पृथक राज्य के रूप में तेलंगाना विक स और उन्नति में खराब शुरुआत करने वाला राज्य ही होगा, और यदि इसका गठन हैदराबाद के बिना ही किया जाता है तो यह निश्चित ही अत्यधिक पिछड़े राज्यों में होगा, जबकि तेलंगाना राज्य निर्माण के पीछे केवल राजनीतिक अनदेखी और विकास की उपेक्षा ज्यादा है।¹¹

भारतीय संघीय व्यवस्था में कुल मिलाकर तेरह नये राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही है जैसे- आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात से गांडवाना, बिहार से मिथिलांचल और भोजपुर, उड़ीसा में महाकौशल, असम में बोडोलैण्ड, पश्चिम बंगाल से उ गोरखालैण्ड और कर्नाटक से कोडागू। इस आंदोलन में विस्मय करने वाली बात यह है कि कोडागू जैसा छोटा सा भूखण्ड जो 1400 वर्ग किलोमीटर और केवल एक ही जिले तक ही सीमित है वह भी अपने प्राकृतिक ससाधनों के दोहन से आहत होकर अलग राज्य की मांग कर रहा है, वहीं इसके अपवादस्वरूप गांडवाना जैसा विशाल क्षेत्र जो 26 जिलो और 1.59 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है और लगभग 50 जिलों में बोली जाने वाली बोली के अस्मिता के आधार पर एक विशाल राज्य की मांग कर रहा है।¹²

क्षेत्रीयतावाद के नकारात्मक पक्ष

क्षेत्रीयता के आधार पर सचंालित विद्रोही गतिविधियों के कारण राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को हानि पहुंची है। स्वाधीन भारत के इतिहास में तमिलनाडु, पंजाब, नागालैण्ड, कश्मीर, मिजोरम आदि क्षेत्रों के भारत से पृथक होने की मांगों के स्वरो ने भारत के अखण्ड ढांचे की सुरक्षा के लिये ही खतरा पैदा किया। यदि देश से पृथक होने की इन पृथकतावादी मांगों को रोका न गया होता तो अन्तहीन बिखराव का प्रारम्भ हो जाता जिससे भारत का संघवादी ढांचा ही छिन्न-भिन्न हो जाता। क्षेत्रीयता के आधार पर की गयी मांगों को पूर्ण करने के लिये चलाये गये हिंसकआंदोलनों, बन्द, जनता कर्फ्यू (उल्फा द्वारा असम में संचालित) घटनाओं एवं उग्रवादी गतिविधियों से देश की विकास प्रक्रिया बाधित होती है। देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं- शिक्षा, रोजगार, परिवहन आधारभूत ढांचे की स्थापना के प्रबंध के स्थान पर शासन की ऊर्जा अलगाववादियों को नियंत्रित करने में लग जाती है। क्षेत्रीयतावाद के आन्दोलनों से केवल हिंसक तोड़-फोड़ एवं जान-माल का नुकसान ही नहीं होता बल्कि विविध वर्गों में तनाव व द्वेष उत्पन्न होता है। क्षेत्रीयतावाद के कारण पनपी असहिष्णुता से सामाजिक सदभाव एवं राष्ट्रीय सौहार्द छिन्न-भिन्न होता है। क्षेत्रीयता के मुद्दों पर राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्र विरोधी एवं अनुत्तरदायी पूर्ण भूमिका का निर्वाह भारत के संसदीय लोकतंत्र एवं सहयोगी संघवाद पर आधारित संघवादी ढांचे के लिये शुभ नहीं है। इस प्रकार क्षेत्रीयतावाद अलगाव को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय विखण्डन को प्रेरित कर अखण्ड एवं संघवादी राष्ट्र के ढांचे को हानि पहुंचाता है।

निश्चय ही इन उपबन्धों के फलस्वरूप संविधान के संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किन्तु क्या इससे संघीय सिद्धान्त परिवर्तित या नष्ट हो जाते हैं। डॉ. वी. वी. शुकल उक्त मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार आपात उपबन्ध केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही लागू होते हैं, हमारी संघीय व्यवस्था को परिवर्तित या नष्ट नहीं

करते हैं। यह तो हमारे संविधान का विशेष गुण है जो उक्त विशिष्ट परिस्थितियों की कल्पना करता है जबकि संघीय सिद्धान्त को कठोरता से लागू करने से वे मूलभूत धारणाएं नष्ट हो सकती हैं। जिन पर हमारा संविधान आधारित है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान केन्द्रीय सरकार को इतना सशक्त बना देता है जिससे वह देश पर आये सकंठों को टालने में समर्थ हो जाये। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधानों में भारतीय संविधान जैसा कोई उपबन्ध नहीं है, किन्तु दोनों महायुद्धों में न्यायालयों ने संविधान के निर्वचन द्वारा संघीय सरकारों को इतनी विशाल शक्ति प्रदान कर दी थी कि वे एकात्मक संविधान की तरह कार्य करने लगे थे। इसके बावजूद उपर्युक्त सभी संविधान यथावत संघात्मक बने रहे, जबकि संघीय सिद्धान्त में काफी परिवर्तन हो गया था। जिस कार्य को उपर्युक्त संविधानों में न्यायालय ने सम्पादित किया, उसको हमारे संविधान-निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से संविधान में समाविष्ट कर दिया है। इस प्रकार भारतीय संविधान सामान्य काल एवं आपातकालीन परिस्थितियों में संघवाद पर अनेक सीमाएँ लगाता है जो संघवाद का मृत्यु नहीं अपितु संघवाद को सतत् सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया है।

सन्दर्भ सूची

1. डॉ. अम्बेडकर बाबा साहेब: सम्पूर्ण वाङ्मय खंड- 1 सूचना-प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1993, पृ. सं. 173.
2. वही: पृ. सं. 163
3. रंजन सुधांशु: "किसके लिए बने छोटे राज्य" संपादकीय लेख नवभारत टाइम्स, दिल्ली, 22 जनवरी, 2008.
4. विपिन चन्द्र: आजादी के बाद का भारत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2009.
5. वही, पृ. सं. 145-146
6. वही पृ. सं. 175-176
7. महेश प्रसाद सिंह: भारतीय शासन और राजनीति, संपादन बासुकी नाथ चौधरी, युवराज कुमार, ओरियंट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली, पृ. सं. 152-154.
8. विपिन चन्द्र: पृ. सं. 443-447
9. प्रथम प्रवक्ता, सितम्बर 2012 पृ. सं. 32
10. रंजन सुधांशु: वही उपरोक्त
11. इण्डिया टुडे, 30 जनवरी, 2009 पृ. सं. 25
12. इण्डिया टुडे, 30 दिसम्बर, 2009 पृ. सं. 9
13. वही: पृ. सं. 40

मनोवैज्ञानिक संदर्भ में “महिलाओं में नेतृत्व” क्षमता

डॉ० नीतु कुमारी

M.A. Ph.D (PSYCHOLOGY), L.N.M.U. DARBHANGA

व्यक्ति जन्म से ही कुछ ऐसी प्रकृति-प्रदत्त शक्तियाँ लेकर आता है जिनका विकास उपयुक्त वातावरण में होती है। इन शक्तियों या प्रवृत्तियों में जो जन्मजात होती है। उनमें नेतृत्व एक है। नेतृत्व का समुचित विकास शैक्षिक वातावरण द्वारा सम्भव है। कुछ परिस्थिति में भी नेतृत्व का जन्म होता है। आज नेतृत्व की आवश्यकता है हरेक उम्र के लिए, बच्चों के लिए जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए एवं महिलाओं के लिए। नेतृत्व का तात्पर्य व्यक्ति के मौलिक योग्यता से है, जिसके द्वारा वह दूसरों के विचारों मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों को बदलने तथा बनाने में सफल होती है।

नेतृत्व-सम्बन्धी गुणों का अध्ययन किया तो पता चलता है कि इन गुणों को प्राप्त करना मात्र ही किसी को नेता नहीं बना सकता इन गुणों के साथ-साथ व्यक्ति को नेता बनने का प्रयत्न भी करना चाहिए। खास कर महिला नेता को जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है वे पुरुषों से ज्यादा समझदारी से जमीनी स्तर की समस्याओं को दूर कर सकती है।

जो व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से विभूषित हो उसके लिए आवश्यक है कि वह वर्ग के जन सामान्य से सर्म्पक स्थापित करें और लोगों का अधिकाधिक सान्निध्य प्राप्त करे उनकी व्यक्तिगत समस्याओं में रुचि ले और आवश्यकता पड़ने पर उनका हाथ ही बटाए। वह सबकी दृष्टि में तटस्थ और सर्व शुभचिन्तक बनने का प्रयत्न करे। इससे उनका लोगों से परिचय बढ़ेगा, लोकप्रियता मिलेगी और स्नेह मिलेगा। सामान्य नागरिकों की अपेक्षा महिला नेता की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। महिला नेता का महत्व उसके गुणों के कारण होता है।

महिला नेता को विश्वास अपने आत्म बल पर होना चाहिए उसे अपने आत्म बल पर होना चाहिए उसे अपने कामों पर और साथी सदस्यों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए तो वह किसी भी कार्य का शुभारम्भ कर सकेगा। यदि उनाक विश्वास साथियों पर नहीं होगा तो उसे सदस्यों का लेषमात्र सहयोग नहीं मिलेगा। सदस्यों के सहयोग बिना नेता किसी भी कार्य का सम्पादन सफलता पूर्वक नहीं कर सकता है।

इसका समर्थन होज एवं जौनसन 1979 एवं द्विवेदी 1979 ने की है। महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता अगर होती है, तो काम को अंजाम तक देना नारी जानती है। आदि सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति नारी नारायण की पूर्णता है। “ नारी विधाता की सर्वोत्तम है सृष्टि। देवों की देवी प्रथम है उत्कृष्टि।। नारी की महानता। वेद से मुखरित वाणी-” यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।।’ अर्थात् नारी युग-युग से पूजित आ रही है। और आज भी उसकी पूजा करे ना करे श्रद्धा की आवश्यकता है। जगत्-जननी जगदम्बा, माता पार्वती, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, माता सीता और विद्या दायिनी माँ सरस्वती की पूजा-अर्चना हम भक्ति-निष्ठा से आदि काल से करते आ रहे हैं। ये सब क्या है? और आज इन्ही की वंशज’ हमारी माँ, बहन और धर्म

पत्नी बनी हुई हैं। क्रांतिपूत नेपोलियन नारी, को आदर्श माँ के रूप में देखता था। उसकी मान्यता थी कि किसी भी राष्ट्र की भक्ति उस राष्ट्र की नारियों में निहित है। तभी तो वह कहा करता था।

“तुम मुझे अच्छी माताएँ दों- मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूँगा।

यूनानी विचारक अरस्तू अपने शिष्यों से कहता था।- “नारी की उन्नति और अवनति पर राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर है।” वस्तुतः पुरुष चाहे जो भी हो, पर वह “नारी” की ही सन्तान है, और अपने आप ही नारी नेतृत्व की जननी हो जाती है।

नेतृत्व वह क्षमता जो कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के लिए एक आदर्श रूप में कार्य करता है। वह प्रायः एक नेता कहलाता है और जब महिला नेतृत्वकर्ता होती हैं तो यह और भी शॉ के अनुसार।-

“ वह समूह-सदस्य नेता है जो समूह के सदस्यों को समूह के सदस्य जितना उसे प्रभावित करते हैं। उससे कहीं अधिक वह उन्हें प्रभावित करता है।”

नेतृत्व कर्ता महिलाओं में दूसरों को प्रभावित करने और उनके व्यवहार का निर्देशन करने की शक्ति होती है। महिलायें सामाजिक क्रियाओं को नवीन दिशाओं की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। महिला नेता अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही अगुआ बन कर नेतृत्व करती हैं। इसलिए उसे नेता की संज्ञा दी जाती है।

नेता के सामान्य लक्षण होते हैं जो निम्न हैं:-

- (1) शारीरिक लक्षण
 - (2) बुद्धि
 - (3) सामाजिकता
 - (4) आत्मविश्वास
 - (5) संकल्प शक्ति
 - (6) परिश्रम प्रियता
 - (7) लचीलापन
 - (8) उमंग और उत्साह
 - (9) प्रभुत्व
- (1) **शारीरिक लक्षण** :- स्वास्थ्य उँचाई, वजन एवं स्फूर्ति आदि की दृष्टि से नेता में शारीरिक गुणों का ऐसा सन्तुलन होना चाहिए कि उसका डील-डौल सुन्दर और आकर्षक हो।
- (2) **बुद्धि** :- नेता बुद्धिमान नहीं होगा तो वह अपने अनुयायियों को निर्देशन प्रदान नहीं कर सकता।
- (3) **सामाजिकता** :- सामाजिकता का अभाव होगा तो वह अपने अनुयायियों के मनोभावों के प्रति क्रियाओं एवं विचारों को अच्छी तरह समझ ही नहीं सकता।
- (4) **आत्मविश्वास** :- संकट एवं विषकृ की घड़ियों में आत्मविश्वास में हजारों व्यक्तियों का बल सहज ही आ जाता है।
- (5) **संकल्प शक्ति** :- संकल्प शक्ति से परिपूर्ण नेता अपने गम्भीर उत्तरदायित्व को निभाने, शीघ्र निर्णय लेने एवं धैर्यपूर्ण तरीके से निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने में सफल होता है।
- (6) **परिश्रम प्रियता** :- आलसी और निष्क्रिय व्यक्ति कुछ ही दिन के लिए लोकप्रियता प्राप्त कर सकता है।
- (7) **लचीलापन** :- लचीलापन एक ऐसा गुण है जो नेता को बदलती हुई परिस्थितियों में उसके अनुरूप ढालने में सहयोगी बनता है।
- (8) **उमंग और उत्साह** :- नेता को प्रत्येक परिस्थिति और अवसरों पर उत्साही और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। मौलिकता, सतर्कता, प्रसन्नचित्ता तथा स्फूर्ति आदि गुण नेता व्यक्तित्व को प्रभावकारी बनाते हैं। नेता में इन गुणों के होने पर वह स्वयं व उसका व्यवहार सहज ही अनुकरणीय हो जाता है।
- (9) **प्रभुत्व** :- नेतृत्व की अवधारणा के साथ प्रभुत्व का अविभाज्य सम्बन्ध है। बिना प्रभुत्व के नेतृत्व सम्भव ही नहीं हो सकता। लोगों के मन में नेता की अधीनता स्वीकार करने और उसके निर्देशों के अनुसार काम करने की इच्छा नेता के प्रभुत्व का ही प्रमाण है। इन सब गुणों को अगर समाहित किया जाय तो महिला से बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता है। महिला नेतृत्वकर्ता में इन सब गुणों का समायोजन होता है।

नेतृत्व को जन्म देने वाली परिस्थिति

नेतृत्व का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। एक नेतृत्व कर्ता में विभिन्न समस्याओं को हल करने की योग्यता होती

है। लेकिन यहाँ वही एक महिला नेतृत्व कर्ता हो तो वह हरेक समस्या का हल बहुत ही धैर्य के साथ करती हैं। उनमें एक शीलगुण लचीलापन, विपरित परिस्थिति में भी स्थिति को अपने सूझ-बूझ से कार्यदिशा दे सकती है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार नेतृत्व के लिए धन-लोलुपता, काम लोलुपता, मर्यादा की लोलुपता धृणा, दमन, परिषोधन मुत्ताभासे, हीन भावना, पारिवारिक मनोरचनाओं के विकास एवं काम इच्छाओं के दमन को महिला नेतृत्व के विकास के लिए अनिवार्य परिस्थिति मानते हैं। महिला नेतृत्व की उत्पत्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसी परिवार या व्यक्ति का शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्तर क्या है? एरिक फार्म ने हिटलर के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि विफलता नेतृत्व का मूल कारण है आज की परिस्थिति में महिलाओं पर अत्याचार, दुरविचार हो रहा है। क्या वह महिला नेतृत्व के लिए काफी नहीं है। आज से नही युगों-युगों से महिलाओं की पुजा और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आज महिला अपने घरों में ही प्रताड़ित होती हैं। माता-पिता के आँचल की छाँव से निकलकर पति के साथ चलने के लिए तैयार होती हैं लेकिन पति ही अपनी पत्नी को अपने बराबर देखना पसंद नहीं करते हैं वहाँ फिर अनबन होते-होते वह प्रताड़ना का रूप धारण कर लेता है, फिर जन्म होता एक नेतृत्वकर्ता की। आज जो क्षेत्र हो, पुरुषों के द्वारा महिला का शोषण होता है, चाहे वह कार्यस्थल हो, बस हो ट्रेन हो शोषण कर्ता हर डगर पर मिलता है। सभी महिलोंए अपने घर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा नहीं सकती परन्तु जब पाप का घड़ा भर जाता है और फूट पड़ता है तो नेतृत्व कर्ता का जन्म होता है।

लेपियर तथा फ्रैन्सवर्थ के अनुसार- “नेतृत्व” एक ऐसा व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उनका व्यवहार नेता को प्रभावित करता है।”

नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व

महिला नेता का पद सदैव उत्तरदायी और महान होता है उनके कंधे पर इतना उत्तरदायित्व होता है कि उसका जीवन तक उसके निर्वाह में होम हो जाता है। उन्हें सुख-सुविधाओं की चिन्ता नहीं होती है, और ना उसका अवसर उसे मिल पाता है मिल वह स्वास्थ्य और मनोरंजन सम्बन्धी अवसर इतना कम मिल पाता है कि उसकी आयु कम हो जाती है। बड़े समाज के नेता की बात तो दूर रही, स्कूल के छात्र नेता को ही ले उन्हें खेलने-कुदने का स्वस्थ मनोरंजन करने तक का अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह समय पर देता है। उसी तरह महिलाएँ अगर नेतृत्व कर्ता हैं तो उन्हें उनकी कर्तव्य और बढ़ा देती हैं। महिलाएँ दयावान, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ होती हैं। एक ही प्रशिक्षण कौशल अगर पुरुषों में है और वही शिक्षण एक महिला में है तो महिलाएँ उस कार्य को ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं।

नेतृत्व का वर्गीकरण

1. **प्रभुत्वशाली** :- प्रत्येक समूह में प्रत्येक सदस्य का प्रभुत्व अलग-अलग मात्रा में होता है। इस सदस्यों में से जिस सदस्य का प्रमुख सर्वाधिक है वह समूह का नेता का रूप ग्रहण करता है।
 2. **संस्थापक** :- ऐसे नेता या तो किसी प्रकार के नेतृत्व का प्रतिनिधि हो सकता है या किसी संस्था का अध्यक्ष।
 3. **अनुरोध** :- ऐसा नेता समूह के सदस्यों को उसका निर्णय मानने के लिए किसी न किसी तरीके से प्रेरित करता है। अनुरोधक नेता अपने अनुयायियों के साथ अधिक सम्पर्क रखता है।
- नेता के कार्य** :- प्रारम्भ से ही देखे तो प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार के नेतृत्व का अस्तित्व रहा है और आज तो लोकतान्त्रिक समाज में समूह के संगठन तथा अनुशासन बढ़ता के लिए नेतृत्व का महत्व भी अधिक बढ़ गया है।
1. **योजना निर्माण** :- प्रत्येक समूह के कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए नेता ही योजनाओं का निर्धारण करते हैं।
 2. **कार्य संचालन** :- नेता ही योजना एवं नीति निर्धारण के अनुसार समूह की क्रियाओं का संचालन करते हैं।
 3. **दण्ड अथवा पारितोषित प्रदान करने का कार्य** :- समूह में संगठन एवं व्यवस्था बनाये रखना नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को सम्पादित करने के लिये नेता दण्ड एवं पारितोषिक की व्यवस्था रखता है।
 4. **समूह का प्रतिनिधित्व** :- समूह के अन्तर्गत एवं बहुत से विषयों का निर्णय नेता ही करता है। नेता अपने समूह के प्रतिनिधि के रूप में ही ऐसा कर सकता है।
 5. **परामर्शदाता का कार्य** :- बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी समूह का सदस्य यह निश्चित नहीं कर पाता कि वह क्या निर्णय ले। ऐसी व्यवस्था में नेता ही उसे उचित परामर्श देने का कार्य करता है।
 6. **विचारक के रूप में नेता** :- एक समूह के नेता का यह भी कार्य है कि वह नवीन परिस्थिति में अपने सदस्यों के समक्ष कोई व्यावहारिक विचार रखे जो कि साधारण सदस्यों के लिए एक मार्ग-दर्शन का कार्य करे। एक महिला नेतृत्व

कर्ता उपर वर्णित कार्यो को सम्पादित करके ही समाज में लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है। आज महिला के नेतृत्व की आवश्यकता है हमारे समाज को। आज महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है हमारी समझ से यह इसलिए कि जो महिलाएँ अपने गुणों से पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती वो महिला आरक्षण से आगे बढ़कर कार्यक्षेत्र में पुरुषों को बराबरी करे। आगे लाने की प्रक्रिया चाहे अच्छी हो न हो परन्तु इससे उनमें लोगों से मिलना आगे बढ़कर कुछ बोलना परिवार को आगे बढ़ाने में कुछ मदद मिल सके। इसलिए मैं मानती हूँ कि महिलाओं छात्र जीवन से ही परख कर जिनमें जन्मजात नेतृत्व क्षमता प्रभु ने दी है उन्हें निखार कर प्रशिक्षण देकर समाजिक कार्य के लिए आगे सरकार को आना चाहिए। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति नेता हो सकता है लेकिन महिलाओ को नेता, बनाना अधिक आवश्यक है क्योंकि महिलाएँ जितनी परिस्थिति को समझ सकती है उतना पुरुष नहीं। नेतृत्व-प्रशिक्षण का अर्थ विभिन्न विशेषताओं की शिक्षा देना है यथा समूह के सदस्यों तथा उनकी संस्कृति के संबंध में जानकारी देना, प्रजातांत्रिक प्रविधियों का विशिष्ट ज्ञान देना, विशेष समय में साहस का परिचय देना, समूह के सदस्यों को सम्मान देना जो अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाते हों तथा सभी परिस्थितियों में संवेगात्मक आत्मनियंत्रण को कायम रखना। अतः हम कह सकते हैं कि "नेतृत्व-प्रशिक्षण का अर्थ, क्रियाओं की क्रमबद्ध शृंखला है :- निर्देशन, अभ्यास, मूल्यांकन परीक्षा आदि। अतः-महिला, नेतृत्व कर्ता समाज की अभिन्न अंग होगी।

- (i) Bernard, L.L. Introduction to social Psychology, ch,34, Henry Holtj N.Y. 1926
- (ii) Bandas, A Morale and the Training of Leaders, Houghtan 1942.
- (iii) Bogardus E.S. Leaders and Leadership, D. Appletan, century 1934.
- (iv) Gouldner A.w studies in Leadership, Harper 1950.
- (v) Pigors P. Leadership or Dominance, Houghton, 1935.
- (vi) Krech & Crutchfield: Theory and problems of social Psychology. ch. 11, 1948
- (vii) Dwivedi 1979 Leadership is fundamentally the ability to form and mould the attitude and be haviour of other individuals "Dwivedi, 1979
- (viii) हौज एवं जौनसन 1979 और द्विवेदी 1979 द्विवेदी :-1979

उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह का विस्तार एवं स्वरूप

डॉ० संजीत कुमार
पुराभिलेखपाल, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना

1857 की क्रांति का कई-कई पक्ष हैं, जो अब भी उद्घाटित होना शेष है। 1857 का इतिहास लेखन और इसकी कई दृष्टियों के बीच अब भी सच को उद्घाटित करना शेष है। 1857 की क्रांति का विस्तार और अलग-अलग खंडों में अंग्रेज सत्ता का विरोध को खंड-खंड में समझने की जरूरत है। एक खंड के विरोध से अपरिचित दूसरे खंड के लोग विरोध पर उतारू थे, लेकिन उनका अपना कारण था, स्थानीय कारण था। यह शाश्वत है कि हर जगह अंग्रेजों की नीति का ही विरोध हो रहा था। उत्तर बिहार के अंचल में भी 1857 का विरोध दिखता है और उसके अपने कारण थे। समय और स्थानीयता दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों को स्पष्टतया समझे जाने की जरूरत है, विश्लेषित किए जाने की जरूरत है।

1857 की क्रांति के बाद से ही बहुत कुछ लिखा जाता रहा है। पाश्चात्य में भी इस पर कई-कई तरह के मत देखने को मिलते हैं। कार्ल मार्क्स ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उद्धृत किया है,¹ और आज बहुतेरे भारतीय लेखक, जिनका मार्क्स और मार्क्सवाद से कोई नाता नहीं रहा है, मार्क्स को उद्धृत करते हुए 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हुए अघाते नहीं हैं। वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादी चिंतक ने लिखा है कि जब कभी देशी रियासतों के प्रमुखों ने क्रांति में शामिल होने से इनकार किया तो उन्हीं रियासतों की जनता अनियंत्रित हो गयी तथा शामिल न होने पर उसने संबंधित प्रमुख की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की ताकि वे राष्ट्रीय संग्राम में सम्मिलित हो सकें।² दूसरी तरफ अंग्रेज लेखक सर जॉन मैकमैन ने लिखा है कि भारत के नरेश या तो विद्रोह के उपस्थित अवसर से फायदा नहीं उठा सके या फिर इसका विरोध करने या दबाने में सक्रिय रहे।³

इतिहासबोध और अतीतग्रस्ता अलग-अलग होता है। बोध और मोह के फर्क को समझने के लिए, इस फर्क में पूरी तरह प्रासांगिक होने के लिए व्यक्ति को क्षण-क्षण सतर्क रहने की जरूरत होती है। 1857 की क्रांति वह पहली बड़ी घटना है, जिसके बाद अंग्रेज अपनी सत्ता को भारत में बनाए रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति के प्रति पूरी तरह सतर्क हुए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सारी मशीनरी, प्रशासनिक से लेकर बौद्धिक तक, इस कसरत में जुट गए कि आगे फिर कभी 1857 की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। उपाय के रूप में प्रशासनिक पहलकदमी से लेकर बौद्धिक जुगाली तक किए गए। यह कसरत, पहलकदमी और जुगाली आज भी हमारा पीछा कर रही है।

1857 की क्रांति की अनुपूर्वक वैसे तमाम जगहों से सुनाई पड़ती है जहाँ ब्रिटिश दमन हो रहा है। स्थानीय स्तर पर विरोध के अपने कारण थे, लेकिन भाव रूप में सभी जगह औपनिवेशिक दमन ही था।¹⁴ अध्ययन के क्रम में उत्तर बिहार में ब्रिटिश शासन के विरोध को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। 1857 की क्रांति के पूर्व भी सम्पूर्ण राष्ट्र में स्थानीय स्तर विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अनेकों जगहों पर अंग्रेजी हुकूमत और उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे थे। पहाड़िया सरदार विद्रोह (1778), सन्यासी विद्रोह (1763-1800), मिदनापुर विद्रोह (1766-67), रंगपुर व जोरहाट विद्रोह (1769-99), चिटगाँव का चकमा आदिवासी विद्रोह (1776-89), रंगपुर किसान विद्रोह (1783), रेशम-कारीगर-विद्रोह (1770-1800), वीरभूम व विष्णुपुर विद्रोह (1788-89), मिदनापुर आदिवासी विद्रोह (1799), विजयनगर विद्रोह (1794), केरल में कोट्टायम विद्रोह (1797- व 1800-05), त्रावणकोर का बेलूथम्बी विद्रोह (1808-09), बेल्लोर सिपाही विद्रोह (1806), पालीगरोँ का विद्रोह (1795-1805), सिलहट विद्रोह (1787-99), खासी विद्रोह (1788), भिवानी विद्रोह (1789), पलामू विद्रोह (1800-02), बुंदेलखंड में मुखियाओं का विद्रोह (1808-12), कटक पुरी विद्रोह (1817-18), खानदेश, धार व मालवा विद्रोह (1817-31, 1846 व 1852), छोटानागपुर, पलामू, चाईबासा, काल विद्रोह (1820-37), बंगाल आर्मी बैरकपुर में पलाटून विद्रोह (1824), गूजर विद्रोह(1824), खासी विद्रोह (1829-33), वहाबी आंदोलन (1830-61), चौबीस परगना में टोटू मीर आंदोलन (1831), मैसूर में किसान विद्रोह (1830-31), विशाखापत्तनम का किसान विद्रोह (1830-33), संबलपुर का गौड़ विद्रोह (1833), सूरत का नमक आंदोलन (1844), नागपुर विद्रोह (1845), नागा आंदोलन (1855-56), मुंडा विद्रोह (1834), महान कोल विद्रोह (1831-32), जैसे अनेकों विद्रोहों की चर्चा मिलती है।¹⁵ ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर विद्रोह की लम्बी परम्परा रही है। इन विद्रोहों में आदिवासी, किसान, कृषक, मजदूर, शहरी श्रमिक एवं अन्य छोटे-छोटे कारीगरों की भूमिका रही है। ये ब्रिटिश राज की नीतियों और उसमें पीस रही जनता का विद्रोह था, इनके अपने-अपने कारण थे, इन आंदोलनों के बीच कोई सूत्र और सम्पर्क तलाशना निहायत मुश्किल काम है।¹⁶

1857 की क्रांति के अवसर पर उत्तर बिहार के अनेक क्षेत्रों में जन उभार देखने को मिलता है। उत्तर बिहार में और मुजफ्फरपुर में भी जन उभार देखने को मिलता है। समेकित रूप से उसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दमन के सूत्र तो यत्र-तत्र बिखरे पड़े मिलते हैं। गाँव-गाँव में ब्रिटिश दमन की अपनी कहानी और किंवदंती आज भी विराजमान है। मौखिक परम्परा में भी इनकी चर्चा सुनने को मिलती है, यद्यपि उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करना संभव नहीं है। अलग-अलग गाँवों में बिखरी कहानियाँ और उसके बीच व्याप्त इतिहास को उद्घाटित करना दुरुह कार्य है। अन्य उपलब्ध स्रोतों से उसका मिलान करना तथा पूर्ववर्ती लेखन के निष्कर्षों का पुनः परीक्षण अनिवार्य है।

मुजफ्फरपुर जिला का बड़का गाँव, मशहूर गाँव, मूलतः भूमिहार जाति के लोग निवास करते हैं। पहले इस गाँव का नाम सोनबरसा था। 1885 के बाद, या यों कहें कि सर्वे के बाद इस गाँव का नाम सोनबरसा बड़का गाँव हो गया। बड़का गाँव की 1857 के विद्रोह में भागीदारी के पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य भी हैं, लोक स्मृतियों में भी 1857 के विद्रोह जीवंत बने हुए हैं। सजायापत्ता परिवार के वंशजों के पास आज भी स्मृतियों में विराजमान हैं; उस आंदोलन के नायक मुजफ्फरपुर शहर से करीब 15 कि०मी० दूरी पर बड़का गाँव स्थित है। आम चर्चा है कि सुबह-सुबह बड़का गाँव का नाम नहीं लेना चाहिए। सुबह-सुबह नाम न लेने के मिथक के कारणों की चर्चा करने पर कोई सटीक उत्तर ग्रामीण नहीं दे पाते हैं, लेकिन स्थल भ्रमण के क्रम में हमारी यह समझ बनी कि 1857 के विद्रोह में इस गाँव की भागीदारी के बाद व्यापक दमन हुआ हो। आस-पास के गाँव वालों को इस गाँव से संबंध रखने पर अंग्रेज अफसरों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता होगा। प्रताड़ित करने का क्रम इस कदर चला होगा कि लोग इस गाँव से संबंध रखना तो दूर, नाम लेना भी भूल गए होंगे। समय के साथ मिथक के रूप में यह निष्कर्ष सामने आया होगा कि सुबह-सुबह उस गाँव का नाम लेना भी अशुभ है। इससे इतर कोई व्याख्या शायद ही हो सकती है।

इसके बगल में स्थित पारू भी विद्रोही गाँव ही है। 1942 के अवसर पर भी इस गाँव ने अपनी व्यापक सक्रियता दर्ज की थी। यहाँ पर शहीद स्मारक है। नागा सिंह को गोली लगी थी और अनुराग सिंह भी मारे गये थे। हर जगह जेपरिया भूमिहारों ने विद्रोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। फसियरवा चौक का नामकरण भी अकारण नहीं प्रतीत होता है। बहुत संभव है कि आस-पास के गाँवों से विद्रोहियों को पकड़ कर यहाँ लाया जाता होगा और इसी जगह पर फाँसी दी जाती होगी और इसी कारण इसका नामकरण फसियरवा चौक पड़ गया हो।

रामजतन शाही¹⁷, बड़का गाँव निवासी बातचीत में हमारे निष्कर्ष को ही पुष्ट करते हैं। संशयवाचक भाव के साथ श्री शाही ब्रिटिश दमन को ही इसका कारण मानते हैं। बड़का गाँव के 'पंचघरवा' की विद्रोही भूमिका केवल स्मृतियों में ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि इसके पर्याप्त अभिलेखीय प्रमाण भी मौजूद हैं। अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत रचित पुस्तक 1857 बिहार झारखंड में महायुद्ध में मुजफ्फरपुर के विद्रोहियों की सूची प्रकाशित है।¹⁸ उसमें उल्लेख है कि सितम्बर 1857 में बड़का गाँव के 6 लोगों को सश्रम कारावास सहित काला पानी, 9 लोगों को 14 वर्ष का

सश्रम कारावास और दो लोगों को सात साल की सजा सुनाई गई थी। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायिक अभिलेखागार के मई-सितम्बर 1857 के पत्राचार खंड¹⁹ में इस कांड का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। उस समय की घटना आज भी ग्रामीणों की स्मृतियों में लोक अवधारणा यह है कि 1857 के काल में अंग्रेजी राज व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित नहीं था, ऐसे में न तो जेलों में समुचित व्यवस्था थी, न ही फाँसी देने की। ऐसे में इस चौक के समीप एक कुएँ का निर्माण करवाया गया था जिसमें फाँसी की सजा पाए व्यक्तियों को डाल दिया जाता था। अन्य सजायापत्ता व्यक्तियों को पेड़ से भी लटका दिया जाता था। इसी कारण इस जगह का नाम फसियरवा चौक पड़ा। फसियरवा चौक उत्तर बिहार विभिन्न इलाकों में है और यह सता दमन का प्रतीक केन्द्र के रूप में इतिहास में दर्ज है। यह तब से ब्रिटिश कानून का राज का दावा को मुँह चिढ़ा रहा है। लोक समूह द्वारा किया गया यह नामकरण तथा कथित सभ्य और आधुनिक राष्ट्र ब्रिटेन के कानून का राज और कानून के समक्ष समानता के दावे का प्रतिरोधी आख्यान है। यह ब्रितानी दावे को झूठलाता है।

बड़का गाँव में मुख्यतः चार जातियाँ हैं — ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया और मल्लाह। जमीन भूमिहारों के पास, पैसा बनिया के पास, ब्राह्मणों ने साथ दिया। साहूकार बनिया बगावत का तात्कालिक कारण बना। बड़का गाँव के लोगों ने बगावत क्यों की? इसके जवाब में बागी पंचघरवा के पुण्यदेव शाही²⁰ (पिता-स्वर्गीय राम लगन शाही) कहते हैं 'यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के खिलाफ था।' आगे वे शोषण के बारे में भी स्पष्ट करते हैं, ' उस समय अंग्रेजी हुकूमत किसानों का शोषण नील की खेती के रूप में किया करते थे। किसानों की तीन कट्टा में नील की खेती करनी होती थी। किसानों की उपजाऊ जमीन पर नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। अंग्रेज किसानों को उनका वाजिब हक भी नहीं देते थे। इसमें इन किसानों में असंतोष था और 1857 के मौके पर किसानों का यह आक्रोश उभर कर सामने आ गया। अन्य कारणों में मान-सम्मान का आघात भी शामिल था। 80 वर्षीय हरदेव शाही कहते हैं, 'हमारी बहू बेटियों का आघात भी शामिल था। 80 वर्षीय हरदेव शाही कहते हैं, 'हमारी बहू-बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, धीरे-धीरे सहन शक्ति घटती गयी और प्रतिरोध की भावना बढ़ती गयी, अंततः 1857 के अवसर पर यह विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ।²¹ नीलहे के ऐसे दुर्व्यवहार की कहानियों से पूरा तिरहुत अंचल अटा पड़ा है। चम्पारण जो नील की खेती का सबसे बड़ा केन्द्र था, अंग्रेजों के ऐसे कारनामों का विस्तार से वर्णन चम्पारण के स्थानीय लेखक विंध्याचल प्रसाद गुप्त ने अपनी पुस्तक नील के छब्बे में किया है।²² एक ग्रामीण पुण्यदेव शाही कहते हैं कि हमलोगों की शादी में मड़वा का निर्माण नहीं होता था। धरफरी के जमींदार अंग्रेजों से मिलकर इतना अधिक उत्पात मचाते थे कि बहू-बेटियों की इज्जत मुश्किल में पड़ जाती थी। उनके डर से शादी के अवसर पर मंडपाच्छादन (मड़वा) भी नहीं किया जाता था।²³ भारतीय समाज में जहाँ बहू-बेटी की इज्जत का मामला जीवन-मरण से जुड़ा होता है, सवर्ण एवं दबंग जाति भूमिहारों में ऐसे कुकृत्यों के प्रति गहरा आक्रोश था। असंतोष का एक और कारण ग्रामीणों से बातचीत में उभर कर सामने आयी। बागी पंचघरवा के निवासी (भगीनमान) 68 वर्षीय जयप्रकाश नारायण उर्फ नेताजी इसके कारण को स्पष्ट करते हैं, उस समय तीन तरह का सड़क हुआ करता था। एक नम्बर का सड़क मार्ग तो आम जनता के लिए था ही नहीं। यदि भूलवश कोई चढ़ भी जाता था तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। एक नम्बर का सड़क मार्ग अंग्रेज साहब के लिए आरक्षित होता था। दूसरे नम्बर का सड़क मार्ग से बैलगाड़ी को चलने की मनाही थी। तीन नम्बर सड़क मार्ग से बैलगाड़ी गुजर सकती थी। यह निम्न स्तर का सड़क होता था, एक किस्म का यह नाला ही होता था। यह आम जनता के लिए होता था। एक ही साथ तीनों सड़क समानांतर थी। आम जनता इससे क्षुब्ध होता था, अपमानित होता था और उसमें क्षण-क्षण प्रतिरोध का भाव संचरित होता था। अपना रौब-दाब दिखाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गयी थी। आम व्यक्ति को यह एहसास कराया जाता था कि आम और खास की प्रकृति और व्यवस्था अलग-अलग है।²⁴ इससे क्षण-क्षण प्रतिरोध का भाव जागृत होते रहा, यद्यपि आम और खास का फर्क बताने वाली सड़कें 1960 में ही समाप्त हुआ।

बड़का गाँव में कोई जमींदार नहीं था। वहाँ के अधिसंख्यक लोग किसानों पेशा से ही जुड़े हुए थे। सवर्ण जाति के भूमिहार आम तौर पर किसान ही थे। 78 वर्षीय श्री शिव नारायण सिंह है, इस गाँव में कोई जमींदार नहीं था।²⁵ यह गाँव किसकी जमींदारी में थी, पूछे जाने पर पंचघरवा के पुरोहित कामेश्वर तिवारी बताते हैं, बनबारी राजा का, वह कश्मीर का ब्राह्मण था। पटना आकर ठहरते थे, यहाँ की जमींदारी इन्हें मिली हुई थी।²⁶ उनसे अंग्रेजों ने नियंत्रण ले लिया। यद्यपि इसका दस्तावेजों से पुष्टि होना बाकी है, यद्यपि इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि यह किसान और साहूकार बहुल गाँव था। बड़का गाँव का विद्रोह किसानों का विरोध था और उसका कारण स्थानीय और अंग्रेज शासकों की कुरीति थी। यहाँ के सभी सजायापत्ता मूलतः किसान ही थे।

अंग्रेजों का भारत में आगमन एक व्यापारी के रूप में हुआ था। अपने व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखते हुए अधिकाधिक मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य था। मुनाफा कमाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में शीरा, अफीम, चीनी और नील की खेती और व्यापार को चुना। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दौर में यानि 1765-1818 तक भारतीय राजस्व का

खुलेआम दोहन किया। इससे कम्पनी की आर्थिक स्थिति काफी सृदृढ़ हो गई। लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कारणों से आम जन में व्यापक प्रतिरोध का भाव जागृत हुआ। 1818 ई0 में कम्पनी की आय बढ़कर 22 मिलियन डॉलर हो गई। 1813 के चार्टर के बाद भारत से व्यापार पर कम्पनी के एकाधिकार के खाल्ते के बाद अगले दो दशक में ब्रिटिश सूती वस्त्र की खपत भारत में दस गुना बढ़ गई। अब सर्वाधिक मुनाफे का कारोबार चीनी चाय (बिपदं ज्म) हो गया। चीनी चाय से होने वाले मुनाफे को बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी ने नील की खेती जिसे बलपूर्वक कराया जाता था और भारत में अफीम के व्यापार पर सरकारी एकाधिकार बनाकर रखा। अफीम के व्यापार से इतना अधिक मुनाफा होने लगा कि 1850 तक आते-आते वह भरत के विदेशी व्यापार का लगभग 30: और ईस्ट इंडिया कंपनी के आय का कुल 15: हो गया। कंपनी राज ने अपने मुनाफे को लगातार बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नील के उत्पादन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया। 1802 ई0 तक नील की खेती मुख्यतः यूरोपीय उद्यमियों का निजी उपक्रम था जिसके लिए उन्हें सरकार से अग्रिम राशि मिलती थी। परंतु 1802 ई0 के बाद एजेंसी घरानों ने नील की खेती के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया कराना शुरू किया। इस दौरान नील की खेती में सर्वाधिक मुनाफा हुआ। 1830 ई0 से पहले तक छोटे किसान भी नील की खेती करते थे, उन्हें भी इसके लिए अग्रिम राशि दी जाती थी। परंतु 1820 के दशक में ब्रिटेन में आई आर्थिक मंदी ने नील की खेती की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया। इस मंदी का असर भारत में भी 1830-33 ई0 में पूरी तरह दिखने लगा। अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए नीलहों ने सरकार और जमींदार के साथ मिलकर शोषण के अनेकानेक उपायों का प्रचलन में लाया। 1835-40 की अवधि में कुछ समय के लिए फिर से नील के उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई। लेकिन फिर से 1847-48 में ब्रिटेन में आई आर्थिक मंदी ने नील की खेती को उसके बुरे दिनों को याद करा दिया। 1850 से नील की खेती बलपूर्वक कराई जाने लगी, किसानों के लिए अब यह केवल और केवल घाटे का सौदा बनकर रह गई थी। ऐसे में इस भरपाई की अधिकतम कीमत किसानों को चुकानी पड़ी। किसानों का व्यापक शोषण प्रारंभ हुआ। व्यापारी अंग्रेज किसानों से अधिकतम वसूल कर अपना घाटा कम करना चाहते थे। ऐसे में किसान उद्वेलित हुए।

बिहार में नील उद्योग का अगुआ तिरहुत के कलक्टर फ्रांसिस ग्रांड को माना जाता है। वह अपने बारे में स्वयं बताता है कि उसने यूरोपीय तरीके से नील की खेती की शुरुआत की और नील के कारोबार को प्रोत्साहित किया। इसने खुद अपने खर्चे से तीन स्थानों पर नील के कारोबार को खड़ा किया। उसे नील के व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के आरोप में ही लार्ड कार्नवालिस ने कार्य विमुक्त कर दिया था। 1782-85 तक के अपने कार्य काल में उसने तिरहुत में यूरोपीय तरीके से खेती की नींव डाली। प्रारंभ में तिरहुत क्षेत्र में 5 नील का कारखाना था जो 1810 ई0 में बढ़कर 25 हो गया। परंतु चम्पारण में नील की खेती और उसका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा। वैसे तिरहुत के करीब 30 वर्ष बाद चम्पारण में नील के कारोबार की शुरुआत हुई और उसने शीघ्र ही चम्पारण के अन्य उद्योगों को काफी पीछे छोड़ दिया। 1813 ई0 में चम्पारण में पहले यूरोपीय नील कारखाने की शुरुआत बारा में कर्नल हिक्की ने की थी। उसके बाद तुरकैलिया, पीपरा, मोतिहारी और राजपुर की कोठियाँ बनाई गई। देखते-देखते पूरे चम्पारण में नील की कोठियों के जाल बिछ गए। उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते-आते चम्पारण में 21 नील की कोठियाँ बन गई थी जिसकी 49 शाखाएँ थीं। नील भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक हो गया। पहले नीलहों ने अपने अधिकार प्राप्त जमीन में खेती की शुरुआत की फिर बेतिया राज से गाँवों की ठेकेदारी लेकर। बंगाल में नील की खेती बंद होने के पश्चात तो राम नगर और मधुबन स्टेट से भी गाँवों का ठीका लेकर नील की खेती नीलहे करने लगे। 1917 तक आते-आते स्थिति यह हो गई थी कि चम्पारण के कुल 2846 गाँवों में से बेतिया और रामनगर स्टेट के 2220 गाँवों में से 1938 ठेके पर और मात्र 283 सीधे राज के अधीन थे। यानि चम्पारण पूरी तरह नीलहों के गिरफ्त में आ गया था। चम्पारण में यूरोपीय पूँजी का निवेश कितना महत्वपूर्ण था, यह जुलाई 1858 के भवउम चइसपबैमतपमे के दिनांक 29 जून 1858 के पत्र संख्या 551 से समझा जा सकता है।¹⁸ पटना कमिश्नर इ0ए0 सैम्यूल, दानापुर के बिग्रडियर क्रिस्टी को लिखता है "There is probably large amount of European Capital invested in these two districts than any other two in the Country."¹⁹ इससे स्पष्ट हो जाता है कि चम्पारण और मुजफ्फरपुर अंग्रेजों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। 1847-48 की आर्थिक मंदी के चपेट में आए ब्रिटेन के लिए इन दो जिलों में निवेशित पूँजी की रक्षा करने के लिए तथा अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए 1850 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीलहों की खुली छुट दे दी थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत भी पूरी तरह से आर्थिक मंदी की गिरफ्त में था। तिरहुत की आर्थिक स्थिति और दयनीय थी। 22 सितम्बर 1857 के अपने पत्र में मुजफ्फरपुर का कार्यकारी मजिस्ट्रेट (officiates Magistrate) डेम्पियर बंगाल सरकार के सचिव ए0आर0 यंग स्वएन को लिखे अपने पत्र में जिक्र करता है "There is a great security of money in the Bazar. I am receiving applications for permission to pay on as the Mahajans will not advance among. The delay in making opium advance is creating a most undesirable impression and many of the make its will in consequence have great difficulty in paying their malgoozaree."²⁰ उल्लेखनीय है कि अफीम की खेती के लिए अग्रिम राशि देने की प्रथा थी

जिसे दादनी कहा जाता था। शुरुआती दौर में नील की खेती के लिए अग्रिम राशि दी जाती थी जिसे बाद में बंद कर दिया गया। कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि वह अग्रिम देने की स्थिति में नहीं थी। बाजार में रूपया का भयंकर अभाव था। सरकारी दस्तावेज के साथ स्मृति में भी इस स्थिति का जीवंत स्मरण है। बड़का गाँव के 1857 के सजायापता के (पंचघरवा) परिजन श्री पुण्यदेव शाही भागीदारी के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भूखमरी के कारण ये लोग आक्रोशित हुए।²¹ निष्कर्ष यह कि 1857 के विद्रोह में खुदकाशत किसान और आमजनों की व्यापक भागीदारी की वजह उस समय की आर्थिक दुरावस्था का मुख्य कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने कारिन्दों और नीलहों को लूट की खुली छूट देना था। इसकी पुष्टि 1860 ई0 में लॉर्ड केनिंग को लिखे एक पत्र से भी होती है —"I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I had since the days of Delhi" and "from that day I felt that a shot fired in anger or fear by any foolish planter might put every factory in when Bengal inflames."²²

1857 के विद्रोह ने बंगाल में नील की खेती करने के लिए विवश किए गए किसानों की स्थिति में व्यापक बदलाव लाया। 1857 के विद्रोह ने मध्यवर्ग के रूप में उभरे नवशिक्षित अंग्रेजी विद्या से लैस तबके को अपना हितैषी समझ उनकी शिकायतों पर ध्यान देना शुरू किया। अंग्रेजी शिक्षा के केन्द्र बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में 1857 में ब्रिटिश समर्थक भूमिका निभाने वाले मध्य वर्ग के प्रतिनिधि हरिश्चन्द्र मुखर्जी सामने आए। उन्होंने आपने नाटक नील दर्पण²³ और अखबारों में लेख लिखकर रैयतों और मजदूर किसानों की समस्याओं को प्रकाश में लाया। परिणामस्वरूप 1860 में बंगाल में नील आयोग का गठन हुआ। हरिश्चन्द्र मुखर्जी ने आयोग के समक्ष रैयतों का पक्ष रखा। जाँच आयोग की रपट से बंगाल में नील की खेती समाप्त हो गई। दुर्भाग्य है कि तिरहुत और चम्पारण को कोई हरिश्चन्द्र मुखर्जी नहीं मिला। बंगाल का लाट, जो कलकत्ता में रहता था, तक चम्पारण के रैयतों की आवाज नहीं पहुंच पाई। फलतः बंगाल में तो नील की खेती समाप्त हो गई लेकिन अधिकांश नीलहे इंग्लैंड वापस लौटने की बजाए चम्पारण का रूख किया। तिरहुत और चम्पारण में 1857 के विद्रोह में आमजनों की व्यापक भागीदारी ने भी अंग्रेज शासकों का यहाँ के प्रति रवैया बदल गया। इस सब का सम्मिलित परिणाम चम्पारण के रैयतों का और अधिक शोषण के रूप में सामने आया।

1857 के बाद चम्पारण के रैयतों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती गयी। नीलहे और मजबूत होकर उभरे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया, बाद में उन्हें इसका पुस्कार मिला। 1857 के बाद ब्रिटिश राज और नीलहों का फर्क लगभग समाप्त हो गया। दोनों एक-दूसरे के पर्याय हो गए। 1857 से पहले ऐसा नहीं था। 1857 से कंपनी की सरकार नीलहों की नाजायज माँगों को अस्वीकार कर देती थी। 1833 ई0 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार खत्म होने के पश्चात् नीलहों ने अपने लिए समर्पित राष्ट्र (उवेज अिवनतमक दंजपवद) की अपेक्षा की। 1830 ई0 के ऐक्ट ट के तहत नील की खेती से मना करने की स्थिति में रैयतों को अपराधिक सजा दी जा सके। लेकिन रैयतों के व्यापक प्रतिरोध को देखते हुए इंडियन सिविल सेवा के अधिकारियों के रूख के मददेनजर 1835 में ऐक्ट XIV द्वारा पूर्व के ऐक्ट को वापस ले लिया गया। परंतु 1837 के बाद ब्रिटिश सरकार और नीलहे लगभग समानार्थी हो गए। नीलहे को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया जाने लगा। सेना में भी उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाने लगा। 1857 में बंगाल केवलरी सेना और 1862 ई0 में बिहार लाइट हौर्स का गठन किया गया। यह अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी थी, जो बिहार में रहने वाले अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। वर्ष के नवम्बर-दिसम्बर माह में सारे अंग्रेज सैनिक प्रशिक्षण के लिए एकत्र होते थे। बिहार लाइट हौर्स का प्रमुख सिरहा कोठी का मासिक डब्लू0 डब्लू0 हंडसर था, और उसका सहायक लाल सरैया कोठी और राजपुर कोठी का मालिक जेम्स मैकलिड था, जो नीलहों में सबसे बड़ा माना जाता था। उसके पास 120 घोड़े थे। 1857 के बाद नीलहे खुलकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की सुरक्षा हेतु यूरोपीय बस्तियाँ सुदूर इलाकों में बसाई जाने लगी। एक और उद्देश्य था, ताकि सुदूर इलाके में अंग्रेजी सभ्यता के मानक के अनुरूप बस्तियाँ बसाई जा सके और इसका रौब दूसरे लोगों पर पड़े। यद्यपि इससे नस्ल भेद और तीखा व प्रखर हुआ। इसका इस्तेमाल अधिकांशतः नीलहों ने अपने लाभ के लिए किया। 1857 के बाद नीलहे अपनी माँगों को मनमाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर आक्रमक और हिंसक तरीका अख्तियार किया। ऐसे में रैयतों की स्थिति और बदतर होने लगी। उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा।

1860 ई0 में बंगाल में नील की खेती बंद होते ही वहाँ के नीलहे भी चम्पारण आ गए। बंगाल से आए नीलहों ने शिवहर, मधुबन और रामनगर लेकर अंग्रेजों ने उसके गाँवों में कोठियाँ बनाई। रैयतों के लिए शोषकों का एक और समूह आ धमका। चम्पारण के बचे हुए इलाके भी नीलहों के शोषण की परिधि में आ गए। चम्पारण में नील की खेती का विस्तार उस समय हो रहा था जब नील की खेती घाटे का सौदा हो गई थी। खाद्यान्न के उत्पादन में नील से कम मुनाफा था। ऐसे में नील की खेती बलपूर्वक कराई जाती थी। इसे लाभदायक बनाए रखने के लिए आबवाब यानि गैर कानूनी अतिरिक्त टैक्स वसूला जाने लगा। 1860 के बाद इस तरह के आबवाबों में और अधिक वृद्धि हुई। सलामी, बाटछपी, धबही, मोटरही, छोड़ही, नवही, हथियाही बाँध बेहरी, पईन खर्चा, बपही-पुतही, मंडवच, सगौरा, चुट्टिाबन, कोल्हुआवन, दँयाई, अमई-कटहली, बेटमाफी-

यह अंतहीन टैक्स किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय बना रहे थे। इस तरह से बलपूर्वक नील की खेती कराए जाने का परिणाम नियमित अंतराल पर आने वाले दुर्भिक्ष के रूप में सामने आया। 1866, 1870 और 1874 ई0 के अकाल ने स्थिति को और बदतर बना दिया। रैयतों के विद्रोह पर उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मध्यवर्गीय नेतृत्व के अभाव में भी रैयत स्वतः स्फूर्त विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए।

आव्बाबो की लंबी फेहरिश्त, नस्ती भेदभाव, बहु बेटियों की इज्जत, शारीरिक यातना और इन सबसे बढ़कर नियमित अंतरालों पर आ रहे दुर्भिक्ष ने चम्पारण के रैयतों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया। 1857 के विद्रोह को फौरी तौर पर इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन असंतोष की सुगबुगाहट बंद नहीं हुई। 1867 में तिरहुत और उसके आस-पास असंतोष समाने आ गया। चम्पारण में असंतोष बहुत व्यापक था। चम्पारण में असंतोष हिंसक और आक्रामक रूप में सामने आया। लाल सरैया कोठी के जौकटिया गाँव के किसानों ने नीले बोन से अस्वीकार कर दिया। नील के लिए छोड़ी जमीन पर किसानों ने अन्य फसल लगा दिया। नीलहे के बंगले में आग लगा दी गई। मीर इनायत करीम, दुल्ली साह कलवार आदि के नेतृत्व में चार महीने तक चले इस आंदोलन में बंगाल के गवर्नर को प्रतिवेदन सौंपा गया और यह माँग की गई कि बंगाल की तरह यहाँ भी जाँच आयोग गठित किया जाए। यदपि सरकार ने इस माँग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन नील से संबंधित मामलों की सम्पूर्ण जानकारी चम्पारण आता था। इस कोर्ट के अधीन पूरा चम्पारण आता था। इस कोर्ट में दो जज का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक अंग्रेज नौकरशाह और एक भारतीय का प्रावधान था। परंतु नीलहों के दबाव में इस कोर्ट के बनने के 9 माह के अंदर ही उस विशेष प्रावधान को गवर्नर जनरल को हटाना पड़ा। जिसके तहत उस कोर्ट को भारतीय जज ही केवल चेर कर सकते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस आंदोलन से पहले पंचकटिया अवसर पर विद्रोह में बदल गया।

तिरहुत के दो गाँवों का जीवंत साक्ष्य इस निष्कर्ष को अभिप्रमाणित करते हैं कि विद्रोह के मूल में ब्रिटिश शासन का दमनात्मक चरित्र ही था, यदपि स्थानीय कारक इसको ज्वलित करने में सहायक सिद्ध हुआ। विद्रोह, विभिन्न क्षेत्रों में संचित हो रहे असंतोष की चरम परिणति थी। 1857 के पूर्व एक शताब्दी में भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यवादी ने लम्बे डेग भरे थे। उसके पदचिन्हों पर विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इन सबके परिणामस्वरूप अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध असंतोष के कई आधार प्रस्तुत हो चुके थे और समवर्ती परिणाम 1857 में देखने को मिलता है। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के उत्तराधिकारी ई0ए0 सैमुयेल्स ने 25 सितम्बर 1857 को बंगाल सरकार को लिखे गए अपने पत्र में लिखा है, 'मेरे पास जितनी भी सूचनाएँ पहुंचती हैं, उनके आधार पर मेरा विश्वास है कि यह विद्रोह बहुत दिनों से चले आ रहे कारणों का परिणाम था।'²⁴ टेलर ने पटना प्रमंडल के मुख्य मुख्यालयों छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया और मोतिहारी के अधिकारियों को ब्रिटेन विरोधी विद्रोहों को कठोरता के साथ दबाने का आदेश दिया।

उत्तर बिहार के अंग्रेज अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में कठोर दमन नीति चलाना शुरू कर दिया था। उस क्षेत्र में रहने वाले नीलहे साहब तथा दूसरे यूरोपीय जून, 1857 में विद्रोह भड़क उठने की आशंका से घबराए हुए थे।²⁵ मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट के आदेश से उन्हें (उनकी संख्या महिलाओं के अतिरिक्त 80 से कम नहीं थी) 14 जून 1857 को पारस्परिक सुरक्षा²⁶ के लिए नगर में बुला लिया गया था। 12वीं इर्गुलर कैवेलरी के मेजर ई0एस0 (चम्पारण जिला के अनुमंडलीय मुख्यालय सुगौली में पदस्थापित थे)²⁷ ने उस क्षेत्र में आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक कठोर कार्रवाईयों की। 26 जून 1857 के तिरहुत के एक पत्र से हमें सूचना मिलती है कि "सम्पूर्ण जिला भर में सैनिक कानून (मार्शल लॉ) लगा दिया गया है और सुगौली में होम्स जिस किसी को पकड़ता है उसे फाँसी दे देता है। इनमें अधिकतर मुख्यतः लूट के माल के साथ लौटे हुए देशी सिपाही होते हैं। मुजफ्फरपुर के कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें एक मोटा-ताजा थानेदार भी है। उसके पास काफी विद्रोहात्मक कागज पत्र पकड़े गए हैं। उसे गिरफ्तार करके सुगौली भेज दिया गया है जहाँ अब तक संभवतः उसे फाँसी दे दी गई होगी। देहातों में भी मुख्यतः लालगंज तथा सिंधिया में लौटे हुए देशी सैनिकों की गिरफ्तारियों की गई है। विद्रोही रेजीमेंटों के गिरफ्तार सैनिकों को यदि वे अवकाश लेकर नहीं आए हुए हों तो फाँसी दे दी जाएगी। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ और देशी लोगों में इस प्रकार बहुत अधिक घबराहट है।'²⁸ मेजर होम्स ने अपने प्राधिकार से मार्शल लॉ लागू कर दिया था। 19 जून 1857 को सारण के मजिस्ट्रेट को उसने अत्यधिक दम्भपूर्ण लहजों में लिखा था, प्रिय मैकडेनिल, इन कठिन दिनों में एक दर्जन उलझे दिमाग वालों की अपेक्षा एक सुलझा व्यक्ति कहीं अधिक अच्छा होता है और अशांत देश में नागरिक शासन की अपेक्षा सैनिक शासन कहीं अधिक अच्छा होता है। फलतः मैंने गोरखपुर से पटना तक पूर्ण सैनिक प्राधिकार कर लिया है ताकि सारण, चम्पारण और तिरहुत के इस सारे क्षेत्र को पूर्ण सैनिक शासन में रख लिया है। गवर्नर जनरल ने मुझे अपने साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाए रखने का अनुरोध किया है। इस हेतु में उन्हें दैनिक सूचनाओं से अवगत कराता हूँ। अब मैं इन जिलों के सभी मजिस्ट्रेटों से प्रभावकारी ढंग से बनाए रखने में वे मेरी सहायता करेंगे, इसकी मैं अपेक्षा रखता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे निम्नांकित आदेशों को कड़ाई के साथ लागू करायेंगे :-

1. नदियों पर के सभी मुख्य घाटों पर कठोरता के साथ पहरा रखा जाए। वर्तमान के लिए छोटे-छोटे जमींदारी घाटों को हटा करके तत्काल के लिए नजरबंद कर लिया जाए।
2. प्रत्येक विद्रोही देशी सैनिकों को पकड़वाने हेतु 50 रुपये का इनाम घोषित कर दें। यदि किसी को पकड़ ले तो उन्हें बेड़ियों में कसकर सुगौली या दानापुर के सैनिक अधिकारियों के पास तुरंत भेज दें (गाजीपुर नहीं)। साथ में गवाहों को भी भेजें।
3. ऐसी सूचना देने वाले के लिए जो सरकार के विरुद्ध राजद्रोह प्रचार करने वाले या राजद्रोहात्मक बातें करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने में सहायक हों, ऐसा ही पुरस्कार घोषित किया जाय। ऐसे लोगों को पकड़ कर मेरे पास भेज दें।
4. अपने जिला के सभी छोटे-छोटे राजाओं को आदेश दिया जाए कि वे पुलिस की सहायता करने के लिए अपने लोगों को तैयार रखें। किसी तरह राजद्रोहियों या विद्रोहियों को छिपाने के लिए कठोर दंड दिया जाएगा तथा उन्हें पकड़वाने हेतु सम्मानित किया जाएगा, इसकी ताकीद की जाय।
5. अपने इलाके के थानेदार और जमादार को आदेश दिया जाए कि इन मामलों में सचमुच अच्छा काम करने पर उन्हें पुरस्कार देने हेतु गवर्नर जनरल के पास अनुशंसा की जाएगी।
6. सभी छोटे राजाओं को आदेश दिया जाए कि वे अपने आधे घुड़सवारों को जिला भर में गश्त लगाने की आज्ञा दें तथा राजद्रोही व्यक्तियों की खोज में लगे रहें। मैं इन आदेशों की एक प्रति गवर्नर जनरल के पास भेजूँगा और यदि आप इनका ठीक-ठीक अनुपालन करेंगे तो उससे देश का कल्याण होगा। यह आदेश तिरहुत, अलीगंज और गोरखपुर भी भेज रहा हूँ। सम्बद्ध असैनिक अधिकारियों ने मेजर होम्स द्वारा इस तरह से निरंकुश सत्ता ग्रहण करने पर एतराज किया। बंगाल सरकार भी इसमें सहमत थी किंतु उन्हें यह सलाह दी गई कि वे ऐसा कुछ नहीं करें जिससे मेजर होम्स का किसी तरह अपमान हो।²⁹

3 जुलाई को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट श्री एच0 रिचार्डसन ने पटना के आयुक्त को सूचना दी कि विद्रोहियों एवं भगोड़ों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित कार्रवाईयों की गई है, (1) ठीकेदारों (घटवारों) को आदेश दिया गया है कि उनके घाटों से गुजरने वाले सभी देशी सैनिकों एवं संदिग्ध व्यक्तियों को वे रोक रखें। (2) गंडक और गंगा नदी के सभी घाटों को बंद करने का आदेश दिया गया है, (3) एक दफादार और तीन बरकंदाज हर महत्वपूर्ण घाट पर पदस्थापित किए हैं (4) नीलेह साहब को इन कामों में सहायता देने का आदेश दिया गया है, (5) भगोड़ों, विद्रोहियों और राजद्रोहियों को गिरफ्तार कराने हेतु पुरस्कार घोषित किए हैं। गंडक नदी पर के आठ घाटों के लिए एक दफादार और तीन बरकंदाज नियुक्त किए गए हैं। लालगंज थाना मुख्यालय में 5 बरकंदाज, हाजीपुर में 3 तथा मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त चार अतिरिक्त सवार और 24 बरकंदाज पदस्थापित किए गए हैं।

वस्तुतः मेजर होम्स का अत्याचार बेरोकटोक चलता रहा। अंततः इसके फलस्वरूप चार सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 की संध्या में उसे पत्नी सहित मार डाला। 12 वीं इर्गुलर कैवेलरी के जवानों ने डिप्टी पोस्ट मास्टर बैनेट तथा श्री और श्रीमती गारनर की उनके लड़कों के साथ हत्या की। तदुपरांत वे सीवान होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर चले गए। सीवान में उन्होंने एक डिप्टी मजिस्ट्रेट और एक सहायक हफीम अधिकारी की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वे बाल-बाल बच गए।³⁰ कम्पनी सरकार ने केवल सारण, तिरहुत और चम्पारण में ही नहीं बल्कि बिहार और शाहाबाद जिलों में भी 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू कर दिया। स्पष्ट है कि उत्तर बिहार के क्षेत्र पूरी तरह विद्रोह की चिंगारी से भड़क उठे थे और ब्रिटिश सरकार दमन अभियान चलाकर इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहती थी।

1857 का विद्रोह और इतिहास लेखन की सभी धारायें जैन धर्म के सप्रभंगी सिद्धांत का अनुकरण करते प्रतीत होता हैं। कोई राष्ट्रीय आंदोलन कहता है, कोई महाविप्लव, तो कोई सिपाही विद्रोह तक कहकर इस विद्रोह का सीमांकन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस विद्रोह के व्यापक आयाम थे और इसके मूल में ब्रिटिश शासन की कुव्यवस्था और दमन था। इस सब से इनकार करना असंभव है। विद्रोह का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य था या नहीं - यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन विद्रोह का केन्द्रीय बिन्दु ब्रिटिश कुव्यवस्था व दमन था - यह निर्विवाद है। उत्तर बिहार का वृतांत हमें इस निष्कर्ष की ओर अभिप्रेरित करता है कि 1857 का विद्रोह आहत सम्मान ब्रिटिश कुव्यवस्था व दमन (नील की खेती के क्रूर तरीके से उपजा असंतोष) और ब्रिटिश राज्य की कराधान नीति का स्वाभाविक परिणाम प्रतीत होता है। साथ ही वह ताल्लुकेदारों जमींदारों का विद्रोह न होकर खाते पीते स्वाभिमानी किसानों का संघर्ष था। वैकल्पिक स्रोतों के आधार पर 1857 के इतिहास का मूल्यांकन ऐसे ही नतीजों की ओर खिसकता प्रतीत होता है। 1857 का विद्रोह खंड-खंड में मुक्तिकामी जनता का विद्रोह था, जो ब्रिटिश दमन एवं उत्पीड़न के खिलाफ था।

संदर्भ सूची

1. कार्ल मार्क्स, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मास्को, 1957
2. वीर सावरकर, दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, लंदन, 1909
3. सर जॉन मैकमैन, दी इंडियन स्टेट एवं प्रिसेस
4. अशोक कुमार, '1857 की क्रांति : एक विमर्श', प्रज्ञा भारती, खंड XIV, 2008 पृ 5
5. वही
6. वही
7. मुजफ्फरपुर के कुछ गाँव और उनके निवासियों से विद्रोह के मुद्दे पर प्रश्नावली के आधार साक्षात्कार किया गया है। प्रश्नावली उत्तर सहित अनुक्रमणिका 1 में देखा जा सकता है।
8. देखें अनुक्रमणिका 1,
9. प्रसन्न कुमार चौधरी एवं श्रीकांत: 1857 बिहार-झारखंड में महायुद्ध, पटना, 2008
10. पत्राचार खंड, जिला न्यायिक अभिलेखागार तिरहुत, मई-सितम्बर 1857
11. देखें अनुक्रमणिका 1
12. वही
13. विद्यावल प्रसाद गुप्त, नील के धब्बे, प्रकाशन वर्ष?
14. देखें अनुक्रमणिका-1
15. वही
16. वही
17. वही
18. होम पब्लिक सीरिज, 29 जून 1858
19. वही, पूर्व उद्धृत,
20. वही
21. देखें अनुक्रमणिका-1
22. वही
23. हरिश्चन्द्र मुखर्जी, नील दर्पण,
24. ई0९0 सैमुयेलस का पत्र बंगाल सरकार के सचिव के नाम पत्र, 25 सितम्बर 1857 को,
25. बंगाल सरकार के सचिव ए0आर0 यंग को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट एच0 रिचार्डसन का 17 जून 1857 का पत्र
26. चार्ल्स बोल: हिस्ट्री ऑफ दी इंडियन म्यूटिनी, खंड-1, पृ 449
27. मोतिहारी और बेतिया के लगभग मध्य में स्थित एक जगह
28. चार्ल्स बोल, पूर्वोद्धृत, खंड-1, पृ 449-450
29. बंगाल सरकार के सचिव को श्री मैकडोनेल का 27 जून 1857 का पत्र
30. ई0९0 सैम्यूल का बंगाल सरकार के सचिव को 25 सितम्बर 1857 का पत्र

इंदिरा गांधी की सामाजिक विचारधारा पर पंडित नेहरू का प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मुकेश कुमार

Asstt. Professor, Sant Kabir Collage, Samastipur

भूमिका

इस शोध पत्र के अंतर्गत हमने इंदिरा गांधी की सामाजिक विचारधारा संबंधी अवधारणा पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रभावों की व्याख्या करने का प्रयास किया है। हमने इस शोध पत्र को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग के अंतर्गत पंडित नेहरू के विचारों को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरे भाग में किस प्रकार नेहरू के विचारों का प्रभाव श्रीमती गांधी पर पड़ा इसको दर्शाया है।

नेहरू जी का चिंतन

नेहरू जी ने अपने समाजवादी विचारों का आयात ब्रुसेल्स कांग्रेस से किया और भारत में इसका जोर-शोर से कार्यान्वित करने की कोशिश की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पंडित नेहरू ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया और उसके लिए अनेक कार्यक्रमों और नीतियों का संचालन किया। सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देश में समाजवादी व्यवस्था को धरातल पर लागू करने की कोशिश की। 1954 में भूवनेश्वर कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा की। पुनः 1955 में नेहरू जी ने भारत की संसद में समाजवादी समाज की स्थापना की घोषणा की और संसद के द्वारा भारत में समाजवाद की स्थापना संबंधी विधेयक पारित कराया। इस तरह नेहरू जी भारत के समाजवादी समाज की स्थापना के प्रबल समर्थक रहे और आजीवन इसी सिद्धांत पर कार्य करते रहे।

ऐसे में हमें यह भी बताना पड़ेगा कि समाजवाद है क्या। इसके जवाब में नेहरू जी के विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि समाजवाद वह सिद्धांत है जो व्यक्ति अथवा व्यक्तिवादी सिद्धांतों को नकारते हुए समाज को अपना केंद्र बनाता है, और समाज के समस्त मानव जाति को सामाजिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के विकास की कल्पना करता है। समाजवादी सिद्धांत जाति एवं जातिवाद को समाप्त करने, समाज में व्यक्ति विशेष की प्रधानता को समाप्त करने का पहल करता है। यह समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता है। व्यक्ति और अस्पृश्यता के

सिद्धांत को नकारता है और सब को एक समान मानकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का पहल करता है। समाजवादी यह सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की रचना है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है इसलिए न कोई व्यक्ति अछूत है और न ही दलित। अथवा गौरा या काला। स्थान विशेष या समाज के कारण ही। इसलिए व्यक्ति और व्यक्तियों में भेद नहीं की जा सकती है। इस प्रकार नेहरू जी के समाजवाद की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं।

1. सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान हैं और प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है।
2. प्रत्येक व्यक्ति समान है इसलिए व्यक्ति-व्यक्ति में भेद नहीं किया जा सकता है।
3. प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
4. समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज के महत्व को स्थापित करता है। इसमें व्यक्ति की महत्ता कम होती है समाज की ज्यादा।
5. समाजवाद समाज का बहुआयामी विकास चाहता है और मानता है कि समाज के सर्वोन्मुखी विकास के बिना व्यक्ति का चर्तुदिक विकास संभव नहीं है।

इंदिरा गांधी का चिंतन

इंदिरा गांधी के जीवन पर पंडित नेहरू का प्रभाव तो बचपन से ही देखने को मिलता था। बाल्यावस्था से ही तबकी इंदू अपने बाल सखाओं का नेतृत्व करती थी। जब वह 13 साल की थी तभी उसने अपने पिता व दादा के विदेशी वस्त्रों का दहन महात्मा गांधी के उस आह्वान पर करती थी जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्रों के दहन की अपील की थी। उनपर पंडित नेहरू का प्रभाव प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी और भी व्यापक रूप से देखने को तब मिला जब उन्होंने नेहरू के अधूरे सपने को पूरा करने का निश्चय किया।

इंदिरा गांधी ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा और भारत के संविधान में 1976 में 42 वें संविधान में संशोधन कर समाजवादी शब्द को जोड़ा। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से भारत को समाजवादी गणतंत्र घोषित किया। इस व्यवस्था को शहर जमीन पर लागू करने के लिए अन्य भी कई महत्वपूर्ण कार्य किये गए।

1. इंदिरा गांधी भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए समानता के अधिकार को विशेष महत्व देती थी। उनका मानना था कि प्रत्येक नागरिक समान है। नागरिकों में किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता और न ही किसी आधार पर किसी व्यक्ति को विशेष छूट दिया जा सकता है। इसके लिए समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में 1976 में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इस संबंध में इंदिरा गांधी का विचार है कि हमें विभिन्न स्तरों से छूआछूत को हटाना होगा। उनके अनुसार "हम प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको ;छूआछूत को समाप्त किया जाए। इसको प्राथमिक स्कूल स्तर से ही समाप्त किया जा सकता है। कुछ लोगों का विचार है कि किंडर गार्डन स्तर से ही इसे समाप्त किया जा सकता है"। इस प्रकार इंदिरा गांधी का विचार है कि छूआछूत की परंपरा भारतीय समाज में ही विद्यमान है। इस परंपरा ने भारतीय समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है। हमें अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा और अछूतों को गला लगाकर समाज के मुख्य धारा में लाना होगा। इससे हमारा समाज संगठित होगा और भारत देश को व्यापक रूप से शक्ति मिलेगी।
2. समाजवादी आर्थिक सिद्धांतों से प्रभावित थी इंदिरा गांधी: जवाहर लाल नेहरू भारत में समाजवादी आर्थिक सिद्धांत के समर्थन में थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुखी जीवन जीने का अधिकार है। नेहरू भारत में अमीर समाज तथा असहाय एवं गरीबों के समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए समाजवादी आर्थिक नीति की स्थापना और कार्यान्वयन का समर्थक बन गए। उनका विचार था कि देश में धन का वितरण समानता के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा करने से अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटा जा सकता है, और समाज में आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है। इंदिरा गांधी नेहरू के इन्हीं समाजवादी आर्थिक सिद्धांत से व्यापक रूप से प्रभावित थी। इस संबंध में उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जो कांग्रेस के दस सूत्री कार्यक्रम का अंग था। बाद में 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप देश में आर्थिक आजादी का एक नया दौर का आरंभ हुआ। इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया कि इन बैंकों का पूरी तरह भारतीयकरण हो और वह आम भारतीय के निकट पहुंचें। राष्ट्रीयकरण की इस घटना ने गरीब और जनसाधारण के लिए बैंकों का द्वार खोल दिया। जो अबतक आम भारतीय की

पहुंच से दूर था। इन बैंकों में देश की बहुत बड़ी पूजी जमा थी। जिनका उपयोग चुनिंदा क्षेत्रों में किया जाता था। अब इस पूजी का उपयोग जनसाधारण के हित में उपयोग किया जाने लगा। जिससे सामान्य लोगों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंदिरा गांधी के इस कदम से उस समय बैंकों पर केवल कुछेक अमीर घरानों के वर्चस्व को समाप्त करते हुए आर्थिक समानता को लाने का प्रयास किया गया। बाद में चलकर आर.सी. कपूर बनाम भारत संघ, 1970 ;300 एस.सी.आर, 530 के मामले में ;इसे आमतौर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला भी कहा जाता है। उद्देश्य आर.सी. कपूर ने उक्त अध्यादेश तथा अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी तथा यह कहा कि यह उचित प्रतिकर की व्यवस्था नहीं करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीयकरण के सामाजिक महत्व की उपेक्षा कर अर्जीदार के दावे को अनुमोदित कर दिया। पांचवें आमचुनाव के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गठित कांग्रेस की नई सरकार ने 28 जुलाई 1971 को संसद में 24 वां और 25 वां संविधान पेश किया।

पहले का उद्देश्य संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार देना था वहीं दूसरे का उद्देश्य अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अर्जन के संबंध में संसद को अधिकार देना था। प्रिवी पर्स एक ऐसी व्यवस्था थी जो आजाद भारत के लोगों को राजा और प्रजा के मध्य विभाजित करता था। इसके तहत राजा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विशेष कदम उठाया। इसकी शुरुआत 25 जून 1967 को अखिल भारतीय कांग्रेस ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के साथ की। 2 सितंबर 1970 को लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया लेकिन राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया। परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति ने 5 सितंबर 1970 को एक आदेश जारी कर इसे समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार द्वारा जो इस दिशा में निर्णय लिये गए थे, सरकार के उस आदेश के विरुद्ध रजवाडे ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। जबकि पूर्व से ही न्यायालय में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला चल रहा था। परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मामला न्यायालय में ही छोड़ दिया। पांचवें आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी बहुमत में आईं तब 26 वें संविधान संशोधन के जरिए प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। क्योंकि उनका स्पष्ट मत था कि जिस देश में बहुत बड़ी आबादी गरीब हो वहां सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। गांधी समाजवाद से प्रभावित हो प्रिवी पर्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया ताकि देश में असमानता की खाई को पूरी तरह पाटा जा सके।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने समाजवादी परिकल्पना को अक्षरशः लागू करने के लिए जिन कदमों को उठाया उसकी पटकथा पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रीत्व काल में ही लिखी गई थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1949 में ही भारतीय रिजर्व बैंक के अधिग्रहण के साथ ही आरंभ हो गई थी जिसे इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों एवं 1980 में छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर मूर्त रूप दिया। जहां तक प्रिवी पर्स की बात है तो इसकी शुरुआत भी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने पहले कार्यकाल से रजवाडों के एकीकरण के साथ कर दी थी, जिसे इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि इंदिरा गांधी पूरी तरह पंडित जवाहर लाल नेहरू के समाजवादी विचारों से पूरी तरह प्रभावित थीं। उन्होंने पूर्व के सभी कार्यों को ही आधार मानते हुए उसे अमलीजामा पहनाया।

ग्रंथ सूची

1. डा. पुखराज जैन एव बीएल फाडिया, भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति: संस्करण: 2008, साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स।
2. गांधी, सोनिया, राजीव, विकिंग: पेंगुइन इंडिया, दिल्ली-1992।
3. गुप्ता रामचंद्र, गेट पोलिटिकल थिंक्स, इस्ट एंड वेस्ट, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल-1980
4. इंदिरा गांधी इन द क्लिअर ऑफ लीडरशीप: वीकोन प्रेस, वोस्टन, 1979।
5. इंदिरा गांधी बहुआयामी व्यक्तित्व: श्रावणी मुखर्जी: त्रिमूर्ति प्रकाशन, 2004
6. इंदिरा गांधी सेलेक्टेड स्पीचेज एंड राइटिंग्स-1980 से 1981

आधुनिक परिवेश में नये सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था एक अध्ययन

भरत कुमार

शोध-छात्र, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वरनगर, दरभंगा (बिहार)

परिचय

पुराना शहरी कुलीन वर्ग नेहरूवादी संरक्षण प्रणाली का फायदा उठाता था, इस वर्ग में ज्यादातर लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों से जुड़े हुए थे। भविष्य में भारत की दिशा पर प्रभाव डालने वाले चार बड़े मंथन साफ दिखाई पड़ रहे हैं। 17वीं लोकसभा के लिए हुआ चुनाव दुनिया की बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिसमें 90 करोड़ मतदाताओं, 2293 राजनीतिक दलों और 8000 से ज्यादा प्रत्याशियों ने लोकसभा की 543 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चुनाव बीत जाने के बाद अब ऐसा समय सामने है जब हम देश, खासतौर पर हिंदू समाज, और शासन व्यवस्था में खलबली मचा रहे प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करें। आने वाले समय में भारत – जो दुनिया का सबसे अधिक विविधता वाला देश है और जहां हजारों जातियों, समुदायों और जनजातियों की अपनी अलग-अलग चिंताएं तथा अपेक्षाएं हैं – उनपर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले चार प्रमुख मंथन साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सफल राजनीतिक दल वही माना जा सकता है जो इस विविधतापूर्ण आबादी को एक साथ संयोजित कर सके। सामान्यतः उसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए संसद में सर्वाधिक सीटें मिलती हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहती है।

सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर किसी समाज में राजनीतिक शक्ति में भागीदारी की कई समानताएं हो सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी थी जिसने सबको एक साथ जोड़ने की भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह किया था। कांग्रेस ने एक ऐसी व्यवस्था का विकास किया था जिसमें विभिन्न जातियों के लोगों के साथ ही कमजोर वर्गों के लोगों को भी सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता था। सत्ता की सामाजिक संरचना सरल थी, नौकरशाही और संस्थागत सत्ता शहरी सवर्णों के कब्जे में रही और कृषि प्रधान ग्रामीण इलाकों में स्थानीय प्रमुख जातियों के सामंती तत्वों के साथ गठबंधन के सहारे लंबे समय तक उसका शासन चलता रहा। इसी के साथ पूरक रूप में गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं और आरक्षण नीति के माध्यम से दलित और आदिवासी आबादी को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा। धर्मनिरपेक्षता की घोषित प्रतिबद्धता के साथ आजादी के बाद के हालात में कम से कम सुरक्षा के आश्वासन के कारण उसे मुस्लिम वोट भी मिलते रहे। सबको साथ लेकर चलने या लोक सहयोजन के इस मॉडल ने दशकों तक अच्छा काम किया, लेकिन इसका

मतलब यह नहीं है कि यह सामाजिक रूप से उपलब्ध सर्वोत्तम मॉडल भी है। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर किसी समाज में राजनीतिक शक्ति में भागीदारी के लिए कई समानताएं जिम्मेदार हो सकती हैं।

सत्ता के सामाजिक संतुलन के इस कांग्रेसी नमूने को कई चुनौतियां भी मिलीं – खासतौर पर हिंदी हृदय प्रदेशों में समाजवादी विचारधारा के प्रसार से, अंबेडकरवादियों या बहुजन के आख्यान के साथ दलितों के राजनीतिक उभार से, दक्षिण में द्रविड़ राजनीति तथा बंगाल और केरल में वाम राजनीति के प्रभावी होने से। लेकिन ये सभी अखिल-भारतीय स्तर पर मुख्य सहयोजक के रूप में नहीं उभर सके। वे बस अपने लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक सुरक्षित स्थान बनाने में सफल हुईं या फिर एक या दो जातियों अथवा समुदायों की पार्टी के रूप में सीमित रह गईं। लेकिन, नरेंद्र मोदी के उदय ने बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग के नए युग में पहुंचा दिया, जहां बीजेपी ने भारतीय राजनीति में मुख्य सहयोजक शक्ति के रूप में कांग्रेस का स्थान ले लिया। पहले 2014 में और अब 2019 में बीजेपी विभिन्न हिंदू जातियों के साथ गठबंधन करने में सफल रही, जिसे अब हिंदू मतों का संयुक्त जाति फलक (यूनाइटेड स्पेक्ट्रम ऑफ हिंदू वोट्स या यूएसएचवी) नाम से जाना जाता है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक-एक जिले में सूक्ष्म जातीय गठबंधनों के लिए जितनी मेहनत की है, वैसा भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। और, जब कांग्रेस अपने धर्म-निरपेक्षतावाद और गरीबी से लड़ने वाली नीतियों के व्यापक आख्यान के तहत काम कर रही थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी यह सिद्ध कर रही थी कि चुनाव हिंदुत्व की छत्रछाया और विकास के आकांक्षावादी एजेंडे के साथ भी लड़े और जीते जा सकते हैं। साल 2014 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जिसमें भारत को राजनीति और शासन के कांग्रेसी मिसाल का विकल्प मिला और ऐसा लगता है कि यह भारत के लिए नया सामान्य बनने जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि पुराने और नए शहरी वर्ग के बीच संघर्ष तेज हो रहा है। पुराना शहरी कुलीन वर्ग नेहरूवादी संरक्षण प्रणाली का फायदा उठाता था और सार्वजनिक विमर्श और नीति निर्माण पर असंगत प्रभाव डालता था। इस वर्ग में ज्यादातर लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों से सम्बद्ध थे। दूसरी ओर, नया या नव शहरी वर्ग ज्यादातर आर्थिक सुधारों का उत्पाद है, जो छोटे शहरों और गांवों की मध्यम वर्गीय आबादी से आया है। इस वर्ग को मुख्यतः धर्म, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर पुराने शहरी कुलीन वर्गों के साथ तीव्र मतभेदों के कारण शिक्षा जगत, संस्थानों, मीडिया और नीति-निर्माण में उनकी दखल से नाराजगी रही है। नए शहरी वर्ग की चिंताएं एवं आकांक्षाएं विश्व नागरिक बनने से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रही हैं। वे किसी निश्चित जगह से जुड़ना चाहते हैं न कि विश्व भर में कहीं से।

नए शहरी वर्ग का उस अंतर्राष्ट्रीय वामपंथ से भी कोई सरोकार नहीं है, जिसकी मंजूरी पुराना शहरी कुलीन वर्ग हमेशा चाहता था। भारत के भविष्य को लेकर दोनों के नजरिये में बुनियादी अंतर था, पर दोनों के बीच टकराव होना ही था। लेकिन, बदलाव की असली वजह सोशल मीडिया बना, जिसने नए शहरी वर्ग को आवाज देने के साथ-साथ समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने और खुद को व्यवस्थित करने का साधन उपलब्ध कराया। सोशल मीडिया की प्रभावशाली मौजूदगी और संचार के नए साधनों पर भरोसा करते हुए नए शहरी वर्ग ने पुराने आख्यान को बदल दिया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के रक्षकों और विद्वानों को पता भी नहीं चल पाया कि कब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नोएडा और लोधी रोड के बीच के इस आख्यान-युद्ध में ऐसा लगता है कि नोएडा बढ़त ले चुका है।

तीसरी, बात यह है कि देश के हिंदू समाज के भीतर परिवर्तन की लालच, विकास और आधुनिकता की इच्छा तो भरपूर है, लेकिन यह सब कुछ उसे भारतीय सभ्यता के लोकाचार या जिसे हम "हिंदू आधुनिकता" कह सकते हैं के भीतर चाहिए। हर जगह लोग पुराने सामाजिक ढांचों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उन्हें किस चीज की तलाश है। लोगों में आधुनिक दुनिया जैसा बनने की इच्छा है। किंतु, ज्यादा से ज्यादा लोग पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता के विचार को अस्वीकार करते हुए भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि यह नई आधुनिकता किन-किन उच्च बिंदुओं से होकर गुजरेगी। हमारे पास पश्चिमी जगत और जापान के अलावा आधुनिकता का कोई दूसरा मॉडल नहीं है। और, भारत अपने आप में दीपांकर गुप्ता के सुझाए 'आधुनिकता के भ्रम' का शास्त्रीय उदाहरण है। लोगों को इस बात का अहसास कम ही है कि आधुनिकता का अर्थ स्मार्टफोन, फेसबुक या नवीनतम कारें चलाना नहीं है। आधुनिकता का संदर्भ अनिवार्य रूप से लोग हैं। सामाजिक संरचनाएं, लैंगिक संबंध और राजनीतिक व्यवस्था जैसी बातें हैं। हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच भी 'हिंदू आधुनिकता' बहुत ही विवादित मुद्दा है और वे इस सवाल से जूझ रहे हैं कि अंततः पूरे सामाजिक ढांचे को बदल देने वाले तेज आर्थिक रूपांतरण का सामना करते हुए वे परंपराओं और पुरानी संस्कृति तथा रीति-रिवाजों को बचाना कैसे सुनिश्चित करें।

लोगों में आधुनिक दुनिया जैसा बनने की इच्छा है। किंतु, ज्यादा से ज्यादा लोग पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता के विचार को अस्वीकार करते हुए भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि इस नई आधुनिकता के उच्चबिंदु क्या होंगे। और, चौथी बात यह है कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के खिलाफ रूढ़िवाद की प्रतिक्रिया बिल्कुल नई भले हो लेकिन निश्चित रूप से सामने

आ रही है। आजादी के बाद से बढ़ती सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के बीच पुरानी वर्ण-जाति व्यवस्था टूटने के कारण समाज के प्रतिगामी वर्ग सामंती जाति व्यवस्था की वकालत करते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता छीनने के प्रयास भी कर रहे हैं। ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक सदी से भी अधिक समय से हिंदू समाज की गति की दिशा सुधारोन्मुख है। यहां तक कि विधवा पुनर्विवाह, अंतर-जातीय खानपान से जुड़े संबंधों, जाति व्यवस्था और छुआ-छूत विरोध के हिंदू विचारों में नया हिंदुत्व भी एक कहरपंथी अवरोध है। हिंदू समाज में सुधारों की गति धीमी रही है, क्योंकि ये परिवर्तन आर्थिक संरचनाओं के रूपांतरण के पूरक नहीं बन सके थे। किंतु, आर्थिक सुधारों के बाद पुराने सामंती-जाति क्रम के विघटन की गति तेज हुई है।

पिछले तीन दशकों की सबसे बड़ी कथाओं में से एक है दलितों और गाँवों की निचली जातियों की और उनके पुश्तैनी पेशों का समापन जिसके साथ उन पर हावी रही प्रमुख जातियों का प्रभुत्व भी घटा है। इन बदलावों ने पुरानी सामाजिक संरचना को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है, जिससे प्रभुत्वशाली जातियां को लग रहा है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक शक्ति तेजी से घट रही है। इसके साथ ही, सभी जातियों और लिंगों के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसरों का प्रसार होने से सामाजिक और लिंग संबंधों में एक कम मुखर किंतु दूरगामी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इससे समाज के कुछ वर्गों में गुस्सा है, जो मनुस्मृति और इसी तरह के प्राचीन ग्रंथों में दी गई व्यवस्थाओं के पक्षधर रहे हैं। उनके अनुसार, वर्ण-व्यवस्था को फिर से लागू किया जाना चाहिए और किसी को जन्म से निर्धारित पेशे को बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही, महिलाओं को पर्दे में और घरों तक सीमित किया जाना चाहिए। ये बातें बहुत शहरी युवाओं को भी आकर्षित कर रही हैं और फेसबुक और ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर दिखाई देती रहती हैं। 'भारतवंशी' इंडिक मॉडल' और भारत को तोड़ने में लगी ताकतों से लड़ने के लिए मिशनरी-मार्क्सवादी चिंतन को चुनौती देने के नाम पर इन लोगों ने हिंदू समाज की हर सामाजिक समस्या को उचित ठहराना शुरू कर दिया है। इनमें से अधिकांश बातें धुंधले अतीत के श्रेष्ठ समाज के भ्रम के अलावा गाँवों तथा छोटे शहरों के ऊँची जाति के युवाओं के बीच नई सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं में व्यक्ति-परक श्रेष्ठता की धारणाओं से तालमेल न बिठा सकने का नतीजा है। देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में ये शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। क्या बीजेपी खुद को मुख्य सहयोजक के रूप में बनाए रख सकेगी खास कर तब जबकि कांग्रेस के विपरीत उसे ऐसे नए परिदृश्य का मुकाबला करना होगा जिसमें लगभग हर जाति – राज्य के संसाधनों और सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी पाने का जतन कर रही है? पुराने और नए शहरी वर्ग के बीच टकराव और तीव्र होगा। लेकिन, क्या नया शहरी वर्ग अपने ही भार से दब जाएगा क्योंकि पुराने अभिजात वर्ग के विपरीत यह सामाजिक रूप से एक समान नहीं है। इस वर्ग से होकर गहरी सामाजिक भ्रम की रेखाएं गुजर रही हैं। जब भारत मुख्यतः कृषि समाज से शहरी-औद्योगिक समाज में बदलने के मुख्य बिंदु तक पहुंचने की ओर बढ़ रहा होगा उसी बीच हिंदू आधुनिकता और रूढ़िवादिता की पुनर्स्थापना की इच्छाओं के बीच जारी संघर्ष जल्द ही किसी असंतुलनकारी बिंदु तक पहुंच सकता है।

समाज यानी लोगों का ऐसा समूह है जहा सभी लोगों का मिल जुल कर साथ रहना, मानवीय सुरक्षा आदि को ही समाज कहते हैं। समाज संस्कृत के दो शब्दों सम् और अज से मिलकर बना है। सम् का अर्थ 'एक साथ' तथा अज का अर्थ 'साथ रहना' होता है। जब भी समाज का नाम हमारे दिमाग में आता है तो चार तरंगों हमारे दिमाग में स्वतः ही उत्पन्न होती है—प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक इसके बाद बदलाव की भूमिका सामने आती है। अक्सर भारतीय लोग अपनी बातों में कहते हैं 'जमाना बदल गया है' क्या वास्तव में जमाना बदल गया है जब इस बात पर गौर करें तो पाते हैं कि जमाना तो वहीं का वहीं है पर जमाने को 'रखैल' समझने वाले व्यक्ति समाज में जब चाहा जैसा चाहा बदलाव कर दिया, चाहे वो भारतीय समाज के लिए सही हो या ना हो।

हमारे देश ने राजतंत्र से लोकतंत्र तक का सफर तय किया, पर अत्याचारों का दौर खत्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गया है। राजनीति का शाब्दिक अर्थ 'राज करने की नीति होता है', नीति के भी दो तत्व होते हैं, गुण और अवगुण और आज हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति अवगुण की ओर खींची चली जा रही है। नीचे की चार पंक्तियाँ भारतीय राजनेताओं पर सही बैठती है और ये पंक्तियाँ उनके अहंकार को बताती है—

जमाना तू तेरी हद में रह वरना हद से हद में गुजर बैठेंगे
तू पानी बहाता है ना सड़कों पर, हम खून-ए-गुलाल बहायेंगे
समझ ले तेरा हर मंजर, हमारे खंजरों में इंसा-ए-कत्तल है।

भारतीय राजनीति हजारों साल पुरानी है, जो एक अनोखे आदर्शवाद को बताती है। आज हम लोकतंत्र की सीढ़ी पर हैं। जो लोकनीति को तो बुनती है पर वो नीति मंजिल पर जाने से पहले ही दम तोड़ देती है। जब हम आजाद हुए थे, तब बदलाव की राजनीति थी, पर आज बदले की राजनीति है। उस दौर के नेताओं में और इस दौर के नेताओं में सिर्फ फर्क इतना है कि उस दौर में भूख के लिए लड़े थे और इस दौर में बदले के लिए लड़ रहे हैं, जिसका परिणाम अंधकार

में जाकर खत्म हो जाता है। इसी अंधकार में अगर जनजोत जलती है तो आदर्शवाद का पुलिंदा लिए हुए जनक्रांति का उदय होगा, जिसमें अवगुणों की राख उड़ेगी, उसी राख पर गुणों की फसल लहरायेगी।

परतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता तक की पहली सीढ़ी की आर्थिक स्थिति की बात करें तो उस समय लोग जितना खाते थे, उतना कमाते थे। लेकिन आज खाने, पहनने, बचत, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए कमाना पड़ता है। उस दौर में किसी गाँव का एक पिछड़ा था, तो पूरा गाँव साथ देता था। इस दौर में भाई पिछड़ जाये तो उसका साथ उसका भाई भी नहीं देता। इस दौर को अर्थ युग कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे आज हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई हो, पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज हम रिशतों से दूर भाग रहे हैं। इसी दुरी के कारण आज समाज का दायरा कम होता जा रहा है।

सालों पहले हमारे समाज में कई कुरीतियाँ थीं। वो व्यक्ति को जीने तो देती थी, पर अपने हाल पर नहीं, कई कुरीतियाँ तो ऐसी थी, जिनमें सासें तो अपनी होती थी, पर उसकी लगाम समाज के हाथों में होती थी। खुशी तो थी, पर कुछ बंधन भी थे, जिनको तोड़ पाना संभव नहीं था। उस समय की सबसे बड़ी बात थी कि संस्कार और संस्कृति सातवें आसमान पर थे। कुछ कुरीतियाँ होते हुए भी दम नहीं घुटता था।

अगर हम इन्हीं शब्दों में वर्तमान समय की बात करें तो सामाजिक आधारों में न रीति रही, न ही नीति रही, सिर्फ और सिर्फ टांग खींच नीति रह गयी है। भावनाओं से खेलना इस दौर में आदत सी हो गयी। संस्कृति और संस्कार बेजान हैं। सच्चाई यह है कि ये खुद की बस्ती में ही गुम हो गये जैसे किनारों पर आकर लहरे गुम हो जाती हैं।

पहले लोग संयुक्त परिवार में रहकर भी खुश थे, आज के भारत में लोग एकल परिवार में रहकर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, बेटे को बाप नहीं समझ रहा और बाप को बेटा नहीं समझ रहा, एक-दूसरे पर सब बोझ समझते हैं। पहले परिवार साफ-सुथरे सरोवर की तरह था, जिसमें कमल ही कमल खिले थे। आज के परिवार में ना ही सरोकार और ना ही संस्कार है। बस भाग-दौड़ का एक सिलसला है जो रोज सुबह उठते ही शुरू हो जाता है और शाम को सोने पर खत्म होता है। इस भाग-दौड़ भरी जिन्दगी में किसी के लिए समय ही नहीं है। बस भागते रहो, भागते रहो। यह दौड़ श्मशान में जाकर ही खत्म होती है। सिर्फ व्यक्ति खाक बन कर रह जाता है। अगर इसी दौड़ के बीच लोग थोड़ा भी समाज के लिए समय निकालते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होते थे, लोगों के दिलों में हमेशा जिन्दा रहते हैं।

संदर्भ सूची

1. अखिलेश्वर झा: मॉडर्नाइजेशन एण्ड हिन्दू सोशल कल्चर, बी० आर० पब्लिशर्स कॉरपोरेशन, देहली-1978
2. एन०वी० सोवानी: अरबनाइजेशन एण्ड अरबन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई-1966
3. एम०एल० गुप्ता एवं डी०डी० शर्मा: भारतीय सामाजिक समस्यायें, साहित्य भवन, आगरा-1989
4. एम०एल० बिसारिया और जनमेजय: समकालीन भारतीय समाज की सामाजिक गतिशीलता, ग्रंथायन, कानपुर-1990
5. एलिव्स इंकलस: दि मॉडर्नाइजेशन आफ मैन, इन मॉडर्नाइजेशन मायनर वीनर, बेसिक बुक्स, न्यूयार्क-1966
6. जी०के० अग्रवाल: भारतीय सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, आगरा बुक स्टोर, आगरा-1986

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका: एक अध्ययन

डॉ० विनीता भारद्वाज

प्लैट नं०-301, नीलम मेन्सन दुर्गा आश्रम गली, बेली रोड, पटना

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। इसमें समय-समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है। यदि हम महिलाओं की स्थिति का आंकलन करें तो पता चलेगा कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अनेक तरह के उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है। इन बदलावों का ही परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों-दिन बढ़ रहा है जो कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के नतीजे अभी हाल ही में हम सभी के सामने आये हैं, इन नतीजों ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम प्रदान किया है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में एक स्थिर सरकार की वापसी हुई है। ऐसा भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू एवं इंदिरा गाँधी के बाद हुआ है। परंतु इस चुनाव का यदि हम लैंगिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि, देश की आधी आबादी की इस चुनावी समर में मुख्य भूमिका रही है। उसका ही परिणाम है कि इस आम चुनाव के नतीजे में देश की महिला मतदाताओं ने सिर्फ अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराई है, बल्कि इस बार भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि 78 महिलाएँ सांसद के रूप में निर्वाचित होकर आई हैं। वहीं पुरुष सांसदों की संख्या 2014 में 462 थी जो 2019 में घटकर 446 रह गई है इससे उनकी संख्या में करीब 3 प्रतिशत की कमी आई है। इस बार आम चुनाव के लिए खड़े हुए 8,000 उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम थी परन्तु संसद में जीतकर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या 14 प्रतिशत है। यह भारत की चुनावी राजनीति में आ रहे सकारात्मक बदलाव का ही संकेत है कि "ये चुनाव महिला उम्मीदवारों से जुड़े कई राजनैतिक पूर्वाग्रहों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण करने में भी कारगर सिद्ध होगा।"

बतौर मतदाता यदि हम महिलाओं कि चुनावी भागीदारी पर चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि साल 2009 और फिर 2014 के आम-चुनाव में महिलाओं की मतदान के माध्यम से जो भागीदारी थी उसमें 2019 में वृद्धि हुई है। इस चुनाव में महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह भी तथ्य गौर करने लायक है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67.11 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल किया है। पिछले

भारतीय चुनावों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि स चुनाव में देश कि 13 सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी। 1962 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 45 था, वहीं 2014 में यह बढ़कर 66 हो गया और 1962 के आम चुनावों में पुरुष एवं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत का अंतर 17 प्रतिशत था वो 2014 में 1.4 प्रतिशत और इस बार 2019 के चुनावों में घटकर मात्र यह 0.4 प्रतिशत रह गया है। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में 8.35 करोड़ नए महिला वोटर थे। यदि हम इन आंकड़ों को राज्यों के संदर्भ में अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि इसमें उत्तर प्रदेश से 54 लाख के करीब, महाराष्ट्र में 48 लाख, बिहार में 42.8 लाख, पश्चिम बंगाल 42.8 लाख तमिलनाडु 39 लाख मतदाता शामिल थे।

इस चुनाव में महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह भी तथ्य गौर करने लायक है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67.11 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल किया है। इस बार के चुनाव में पहली बार महिला प्रतिनिधि एवं मतदाताओं की संख्या में जो बदलाव आया है उसमें राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति एवं घोषणा पत्रों के माध्यम से मुख्य भूमिका निभाई है, जिसने महिला-पुरुषों के बीच में मतदान करने के अंतर को कम किया है, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने आम चुनाव की तारीख घोषणा होने से पूर्व ही ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी। उसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा कर डाली। इसके साथ बीजेपी एवं कांग्रेस ने भी पहले की अपेक्षा महिला प्रतिनिधियों को अधिक मौका दिया। इसका ही परिणाम है कि यह स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा कि जहाँ सोलहवीं लोकसभा में करीब 11 प्रतिशत महिलाएं थी, वहीं प्रथम लोकसभा में 5 प्रतिशत महिलाएं थी। वहीं इस बार के लोकसभा में 78 महिला सांसद यानि कुल संख्या का 14 प्रतिशत महिला लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व करेंगी। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन 78 महिला सांसदों में से एक तिहाई तो ऐसी हैं जिनको जनता ने दोबारा संसद में भेजा है। इनमें से 11 उत्तर प्रदेश से 11 ही पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुई हैं, वहीं दलों के हिसाब से देखें तो 22 टीएमसी के सांसदों में से 9 महिलाएं, उड़ीसा में बीजेडी ने 7 महिलाओं को टिकट दिया था और उसमें से 5 ने जीत दर्ज की। भाजपा ने देश भर में कुल 54 महिलाओं को टिकट दिए और उनमें से 40 को जनता ने लोकसभा में भेजा साथ ही कांग्रेस ने 53 महिलाओं को टिकट दिया इनमें से 6 जीत कर आई हैं।

21 वीं सदी शुरुआत से ही महिलाओं की रही है। इन सालों में महिलाओं का भारत की आर्थिक व्यवस्था में योगदान बढ़ा है, इसका ही परिणाम है कि आज भारत की महिलाएं राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुंच कर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत विश्व में भारत की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं, स्वतंत्रता के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाएं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट और उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाँ वर्षों पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहाँ सिर्फ महिलाओं ने स्वयं को स्थापित ही नहीं किया है बल्कि वहाँ सफल भी हो रहीं हैं।

महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये जो सुधार आन्दोलन शुरू हुआ उससे समाज में एक नयी जागरूकता पैदा हुई है। बाल-विवाह, भ्रूण-हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का काफी प्रयास हुआ है। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गाँधी जी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है उनके अनुसार लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलाएं अपनी स्थिति और अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी हैं, आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, इसका ही परिणाम है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को जो अविस्मरणीय जीत हासिल हुई है उसको दिलाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसकी रूपरेखा का निर्माण कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो देशव्यापी योजनायें चलाई गईं उनका काफी योगदान है। केंद्र में एनडीए सरकार ने जो उज्ज्वला योजना, बेटा बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सौभाग्य, जनधन, मुद्रा लोन आदि के रूप में जो योजनायें चलाई उन्होंने सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसको हम चुनावी परिणामों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने जिन पांच राज्यों उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान की 216 सीटों पर जीत हासिल की है उसमें से भाजपा ने 156 यानी 66 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल किया है। ध्यान देने वाली बात है

कि मोदी सरकार ने 4.30 करोड़ के करीब जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे हैं उनमें से 48 प्रतिशत कनेक्शन उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में बांटे गए। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव परिणाम आने से पूर्व उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एसपी-बीएसपी गठबंधन के चलते भारी नुकसान के जो कयास लगाये जा रहे थे उनको गलत साबित करने में उज्ज्वला योजना तथा अन्य महिला केंद्रित योजनाओं ने मुख्य भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

स्वामी विवेकानन्द का मानना है कि “किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से खुद सुलझा सकें। हमारी भूमिका महिलाओं की जिंदगी में उनका उद्धार करने वाले की न होकर उनका साथी बनने और सहयोगी की होनी चाहिए। क्योंकि भारत की महिला इतनी सक्षम है कि वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकें। कभी अगर कहीं है तो बस इस बात की, कि हम एक समाज के तौर पर उनकी काबलियत पर भरोसा करना सीखें। ऐसा करके ही हम भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे। ऐसे में भारतीय राजनैतिक परिवेश में फिलहाल वक्त जो 78 महिला सांसद चुन कर आई हैं उन्हें देश की अन्य महिलाओं की आवाज को संसद में मजबूती से उठाना चाहिए। इसके साथ ही सालों से सदन में जो महिला आरक्षण बिल लंबित है उसको भी पारित कराने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही महिलाओं से जुड़े समकालीन ज्वलंत मुद्दों को भी सदन में मजबूती से रखें। यदि ये निर्वाचित महिला सांसद इन सभी विषयों को गंभीरता से सदन में उठाती हैं और इस दिशा में कुछ ठोस निर्णय लिया जाता है तो यह देश की एक बड़े नागरिक वर्ग के साथ न्याय होगा साथ ही भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा जो देश और समाज सभी के हित में होगा।

संदर्भ सूची

1. एस0 अखिलेश, महिला सशक्तिकरण: दशा एवं दिशा, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2010
2. इन्दिरा जय सिंह, द पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनल लॉ, लॉ बुक एजेन्सी, नई दिल्ली, फरवरी, 1986
3. ठाकुर, राम भरत (2004), बिहार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, बिहार एकोनॉमिक जर्नल, बिहार का आर्थिक संघ, 8वाँ वार्षिक सम्मेलन-2004, पी.के. राय मेमोरियल कॉलेज, धनवादा।
4. ईनाक्षी चतुर्वेदी, महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2010
5. कमिटी ऑन द स्टेट्स आफ विमेन इन इंडिया, 1974, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. कुमार मनीष, महिला सशक्तिकरण-दशा और दिशा, मधुर बुक्स, कृष्णा नगर, दिल्ली, 2006
7. कुमार, राधा, स्त्री संघर्ष का इतिहास, ए-दरियागंज, नई दिल्ली, 2002
8. मंजूलता छिल्लर, भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2010

बिहार में नदी जोड़ो परियोजना की समस्याएँ एवं संभावनाएँ

डॉ० कल्पना कुमारी

ग्राम-अरगा (पश्चिम), पो0-अरगा, भाया-बहेड़ी, जिला-दरभंगा (बिहार)

हाल के कुछ दिनों में बिहार, बंगाल, असम, राजस्थान जैसे राज्यों को भीषण बाढ़ से दो-चार होना पड़ा था। नदियों में जलीय अधिशेष को कम करने से बाढ़ से बचाव हो सकता है और इस अधिशेष को उपयुक्त जगह पहुँचाकर सूखे की समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। यही कारण है कि कई दशकों से नदी जोड़ो परियोजना को अमल में लाने की बात होती रही है। नदी जोड़ो परियोजना एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही 87 अरब डॉलर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ करने जा रही है। इस नदी जोड़ो परियोजना को बाढ़ और सूखे के हालातों का सामना करने के लिये उपयुक्त माना जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना एक ओर जहाँ संभावनाओं का द्वार खोल सकती है, वहीं दूसरी तरफ यह एक दिवास्वप्न भी साबित हो सकती है।

सरकार ने बिहार की कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपये की कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। यह मध्यप्रदेश की केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होने वाली देश की दूसरी प्रमुख नदी है।

कोसी नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है जो तिब्बत से निकलती है और हिमालय पर्वत से नेपाल में होते हुए उत्तर बिहार के निचले हिस्से में मैदानी इलाकों से होकर बहती है। कोसी नदी के बहाव की भारी समस्या, भारी तलछट भार और बाढ़ आदि की विकट समस्या को दूर करने और बिहार के लोगों की गंभीर पीड़ा को दूर करने के लिए, नेपाल के तत्कालीन महामहिम और भारत सरकार ने कोसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 25 अप्रैल 1954 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान प्रस्ताव में, पूर्वी कोसी मुख्य नहर प्रणाली का विस्तार है, जो मेची नदी तक, महानंदा नदी की सहायक नदी है। मेची नदी तक ईकेएमसी के विस्तार का उद्देश्य मुख्य रूप से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के जिलों में पानी की कमी वाले महानंदा बेसिन कमांड को खरीफ मौसम के दौरान हनुमान नगर बैराज में उपलब्ध तालाब के आधार पर सिंचाई के लाभ प्रदान करना है। इस तरह यह नदी जोड़ योजना कोसी बेसिन के अधिशेष जल का हिस्सा महानंदा बेसिन में स्थानांतरित करेगी। लिंक नहर से सिंचाई लाभ के मद्देनजर परियोजना पूरी तरह से उचित है। विदित हो कि नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले वर्ष 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर

कॉटोन ने रखा था। आजाद भारत में सबसे पहले वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्यमंत्री के. एल. राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद नदी जोड़ो अभियान को बल मिला। वर्ष 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'नेशनल वाटर डेवेलपमेंट एजेंसी' का गठन किया था, वहीं वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वर्ष 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिये और वर्ष 2016 तक इस योजना को असली जामा पहना देना होगा। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स द्वारा इस परियोजना पर 560000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2012 में इस परियोजना पर चर्चा हुई, क्योंकि यही वह समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करे, ताकि विलंब के कारण इसकी लागत में और अधिक बढ़ोतरी न हो। गौरतलब है कि अदालत ने इस परियोजना पर अमल करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी। वर्ष 2016 में कुछ पर्यावरणीय मंजूरीयाँ प्राप्त होने के साथ ही सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना पर गम्भीरता से अमल करना शुरू किया। इसके साथ ही एक बार से फिर से देश की सभी नदियों को एक-दूसरे जोड़ने की कवायद शुरू हो गई।

बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए एक केंद्रीय एजेंसी ने चार अंतरराज्यीय नदियों को जोड़ने वाली परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है। इस परियोजना से तीन जिलों को बाढ़ से बचाने में मदद मिलेगी। यह बहुआयामी परियोजना बाढ़ के 492 क्यूमेक (घनमीटर प्रति सेकेंड) पानी का रख बूढ़ी गंडक नदी से बाया गंगा नदी की ओर मोड़ सकती है। इससे एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषियोग्य क्षेत्र में सिंचाई भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट (डीपीआर) नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया में एक अहम कदम है। इसके जरिए राज्य सरकार केंद्रीय जल आयोग से आगे सहमति के लिए संपर्क कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, चार नदियों— गंडक, नून, बाया और गंगा को जोड़ने से बाढ़ की दृष्टि से जोखिम भरे राज्य के समस्तीपुर, बेगुसराय और खगड़िया जिलों को वार्षिक बाढ़ की तबाही से बचाया जा सकेगा। तीन जिलों में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन वार्षिक तौर पर 204.73 करोड़ रुपए है। बाढ़ के पानी का रुख मोड़ देने से 143.31 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी। इससे खरीफ के मौसम में 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई बढ़ने का मार्ग भी खुलेगा। सिंचाई में होने वाला यह लाभ लगभग 587.10 करोड़ रुपए का होगा। लगभग 4200 करोड़ रुपए की इस परियोजना से जुड़ी इस रिपोर्ट में बाढ़ संभावित बूढ़ी गंडक नदी और एक लंबी नहर के आसपास 29 किलोमीटर का एक अवरोधक बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अवरोधक से टकराकर जल का रुख बाया नदी की ओर मुड़ जाता है। बूढ़ी गंडक—नूनी—बाया—गंगा अंतरराज्यीय जुड़ाव ऐसी पहली परियोजना है, जो किसी राज्य सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के तहत काम करने वाली राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी से लिया है। यह रिपोर्ट तीन साल से भी कम समय में पूरी की गई है। इसे बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में अनुरोध किए जाने के बाद शुरू किया गया था। चार अंकों की इस रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के पास भेज दिया गया है।

केंद्र सरकार जल्द ही 87 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रारंभ करेगी। यदि इस योजना पर अमल किया जाता है तो फिर बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। साथ ही बांग्लादेश की ओर से आने वाले बाढ़ से भी लोगों को निजात मिल सकती है। विदित हो कि इस योजना के तहत करीब 60 नदियों को जोड़ा जाएगा। इन नदियों में गंगा नदी जैसी महत्त्वपूर्ण और बड़ी नदी भी शामिल है। हालाँकि इस परियोजना को लेकर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जिनमें पर्यावरणविद् तक शामिल हैं। मगर माना जा रहा है कि नदी जोड़ो योजना का बड़ा लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन नगर उज्जैन में बहने वाली शिप्रा नदी को नर्मदा नदी से जोड़ा गया है और इसका लाभ यह हुआ है कि पर्याप्त बारिश न होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में पेयजल का प्रबंध किया जा सकता है। साथ ही केन व बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

नदी जोड़ो योजना के लाभ

- इससे पीने के पानी की समस्या दूर होगी।
- आर्थिक समृद्धि आएगी और लाखों परिवारों की आर्थिक बदहाली दूर होगी।
- नदियों को जोड़ने से देश में सूखे की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है।
- सिंचित रकबे में वर्तमान के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- जल ऊर्जा के रूप में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकती है।

- नहरों का विकास होगा।
- नौवहन के विकास से परिवहन लागत में कमी आएगी।
- टूरिस्ट स्पॉट में वृद्धि होगी।
- बड़े पैमाने पर वनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

साथ ही ग्रामीण जगत के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये रोजगार के तमाम अवसर पैदा होंगे, जो आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी।

परियोजना से संबंधित समस्याएँ

नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी सहित कई मोर्चों पर महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। नदी जोड़ो परियोजना जो दशकों से शुरू होने की बात जोह रही है, के मामले में विशेषज्ञों की राय हमेशा से विभाजित रही है। इस परियोजना के तहत 3,000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं तथा 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी नहरों के नेटवर्क के निर्माण में करीब 5.6 ट्रिलियन रुपए का खर्च आएगा। ये आँकड़े बताते हैं कि नदी-जोड़ो परियोजना अभियांत्रिकी के इतिहास में अब तक का सबसे साहसी कारनामा साबित हो सकता है। जाहिर है कि जब योजना इतनी बड़ी है तो चुनौतियाँ भी बड़ी होंगी।

नदी जोड़ो परियोजना के आलोचकों का कहना है कि यह परियोजना विसंगतियुक्त जल विज्ञान और जल प्रबंधन की पुरानी समझ पर आधारित है। जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आलोचकों के इस विचार के निहितार्थ को समझने के लिये हमें पहले यह जानना होगा कि जल प्रबंधन का वह कौन सा विचार है जिस पर यह परियोजना आधारित है। दरअसल, नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को नहरों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि जल अधिशेष वाली नदियों के जल को इन नहरों के नेटवर्क से उन नदियों तक पहुँचा दिया जाए जिनमें जल का स्तर निम्न है। मुंबई और चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शोधकर्त्ताओं के एक नए अध्ययन ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। वर्ष 1901 से 2004 तक के बीच के 103 वर्षों के अध्ययन से मौसम संबंधी डेटा का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्त्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पहले की तुलना में अब नदियों के जल अधिशेष में 10: से अधिक की कमी आई है।

जहाँ तक पर्यावरणीय चिंताओं का सवाल है तो यह माना जाना कि नदी जलापूर्ति का एक माध्यम मात्र है चिंतित करने वाला है। दरअसल, नदी एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें लाया जाने वाला बदलाव सभी वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा। साथ ही नदियों द्वारा निर्मित उत्तर भारत का विशाल मैदान उपजाऊ बना रहे, इसके लिये नदियों से अत्यधिक छेड़छाड़ को उचित नहीं कहा जा सकता है।

यही कारण है कि कुछ हद तक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद केन-बेतवा परियोजना, पन्ना टाइगर रिजर्व में संभावित अतिक्रमण को लेकर अटकी पड़ी है।

चुनौतियाँ

कौन सा पानी किसका है? नदी-समुद्र का पानी किसका है? सरकार का नदियों एवं तालाबों के जल पर मालिकाना अधिकार है या सिर्फ रख-रखाव की जिम्मेदारी? वर्तमान में ये सभी यक्ष-प्रश्न बने हुए हैं। राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारें अपने-अपने हितों के लिये अड़ने लगेंगी। कितने राज्यों के बीच पानी का झगड़ा अभी तक अनसुलझा ही है। वे दूसरे राज्यों को पानी देने को तैयार नहीं होते। सतलुज-यमुना और कावेरी जैसे जल विवाद तो शीर्ष न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बावजूद सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन परिस्थितियों में इतने बड़े स्तर पर जल हस्तान्तरण कई विवादों को जन्म दे सकता है। इनमें से कई विवाद तो 50 वर्षों से भी अधिक समय से जारी हैं। यह देखते हुए कि नदियों में पानी की लगातार कमी होती जा रही है शायद ही कोई राज्य अपने हिस्से का पानी किसी अन्य राज्य को देने को तैयार होगा। यदि यही परिस्थितियाँ बनी रही तो नदियों के जल को लेकर राजनैतिक विवाद नदी जोड़ो परियोजना की सबसे बड़ी बाधा साबित हो सकती है।

नदी जोड़ो परियोजना एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन साथ में यह जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जल संबंधित मुद्दों को हल करने का एक अवसर भी है। अतः इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और यह गंभीरता उस हद तक जायज कही जा सकती है, जहाँ नुकसान कम लेकिन फायदे ज्यादा हों। दुनिया में जितना पानी उपलब्ध है उसका लगभग चार फीसद ही भारत के पास है। इतने से जल में ही भारत को अपनी आबादी, जो दुनिया की कुल आबादी का

लगभग 17 फीसद है, की जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने का भार है। तिस पर यह कि करोड़ों क्यूबिक क्यूसेक पानी हर साल बहकर समुद्र में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना वरदान साबित हो सकती है। हालांकि जरूरी यह भी है कि इसे तब अमल में लाया जाए, जब विस्तृत अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित हो कि इससे पर्यावरण या जलीय जीवन के लिये कोई समस्या पैदा नहीं होगी।

नदी जोड़ो परियोजना बेशक एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे अमल में लाने का समुचित प्रयास होना चाहिये, लेकिन साथ में इसकी भी नितांत आवश्यकता है कि पानी की एक सीमित और खत्म हो रहे संसाधन के रूप में पहचान की जाए। सरकार को चाहिये कि राज्यों से विचार-विमर्श के बाद तुरंत एक ऐसी राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण करे, जो भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन, जल के बँटवारे से संबंधित विवादों और जल को लेकर पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। इन सुधारों पर कार्य करते हुए नदी जोड़ो परियोजना की तरफ कदम बढ़ाया जाना चाहिये।

संदर्भ सूची

1. Amarasinghe, U, A.; Sharma, B.; Aloysius, N.; Scott, C.; Smakhtin, V.; de Fraiture, C. 2005. *Spatial variation in water supply and demand across river basins in India*. Research Report 83. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute
2. Bandyopadhyaya, J.; Perveen, S. 2003. *The Interlinking of Indian Rivers: Some Questions on the Scientific, Economic and Environmental Dimensions of the Proposal*. Paper presented at Seminar on Interlinking Indian Rivers: Bane or Boon? at IISWBM, Kolkata, June 17, 2003. SOAS Water Issues Study Group, Occasional Paper No. 60.
3. FAO (Food and Agriculture Organization). 2006. *FAOSTAT Database*, Rome, Italy: FAO
4. GOI (Government of India). 1999. *Report of the National Planning Commission: Integrated Water Resources Development*. India: Government of India.
5. Hornby, B. 1993. *Water Policy Has Changed – Attitudes will Follow*. Denver Post, July 11 1993, Colorado, USA.
6. ICOLD (International Commission of Large Dams). 2000. *World Register of Dams 1998: Updating 2000 for China*. Paris: International Commission on Large Dams.
7. Sinha, S.K.; Sinha, A.K.; Chandra, S. 2005. *Interlinking of Rivers- Issues and Challenges, In Volume-I, Water for Life with Special Reference to Interlinking of Rivers. Proceedings of the Eleventh National Water Convention of India, May 11, 2005*. New Delhi, India: National Water Development Agency.

न्यायिक सक्रियतावाद एवं जन-चेतना: एक अध्ययन

जोनी इम्मानुएल तिरकी

दिलावरपुर, मिल्कीचक, दरभंगा

प्रारंभिक मानव समाज के उदय के साथ ही 'राजनीतिक भाक्ति' को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ भी प्रस्तुत हुईं तथा संभवतया इसी शक्ति के प्रयोग से आदिकालीन मानव समाज में कुछ व्यवस्था व स्थिरता की स्थापना हुई। अतः राजनीतिक शक्ति का हर समाज में आरंभ से ही महत्व स्थापित हो गया। प्राचीन काल से ही शासकों को विधियों, प्रक्रियात्मक सुरक्षाओं व संतुलनात्मक शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता रहा है। प्राचीन काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र तथा धर्मसूत्रों से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजा ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका प्रधान था। प्रजा के साथ न्याय करना उसका पुनीत कर्तव्य था।

सभ्य समाज में प्रत्येक नागरिक यह आशा करता है कि उसके साथ मनमानी, अत्याचार या ज्यादती न हो। उसे ऐसी ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था आवश्यक है। प्रसिद्ध विचारक माण्टेस्क्यू का कहना है कि वहाँ कोई स्वतन्त्रता नहीं हो सकती जहाँ न्यायिक शक्तियाँ विधायिनी तथा कार्यकारिणी शक्तियों से पृथक न हो। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतन्त्र होना आवश्यक है। विधानमण्डल एवं कार्यपालिका चाहे कितनी ही कार्यकुशल क्यों न हो, व्यवस्थित न्यायपालिका के अभाव में 'विधि का शासन' कार्यान्वित नहीं हो सकता है। 'विधि का शासन' का अर्थ यह है कि पहले कानून को विधिवत पारित किया गया हो और फिर शासन का संचालन उस अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार किया जाये। न्यायपालिका उस व्यवस्था की संरक्षक होती है। इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि उत्कृष्ट न्यायपालिका उत्कृष्ट शासन का प्रमाण है। जनसाधारण के मन में न्यायपालिका के प्रति सदैव श्रद्धा की भावना रही है। न्यायाधीश को 'धर्म का अवतार' कहा गया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य सब मामलों में न्याय प्रदान करना है, चाहे मामले दीवानी हों या फौजदारी। न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह किसी के साथ पक्षपात न करे, न ही किसी के दबाव में आये। न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राज्य के अतिक्रमण से व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना है। संघीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत न्यायपालिका का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य संविधान की व्याख्या करना है ताकि कार्यपालिका के जो आदेश या विधान मण्डल के जो अधिनियम संविधान के विरुद्ध हों, उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाये। कानून को संविधान की कसौटी पर परखने की शक्ति को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहा जाता है।

आधुनिक भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में की गयी। फिर भारत शासन अधिनियम, 1935 के अनुसार संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। इस संघीय न्यायालय को मुख्यतया तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त थे—

- (क) प्रारम्भिक अधिकार
- (ख) अपीलीय अधिकार और
- (ग) परामर्शदात्री अधिकार।

स्वतन्त्रता के पश्चात् संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। भारत के संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान किया, जिसके अनुसार केन्द्र तथा राज्य के द्वारा बनाये गये कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करने का अधिकार क्रमशः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। भारत में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद की महत्ता के बारे में संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० बी०आर० अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था “यदि मुझे यह कहा जाय कि संविधान के किस अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ हो जायेगा— तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं इसी को इंगित करूंगा। यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है” इसी अनुच्छेद के माध्यम से न्यायपालिका व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है।

भारतीय न्यायपालिका केन्द्र तथा राज्य सरकारों के एकीकृत न्यायालयों की एक व्यवस्था है, जो केन्द्र तथा राज्य विधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय की विधायी व्यवस्था से शासित होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के चौथे अध्याय के पांचवें भाग में वर्णित नियमों के अधीन कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जनवरी, 1950 में की गयी। सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न उच्च न्यायालयों के ऊपर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है और इस तरह यह पूरी न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय देश के सभी छोटे-बड़े न्यायालयों को मान्य होता है तथापि सर्वोच्च न्यायालय को अन्तिम अधिकार संविधान के अन्तिम व्याख्या से निहित है। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न पीठों के माध्यम से भी कार्य करता है। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गयी है जो अपने विभिन्न स्थापित पीठों के माध्यम से मामलों का निपटारा करते हैं। उच्च न्यायालयों की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की गयी है जबकि अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद दो या अधिक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस तरह छोटे राज्यों में अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गयी है। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी जो देश का सबसे पुराना न्यायालय है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों को पुनर्विचार का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालयों को समता का न्यायालय भी कहते हैं और इस तरह विभिन्न याचिकाओं द्वारा न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। उच्च न्यायालय के अधीन विभिन्न जनपदों में जिला न्यायालय की स्थापना की गयी है। जिला न्यायालयों के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तथा अतिरिक्त जिला न्यायालय, उप न्यायालय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, विशेष ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय आदि की स्थापना की गयी है। निचले स्तर पर पंचायत न्यायालय जैसे कि न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत एवं पंचायत अदालतें तथा लोक अदालतों की स्थापना की गयी है। वर्तमान समय में देश में लगभग 14000 न्यायालय हैं, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय, 3150 जिला न्यायालय, 4861 मुंसिफ तथा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, 1964 द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा अन्य न्यायालय शामिल हैं। यद्यपि देश में न्यायालयों को एक विज्ञापक संजाल स्थापित किया गया है तथापि विभिन्न न्यायालयों में एक बड़ी संख्या में विवाद लम्बित हैं। भारतीय न्याय प्रशासन में बढ़ती वाद बाहुलता एक चिन्तनीय विषय है तथापि प्रशासकीय मामलों में न्यायिक सक्रियता भारतीय प्रशासन को एक कल्याणकारी प्रशासन हेतु अपना अपूर्व योगदान प्रदान कर रहा है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियतावाद की पहल नहीं की है। इसका श्रीगणेश तो अन्य देशों में हो चुका था। जहाँ प्रारम्भ हुआ था, वहाँ विधिक और प्रशासनिक गत्यारोधों से निपटने के लिए न्यायपालिका ने सक्रियतावादी समाधान प्रस्तुत किया। भारतवर्ष में भी ऐसी ही परिस्थिति थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्री सोली जे० सोराब जी ने तीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत किया। नई दिल्ली से प्रकाशित ‘द स्टेट्समैन’ ने उस व्याख्यान को तीन किस्तों में प्रकाशित किया। पहली किस्त 2 फरवरी, 2005, दूसरी किस्त 3 फरवरी, 2005 और तीसरी किस्त 4 फरवरी, 2005 को प्रकाशित हुई। सोली जे० सोराब जी के अनुसार : Judicial Activism would denote a judiciary decisive manner to achieve and end. सोली जे० सोराब जी के अनुसार न्यायिक सक्रियतावाद लक्ष्योन्मुखी है। यह लक्ष्य क्या

है? यह सवाल सोराब जी ने उठाया है और उसका उत्तर भी दिया है, उनके अनुसार — What is that end? Dispensing justice with a view to righting wrongs or providing or fashioning remedies where none exist in the judicial perception.

ऐसी स्थिति में अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता से किसी नागरिक या नागरिकों के किसी वर्ग को राहत देने के निमित्त न्यायिक सक्रियतावाद एक शक्तिशाली माध्यम है। शोध प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायों में उन प्रकरणों की चर्चा की गयी है, जिनमें न्यायपालिका की सक्रियतावादी भूमिका के अभाव में कोई राहत सम्भव नहीं था। इस राहत का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अनुच्छेद-21 में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और जीवन के अधिकार के अन्तर्गत समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णय की प्रक्रिया में बहुत से अधिकारों को पढ़ना शुरू किया है। उदाहरणार्थ—मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ (ए०आई०आर० 1978 एस०सी० 597) में ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का अर्थ हो गया ‘विवेक सम्मत, उचित और न्यायोचित प्रक्रिया’। यह एक प्रकार से अमरीकी सिद्धान्त ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ (Due Process of Law) का ही भारतीय संस्करण है। द्रुतगति से मुकदमे पर विचार करना (Right to Speedy Trial) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और जीवन के अधिकार के अनुकूल है। इस सम्बन्ध में हुसैनारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार से जुड़े कई वाद ध्यातव्य हैं। शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के भाग-4 में उल्लिखित अनुच्छेद-45 से समर्थन दिया है। यह नीति निर्देशक तत्व है। पर जे०पी० यूनीकृष्णन् और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य के प्रकरण में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए इसे जीवन के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद-21) माना है।

इस प्रकार न्यायिक सक्रियतावाद ने विधिक और संवैधानिक व्याख्या के नये आयाम प्रस्तुत किये हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों की विधिविहीन कार्यवाहियों की कड़ी आलोचना की है और उन पर रोक लगायी है। स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था के संचालकों को न्यायिक सक्रियतावाद एक प्रकार का ‘हस्तक्षेप’ दिखाई पड़ने लगा। उन्होंने इसे न्यायपालिका के न्यायिक प्रकार्य का अतिक्रमण माना। हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे बहुत से निर्णय दिये जो विवाद का कारण बने। लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सार्वजनिक रूप से इन निर्णयों की कड़ी आलोचना की और ये घोषित किया कि ये निर्णय संसद और विधान सभा के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायाधीशगण मार्कण्डेय काटजू और श्री ए०के० माथुर ने एक प्रकरण में निर्णय देते हुए कहा कि— “We are repeatedly coming across cases where judges are unjustifiably trying to perform executive or legislative functions. In our opinion, this is clearly unconstitutional. In the name of Judicial activism, judges can not cross their limits and try to take over functions which belong to another organ of the state”. न्यायाधीशगण श्री काटजू और माथुर के इस मत को स्वीकार न करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ की ओर से स्पष्ट करते हुए मुख्य न्यायाधीश के०जी० बालकृष्णन् ने यह स्पष्ट किया कि : We are a three - Judge bench and are not bound by a two Judge bench order. सर्वोच्च न्यायालय में ही नहीं, अपितु बहुत से न्यायविदों ने भी इस बात की ओर संकेत किया कि न्यायाधीशगण श्री माथुर और श्री काटजू का मत वर्तमान न्यायिक मुख्य धारा से अलग-थलग है। उन लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के विसम्मत निर्णयों को ध्यान में रखकर ये कहा है, न कि अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित अभिनिर्णयों की मुख्य धारा को ध्यान में रखकर। इतना ही नहीं न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने न तो अपने पहले के निर्णयों को ध्यान में रखा, और न तो 2002 में इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में दिये गये अपने व्याख्यान को। बल्कि पंजाब गोल्फ कोर्स में निर्णय देने के दो महीने पहले यू०पी०एस०ई०वी० प्रकरण में न्यायाधीश काटजू ने आठ साल से चले आ रहे दिहाड़ी मजदूरों का विनियमितीकरण कर दिया। हालाँकि 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने उमा देवी के प्रकरण में इस प्रकार के विनियमितीकरण को विधिसम्मत नहीं माना था। यह न्यायाधीश काटजू का पुराना रूप है। दो ही महीने बाद न्यायाधीश काटजू का स्वर परिवर्तित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ जब न्यायाधीश काटजू द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देगी तो वह किसे चुनेगी, पुराने काटजू को या नये काटजू को? यह सवाल पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील गुप्ता ने अपने एक लेख “Supreme Conundrum” द इण्डियन एक्सप्रेस, (नई दिल्ली) संस्करण, 14/15, जनवरी, 2008 में।

मूल प्रश्न यह है कि विहित न्यायिक सक्रियतावाद और अविहित न्यायिक सक्रियतावाद के बीच विभाजन रेखा कहाँ खींची जाय जो सामान्यतया एक न्यायाधीश को अविहित न्यायिक सक्रियतावाद लगा सकता है, वह दूसरे न्यायाधीश के लिए विहित न्यायिक सक्रियतावाद हो सकता है। पिछले दिनों न्यायाधीश काटजू ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक सक्रियतावाद की प्रचलित प्रणाली पर आपत्ति उठायी थी और उन्होंने सलाह दी कि न्यायाधीशों को सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के बहुत से आदेशों का परिगणन किया। हालाँकि वे मुकदमें न्यायाधीश काटजू के समक्ष नहीं थे और वे दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित थे। उन मुकदमों के सम्बन्ध में न्यायाधीश काटजू की आपत्ति को लेकर ये सवाल उठा कि क्या न्यायाधीश काटजू ने स्वतः अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया? अभी वे दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित थे और न्यायाधीश काटजू के समक्ष उन वादों के पक्ष और प्रतिपक्ष उपस्थित भी नहीं थे और न तो विधिक प्रक्रिया में वे मुकदमे न्यायाधीश काटजू के समक्ष थे। न्यायाधीश काटजू तो पंजाब के गोल्फ कोर्स के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दूसरे न्यायालय के मुकदमे पर टिप्पणी देना विधिसम्मत नहीं था, साथ ही प्राकृतिक न्याय के अनुरूप था। इसलिए न्यायाधीश काटजू ने 'उचित प्रक्रिया (Due Process) का अतिक्रमण किया। यह विडम्बना है कि उन्होंने अन्य न्यायाधीशों को सलाह दी कि वे सीमा का अतिक्रमण न करें। वे इस बात के लिए बहुत चर्चित भी हैं कि वे न्यायिक सक्रियतावाद को अनुशासनबद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने गोल्फ कोर्स के निर्णय में न्यायिक सक्रियतावाद के महत्व को स्वीकार तो किया, किन्तु वे इसे न्यायिक सक्रियतावाद या अनाधिकृत न्यायिक विस्तार (Judicial over reach) से मुक्त रखना चाहते हैं। कब न्यायिक सक्रियतावाद (Judicial Adventurism) या अनाधिकृत न्यायिक विस्तार है यह कहना कठिन है? गोल्फ कोर्स के निर्णय में 1998 में उत्तर प्रदेश विधान सभा और 2005 में झारखण्ड विधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उन्होंने इसे अनाधिकृत या अविहित न्यायिक सक्रियतावाद माना है अर्थात् एक प्रकार का न्यायिक सक्रियतावाद या अनाधिकृत न्यायिक विस्तार। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी पूर्व निर्णय की चर्चा किसी मुकदमे के अभिनिर्णय की प्रक्रिया में प्रसंगत ही की जाती है, लेकिन सन्दर्भ रहित होकर नहीं। यह न्यायिक अनुशासन है। जब तक वह प्रसंग विचाराधीन न हो, तब तक किसी पूर्व निर्णय पर टिप्पणी नहीं दी जानी चाहिए, पर न्यायाधीश काटजू ने दी। ऐसा न होता तो अच्छा था। पर इससे एक बात स्पष्ट है कि न्यायाधीश काटजू की दृष्टि में विहित न्यायिक सक्रियतावाद की सीमा क्या है? हाल ही में उन्होंने रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में एक निर्णय दिया है। इसकी चर्चा सोली जे० सोराब जी ने दी इण्डियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली संस्करण) 10/11 मई, 2008, की। इस वाद में न्यायाधीश काटजू ने रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक ऐसा निर्णय दिया जो लीक से हटकर है। उनके अनुसार अगर एक यात्री स्टेशन पर चलती हुई गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है और फलस्वरूप कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उस यात्री की नहीं है, बल्कि रेलवे की है। उन्होंने रेलवे के वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तब गाड़ी रुक जाती तब यात्री को चढ़ना चाहिए था। इसके लिए यात्री जिम्मेदार है न कि रेलवे। न्यायाधीश काटजू ने इसे रेलवे की जिम्मेदारी माना और इसे अन्य देशों के न्यायालयों के केस लॉ की चर्चा करते हुए सटीक उत्तरदायित्व (Strict Liability) रेलवे पर डाला। इसके सामान्यतया यह लगेगा कि न्यायाधीश ने दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ही बदल दिया।

न्यायिक सक्रियतावाद जन-चेतना के अधिष्ठान पर खड़ा है। इसकी वैधता और इसका औचित्य सामान्य जन के बोध पर आधारित है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से यह अपेक्षित है कि वे अपने अभिनिर्णयों में पूर्वाग्रह रहित हों। निश्चित ही सार्वजनिक रूप से ये लगे कि वो किसी जन-आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता की तरह नहीं हैं। उनकी भाषा विधिक हो, संयम और अनुशासन में बंधी हो। संक्षेप में न्यायाधीश, न्यायाधीश ही बना रहे। हालाँकि न्यायाधीश बने रहने पर भी उनके निर्णयों का राजनीतिक महत्व है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए गोलक नाथ वाद 1967, राजनारायण बनाम इंदिरा गाँधी, 1973, केशवानन्द भारती, 1973, इत्यादि परिगणित किये जा सकते हैं।

अतः सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और वो है— संविधान और भारतीय लोकतन्त्र के मूल्यों की रक्षा करना, नागरिक को सत्ता के गैर कानूनी प्रहार से सुरक्षित करना और सामान्य जन के लिए उत्तरदायी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित कराना। आज की परिस्थिति में न्यायिक सक्रियतावाद की यही वैधता है और यही औचित्य है। पर अपेक्षा इस बात की है कि वे राजनीतिज्ञों को अनुशासित और संयमित रखें। अन्यथा वे इस न्यायिक सक्रियतावाद की इस उपलब्धता को छिन्न-भिन्न कर देंगे।

इसमें सन्देह नहीं कि न्यायपालिका की सक्रियता ने सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस दृष्टि से हमें न्यायिक सक्रियता का स्वागत करना चाहिए, किन्तु अतिसक्रियता (Over Activism) के भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अतः न्यायपालिका को सन्तुलित दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. अल्तेकर, अनंत सदाशिव, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2005 पृ०सं० 57
2. गावा, ओ०पी०, राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, मयूरपेपर वैक्स, नोएडा, 2000, पृ०सं० 102-103
3. बसु, डी०डी०, भारत का संविधान, वाधवा एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 1999, पृ०सं० 293
4. पाण्डेय, जय नारायण, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2006 पृ०सं० 327
5. सर्वोच्च न्यायालय, कोर्टस इन इण्डिया, नीड टू स्ट्रेन्थ एक्सेस टू जस्टिस एण्ड ज्यूडिशियल एकाउन्टबिलिटी, 2011, पृ०सं० 6
6. मैसी, आई०पी०, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ईस्टर्न बुक कम्पनी, चतुर्थ संस्करण, 1995, पृ०सं० 17
7. दी टाइम्स ऑफ इण्डिया, वाराणसी संस्करण, 11 दिसम्बर, 2007, पृ०सं० 1
8. दी इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली संस्करण, 13-14 दिसम्बर, 2008, पृष्ठ सं० 1
9. दी इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली संस्करण, 14-15 जनवरी, 2008, पृष्ठ सं० 1
10. दी इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली संस्करण, 10-11 मई, 2008, पृष्ठ सं० 1
11. नारंग, ए०एस०, "भारतीय शासन एवं राजनीति" गीतांजली पब्लिकेशन, 2003, पृ०सं० 150
12. ए०आई०आर० 1982 एस०सी० 149
13. सईद, एस०एम०, "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था", सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 2003, पृ०सं० 179
14. कटारिया, सुरेन्द्र, "कार्मिक प्रशासन", आर०बी०एस०ए० पब्लिशर्स, जयपुर, 2003, पृ०सं० 273-274



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
A Bi-annual and bi-lingual Journal

Department of Political Science
SAMASTIPUR COLLEGE, SAMASTIPUR
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA



www.jidr.org



editor123ajidr@gmail.com
drmalamgeer@gmail.com



9431425239
7004287153